रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2002/फाल्गुन 7, 1923

No. 95] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2002/PHALGUNA 7, 1923

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 114(अ).—कतिपय प्रारूप नियम व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उपधारा (2) [उसके खण्ड (29), (30), (31), (32) और (33) को छोड़कर] के साथ पठित उपधारा (1) और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 और 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में तारीख 18 मई, 2001 को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 373 (अ) के प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से पांच दिन की समाप्ति के पूर्व जनता को अधिसूचना उपलब्ध कराई गई थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को 11 जून, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग 1

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिह्न नियम, 2002 है।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है।

2. (1) **परिभाषाएं** :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) अभिप्रेत है;

(ख) ''अभिकर्ता'' से अधिनियम की धारा 145 के अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) ''किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन'' के अन्तर्गत माल या सेवाओं के लिए वह व्यापार चिन्ह है जो उसमें अन्तर्विष्ट है;

(घ) ''व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय'' से नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का सुसंगत कार्यालय अभिप्रेत है;

(ङ) ''वर्ग फीस'' से किसी विशिष्ट वर्ग के किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन फाइल करने के लिए विहित फीस अभिप्रेत है;

(च) ''कन्वेंशन देश'' से धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में घोषित कोई देश या देशों का समूह या देशों का संघ या देशों के अंतर सरकारी संगठन अभिप्रेत हैं;

(छ) ''कन्वेंशन आवेदन'' से धारा 154 के आधार पर बनाए गए किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन अभिप्रेत है;

(ज) ''विभाजनीय आवेदन'' से अभिप्रेत है—

(i) किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी वर्ग में माल या सेवाओं के विभाजन के लिए कोई अनुरोध अंतर्विष्ट करने वाला आवेदन, या

(ii) माल या सेवाओं के पृथक वर्गों के लिए किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन का विभाजन करके किया गया कोई विभाजित आवेदन;

(झ) ''विभाजनीय फीस'' से प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 68 के सामने विहित फीस अभिप्रेत है ;

(ञ) ''प्ररूप'' से द्वितीय या तृतीय अनुसूची में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ट) 'ग्राफीय समाकृति'' से कागजपत्र के रूप में माल या सेवाओं के लिए किसी व्यापार चिन्ह की समाकृति अभिप्रेत है ;

(ठ) ''जर्नल'' से नियम 43 में निर्दिष्ट व्यापार चिन्ह जर्नल अभिप्रेत है ;

(ड) ''अधिसूचित तारीख' से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको ये नियम प्रवृत्त होते हैं ;

(ढ) ''पुरानी विधि'' से अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

(ण) ''विरोध'' से यथास्थिति किसी व्यापार चिन्ह या सामुहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई विरोध अभिप्रेत है ;

(त) ''भारत में कारबार का मुख्य स्थान'' से नियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट भारत में कारबार का सुसंगत स्थान अभिप्रेत है ;

(थ) ''प्रकाशित करना'' से व्यापार चिन्ह जर्नल में प्रकाशित करना अभिप्रेत है ;

(द) ''रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता'' से वह व्यापार चिन्ह अभिकर्ता अभिप्रेत है जिसका नाम नियम 148 के अधीन रखे गए व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रजिस्टर में वास्तव में प्रविष्ट है ;

(ध) ''नवीकरण'' से यथास्थिति किसी व्यापार चिन्ह या किसी प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह या सामूहिक चिन्ह का नवीकरण अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है ;

(न) ''अनुसूची'' से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(प) ''धारा'' से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(फ) ''विनिर्देश'' से उन माल या सेवाओं का अभिधान अभिप्रेत है जिनके संबंध में व्यापार चिन्ह या व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है या किए जाने की प्रस्थापना की जाती है

(ञ) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में या माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48), प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो कि उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं।

(2) इन नियमों में, अन्यथा उपदर्शित के सिवाय, किसी धारा के प्रति निर्देश अधिनियम में उस धारा के प्रति निर्देश है, किसी नियम के प्रति निर्देश उन नियमों में उस नियम के प्रति निर्देश है, किसी अनुसूची के प्रति निर्देश इन नियमों की उस अनुसूची के प्रति निर्देश है और किसी प्ररूप के प्रति निर्देश यथास्थिति, इन नियमों की द्वितीय या तृतीय अनुसूची में वर्णित उस प्ररूप के प्रति निर्देश है।

(3) भारत में कारबार का मुख्य स्थान— भारत में कारबार के मुख्य स्थान से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) जहां कोई व्यक्ति व्यापार चिन्ह से संबद्ध माल या सेवाओं का कारबार करता है वहां-

(क) यदि कारबार भारत में केवल एक ही स्थान में किया जाता है, तो वह स्थान,

(ख) यदि कारबार भारत में एक से अधिक स्थानों पर किया जाता है तो वह स्थान, जिसका वह व्यक्ति भारत में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में उल्लेख करे ;

(ii) जहां कोई व्यक्ति किसी व्यापार चिन्ह से संबद्ध माल या सेवाओं का कारबार नहीं करता है, वहां-

(क) यदि वह भारत में कोई अन्य कारबार केवल एक स्थान में कर रहा है, तो वह स्थान,

(ख) यदि वह भारत में कोई अन्य कारबार एक से अधिक स्थानों में कर रहा है, तो वह स्थान, जिसका वह भारत में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में उल्लेख करे ; और

(iii) जहां कोई व्यक्ति भारत में कोई कारबार नहीं करता है किन्तु उसका भारत में निवास स्थान है, वहां भारत में ऐसा निवास स्थान।

4. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय- धारा 18 के अधीन व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए या धारा 21 के अधीन विरोध की सूचना देने या धारा 47 के अधीन किसी व्यापार चिन्ह को हटाने के लिए या धारा 57 के अधीन किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए या अधिनियम और नियमों के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के लिए आवेदन करने के प्रयोजनों के लिए "व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय"-

(क) अधिसूचित तारीख को व्यापार चिन्ह रजिस्टर में किसी व्यापार चिन्ह के संबंध में रजिस्ट्री का वह कार्यालय होगा जिसकी राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर-

(i) ऐसी तारीख को रजिस्टर में यथाप्रविष्ट व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का भारत में कारबार का मुख्य स्थान स्थित है,

(ii) जहां रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के भारत में कारबार के मुख्य स्थान के बारे में रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं है, वहां ऐसी तारीख को रजिस्टर में यथाप्रविष्ट भारत में तामील के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है;

(iii) संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों के मामले में उस स्वत्वधारी का भारत में कारबार का मुख्य स्थान स्थित है जिसका नाम ऐसी तारीख को भारत में ऐसे कारबार का स्थान रखने वाले के रूप में रजिस्टर में सबसे पहले प्रविष्ट किया जाता है;

(iv) जहां संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों में से किसी को भी भारत में मुख्य स्थान रखने वाले के रूप में रजिस्टर में नहीं दिखाया जाता है, वहां ऐसी तारीख को रजिस्टर में यथाप्रविष्ट संयुक्त स्वत्वधारियों के भारत में तामील के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है ;

(v) यदि व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का या संयुक्त रजिस्ट्रीकरण की दशा में व्यापार चिन्ह के संयुक्त स्वत्वधारियों में से किसी का भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है और रजिस्टर में भारत में तामील के लिए कोई पता नहीं दिया गया है, तो व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के कार्यालय का वह स्थान जहां व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया था, स्थित है; और

(ख) उस व्यापार चिन्ह के संबंध में, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण का कोई आवेदन अधिसूचित तारीख को लम्बित है या अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् किया गया है व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का वह कार्यालय जिसकी राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर—

(i) आवेदक के आवेदन में प्रकट किए गए रूप में आवेदक का भारत में कारबार का मुख्य स्थान या संयुक्त आवेदकों की दशा में, उस आवेदक का भारत में कारबार का मुख्य स्थान स्थित है जिसका नाम कारबार का ऐसा स्थान रखने वाले के रूप में आवेदन में सबसे पहले उल्लिखित है;

(ii) जहां यथास्थिति, न तो आवेदक का और न संयुक्त आवेदकों में से किसी का भारत में कारबार का मुख्य स्थान है वहां आवेदन में, यथा विनिर्दिष्ट भारत में तामील के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है;

5. **कारबार के मुख्य स्थान में या तामील के लिए पते में परिवर्तन के कारण समुचित कार्यालय की अधिकारिता में परिवर्तन न होना**-किसी ऐसे परिवर्तन से जो —

(क) अधिसूचित तारीख को रजिस्टर में किसी व्यापार चिह्न के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के या संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों में से किसी के भारत में कारबार के मुख्य स्थान में या भारत में तामील के लिए पते में, उस तारीख के पश्चातवर्ती किया गया है या प्रभावी किया गया है, या

(ख) किसी व्यापार चिह्न के संबंध में, जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन अधिसूचित तारीख को लंबित है या उस तारीख को अथवा उसके पश्चात किया गया है रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक के या रजिस्ट्रीकरण के लिए संयुक्त आवेदकों में से किसी के भारत में कारबार के मुख्य स्थान में या भारत में तामील के लिए पते में, यथास्थिति, उस तारीख को या ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख को किया गया या प्रभावी किया गया है,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. **रजिस्टर में समुचित कार्यालय की प्रविष्टि**—अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् रजिस्टर किए गए प्रत्येक व्यापार चिह्न के संबंध में रजिस्ट्रार रजिस्टर में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय की प्रविष्टि करेगा और रजिस्ट्रार इस प्रकार की गई प्रविष्टि में किसी भी समय कोई गलती ठीक कर सकेगा।

7. **लंबित आवेदन और कार्यवाहियों का व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालयों को हस्तांतरित करना**—व्यापार चिह्न के संबंध में अधिसूचित तारीख को रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित प्रत्येक आवेदन और कार्यवाही की बाबत यह समझा जाएगा कि वह व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय को हस्तांतरित कर दी गई है।

8. **दस्तावेजों का छोड़ना, आदि**—(1) जैसा उपनियम (2) में उपबन्धित है, उसके सिवाय, अधिसूचित तारीख को व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार में किसी व्यापार चिह्न के संबंध में, जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन लम्बित है, अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित सभी आवेदन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय में किए जाएंगे, सूचनाओं की तामील वहां की जाएगी, विवरण या अन्य दस्तावेज वहां दिए या भेजे जाएंगे, या फीस का संदाय वहां किया जाएगा।

(2) ऐसे दस्तावेज या फीस, जो अधिनियम या नियमों द्वारा भेजे जाने या संदत्त किए जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है, या तो व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय या मुख्यालय को निम्नलिखित विषयों के संबंध में भेजी जा सकेगी या संदत्त की जा सकेगी,

(क) किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में संसूचना और अन्य दस्तावेज जिनके अन्तर्गत शपथ पत्र भी हैं,

(ख) व्या. चि.-10, व्या. चि.-12, व्या. चि.-13, व्या. चि.-14, व्या. चि.-16, व्या. चि.-19, व्या. चि.-20, व्या. चि.-21, व्या. चि.-23, व्या. चि.-24, व्या. चि.-25, व्या. चि.-28, व्या. चि.-29, व्या. चि.-30, व्या. चि.-31, व्या. चि.-32, व्या. चि.-33, व्या. चि.-34, व्या. चि.-35, व्या. चि.-36, व्या. चि.-37, व्या. चि.-38, व्या. चि.-40, व्या. चि.-46, व्या. चि.-47, व्या. चि.-50, व्या. चि.-54, व्या. चि.-55, व्या. चि.-58, व्या. चि.-59, व्या. चि.-61 और व्या. चि.-62 प्ररूपों पर आवेदन या अनुरोध।

(ग) नियम 24 के उपनियम (1) और उपनियम (2) के खंड (क) या खंड (ख) या उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्ररूप व्या. चि.-60 में प्रमाणपत्र की खोज करने और जारी किए जाने, प्ररूप व्या. चि.-63 में त्वरित परीक्षा या प्ररूप व्या. चि.-70, में दस्तावेजों की त्वरित प्रमाणित प्रतियों, व्या. चि.-71 में त्वरित खोज रिपोर्ट या प्ररूप व्या. चि.-72 में त्वरित खोज और प्रतिलिप्याधिकार प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए अनुरोध मुख्य रजिस्ट्री में फाइल किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रार जनता को जर्नलों में सूचना देने के पश्चात् निदेश न दे।

9. **दस्तावेजों आदि जो ऐसे कार्यालय में फाइल किए गए या छोड़े गए हैं जो समुचित नहीं हैं**—नियम 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहां कोई आवेदन, सूचना, विवरण या अन्य दस्तावेज या कोई फीस, जो अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित है, व्यापार रजिस्ट्री के ऐसे कार्यालय में, जो समुचित नहीं है, किया जाता है, उसकी तामील की जाती है, या उसे छोड़ा जाता

है या उसे भेजा जाता है या दी जाती है वहां रजिस्ट्रार स्वयं या लिखित प्रार्थना पर, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि यह आवेदक द्वारा की गई सद्भाविक गलती थी, तो वह ऐसे आवेदन, सूचना, विवरण या दस्तावेज को समुचित कार्यालय को वापस कर सकेगा।

परन्तु यह कि वह अवधि, जिसके दौरान ऐसा आवेदन, सूचना, विवरण या दस्तावेज ऐसे कार्यालय द्वारा प्रतिधारित किया जाता है, जो समुचित कार्यालय नहीं है, उस कार्यालय में, जहां ऐसे आवेदन, सूचना, विवरण या दस्तावेज में से किसी का विहित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, परिसीमा काल की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए अपवर्जित होगी :

परन्तु यह और कि ऐसे कार्यालय में, जो समुचित कार्यालय नहीं है, संदत्त की गई किसी फीस के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका संदाय समुचित कार्यालय में किया गया है :

परन्तु यह और भी कि ऐसी प्रार्थना से इंकार करने के पूर्व रजिस्ट्रार आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

10. **सूचनाओं आदि का जारी किया जाना**—अधिनियम या नियमों के अधीन किसी आवेदन, विषय या कार्यवाही से संबंधित सूचना या संसूचना अध्यक्ष या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी।

11. **फीस**—(1) अधिनियम और नियमों के अधीन आवेदनों, विरोधों, रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण, त्वरित परीक्षा या रिपोर्ट या किन्हीं अन्य विषयों के संबंध में दी जाने वाली फीसें, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् विहित फीस कहा गया है वे होंगी जो कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) जहां किसी विषय के संबंध में नियमों के अधीन फीस दी जानी अपेक्षित है, वहां उससे संबंधित प्ररूप या आवेदन या प्रार्थना या याचिका के साथ विहित फीस होगी।

(3) फीस नकद दी जा सकेगी या व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रार को संबोधित मनीआर्डर से या अनुसूचित बैंक द्वारा पृष्ठांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा या उक्त बैंक पर चैक द्वारा उस स्थान पर, जहां व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय अवस्थित है, भेजी जा सकेगी और यदि वह डाक द्वारा भेजी जाती है तो उस समय संदत्त की गई समझी जाएगी जब मनीआर्डर या उचित रूप से संबोधित बैंक ड्राफ्ट या चैक डाक के साधारण अनुक्रम में परिदत्त किया गया होता।

(4) बैंक ड्राफ्ट और चैक रेखांकित होंगे और व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय में रजिस्ट्रार को संदेय होंगे और इन्हें उस स्थान के अनुसूचित बैंक पर लिखा जाएगा जहां कि व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय अवस्थित है।

(5) नियम 25 के उपनियम (19) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहां किसी दस्तावेज के फाइल करने के संबंध में कोई फीस संदेय है और जहां दस्तावेज बिना फीस के या अपर्याप्त फीस के साथ फाइल किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसा दस्तावेज इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए फाइल नहीं किया गया है।

(6) रजिस्ट्रार जनता को जरनल में सूचना देने के पश्चात् ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, इलैक्ट्रानिक फीस अन्तरण सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा।

12. **प्ररूप**—(1) द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में दिए प्ररूपों का प्रयोग उन सभी मामलों में किया जाएगा जिनमें वे लागू होते हैं और अन्य मामलों में लागू करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रार के निदेशों के अनुसार उपांतरित किया जा सकेगा।

(2) कोई प्ररूप जब व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री में फाइल किया जाएगा तब उसके साथ विहित फीस होगी।

(3) अनुसूची में दिए गए किसी प्ररूप के उपयोग के लिए इस नियम के अधीन किसी अपेक्षा को या तो उस प्ररूप की प्रतिकृति के उपयोग द्वारा पूरा किया जाता है या ऐसे प्ररूप के द्वारा जो रजिस्ट्रार को स्वीकार्य हो और उसमें वह सूचना अंतर्विष्ट हो जो दिए गए प्ररूप द्वारा अपेक्षित हो और ऐसे प्ररूप के उपयोग के लिए किसी निदेश का अनुपालन करती हो।

(4) रजिस्ट्रार जनता को जरनल में सूचना देने के पश्चात् ऐसे प्ररूपों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो इलैक्ट्रानिक तरीके से प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हों। उसके पश्चात् ऐसे प्ररूपों को ऐसी रीति में पूरा किया जाएगा जो कंप्यूटर में अन्तर्वस्तु के निवेश को स्वत: हो जैसे संप्रतीक अभिज्ञान या क्रमवीक्षण द्वारा अनुज्ञात करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सके।

13. **दस्तावेज का आकार आदि**—(1) किन्हीं अन्य ऐसे निदेशों के जो रजिस्ट्रार द्वारा दिए जाएं, अधीन रहते हुए, व्यापार चिह्नों को छोड़कर वे सभी आवेदन, सूचनाएं, विवरण या अन्य दस्तावेज, जो व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को या वहां या रजिस्ट्रार के पास या उसको किए जाने, तामील किए जाने, छोड़े जाने या भेजे जाने या संदत्त किए जाने के लिए अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हैं, 33 सेंटीमीटर लम्बाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई के मजबूत कागज पर शपथपत्र के मामले को छोड़कर एक ओर गहरी अमिट स्याही में बड़े-बड़े सुपाठ्य अक्षरों में अंग्रेजी या हिन्दी में हाथ से लिखे जाएंगे या टाइप किए जाएंगे या शिला मुद्रित किए जाएंगे या मुद्रित किए जाएंगे और कागज में बाईं ओर कम से कम चार सेंटीमीटर का हाशिया होगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार किसी समय अपेक्षा करता है तो दस्तावेजों की दूसरी प्रतियां, जिनके अन्तर्गत व्यापार चिह्नों की प्रतियां भी है व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में फाइल की जाएंगी।

(3) रजिस्ट्रार जर्नल में जनता को सूचित करने के पश्चात् सभी आवेदनों, सूचनाओं, विवरणों या अन्य दस्तावेजों और प्ररूपों के, जो नियमों के अधीन इलैक्ट्रानिक रीति से समरूप बनाए जाने के लिए अपेक्षित हैं, आकार में परिवर्तन कर सकेगा।

(4) रजिस्ट्रार जर्नल में जनता को सूचना दिए जाने के पश्चात् आवेदनों, विवरणों, सूचनाओं या अन्य दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक रीति द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो वह जरनल में विनिर्दिष्ट करे, फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

14. दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना—(1) किसी ऐसे दस्तावेज पर जो भागीदारी फर्म द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए तात्पर्यित है, भागीदारों में से कम से कम एक भागीदार द्वारा यह कथन करते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे कि वह फर्म की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है और ऐसे दस्तावेज पर जो निगम निकाय द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए तात्पर्यित है, किसी निगम निकाए के निदेशक द्वारा या सचिव द्वारा या अन्य मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे वह हैसियत, जिसमें कोई व्यक्ति भागीदारी या निगमित निकाय की ओर से किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है, उसके हस्ताक्षर के नीचे उल्लिखित की जाएगी।

(2) किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षरों के साथ हिन्दी में या यदि हस्ताक्षर अंग्रेजी में हैं, तो बड़े अक्षरों में हस्ताक्षरकर्ता का नाम होगा।

15. दस्तावेजों की तामील—(1) रूपण चिपके हुए सभी आवेदन, सूचनाएं, विवरण, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को या वहां या रजिस्ट्रार या किसी अन्य व्यक्ति के पास या उसको किए जाने, तामील किए जाने, छोड़े जाने या भेजे जाने के लिए अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हैं, डाक से ऐसे पत्र द्वारा भेजे जा सकेंगे जिसके लिए डाक महसूल दे दिया गया है ;

(2) इस प्रकार भेजा गया कोई आवेदन या कोई दस्तावेज उस समय किया गया तामील किया गया या छोड़ दिया गया या भेज दिया गया समझा जाएगा जब वह पत्र जिसमें वह आवेदन या दस्तावेज है, डाक से साधारण अनुक्रम में परिदत्त कर दिया जाता।

(3) ऐसा भेजा जाना साबित करने में यह साबित करना पर्याप्त होगा कि पत्र पर उचित रूप से पता लिख कर उसे डाक में डाल दिया गया था।

(4) व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के पास कोई आवेदन फाइल करने के पश्चात् कोई व्यक्ति उससे संबंधित पत्राचार करते समय निम्नलिखित विशिष्टियां देगा, अर्थात् :—

(क) आवेदन की संख्या या संख्याएं, यदि कोई हो;

(ख) फाइल करने की तारीख और स्थान ;

(ग) यथास्थिति, समुचित वर्ग या कोई वर्ग, जिसके या जिनके संबंध में आवेदन फाइल किया गया है ;

(घ) संसूचना के लिए पता ; और

(ङ) संबंधित अभिकर्ता का कोड, यदि कोई हो, और संबंधित स्वत्वधारी का कोड, यदि आवंटित किया गया हो।

(5) रजिस्ट्रार जर्नल में जनता को सूचित करने के पश्चात् किसी फीस का संदाय न करने की अपेक्षा करने वाले किसी दस्तावेज को विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की अनुकृति (फैक्स) द्वारा भेजे जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(6) रजिस्ट्रार जर्नल में जनता को सूचित करने के पश्चात् ई-मेल द्वारा नैमित्तिक प्रकृति की संसूचनाओं जिनके लिए किसी फीस का संदाय अपेक्षित नहीं है स्वीकार कर सकेगा।

16. आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के पतों की विशिष्टियां—(1) आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के पूरे नाम और पते दिए जाएंगे और उसके साथ उनकी राष्ट्रीयता, आजीविका और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो उनकी पहचान के लिए आवश्यक है।

(2) किसी फर्म की दशा में, उसके प्रत्येक भागीदार के पूरे नाम और राष्ट्रीयता का कथन किया जाएगा।

(3) कन्वेंशन देश से किसी आवेदन की दशा में और भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान न रखने वाले व्यक्तियों की दशा में, उनके अपने देश में उनके पते भारत में तामील के लिए उनके पते के अतिरिक्त दिए जाएंगे।

(4) किसी निगम निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन देश या रजिस्ट्रीकरण की प्रकृति दी जाएगी।

17. किसी आवेदन में भारत में कारबार के मुख्य स्थान का कथन— (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन

में आवेदक के भारत में कारबार के मुख्य स्थान का, यदि कोई हो, या संयुक्त आवेदकों की दशा में, संयुक्त आवेदकों में से ऐसे आवेदकों के, जिनका भारत में कारबार का मुख्य स्थान है, ऐसे कारबार के मुख्य स्थान का उल्लेख किया जाएगा।

(2) नियम 18, 19 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में किसी आवेदक को, संयुक्त आवेदकों की दशा में किसी संयुक्त आवेदक को आवेदन में उसके द्वारा दिए गए उसके भारत में कारबार के मुख्य स्थान के पते पर कोई लिखित संसूचना संबोधित की जाती है तो वह उचित रूप से संबोधित की गई समझी जाएगी।

18. तामील के लिए पता—(1) भारत में तामील के लिए पता—

(क) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदक द्वारा दिया जाएगा, जिसका भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान नहीं है ;

(ख) किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए संयुक्त आवेदकों की दशा में, यदि उनमें से किसी का भी भारत में कारबार का मुख्य स्थान नहीं है, दिया जाएगा;

(ग) व्यापार चिह्न के ऐसे स्वत्वधारी, जिसका रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख को भारत मे अपना कारबार का मुख्य स्थान था किन्तु पश्चात्वर्ती उसका ऐसा स्थान नहीं रहा है, दिया जाएगा, और

(घ) प्रत्येक आवेदक द्वारा फाइल अधिनियम या नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में और विरोध की सूचना फाइल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसका भारत में कारबार का मुख्य स्थान नहीं है, दिया जाएगा, और

(ङ) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसको नियम 94 के अधीन मध्यक्षेप करने की इजाजत दी गई थी।

(2) यदि किसी व्यक्ति को भारत में तामील के लिए उसके द्वारा दिए गए पते पर पूर्वोक्त रूप से लिखित संसूचना सम्बोधित की जाती है तो वह उचित रूप से सम्बोधित की गई समझी जाएगी।

(3) जब तक कि उपनियम (1) में अपेक्षित रूप में भारत में तामील के लिए कोई पता नहीं दिया जाता है तब तक रजिस्ट्रार अधिनियम या नियमों के द्वारा अपेक्षित रूप में कोई सूचना भेजने के लिए बाध्य नहीं होगा और कार्यवाहियों में कोई पश्चात्वर्ती आदेश या विनिश्चय इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि सूचना की तामील में कोई कमी थी उसकी तामील नहीं की गई थी।

19. **आवेदन और विरोध संबंधी कार्यवाहियों में तामील के लिए पता**—व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदक या विरोध की सूचना फाइल करने वाला कोई विरोधकर्ता इस बात के होते हुए भी कि उसका भारत में कारबार का मुख्य स्थान है, रजिस्ट्रार से यदि वह ऐसा चाहे तो, विनिर्दिष्ट रूप से लिखित में अनुरोध कर सकेगा और भारत में ऐसा पता दे सकेगा जिस पर ही आवेदन या विरोध संबंधी कार्यवाहियों के संबंध में संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। आवेदक या विरोधकर्ता का ऐसा पता, जब तक कि बाद में रद्द नहीं कर दिया जाता है, तब तक, यथास्थिति, आवेदक या विरोधी का वास्तविक पता समझा जाएगा और आवेदन अथवा विरोध की सूचना से संबंधित सभी संसूचनाओं और दस्तावेजों की तामील, यथास्थिति, आवेदक या विरोधी के ऐसे पते पर उन्हें परिदत्त करके या डाक द्वारा भेजकर की जा सकेगी।

20. **तामील के लिए पते की अनुपलभ्यता**—रजिस्ट्रार किसी भी समय जब रजिस्टर में प्रविष्ट भारत में तामील के लिए किसी पते की लगातार अनुपलभ्यता के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो वह उस व्यक्ति को जिसकी बाबत वह पता प्रविष्ट है, रजिस्टर में प्रविष्ट किसी अन्य पते पर अथवा यदि रजिस्टर में कोई ऐसा पता प्रविष्ट नहीं है तो ऐसे पते पर, जिसे रजिस्ट्रार यह समझता है कि उस पते पर पत्र उसके पास पहुंच जाएगा, पत्र डालकर उससे भारत में तामील के लिए पते की पुष्टि करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि ऐसा अनुरोध करने के दो मास के भीतर रजिस्ट्रार को ऐसी कोई पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो वह भारत में तामील के लिए पते को रजिस्टर से काट सकेगा और ऐसे व्यक्ति से भारत में तामील के लिए नया पता, या यदि उस समय उसका भारत में कारबार के मुख्य स्थान का कोई पता है तो वह पता, देने की अपेक्षा कर सकेगा।

21. **अभिकरण**—(1) धारा 145 के प्रयोजनों के लिए किसी अभिकर्ता का प्राधिकार प्ररूप व्या. चि.-48 में या ऐसे अन्य लिखित रूप में, जिसे रजिस्ट्रार पर्याप्त और उचित समझे, निष्पादित किया जाएगा।

(2) ऐसे प्राधिकार की दशा में कार्यवाही या मामले से संबंधित किसी दस्तावेज की अभिकर्ता पर तामील, उसे इस प्रकार प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर तामील समझी जाएगी; कार्यवाही या मामले की बाबत ऐसे व्यक्ति को की जाने के लिए निर्दिष्ट सभी संसूचनाएं, ऐसे अभिकर्ता को संबोधित की जाएंगी, और रजिस्ट्रार के समक्ष उनसे संबंधित सभी हाजिरियां ऐसे अभिकर्ता द्वारा या उसकी मार्फत की जा सकेंगी।

(3) किसी विशिष्ट मामले में रजिस्ट्रार किसी आवेदक, विरोधकर्ता, स्वत्वधारी, रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता या अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत हस्ताक्षर या उसकी उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

22. माल और सेवाओं का वर्गीकरण—(1) व्यापार चिन्हों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए माल और सेवाएं उस रीति में वर्गीकृत की जाएगी जो कि चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

(2) चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित माल और सेवाएं केवल ऐसे साधनों का उपबंध करती है जिनके द्वारा अंकित अंतर्राष्ट्रीय वर्गों की साधारण अंतर्वस्तु का शीघ्रता से पहचान की जा सके। ये माल् और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार प्रत्येक वर्ग की मुख्य अंतर्वस्तु के समरूप होते हैं और संपूर्ण होने के लिए आशयित नहीं हैं। विशिष्ट माल और सेवाओं के वर्गीकरण को अवधारित करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की अंतर्वस्तु के पूर्ण प्रकटीकरण के लिए आवेदक धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित या विश्व बौद्धिक संपदात्मक संगठन द्वारा प्रकाशित व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के विद्यमान संस्करण या पश्चातवर्ती संस्करण, जो प्रकाशित किया जाए, को माल और सेवाओं की वर्णक्रम अनुक्रमणिका को निर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार, यथासाध्य, माल और सेवाओं के वर्गीकरण की वर्णक्रम अनुक्रमणिका में भारतीय मूल के माल या सेवाओं की पहचान करेगा और उन्हें सम्मिलित करेगा।

23. सुभिन्नता के बारे में रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह—(1) धारा 133 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह के लिए कोई आवेदन चतुर्थ अनुसूची में किसी एक वर्ग के भीतर समाविष्ट माल या सेवाओं के संबंध में प्ररूप व्या. चि.-55 में किया जाएगा और उसके साथ व्यापार चिन्ह के तीन व्यपदेशन होंगे।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सलाह सामान्यतः आवेदक के ऐसे फाइल करने के सात कार्यदिवसों के भीतर दी जाएगी और ऐसी सलाह में सलाह के लिए कारण भी होंगे।

24. तलाशी के लिए रजिस्ट्रार से निवेदन—(1) कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार से प्ररूप व्या. चि.-54 में यह निवेदन कर सकेगा कि रजिस्ट्रार चतुर्थ अनुसूची में के किसी एक वर्ग में वर्गीकृत विनिर्दिष्ट माल और सेवाओं से संबंधित व्यापार चिन्ह की बाबत यह अभिनिश्चित करने के लिए तलाशी कराए कि अभिलेख में क्या कोई ऐसा व्यापार चिन्ह है जो उस व्यापार चिन्ह के सदृश है जिसके संबंध में निवेदन किया गया है। ऐसी तलाशी कराएगा और उसके परिणाम की संसूचना निवेदन करने वाले व्यक्ति को सामान्यतः ऐसे निवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर दी जाएगी :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार ऐसी तलाशी के लिए सामान्य फीस की पांच गुणा फीस के संदाय पर प्ररूप व्या. चि.-71 में निवेदन करने पर त्वरित तलाशी रिपोर्ट को सामान्यतः सात कार्यकरण दिवसों के भीतर जारी करवाएगा।

(2) यदि पूर्वोक्त तलाशी के परिणाम की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर प्रश्नाधीन व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है और रजिस्ट्रार इस आधार पर आपत्ति करता है कि यह व्यापार चिन्ह के सदृश है जो तलाशी में प्रकट नहीं किया गया था किन्तु जो उन अंतिम तारीखों को, जिनको तलाश की गई थी अभिलेख में विद्यमान था, तो आवेदक नियम 39 में वर्णित कालावधि के भीतर आवेदन के वापस लेने की सूचना देने पर उस फीस का प्रतिदान पाने का हकदार होगा जो कि आवेदन के फाइल करने पर दी गई थी।

(3) कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार से प्ररूप व्या. चि.-60 में तलाशी करवाने के लिए और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन इस प्रभाव का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निवेदन कर सकेगा कि ऐसी कलात्मक कृति के जिसे प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए चाहा गया है, तद्रूप या इतना समरूप जिससे धोखा हो जाए, कोई व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन व्यापार चिन्ह के रूप में आवेदक से भिन्न किसी व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या कि आवेदक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए उस अधिनियम के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया है। प्रमाणपत्र सामान्यतः निवेदन की तारीख से कार्यकरण के 30 दिन के भीतर जारी किए जाएंगे :

परन्तु यह रजिस्ट्रार आवेदक से अपेक्षाओं के विवरण के लिए मांग कर सकेगा और यदि अपेक्षाओं का उस विवरण के ऐसे मांगे जाने की तारीख से दो मास के भीतर अनुपालना नहीं किया जाता है तो प्ररूप व्या. चि.-60 पर उस निवेदन के बारे में यह माना जा सकेगा कि उसका परित्याग कर दिया गया है।

(4) रजिस्ट्रार ऊपर वर्णित उपनियम (3) के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र को सूचना देने और उन आधारों का कथन करने के पश्चात् जिन पर रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र को रद् करने की प्रस्थापना करता है और सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, रद् कर सकेगा।

(5) उपनियम (3) के परन्तुक या उपनियम (4) के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार ऐसी तलाशी के लिए सामान्य फीस की पांच गुणी फीस के संदाय पर प्ररूप व्या. चि.-72 में प्राप्त निवेदन पर प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन त्वरित प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(6) यथास्थिति, प्ररूप व्या. चि.-60 या व्या. चि.-72 में उस निवेदन का परित्याग करने से पूर्व मांगी गई अपेक्षाओं के विवरण की अनुपालना के लिए रजिस्ट्रार उस मामले में सुनवाई के अवसर की प्रस्थापना करेगा।

अध्याय 2

व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

25. **आवेदन का प्रारूप और हस्ताक्षर करना.**—(1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को किए गए आवेदन पर आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) किसी एक वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए किसी व्यापार चिह्नों को रजिस्टर करने के लिए आवेदन प्ररूप व्या. चि.-1 में आवेदन किया जाएगा।

(3) किसी कन्वेंशन देश से किसी एक वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए धारा 154 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यापार चिह्न को रजिस्टर करने के लिए आवेदन प्ररूप व्या.चि. -2 में किया जाएगा।

(4) धारा 154 की उपधारा (2) के अधीन कन्वेंशन देश से माल या सेवाओं के विभिन्न वर्गों के लिए व्या.चि. के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन प्ररूप व्या.चि.-52 में किया जाएगा।

(5) नियम 145 के अधीन पंचम अनुसूची की एक मद में सम्मिलित माल के विनिर्देश के लिए अनन्य रूप से अंकों या अक्षरों या उनके किसी संयोजन से मिलकर बनने वाले किसी कपड़ा व्यापार चिह्न (सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न से भिन्न) को रजिस्टर करने के लिए आवेदन प्ररूप व्या.चि.-22 में किया जाएगा।

(6) धारा 154 की उपधारा (2) के अधीन किसी कन्वेंशन देश से नियम 145 के अधीन पंचम अनुसूची की एक मद में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए अनन्य रूप से अंकों या अक्षरों या उनके किसी संयोजन से मिलकर बनने वाले किसी कपड़ा व्यापार चिह्न (सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न से भिन्न) को रजिस्टर करने के लिए आवेदन प्ररूप व्या. चि.-45 में किया जाएगा।

(7) (क) किसी एक वर्ग में माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए किसी सामूहिक व्यापार चिह्न को रजिस्टर करने के लिए धारा 63 (1) के अधीन आवेदन प्ररूप व्या.चि.-3 में किया जाएगा।

(ख) धारा 154 की उपधारा (2) के अधीन किसी कन्वेंशन देश से किसी एक वर्ग के माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए सामूहिक व्यापार चिह्न को रजिस्टर करने के लिए धारा 63 (1) के अधीन आवेदन प्ररूप व्या.चि.-64 में किया जाएगा।

(8) (क) किसी एक वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए किसी प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न को रजिस्टर करने के लिए धारा 71 के अधीन आवेदन प्ररूप व्या.चि.-4 में किया जाएगा।

(ख) धारा 154 की उपधारा (2) के अधीन किसी कन्वेंशन देश से माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए किसी प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न को रजिस्टर करने के लिए धारा 71 के अधीन आवेदन प्ररूप व्या. चि.-65 में किया जाएगा।

(9) माल या सेवाओं के विभिन्न वर्गों के किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन प्ररूप व्या. चि.-51 में किया जाएगा।

(10) प्रत्येक व्यापार चिह्न के लिए सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए धारा 15 के अधीन व्यापार शृंखला रजिस्टर करने के लिए आवेदन प्ररूप व्या.चि.-8 में किया जाएगा।

(11) धारा 154 की उपधारा (2) के अधीन किसी कन्वेंशन देश से प्रत्येक व्यापार चिह्न के लिए सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए धारा 15 के अधीन व्यापार चिह्न शृंखला रजिस्टर करने के लिए आवेदन प्ररूप व्या.चि.-37 में किया जाएगा।

(12) माल या सेवाओं के लिए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में—

(क) व्यापार चिह्न को, यदि आवश्यक हो तो, पर्याप्त सूक्ष्मता के साथ शब्दों में वर्णित करके स्पष्ट किया जाएगा ताकि आवेदक का अधिकार अवधारित किया जा सके;

(ख) व्यापार चिह्न का ग्राफीय नमूनों में चित्रण करने में समर्थ होगा;

(ग) इसे तीन विमाओं वाले व्यापार चिह्नों के रूप में समझा जाएगा, यदि आवेदन में इस आशय का विवरण अंतर्विष्ट है;

(घ) इसे रंग संयोजन वाला व्यापार चिह्न समझा जाएगा, यदि आवेदन में इस आशय का विवरण अंतर्विष्ट है;

(13) धारा 22 के परंतुक के अधीन आवेदन को विभाजित करने के लिए प्ररूप व्या.चि.-53 में संशोधन किया जाएगा।

(14) यदि वह शृंखला व्यापार चिह्न नहीं है तो कितने भी वर्ग या वर्गों के माल या सेवाओं के लिए केवल एक व्यापार चिह्न की बाबत एक ही आवेदन किया जाएगा।

(15) किसी वर्ग में सम्मिलित सभी माल या सेवाओं या किसी वर्ग में माल या सेवाओं के किसी वृहत किस्म की बाबत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की दशा में रजिस्ट्रार उस आवेदन को स्वीकार करने से मना कर सकेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विनिर्देश उस चिह्न के उपयोग को न्यायसंगत ठहराता है जो आवेदक ने दिया है, या उसे वह देना चाहता है और यह तब जब वह रजिस्ट्रीकृत कर दिया जाता है।

(16) प्रत्येक वर्ग के लिए माल या सेवाओं के विनिर्देश सामान्यतः पांच सौ शब्दों से अधिक के नहीं होंगे। प्रथम अनुसूची में यथाविहित अधिक्य स्थान के लिए फीस प्रत्येक आवेदन के साथ प्ररूप व्या.चि.-61 में संदेय है।

(17) विभिन्न वर्गों में सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन—

(क) प्ररूप व्या.चि.-66 में किया जाएगा;

(ख) किसी कन्वेंशन देश से विभिन्न वर्गों में सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप व्या.चि.-67 में किया जाएगा।

(18) (क) विभिन्न वर्गों में प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन प्ररूप व्या. चि.-68 में किया जाएगा।

(ख) किसी कन्वेंशन देश से विभिन्न वर्गों में प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन प्ररूप व्या.चि.-69 में किया जाएगा।

(19) जहां आवेदक एक से अधिक वर्गों के लिए एकल आवेदन फाइल करता है, और रजिस्ट्रार अवधारित करता है कि आवेदित माल या सेवा उन वर्ग या वर्गों के अतिरिक्त वर्ग या वर्गों के अंतर्गत आते हैं, तो वह उस आवेदक को आवेदित वर्ग के माल या सेवाओं के विनिर्देश तक निर्बंधित कर सकेगा या समुचित वर्ग की फीस और सम्भागीय फीस के संदाय पर अतिरिक्त वर्ग या वर्गों के लिए उस आवेदन को संशोधित करने के लिए निर्देशित कर सकेगा। विभाजन के द्वारा सृजित नया वर्ग मूल रूप से फाइल करने की तारीख को या किसी कन्वेंशन देश से आवेदन की दशा में धारा 154 की उपधारा (2, के अधीन उस कन्वेंशन आवेदन की तारीख का फायदा ले सकता है। परन्तु यह कि वह दावा मूल आवेदन में अन्यथा यथोचित रूप से प्रख्यात किया गया हो।

26. **कन्वेंशन ठहराव के अधीन आवेदन.**—(1, जहां धारा 154 के अधीन किसी कन्वेंशन देश में सम्यक् रूप से फाइल किए गए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के कारण पूर्विकता के अधिकार का दावा किया जाता है वहां यथास्थिति रजिस्ट्री या व्यापार चिह्न कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र के लिए नियम-25 के उपनियम (3), (4), (6), (7), (8) (ख), (11), (17) (ख) या (18) (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में समाविष्ट किया जाएगा और उस आवेदन में चिह्न, देश या देशों और आवेदन के फाइल करने की तारीख या तारीखों की विशिष्टियां और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हों सम्मिलित होंगी।

(2) जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिए उस आवेदन को फाइल करने के समय ऐसा प्रमाण-पत्र फाइल नहीं किया गया है आवेदन के अंतर्गत आने वाले उस आवेदन के फाइल करने की तारीख, देश, चिह्न की समाकृति और माल या सेवाओं को रजिस्ट्रार के समाधान के लिए प्रमाणित करते हुए या सत्यापित करते हुए ऐसे आवेदन के फाइल करने के दो मास के भीतर वह फाइल किया जाएगा।

(3) आवेदन में कन्वेंशन आवेदन के फाइल करने की तारीख, उस कन्वेंशन देश का नाम, जहां वह फाइल किया गया, क्रम सं., यदि कोई हो, और ऐसा कोई विवरण जिसमें यह उपदर्शित किया गया हो कि पूर्विकता का दावा किया गया है, सम्मिलित होंगे :

परन्तु यह कि जहां आवेदक ने उसी व्यापार चिह्न की बाबत कुछ या सभी मालों या सेवाओं के लिए धारा 154 के अधीन एक से अधिक पूर्विकता दावे फाइल किए हैं, वहां रजिस्ट्रार, कन्वेंशन देश में किए गए पूर्वतर आवेदन की तारीख को, पूर्विकता की तारीख के रूप में लेगा :

परन्तु यह और कि ऐसी पूर्विकता तारीख केवल उन सभी या कुछ मालों या सेवाओं की बाबत होगी जो कन्वेंशन आवेदन में पहले निर्दिष्ट किए गए हैं।

(4) जहां धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन माल या सेवाओं के एक या अधिक वर्गों के लिए कन्वेंशन देश से कोई एकल आवेदन फाइल किया जाता है वहां आवेदक सभी ऐसे वर्गों में आवेदन के फाइल करने की तारीख के लिए रजिस्ट्रार के समाधान के लिए पर्याप्त आधार सिद्ध करेगा।

27. **आवेदन में उपयोगकर्ता का विवरण.**—जब तक कि व्यापार चिह्न का उपयोग करने की प्रस्थापना न की गई हो, व्यापार चिह्न को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन में उस कालावधि का, जिसके दौरान में और उस व्यक्ति का जिसने आवेदन में उल्लिखित माल या सेवाओं के संबंध में इसका उपयोग किया है, विवरण अंतर्विष्ट होगा। रजिस्ट्रार आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उपयोग में लाये गये चिह्न को संदर्शित करने वाले प्रदेशों सहित ऐसे उपयोग विषयक परिसाक्ष्य वाला शपथपत्र फाइल करे।

28. **चिह्न की समाकृति .**—व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में और जहां कि आवेदन की अतिरिक्त प्रतियां अपेक्षित हैं, वहां अन्य प्रतियों में चिह्न की समाकृति उस स्थान (8 से.मी. ×8 से.मी.) दी जाएगी जो कि आवेदन में उस प्रयोजन के लिए नियत है,

परन्तु यह कि किसी भी दशा में ऐसी समाकृति का आकार 33 सें.मी. × 20 सें. मी. से अधिक नहीं होगा और जिसमें बाएं भाग में 4 सें. मी. का हाशिया होगा।

29. **अतिरिक्त समाकृतियां :**—(1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, इसमें तत्पश्चात् उपबंधित के सिवाय तीन प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ चिह्न की पांच अतिरिक्त समाकृतियां होंगी। आवेदन पर और उसकी प्रतियों में से प्रत्येक प्रति पर चिह्न की समाकृति और अतिरिक्त समाकृति ठीक एक दूसरे के सदृश होंगी। अतिरिक्त समाकृति सभी अवस्थाओं में उन वस्तुओं के, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहा गया है, वृत्त और वर्ग, आवेदक के नाम, उपयोग की कालावधि, यदि कोई हो, और ऐसी अन्य विशिष्टियों के जैसी कि समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित की जाएं, साथ टीपी जाएंगी और आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होंगी।

(2) जहां किसी आवेदन में इस प्रभाव का कोई विवरण अंतर्विष्ट किया जाता है कि वह आवेदक ने रंगों के संयोजन को चिह्न की सुभिन्न आकृति के रूप में दावा करना चाहा है वहां उस आवेदन के साथ सुभिन्न चिह्न की एक प्रतिकृति श्याम और श्वेत और चिह्न की 4 प्रतिकृति रंगीन होंगी।

(3) जहां किसी आवेदन में इस प्रभाव का कोई विवरण अंतर्विष्ट होता है कि व्यापार चिह्न एक तीन आयामात्मक चिन्ह है वहां चिह्न की प्रतिकृति में आयामात्मक प्रायोग या फोटोग्राफीय निम्न प्रकार से अंतर्विष्ट होगी अर्थात् :—

(i) प्रस्तुत की गई प्रतिकृति में उस व्यापार चिह्न के तीन विभिन्न रूपण में होंगे;

(ii) तथापि, जहां रजिस्ट्रार यह विचार करता है कि आवेदकों द्वारा भेजे गए चिह्न की प्रतिकृति तीन आयामात्मक चिह्न की विशिष्टियों को पर्याप्त रूप से दर्शित नहीं करती है, वहां वह आवेदक से उस चिह्न के पांच और विभिन्न रूपण तक और उस चिह्न का शब्दों द्वारा वर्णन दो मास के भीतर भेजने की मांग कर सकेगा;

(iii) जहां रजिस्ट्रार यह विचार करता है कि खंड (2) में निर्दिष्ट चिह्न के विभिन्न रूपण और/या वर्णन अभी तक तीन आयामात्मक चिन्ह की विशिष्टियों को पर्याप्त रूप से दर्शित नहीं करते हैं वहां वह आवेदक से उस व्यापार चिह्न का नमूने भेजने की मांग कर सकेगा।

(4)(i) माल या उसकी पैकेजिंग की आकृति के रूप में किसी व्यापार चिह्न के किसी रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की दशा में भेजी गई प्रतिकृति में व्यापार चिह्न के कम से कम पांच विभिन्न रूपण और उस चिह्न का शब्द द्वारा वर्णन होगा।

(ii) यदि रजिस्ट्रार विचार करता है कि खंड (i) में उस चिन्ह के विभिन्न रूपण और वर्णन माल या उसकी पैकेजिंग की आकृति की विशिष्टियों को पर्याप्त रूप में अभी भी दर्शित नहीं करते हैं तो वह यथास्थिति माल या पैकेजिंग का नमूने भेजने की आवेदक से मांग कर सकेगा।

30. **समाकृति टिकाऊ और संतोषजनक होनी चाहिए :**—(1) व्यापार चिह्न की सब समाकृतियां टिकाऊ होनी चाहिए और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ फाइल की जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समाकृति लगभग (13 इंच × 33 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर) के आकार के मजबूत कागज पर मढ़ी होनी चाहिए और कागज के वाम भाग में अन्यून (डेढ़ 4 सेंटीमीटर) हाशिया होना चाहिए।

(2) यदि रजिस्ट्रार चिह्न की किसी समाकृति से संतुष्ट है तो वह आवेदन पर आगे कार्यवाही करने से पूर्व किसी समय यह अपेक्षा कर सकेगा कि उसके बदले में ऐसी अन्य समाकृति लगायी जाये जैसी कि रजिस्ट्रार को संतोषजनक लगती है।

(3) जहां व्यापार चिह्न की समाकृति उस रीति में नहीं दी जा सकती जो इसमें ऊपर दी गई है वहां व्यापार चिन्ह को नमूना या प्रतिलिपि पूरे आकार में या छोटे पैमाने में और ऐसे प्ररूप में जिसे रजिस्ट्रार अधिक सुविधाजनक समझे भेज सकेगा।

31. **व्यापार चिन्हों की अवलि:**—(1) जहां कि धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन व्यापार चिन्हों की अवलियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, वहां अवलियों में के प्रत्येक व्यापार चिह्न की समाकृति की प्रतियां आवेदन के साथ नियम 28 और 29 में उपबंधित रीति से भेजी जाएंगी।

(2) धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन व्यापार चिन्ह अवली के स्वत्वधारी का दावा करने वाला कोई आवेदक एक रजिस्ट्रेशन के लिए किसी शृंखला के रूप में उसका रजिस्ट्रीकरण के लिए यथास्थिति प्ररूप व्या. चि.-8 या व्या. चि.-37 में रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा और प्रत्येक ऐसे आवेदन में प्रत्येक वर्ग के उस व्यापार चिह्न की समाकृति संलग्न होगी जिसका उस अवली में दावा किया गया है। रजिस्ट्रार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि यह चिह्न किसी शृंखला का गठन करते हैं तो वह आवेदनों में आगे की कार्यवाही करेगा।

(3) व्यापार चिह्न जनरल में आवेदन के प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय उपनियम (2) के अधीन आवेदन करने वाला आवेदक उस अवलि के एक या अधिक चिन्हों की बाबत यथास्थिति प्रथम आवेदन या आवेदनों में उस आवेदन के विभाजन का प्ररूप व्या. चि. 53 पर निवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि निवेदित विभाजन धारा 15 की उपधारा (3) के अनुरूप है उस आवेदन या आवेदनों को तद्नुसार विभाजित करेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन एक या अधिक आवेदनों में किसी आवेदन का विभाजन सम्यक्शीय फीस और ऐसी कोई फीस जो समुचित है के संदाय पर किया जाएगा।

32. किसी कम्पनी के नाम की तलाशी के लिए निवेदन:—रजिस्ट्रार द्वारा किसी जरनल में जनता को प्ररूप व्या. चि.— 11 में कोई अनुरोध किए जाने के लिए अनुज्ञात किए जाने के पश्चात् कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार की तलाशी किए जाने और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अनुसरण में कोई इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए अनुरोध कर सकेगा कि उस कम्पनी की बाबत जिसके लिए अनुरोध किया गया है उसके सदृश कोई व्यापार चिह्न या उसके नाम के इतना समरूप जिससे धोखा हो जाए व्यापार चिह्न के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन ऐसा कोई व्यापार चिह्न लंबित है।

33. लिप्यांतर और अनुवाद:—जहां किसी व्यापार चिह्न में एक या कई शब्द हिन्दी या अंग्रेजी लिपि से भिन्न लिपि में हैं वहां अंग्रेजी या हिन्दी के ऐसे प्रत्येक शब्द का पर्याप्त लिप्यांतर और अनुवाद आवेदन प्ररूप और उसका अतिरिक्त समाकृतियों पर ऐसे पृष्ठांकित होंगे जो रजिस्ट्रार को समाधानप्रद लगता है और प्रत्येक ऐसे पृष्ठांकन में वह भाषा भी कथित होगी जिस भाषा का वह शब्द है और उस पर आवेदक या उसका अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे।

34. जीवित व्यक्तियों या हाल ही में मरे व्यक्तियों के नाम और समाकृति जहां कि किसी व्यक्ति का नाम या समाकृति व्यापार चिह्न में दी हुई है, वहां आवेदक अपने से यह अपेक्षा रजिस्ट्रार द्वारा किये जाने पर यथास्थिति उस अवस्था में, जिसमें कि वह व्यक्ति जीवित है, ऐसे व्यक्ति की उस अवस्था में, जिसमें कि उसकी मृत्यु उस तारीख के पूर्व बीस वर्ष के अन्दर हो गई थी, जिसको कि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दिया गया था, उसके वैध प्रतिनिधि की इस बात के लिए लिखित सम्मति कि उसके नाम या उसकी समाकृति का ऐसा उपयोग किया जा सकता है रजिस्ट्रार को देगा और यदि ऐसी सम्मति नहीं दी जाती तो व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर कोई कार्यवाही करने से रजिस्ट्रार इंकार कर सकेगा।

35. व्यापार चिह्न पर माल या सेवाओं का नाम या अभिवर्णन :—(1) जहाँ किसी माल या सेवाओं का नाम या अभिवर्णन व्यापार चिह्न में दिया हुआ है, वहां रजिस्ट्रार ऐसे दिये नाम या अभिवर्णन वाले माल या सेवाओं से भिन्न किसी माल या सेवाओं के संबंध में ऐसे व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(2) जहां कि किसी माल या सेवाओं का नाम अभिवर्णन व्यापार चिह्न में दिया हुआ है और वह नाम या अभिवर्णन उपयोग में लाये जाने में परिवर्तित होता रहता है, वहां रजिस्ट्रार उन माल या सेवाओं और अन्य माल या सेवाओं के लिए चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञा तब दे सकेगा जब कि आवेदक यह वचन दे कि नाम और अभिवर्णन में परिवर्तन उस सूरत में किया जायेगा जिसमें कि वह नामांकित या अभिवर्णित माल या सेवाओं से भिन्न ऐसी माल या सेवाओं पर उपयोग में लाया जाता है जो कि विनिर्देश के अंतर्गत आ जाती है; इस भांति दिया गया वचन आवेदन के उस विज्ञापन में सम्मिलित किया जायेगा जो कि जरनल में धारा 20 के अधीन किया जाता है।

36. कमियाँ :—जहाँ नियम 11 के उपनियम (2) के अधीन किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन अधिनियम या नियमों उपबंधों में से किन्हीं अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है वहां रजिस्ट्रार कमियों के उपचार के लिए आवेदक को उनकी सूचना भेजेगा और यदि उस सूचना की तारीख से एक मास के भीतर उसको इस प्रकार अधिसूचित किसी कमी का उपचार करने में असफल रहता है तो आवेदन को परित्यक्त समझा जाएगा।

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया

37. अभिस्वीकृति और तलाशी:—(1) किसी माल या सेवाओं के बारे में व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति रजिस्ट्रार द्वारा अभिस्वीकृत की जाएगी। यह अभिस्वीकृति करने की रीति यह होगी कि आवेदक ने अपने आवेदन के साथ जो अतिरिक्त समाकृतियां फाइल की हैं उनमें से एक पर आवेदन की शासकीय संख्या सम्यक्तः डालकर वह एक समाकृति लौटा दी जाये।

(2) रजिस्ट्रार किन्हीं माल या सेवाओं की बाबत व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर यह अभिनिश्चित करने के लिए कि वैसे ही माल या सेवाओं या उसी प्रकार के माल या सेवाओं की बाबत ऐसे कोई चिह्न अभिलेख संग्रह में हैं जो कि उस चिह्न से तादात्म्य है या इतने समरूप है कि धोखा हो जाए रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्नों की और लंबित आवेदनों का मुआयना करेगा और रजिस्ट्रार आवेदन को प्रतिग्रहीत करने से पूर्व पुनः ऐसा मुआयना कर सकेगा किन्तु ऐसा करने के लिए वह बाध्य नहीं होगा।

38. त्वरित जांच, प्रतिग्रहण विषयक आपत्ति, सुनवाई :—(1) नियम 37 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन की शासकीय संख्या की प्राप्ति के पश्चात् आवेदक व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की त्वरित जांच के लिए आवेदन फीस की पांच गुणी फीस के संदाय पर निवेदन के लिए कारणों को कथन करते हुए घोषणा के साथ प्ररूप व्या. चि. 63 में निवेदन कर सकेगा।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन फाईल की गई घोषणा के आधार पर रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन की त्वरित जांच आवश्यक है तो वह ऐसी आवेदन की त्वरित जांच उस क्रम में जिसमें निवेदन फाईल किये जाते हैं करवाएगा और व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए उस आवेदन की तारीख से तीन मास से अपूर्व जांच रिपोर्ट सामान्यत: जारी कर सकेगा।

(3) यदि रजिस्ट्रार उपनियम (1) के अधीन निवेदन से इंकार करता है तो आवेदक संदत्त फीस को वापिस लेने का हकदार होगा:

परन्तु किसी ऐसे निवेदन से इंकार करने से पूर्व रजिस्ट्रार आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

(4) यदि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के या उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की त्वरित परीक्षा के लिए आवेदन पर उपयोग या सुभिन्नता के या किसी अन्य बात के बारे में ऐसे किसी साक्ष्य पर, जिसे आवेदक दे या जिसे देने की अपेक्षा आवेदक से की गई है विचार करने पर, यदि आवेदन के प्रतिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति रजिस्ट्रार करता है या ऐसी शर्तों, संशोधनों, रूपांतरणों या मर्यादाओं के अधीन रहते हुए धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन जिन्हें कि वह अधिरोपित करना ठीक समझता है उसे प्रतिग्रहीत करने की प्रस्थापना करता है, तो रजिस्ट्रार ऐसी आपत्ति या प्रस्थापना की लिखित संसूचना आवेदक को देगा।

(5) यदि आवेदक उपनियम (4) में निर्दिष्ट संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर किसी ऐसी प्रस्थापना का अनुपालन करने में असफल रहता है या किसी आक्षेप अथवा प्रस्थापना के संबंध में अपनी टिप्पणी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने मेंअसफल रहता है या सुनवाई के लिए आवेदन नहीं करता है या सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि आवेदन परित्यक्त कर दिया गया है।

39. **रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रत्याहरण करने की सूचना**—व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रत्याहरण धारा 133 की उपधारा (2) या नियम 24 के उपनियम (2) के अधीन करने की इस प्रयोजन से सूचना कि आवेदन फाइल करने के अवसर पर दी गई किसी फीस का प्रतिदान करा लिया जाए नियम 38 के उपनियम (4) में वर्णित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर लिखित रूप में दी जाएगी।

40. **रजिस्ट्रार का विनिश्चय**—(1) रजिस्ट्रार ने जो विनिश्चय नियम 38 के अधीन या सुनवाई के पश्चात् या नियम 42 के अधीन सुनवाई के पश्चात् या उस दशा में सुनवाई बिना जिसमें कि आवेदक ने अपनी बात लिख कर सम्यक्त: संसूचित कर दी है और यह कथन कर दिया है कि मैं अपनी सुनवाई नहीं चाहता हूँ, किया है, उसकी लिखित संसूचना आवेदक को दी जाएगी और यदि आवेदक ऐसे विनिश्चय की अपील करने का आशय रखता है, तो वह ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप व्या.चि. 15 पर रजिस्ट्रार से यह अपेक्षा करने वाला आवेदन कर सकेगा कि रजिस्ट्रार अपने विनिश्चय के आधारों का और उन सामग्रियों का जिनका उपयोग उसने अपना विनिश्चय करने के लिए किया है, लिखित कथन दे।

(2) उस दशा में जिसमें कि रजिस्ट्रार ऐसी कोई अपेक्षाएं करता है आवेदक को जिनकी बाबत कोई आपत्ति नहीं है, आवेदक उन अपेक्षाओं का अनुवर्तन रजिस्ट्रार द्वारा उपनियम (1) के अधीन लिखित कथन दिए जाने के पूर्व करेगा।

(3) जिस तारीख को लिखित कथन उपधारा (1) के अधीन प्राप्त होता है, वह तारीख अपील के प्रयोजन के लिए वह तारीख समझी जाएगी जिसको रजिस्ट्रार ने अपना विनिश्चय किया है।

41. **आवेदन में शुद्धि और संशोधन**—व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक, अपने आवेदन में या तत्संबंधी किसी गलती को शुद्ध करने के लिए या अपने आवेदन में कोई संशोधन करने के लिए आवेदन उसके साथ विहित फीस देकर अपने आवेदन के प्रतिग्रहण के या तो पूर्व या पश्चात् किंतु चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व प्ररूप व्या. चि. 16 में कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो मूल व्यापार चिह्न को सारभूत रूप से परिवर्तित करने या माल या सेवाओं के ऐसे नए विनिर्देश को रखने का प्रभाव रखता हो जो मूल आवेदन में समाविष्ट नहीं किया गया हो।

42. **प्रतिग्रहण को रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्याहृत कर लेना**—(1) यदि रजिस्ट्रार को आवेदन के प्रतिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति आवेदन के प्रतिग्रहण के पश्चात् किंतु व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व इस आधार पर कि वह गलती से प्रतिग्रहीत कर लिया गया है, या उस चिह्न मामले की उन अवस्थाओं में प्रतिग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए था, या रजिस्ट्रार यह प्रस्थापना करता है कि वह चिह्न केवल उन शर्तों, मर्यादाओं, विभाजनों के अधीन भी, या उन शर्तों या मर्यादाओं के जिन पर कि आवेदन प्रतिग्रहीत किया गया है अतिरिक्त या उनसे भिन्न शर्तों पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए, तो रजिस्ट्रार ऐसी आपत्ति की लिखित संसूचना आवेदक को देगा।

(2) आवेदक जब तक कि रजिस्ट्रार की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की दृष्टि से अपने आवेदन का संशोधन उपनियम (1) में वर्णित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या सुनवाई के लिए आवेदन नहीं कर देता है, आवेदन के प्रतिग्रहण की बाबत यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रार ने उसे प्रत्याहृत कर लिया है और आवेदन की बाबत ऐसी कार्यवाही की जाएगी मानो कि उसे प्रतिग्रहीत नहीं किया गया हो।

(3) जहां कि रजिस्ट्रार को आवेदक उपनियम (2) में वर्णित कालावधि के भीतर यह सूचित करता है कि मेरी यह इच्छा है कि मेरी सुनवाई हो तो आवेदक को रजिस्ट्रार उस तारीख की सूचना देगा जिसको रजिस्ट्रार उसकी सुनवाई करेगा। जब तक कि आवेदक इससे अल्पकाल वाली सूचना के लिए सम्मत न हो जाये, ऐसी सुनवाई की तारीख सूचना की तारीख से कम से कम 15 दिन बाद की रखी जाएगी। आवेदक यह कथन कर सकेगा कि वह अपनी व वैयक्तिक सुनवाई कराना नहीं चाहता और वह वे बातें पेश कर सकेगा जिन्हें कि वह वांछनीय समझता है।

(4) रजिस्ट्रार आवेदक की सुनवाई के पश्चात् या यदि आवेदक ने कोई बातें उसके समक्ष लिखित रूप में पेश की हैं तो उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि वह ठीक समझता है।

आवेदन का विज्ञापन

43. **विज्ञापन की रीति**—(1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन की बाबत धारा 20 की उपधारा (1) में यह अपेक्षा की जाती है कि उसे विज्ञापित किया जाए या उस धारा की उपधारा (2) द्वारा उसे पुन: विज्ञापित किया जाए उसे जरनल में सामान्यत: रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्रतिग्रहण से छह मास के भीतर या धारा 154 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, विज्ञापित किया जाएगा।

(2) जहां आवेदन किया गया व्यापार चिह्न, शब्द से भिन्न है,वहां रजिस्ट्रार आवेदक को, विज्ञापन के लिए आदेश किए गए व्यापार चिह्न की कैमरा रेडी प्रति को, डेस्क टाप प्रकाशन पैकेज में इलैक्ट्रानिक रूप से अवलोकन करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए कहेगा;

(3) रजिस्ट्रार जरनल में जनता को सूचित करने के पश्चात् जरनल में प्रकाशित आवेदनों के इंटरनेट, वैब साइट या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक मीडिया पर रखेगा।

(4) रजिस्ट्रार जरनल में जनता को सूचित करने के पश्चात् उनकी लागत के संदाय पर सीडी-आर ओ एम में जरनल को उपलब्ध कराएगा।

44. **अवलियों का विज्ञापन**—जहां कि आवेदन ऐसे व्यापार चिह्नों की अवली के संबंध में है जो एक दूसरे से धारा 15 की उपधारा (3) में वर्णित विशिष्टियों की दृष्टि में विभिन्न है वहां यदि रजिस्ट्रार ठीक समझे तो वह आवेदन के विज्ञापन के साथ यह विवरण दे सकेगा कि ये व्यापार चिह्न एक दूसरे से किस प्रकार विभिन्न हैं।

45. **आवेदन में शुद्धि या संशोधन करने की अधिसूचना**—रजिस्ट्रार उस आवेदन की दशा में जिसे धारा 20 की उपधारा (2) का खंड (ख) लागू है, उस सूरत में जिसमें कि वह ऐसा विनिश्चय करता है, आवेदन को पुन: विज्ञापित करने के बजाय आवेदन की संख्या, वह वर्ग जिसमें वह किया गया है, आवेदक का नाम और उसके कारबार का भारत में मुख्य स्थान का पता, यदि कोई हो, या जहां आवेदन का कोई कारबार का भारत में मुख्य स्थान नहीं है वहां भारत में तामील के लिए उसका पता, उस जरनल की संख्या जिसमें वह विज्ञापित किया गया है और आवेदन में की गई शुद्धि या संशोधन उपवर्णित करने वाली अधिसूचना जरनल में दे सकेगा।

46. चिह्न के विज्ञापन की विशिष्टियां देने के लिए रजिस्ट्रार से निवेदन प्ररूप व्या. चि. 58 में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार से यह निवेदन कर सकेगा कि रजिस्ट्रार उस जरनल की संख्या, तारीख की जानकारी दे जिसमें प्ररूप में विनिर्दिष्ट उस व्यापार चिह्न का विज्ञापन हुआ या जिसका रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है और रजिस्ट्रार निवेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियां देगा।

रजिस्ट्रीकरण का विरोध

47. **विरोध की सूचना**—(1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की सूचना धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन जनता को जरनल उपलब्ध कराए जाने की तारीख वह तारीख जो रजिस्ट्रार द्वारा ही प्रमाणित की जाएगी, से तीन मास के अंदर या ऐसी और अवधि के अंदर जो कुल मिलाकर एक मास से अधिक नहीं होगी, प्ररूप व्या.चि. 5 में तीन प्रतियों में दी जाएगी। इस सूचना के अंतर्गत उन आधारों का कथन होगा जिन पर विरोधी रजिस्ट्रीकरण पर आपत्ति करता है। यदि रजिस्ट्रीकरण का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि प्रश्नास्पद व्यापार चिह्न पहले से ही रजिस्टर में के विद्यमान चिह्नों के सदृश है तो ऐसे व्यापार चिह्नों की रजिस्ट्रीकरण संख्याएं और उन जरनलों की, जिनमें उनका विज्ञापन किया जा चुका है, तारीखें भी दी जाएंगी।

(2) जहां विरोध की सूचना व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी एकल आवेदन की बाबत फाइल किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसे वर्ग की बाबत उस पर फीस दी जाएगी जिसके संबंध में वह विरोध प्ररूप व्या. चि. 5 में फाइल किया जाता है।

(3) जहां कोई विरोध किसी एकल आवेदन की बाबत में केवल किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के लिए धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन फाइल किया जाता है वहां शेष वर्ग या वर्गों के आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण के लिए आगे की कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि आवेदक द्वारा संभागीय फीस के साथ आवेदन के विभाजन के लिए कोई निवेदन प्ररूप व्या.चि. 53 में नहीं किया जाता है।

(4) जहां किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी एकल आवेदन की बाबत किसी वर्ग या वर्गों में विरोध की सूचना फाइल नहीं की जाती है वहां ऐसे वर्ग या वर्गों की बाबत ऐसा आवेदन धारा 19 और धारा 23 की उपधारा (1) के अध्यधीन होगा, उस आवेदन पर उस वर्ग या वर्गों में आवेदन के विभाजन के पश्चात् जिसकी बाबत कोई विरोध लंबित नहीं है रजिस्ट्रीकरण के लिए आगे कार्यवाही की जाएगी।

(5) किसी विशिष्ट जनरल की बाबत प्राप्त माल या सेवाओं के लिए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की सभी सूचनाएं उस व्यापार चिह्न जानल में अधिसूचित की जाएंगी।

परन्तु यह कि इस उपनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कल्पना की जा सके कि इस प्रकार प्रकाशित किसी विशिष्ट जरनल के सभी शेष व्यापार चिह्नों पर स्वत: ही रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही हो जाएगी।

(6) जिस कालावधि में व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की सूचना धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन दी जा सकेगी उसे बढ़ाने के लिए आवेदन प्रथम अनुसूची में विहित अनुसूची में विहित फीस सहित धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन तीन मास की अवधि के पूर्व प्ररूप व्या.चि.-44 में किया जाएगा।

(7) विरोध की सूचना की एक प्रति समुचित कार्यालय द्वारा उसकी प्राप्ति के तीन मास के भीतर आवेदकों को रजिस्ट्रार द्वारा तामील कराई जाएगी।

विरोध की सूचना की अपेक्षाएं

48. (1) विरोध की सूचना में निम्नलिखित होगा—

(क) उस आवेदन की बाबत जिसके विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है—

(i) उस आवेदन की आवेदन संख्या जिसके विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है;

(ii) उस व्यापार चिन्ह के आवेदन में सूचीबद्ध उन माल या सेवाओं का उपदर्शन जिसके विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है; और

(iii) व्यापार चिन्ह के आवेदक का नाम।

(ख) उस पूर्वतर चिन्ह या पूर्वतर अधिकार की बाबत जिस पर विरोध आधारित है—

(i) जहां विरोध किसी पूर्वतर चिन्ह पर आधारित है वहां उस प्रभाव का कथन और पूर्वतर चिन्ह की प्रास्थिति का कोई उपदर्शन ;

(ii) जहां उपलब्ध हो पूर्वतर चिन्ह की आवेदन संख्या या रजिस्ट्रीकरण संख्या और फाइल करने की तारीख जिसके अंतर्गत पूर्वतर चिन्ह की तारीख भी है;

(iii) जहां विरोध किसी पूर्वतर चिन्ह पर आधारित है जिसके बारे में अभिकथन है कि वह धारा 11 की उपधारा (2) के अर्थांतर्गत एक सुविख्यात व्यापार चिन्ह है, वहां उस आशय का उपदर्शन और उस देश या देशों का उपदर्शन जिनमें पूर्वतर चिन्ह को सुविख्यात रूप से मान्यता दी गई है;

(iv) जहां विरोध किसी ऐसे पूर्वतर व्यापार चिन्ह पर आधारित है जिसकी अधिनियम की धारा 11 के उपधारा (2) के खंड (ख) के अर्थान्तर्गत एक प्रतिष्ठा है वहां उस आशय का उपदर्शन और यह उपदर्शन कि यह पूर्वतर चिन्ह रजिस्ट्रीकृत है या उपयोजित है अथवा नहीं;

(v) विरोधी के चिन्ह की समाकृति और जहां समुचित हो उस चिन्ह या पूर्वतर अधिकार का एक अभिवर्णन; और

(vi) जहां उन माल या सेवाओं जिनकी बाबत पूर्वतर चिन्ह रजिस्ट्रीकृत किया गया है या उपयोजित किया गया है या जिसकी बाबत पूर्वतर चिन्ह धारा 11 की उपधारा (2) के अर्थान्तर्गत सुविख्यात है या उस धारा के अर्थान्तर्गत उसकी एक प्रतिष्ठा है वहां वह विरोधी उन सभी माल या सेवाओं को उपदर्शित करते समय जिसके लिए पूर्वतर चिन्ह संरक्षित है उन माल या सेवाओं को भी उपदर्शित करेगा जिन पर विरोध आधारित है।

(ग) विरोध करने वाले पक्षकार की बाबत—

(i) जहां विरोध पूर्वतर चिन्ह के या पूर्वतर अधिकार के स्वत्वधारी द्वारा दर्ज किया जाता है वहां उसका नाम और पता तथा यह उपदर्शन कि वह ऐसे चिन्ह या अधिकार का स्वत्वधारी है;

(ii) जहां विरोध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता न होने के कारण दर्ज किया जाता है वहां अनुज्ञप्तिधारी का नाम और उसका पता तथा ऐसा कोई उपदर्शन कि वह विरोध दर्ज करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(iii) जहां विरोध किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के उस हक उत्तराधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है जिसका नए स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है उस आशय का उपदर्शन विरोध करने वाले पक्षकार का नाम और पता और उस तारीख का उपदर्शन जिसको नए स्वत्वधारी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उस समुचित कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया था या जहां वह जानकारी उपलब्ध नहीं है वहां उस समुचित कार्यालय को वह आवेदन भेजा गया था; और

(iv) जहां विरोध करने वाले पक्षकार का कारबार का भारत में कोई स्थान नहीं है वहां विरोधकर्ताओं का नाम और भारत में उसकी तामील करने का पता।

(ञ) वे आधार जिनपर विरोध आधारित हैं :—

(1) विरोध की सूचना को विरोधी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उस मामले के तथ्यों से परिचित है अधोभाग पर सत्यापित किया जाएगा।

(2) सत्यापित करने वाला व्यक्ति विरोध की सूचना के संख्यांकित पैराओं के प्रतिनिर्देश से जो वह अपने स्वयं के ज्ञान से और जो वह प्राप्त सूचना के आधार पर और उसे सत्य मान कर सत्यापित करता है, विनिर्दिष्ट रूप से कथन करेगा।

(3) सत्यापन, उसे सत्यापित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और जिस तारीख को वह हस्ताक्षरित किया गया था और जिस स्थान पर वह हस्ताक्षरित किया गया था कथन करेगा।

49. **प्रतिकथन.**—(1) धारा 21 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार प्रतिकथन रजिस्ट्रार से विरोध की सूचना की प्रति के आवेदक द्वारा प्राप्त होने से दो मास के भीतर प्ररूप व्या.चि.-6 में तीन प्रतियों में भेजा जाएगा और उसमें यह भी वर्णित होगा कि विरोध की सूचना में अभिकथित वे तथ्य यदि कोई हो, कौन से हैं जिन्हें आवेदक ने स्वीकार कर लिया है रजिस्ट्रार प्रतिकथन की एक प्रति की तामील उसकी प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः दो मास के भीतर विरोधी पर कराएगा।

(2) प्रतिकथन को उसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जिस रीति में विरोध की सूचना को नियम 48 के उपनियम (1) खंड (ञ)(1) में कथित की गई है।

50. **विरोध के समर्थन में साक्ष्य.**—(1) प्रतिकथन की प्रति की तामील विरोधी पर जिस दिन करा दी हो उससे दो महीने के भीतर या उसके पश्चात् कुल मिलाकर एक मास से अनधिक की ऐसी आगे की अवधि के भीतर जो निवेदन पर रजिस्ट्रार अनुज्ञात करे, विरोध या तो रजिस्ट्रार के पास ऐसा साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा देगा जैसा कि वह अपने विरोध के समर्थन में देना चाहता है या रजिस्ट्रार को और आवेदक को यह लिखित प्रज्ञापन देगा कि मैं अपने विरोध के समर्थन में साक्ष्य नहीं देना चाहता हूँ, किंतु मेरा यह आशय है कि विरोध की सूचना में कथित तथ्यों का मैं सहारा लूंगा। वह आवेदक को ऐसे किसी साक्ष्य की प्रतियां देगा जिन्हें उसने रजिस्ट्रार के पास इस उपनियम के अधीन दिया है और ऐसी प्रतियां देने की लिखित में रजिस्ट्रार को सूचना देगा।

यदि विरोधी उपनियम (1) के अधीन उसमें वर्णित समय के भीतर कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो यह समझा जाएगा कि विरोधी ने अपने विरोध का परित्याग कर दिया है।

(3) उपनियम (1) में वर्णित एक मास की अवधि के बढ़ाने के लिए आवेदन उसमें वर्णित दो मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व विहित फीस के साथ प्ररूप व्या० चि० 56 में किया जाएगा।

51. **आवेदन के समर्थन में साक्ष्य**—(1) आवेदक रजिस्ट्रार के पास शपथ पत्र के रूप में ऐसा साक्ष्य विरोध के समर्थन में शपथ पत्रों की प्रतियां अपने को मिलने से या अपने को यह प्रज्ञापना मिलने से कि विरोधी अपने विरोध के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता दो मास के भीतर या उसके पश्चात् कुल मिलाकर एक मास से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर जो निवेदन पर रजिस्ट्रार अनुज्ञात करे देगा जैसा कि वह अपने आवेदन के समर्थन में देना चाहता है और उसकी प्रतियां वह विरोधी को देगा या रजिस्ट्रार को और विरोधी को वह यह प्रज्ञापना देगा कि मैं कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता, किंतु मेरा यह आशय है कि प्रतिकथन में कथित तथ्यों का और/या प्रश्नगत आवेदन के संबंध में अपने द्वारा पेश कर दिए गए साक्ष्य का सहारा लूंगा। उस अवस्था, में जिसमें आवेदक आवेदन के संबंध में अपने द्वारा पेश किये जा चुके किसी साक्ष्य का सहारा लेता है, वह उसकी प्रतियां विरोधी को देगा।

(2) उपनियम (1) में वर्णित एक मास की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन उसमें वर्णित दो मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व विहित फीस के साथ प्ररूप व्या. चि. 56 में किया जाएगा।

52. विरोधी द्वारा दिए गए उत्तर में साक्ष्य.—विरोध द्वारा आवेदक के शपथपत्र की प्रतियां प्राप्त करने से एक मास के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो कुल मिलाकर एक मास से अधिक नहीं होगी और तत्पश्चात् जिसे रजिस्ट्रार प्ररूप व्यापार चिह्न-56 में अनुरोध पर अनुज्ञात करे, विरोधी उत्तर में शपथ पत्र द्वारा रजिस्ट्रार को साक्ष्य देगा और आवेदक को उसकी प्रतियां परिदत्त करेगा। यह साक्ष्य पूर्णतया केवल उस मामले तक सीमित होगा जो उत्तर से संबंधित है।

53. और साक्ष्य.—किसी की ओर से कोई और साक्ष्य नहीं दी जाएगी, किन्तु रजिस्ट्रार के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में वह किसी भी समय, यदि उचित समझे, तो वह आवेदक को या विरोधी को ऐसे निबंधनों और खर्चे पर या जिसे वह अन्यथा ठीक समझे कोई साक्ष्य देने की इजाजत दे सकेगा।

54. प्रदर्श.—जहां कि विरोध में फाइल किये गये शपथ-पत्रों के साथ प्रदर्श हैं, वहां प्रत्येक प्रदर्श की एक प्रति या छाप अन्य पक्षकार को उसके निवेदन पर और उसके व्यय पर भेजी जायेगी, या उस अवस्था में, जिसमें कि ऐसी प्रतियां या छाप सुविधापूर्वक नहीं दी जा सकती, मूल प्रतियां रजिस्ट्रार के पास निरीक्षणार्थ छोड़ी जा सकेंगी। जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निदेश न दे, मूल प्रदर्श सुनवाई के अवसर पर पेश किये जाएंगे।

55. दस्तावेजों का अनुवाद.—जहां कि हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न भाषा वाली किसी दस्तावेज के प्रति निर्देश विरोध की सूचना में प्रतिकथन में या विरोधी कार्यवाहियों में फाइल किए गए शपथ-पत्र में किया गया है वहां हिंदी या अंग्रेजी में उसके अधिप्रमाणित अनुवाद की दो प्रतियां दी जाएंगी।

56. सुनवाई और विनिश्चय.—(1) साक्ष्य के पूरा होने पर यदि कोई हो रजिस्ट्रार, इस बात की सूचना पक्षकारों को देगा कि प्रथम बार सुनवाई कब होगी। सामान्यतः ऐसी सूचना साक्ष्य के पूरे हो जाने के तीन मास के भीतर दी जाएगी। सुनवाई की तारीख प्रथम सूचना की तारीख के पश्चात् कम से कम एक मास की होगी। प्रथम सूचना की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर कोई पक्षकार जो उपस्थित होना चाहता है वह रजिस्ट्रार को प्ररूप व्या. चि.-7 में इस प्रकार अधिसूचित करेगा। कोई पक्षकार जो रजिस्ट्रार को यथापूर्वोक्त समय के भीतर इस प्रकार अधिसूचित नहीं करता है यह समझा जाएगा कि वह सुनवाई नहीं चाहता है और रजिस्ट्रार मामले में तद्नुसार कार्यवाही करेगा।

(2) यदि किसी भी पक्षकार द्वारा स्थगन के लिए पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जा सकेगी।

(3) यदि आवेदक सुनवाई की स्थगित तारीख पर उपस्थित नहीं है और प्ररूप व्या. चि.-7 में सुनवाई के समय उपस्थित रहने के अपने आशय को अधिसूचित नहीं किया है तो आवेदन का परित्याग किया जाना समझा जाएगा।

(4) यदि विरोधी सुनवाई की स्थगित तारीख पर उपस्थित नहीं है और प्ररूप व्या. चि.-7 में सुनवाई के समय उपस्थित रहने के अपने आशय को अधिसूचित नहीं किया है तो अभियोजन के अभाव में विरोध को रद्द कर दिया जाएगा और आवेदन पर धारा 19 के अध्यधीन रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

(5) स्थगन की प्रत्येक दशा में रजिस्ट्रार मामले की आगे की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगा और स्थगन होने के कारण होने वाले खर्च के लिए ऐसा आदेश या ऐसे उच्चतर खर्च के लिए जो रजिस्ट्रार ठीक समझे करेगा।

(6) यह तथ्य कि किसी पक्षकार का अभिकर्ता या अभिलेख अधिवक्ता किसी दूसरे न्यायालय में व्यस्त है स्थगन के लिए कोई आधार नहीं होगा।

(7) जहां किसी विधि व्यवसायी या अभिकर्ता की बीमारी या किसी कारण से मामले को संचालित करने के लिए उसकी अयोग्यता स्थगन के लिए एक आधार के रूप में प्रस्तुत की जाती है वहां रजिस्ट्रार स्थगन मंजूर नहीं करेगा जब तक कि वह समाधान नहीं हो जाता है कि यथास्थिति विधि व्यवसायी या अभिकर्ता द्वारा समय में दूसरा अभिकर्ता या विधि व्यवसायी नियुक्त नहीं किया जाता है।

(8) यदि कार्यवाही की किसी पार्टी द्वारा लिखित बहस पेश की जाएगी तो रजिस्ट्रार उसे अभिलेख में लेगा।

(9) रजिस्ट्रार का विनिश्चय लिखित में पक्षकारों को अधिसूचित किया जाएगा।

57. खर्चों के लिए प्रतिभूति.—खर्चों के लिए जो प्रतिभूति रजिस्ट्रार धारा 21 की उपधारा (6) के अधीन अपेक्षित रूप में वह इतनी किसी रकम की नियत की जा सकेगी जितनी कि रजिस्ट्रार ठीक समझे और विरोध विषयक कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में यह रकम रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

रजिस्ट्रीकरण पूरा न होने की सूचना

58. सूचना देने के लिए प्रक्रिया.—आवेदक को जो सूचना देने की रजिस्ट्रार से अपेक्षा धारा 23 की उपधारा (3) द्वारा की गई है वह आवेदक को उसके कारबार के भारत में मुख्य स्थान के पते पर या यदि उसके कारबार का भारत में मुख्य स्थान नहीं है तो आवेदन में कथित भारत में पते पर उसको तामील के लिए प्ररूप ओ-1 में भेजी जाएगी, किन्तु यदि आवेदक ने आवेदन के प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता को प्राधिकृत कर दिया हो तो सूचना, अभिकर्ता को और उसकी दूसरी प्रति आवेदक को भेजी जाएगी। सूचनाएं रजिस्ट्रीकरण पूरा करने के लिए सूचना की तारीख से इक्कीस दिन का समय या एक मास से अनधिक का ऐसा और समय जो रजिस्ट्रार द्वारा प्ररूप व्या.चि.-56 में किए गए अनुरोध पर अनुज्ञात किया जाए, विनिर्दिष्ट होगा।

रजिस्ट्रीकरण

59. रजिस्टर में प्रविष्टि.—(1) जहाँ जरनल में विज्ञापित या पुनर्विज्ञापित आवेदन के विरोध की कोई सूचना धारा 21 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर फाइल नहीं की जाती है या जहाँ कोई विरोध फाइल किया जाता है और वह खारिज कर दिया जाता है वहाँ रजिस्ट्रार धारा 23 की उपधारा (1) या धारा 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यापार चिन्ह को रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा।

(2) व्यापार चिन्ह की जो प्रविष्टि रजिस्टर में है उसमें आवेदन के फाइल करने की तारीख, रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख, वे माल या सेवाएं और वर्ग या वर्गों जिनकी बाबत व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया गया है और धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सभी विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्टियां हैं, अर्थात् :—

(क) व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी के कारबार का भारत में मुख्य स्थान, का यदि कोई हो, पता या संयुक्त स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न की अवस्था में व्यापार चिन्ह के ऐसे संयुक्त स्वत्वधारियों के कारबार का भारत में मुख्य स्थान का पता जिनके कारबार का भारत में मुख्य स्थान है।

(ख) जहाँ व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी के कारबार का कोई स्थान भारत में नहीं है, वहां उसके अपने स्वदेश वाले पते के साथ भारत में तामील के लिए उसका वह पता जो कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रविष्ट है,

(ग) संयुक्त स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न की अवस्था में, उस दशा में जिसमें कि संयुक्त स्वत्वधारियों में से किसी के भी किसी कारबार का भारत में मुख्य स्थान नहीं है, वहां संयुक्त स्वत्वधारियों में से प्रत्येक के अपने स्वदेश वाले पते के साथ भारत में तामील के लिए उनका वह पता, जो कि आवेदन में दिया गया है,

(घ) स्वत्वधारी के या संयुक्त स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न की अवस्था में व्यापार चिह्न के संयुक्त स्वत्वधारियों के व्यापार, कारबार, वृत्ति, उपजीविका की विशिष्टियां, या अन्य वर्णन जो कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रविष्ट हैं,

(ङ) रजिस्ट्रीकरण के विस्तार या रजिस्ट्रीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रभावित करने वाली विशिष्टियां, और

(च) कन्वेन्शन आवेदन की तारीख यदि कोई हो, धारा 154 के अधीन, की गई किसी कन्वेन्शन देश के आवेदकों की आवेदन के अनुसरण में दी जाएगी।

(छ) जहाँ वह चिह्न सामूहिक या प्रमाणीकरण चिह्न है, वह तथ्य

(ज) जहाँ कोई पूर्वतर व्यापार चिह्न या अन्य पूर्वतर अधिकार के स्वत्वधारी की सहमति से धारा 11 की उपधारा (4) के अनुसरण में वह चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया जाता है वहाँ वह तथ्य।

(झ) उस व्यापार चिह्न से संबंधित चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय विनिर्दिष्ट होगा।

60. सम्बद्ध चिह्न.—(1) जहाँ कि व्यापार चिह्न किन्हीं अन्य चिह्नों से सम्बद्ध होने के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहाँ रजिस्ट्रार प्रथम वर्णित चिह्न के संबंध में उन चिह्नों की रजिस्ट्रीकरण संख्याएं रजिस्टर में लिखेगा, जिनके साथ वह सम्बद्ध है और ऐसे चिह्नों में से प्रत्येक के संबंध में रजिस्टर में उसके साथ सम्बद्ध चिह्न होने के नाते प्रथम वर्णित चिह्न की रजिस्ट्रीकरण संख्या भी लिखेगा।

(2) सम्बद्ध व्यापार चिह्नों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्नों में से किसी का सहबद्धता भंग करने के लिए धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन आवेदन प्ररूप व्या० चि०-4 में किया जायेगा और आवेदन के आधारों का कथन उसमें किया जाएगा।

61. रजिस्ट्रीकरण के पूर्व आवेदक की मृत्यु.—आवेदन की तारीख के पश्चात् और व्यापार चिह्न के रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने के पूर्व यदि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो रजिस्ट्रार आवेदक की मृत्यु की सिद्धि पर और मृत व्यक्ति के हित के सम्प्रदान की सिद्धि पर आवेदन में ऐसे मृतक के उत्तराधिकारी के नाम को रखेगा और तत्पश्चात् यथासंशोधित आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी।

(3) रजिस्ट्रार समय-समय पर कम्प्यूटर विशेषज्ञ के परामर्श से इलैक्ट्रानिक प्ररूप में सरकारी अभिलेख को रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकेगा।

62. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र.—(1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का वह प्रमाण-पत्र जो रजिस्ट्रार द्वारा धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन दिया जाता है प्ररूप ओ-2 में ऐसे रूपभेद के साथ होगा जैसा कि किसी मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, और रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न की एक प्रति प्रमाण-पत्र के साथ उपबद्ध करेगा,

(2) रजिस्ट्रीकरण के जिस प्रमाण-पत्र के प्रति निर्देश उपनियम (1) में किया गया है उसका उपयोग विधि कार्यवाहियों में या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए नहीं किया जायेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति या अतिरिक्त प्रतियां रजिस्ट्रार विहित फीस सहित प्ररूप व्या.चि. 59 में अपने से निवेदन रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा किये जाने पर दे सकेगा। उस व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्ररूप में चिह्न का जो रूप रजिस्ट्रीकरण के समय दिखाया गया है ठीक उसकी अनुरूपी समाकृति ऐसे निवेदन के साथ भेजी जाएगी।

अध्याय-3

रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण और प्रत्यावर्तन

63. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.—(1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप व्या. चि.-12 में किया जाएगा और वह व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान से पूर्व छह मास के भीतर किसी समय किया जा सकेगा।

(2) नवीकरण के लिए ऐसा आवेदन उस व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकेगा जो रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का स्वत्वधारी या उसका अभिकर्ता है।

(3) यदि वह स्वत्वधारी जो नवीकरण के लिए आवेदन में वर्णित है वही व्यक्ति या उसी विधिक अस्तित्व का नहीं है जो रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी है, जिसको रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से हकदारी मिली है जिसके नाम से वर्तमान स्वामी के नाम अंतिम नवीकरण हुआ था प्रथमतः दर्शित होना जिसके लिए दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र होना चाहिए।

(4) रजिस्ट्रार नवीकरण के लिए आवेदन प्रबंधकर्ता न्यासी निष्पादकों, प्रशासकों और उसी तरह के किसी व्यक्ति से स्वीकार कर सकेगा जब न्यायालय आदेश या वर्तमान स्वत्वधारी की ओर से कार्य करने के प्राधिकार की अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित हो।

64. रजिस्टर से व्यापार चिह्न के हटाने से पूर्व सूचना.—(1) व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान से एक मास अन्यून से और तीन मास से अनधिक पूर्व वाली तारीख तक यदि विहित फीस के साथ प्ररूप व्या. चि. 12 में कोई आवेदन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्राप्त नहीं होता है तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और संयुक्त रूप से रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न की अवस्था में संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों में से प्रत्येक को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को, यदि कोई हो, होने वाले अवसान की प्ररूप ओ-3 में लिखित अधिसूचना रजिस्टर में प्रविष्ट उनके क्रमशः कारबार के भारत में मुख्य स्थानों के पते से या जहां कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का कोई कारबार का भारत में का मुख्य स्थान नहीं है, वहां रजिस्टर में प्रविष्ट भारत के पते पर तामील के लिए देगा।

(2) जहां किसी चिह्न की दशा में जिसका रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख के प्रति निर्देश से) नवीकरण के लिए शोध्य हो जाता है वह चिह्न उस तारीख से पूर्व जिसको नवीकरण होना नियत है छह मास के भीतर किसी भी समय रजिस्ट्रीकृत हो जाता है रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख के पश्चात् छह मास के भीतर नवीकरण फीस के संदाय पर नवीकृत किया जा सकेगा और जहां उस अवधि के भीतर नवीकरण फीस का संदाय नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्रार नियम 66 के अधीन रहते हुए उस चिह्न को रजिस्टर से हटा देगा।

(3) जहां ऐसे चिह्न की दशा में जिसका रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख के प्रति निर्देश से) नवीकरण के लिए शोध्य हो जाता है वह चिह्न नवीकरण की तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किया जाता है वहां रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख के छह मास के भीतर नवीकरण [illegible] के संदाय पर रजिस्ट्रीकरण नवीकृत किया जा सकेगा और जहां उस अवधि के भीतर नवीकरण फीस का संदाय नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्रार [illegible] के अधीन रहते हुए उस चिह्न को रजिस्टर से हटा देगा।

(4) सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्ररूप व्या. चि.-12 में होगा और उसके साथ वह फीस [illegible] होगी जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

65. रजिस्टर से व्यापार चिह्न हटाने का विज्ञापन.—यदि व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान पर नवीकरण फीस नहीं दी गई है, तो रजिस्ट्रार रजिस्टर से व्यापार चिह्न को हटा सकेगा और तत्काल इस तथ्य को जनरल में विज्ञापित कर सकेगा।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न को रजिस्टर से नहीं हटाएगा यदि अधिभार के संदाय के लिए कोई आवेदन धारा 25 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन प्ररूप व्या.चि. 10 में व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से छह मास के भीतर कर दिया जाता है।

66. प्रत्यावर्तन और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.—रजिस्टर में व्यापार चिह्न का प्रत्यावर्तन और इसके रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का आवेदन धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन विहित फीस सहित प्ररूप व्या.चि.-13 में व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान के छह मास के पश्चात् और एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। रजिस्ट्रार ऐसे प्रत्यावर्तन और नवीकरण के लिए अनुरोध पर विचार करते समय ऐसे अन्य व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखेगा, जो प्रभावित हैं।

67. नवीकरण और प्रत्यावर्तन की सूचना और विज्ञापन.—रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण या प्रत्यावर्तन और नवीकरण पर, उक्त आशय की एक सूचना रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को भेजी जाएगी और नवीकरण या प्रत्यावर्तन और नवीकरण जनरल में विज्ञापित किया जाएगा।

अध्याय-4

समनुदेशन और पारेषण

68. समनुदेशन या पारेषण की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन—जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का हकदार समनुदेशन या पारेषण द्वारा बन जाता है उस व्यक्ति के हक को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन प्ररूप व्या. चि. 24 या व्या. चि. 23 में से उस प्ररूप में इस बात के अनुसार किया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा अकेले किया जाता है या वह ऐसे व्यक्ति और रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी दोनों ने मिलकर किया जाता है।

69. आवेदन में विशिष्टियों का दिया जाना.—नियम 68 के अधीन वाले आवेदन में उस लिखत की, यदि कोई हो, पूर्ण विशिष्टियां होंगी जिसके अधीन आवेदक या, संयुक्त आवेदन की अवस्था में, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से भिन्न व्यक्ति व्यापार चिह्न का हकदार होने का दावा करता है, और ऐसी लिखत या उसकी सम्यक् रूपेण प्रमाणित प्रति आवेदन करने के समय पर व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय में निरीक्षण के लिए पेश की जाएगी। रजिस्ट्रार हक की सिद्धि के हेतु निरीक्षण के लिए पेश की गयी किसी लिखत की अधिप्रमाणित प्रति अपेक्षित होगी और उसे अपने पास रख सकेगा।

70. आवेदन के साथ मामले का कथन भेजा जाना.—जहाँ कि अपने हक के रजिस्ट्रीकरण के लिए नियम 68 के अधीन आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी किसी दस्तावेज या लिखत के अधीन अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाता है जिससे कि स्वयं उसके हक की सिद्धि हो जाती हो, वहां जब तक कि रजिस्ट्रार अन्य निदेश नहीं दे, वह या तो स्वयं आवेदन में उसके साथ मामले का ऐसा कथन देगा जिसमें उन तथ्यों की पूर्ण विशिष्टियां दी हुई हैं, जिन पर व्यापार चिह्न का स्वत्वधारी होने का उसका दावा आधारित है और जिससे यह संदर्शित है कि व्यापार चिह्न उसे समनुदिष्ट या संप्रेषित हो चुका है। यदि रजिस्ट्रार ऐसी अपेक्षा करे, तो वह मामला का कथन प्ररूप व्या. चि. 18 में दिए गए शपथ पत्र द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

71. हक का सबूत.—जो कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए आवेदन करता है रजिस्ट्रार उसे अपने हक का ऐसा सबूत या अतिरिक्त सबूत देने के लिए प्रस्तुत कर सकेगा, जो उसके समाधान के लिए अपेक्षित है।

72. लिखतों का परिबंधन.—यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि किसी व्यक्ति के हक की सिद्धि में पेश की गई कोई लिखत उचित या पर्याप्त मुद्रांकित नहीं है, तो रजिस्ट्रार उसे परिबद्ध कर लेगा और उससे ऐसी रीति में बरतेगा जैसी कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अध्याय 4 में उपबंधित है।

73. भारत से बाहर धन के परेषण के संबंध में समनुदेशन.— यदि भारत से बाहर धन के परेषण का विनियमन करने वाली कोई विधि प्रवृत्त है तो जो व्यक्ति व्यापार चिह्न के लिए हकदार ऐसे परेषण करने वाले समनुदेशन द्वारा हो जाता है उसके हक का रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रार ऐसा परेषण करने के लिए उस प्राधिकारी की अनुज्ञा जो ऐसी विधि में उल्लिखित है, पेश किये जाने पर करने के सिवाय न करेगा।

74. व्यापार चिह्न का जो समनुदेशन उस कारबार के गुडविल बिना किया जाता है उसका विज्ञापन करने के वास्ते रजिस्ट्रार के निदेश के लिए आवेदन.—(1) धारा 42 के अधीन निदेशों के लिए आवेदन प्ररूप व्या. चि. 20 में किया जायेगा और उसमें वह तारीख दी जायेगी जिसको समनुदेशन किया गया था। आवेदन में उस अवस्था में, जिसमें कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न है, रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियाँ दी जायेंगी और उस अवस्था में जिसमें कि वह अनरजिस्ट्रीकृत चिह्न है, जो कि उसके साथ समनुदिष्ट किया गया है, उपयोग सहित उसकी विशिष्टियाँ दी जायेंगी। रजिस्ट्रार कोई साक्ष्य या और जानकारी मांग सकेगा और यदि विभिन्न बातों के संबंध में उसका समाधान हो जाता है, तो वह समनुदेशन का विज्ञापन करने विषयक लिखित में निदेश देगा।

(2) जब तक किस रजिस्ट्रार का अनुमोदन धारा 41 के अधीन अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है और रजिस्ट्रार के अनुमोदन विषयक अधिसूचना को प्रकट करने वाला निदेश आवेदन में नहीं दे दिया जाता, रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन पर विचार करने से इंकार उस मामले में कर सकेगा जिसके संबंध में यह धारा लागू है।

(3) उस कालावधि बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर वह आवेदन जो उपनियम (1) में वर्णित है, अनुरोध किया जायेगा वह अनुरोध प्ररूप व्या. नि. 21 में किया जाएगा।

75. गुडविल के बिना समनुदेशन के प्रविष्टि करने के लिए आवेदन.—किन्हीं माल या सेवाओं के संबंध में व्यापार चिह्न के समनुदेशन संबंधी आवेदन जो नियम 68 के अधीन किया जाता है उसमें यह कथित होगा कि—

(क) क्या उस व्यापार चिह्न का उपयोग उन माल या सेवाओं में होने वाले किसी कारबार में किया जा चुका था या किया गया था, और

(ख) क्या समनुदेशन उस कारबार की गुडविल के संबंध में अन्यथा किया गया है,

और यदि दोनों परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो समनुदेशन का विज्ञापन करने के लिए जो निदेश नियम 74 के अधीन आवेदन करने पर प्राप्त किये गये हैं, उनकी एक प्रति और विज्ञापन की प्रतियाँ सहित सबूत या अन्यथा जैसीकि अपेक्षा रजिस्ट्रार करे, आवेदक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में यह बात संदर्शित करने के लिए पेश कर देगा कि रजिस्ट्रार के निदेशों की पूर्ति की जा चुकी है और यदि रजिस्ट्रार का समाधान इस बात में नहीं होता है कि निदेशों की पूर्ति हो गई है, तो वह आवेदन के संबंध में कार्यवाही नहीं करेगा।

76. पृथक रजिस्ट्रीकरण.—जहाँ कि नियम 68 के अधीन आवेदन के अनुसरण में और रजिस्ट्रीकरण के माल या सेवाओं के विभाजन और पृथक्करण या स्थानों अथवा बाजारों के विभाजन और पृथक्करण के फलस्वरूप विभिन्न व्यक्ति व्यापार चिह्न के तत्पश्चात् स्वत्वधारियों के रूप में एक ही रजिस्ट्रीकरण संख्या के अधीन पृथकतः रजिस्ट्रीकृत हो जाते हैं, तो उन विभिन्न व्यक्तियों के नामों में परिणामतः हुए पृथक रजिस्ट्रीकरणों में से प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण की बाबत इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वह पृथक रजिस्ट्रीकरण है।

77. कुछ समनुदेशनों और परेषणों के लिए रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र या अनुमोदन.—कोई व्यक्ति जो धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र या धारा 41 के अधीन उसके अनुमोदन की अधिसूचना प्राप्त करना चाहता है, वह अपने आवेदन के साथ मामले का कथन, जिसमें वे परिस्थितियाँ उपवर्णित हैं, यथास्थिति प्ररूप व्या. चि. 17 या प्ररूप व्या. चि. 19 में दो प्रतियों में और समनुदेशन या परेषण को प्रभावित करने वाली कोई लिखत या प्रस्थापित लिखत भी रजिस्ट्रार को भेजेगा। रजिस्ट्रार कोई साक्ष्य या और जानकारी, जिसे वह आवश्यक समझता है, मांग सकेगा और मामले का कथन उस दशा में जिसमें कि उसमें सभी सुसंगत परिस्थितियों को सम्मिलित करने की अपेक्षा की गई है, संशोधित किया जायेगा और यदि यह अपेक्षा की जाये, तो उसे शपथपत्र द्वारा सत्यापित करेगा। रजिस्ट्रार आवेदक को उस दशा में, जिसमें कि उससे ऐसी अपेक्षा की गई है और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी बाबत रजिस्ट्रार का यह विचार है कि वह अन्तरण में, हित रखता है, सुनने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और यथास्थिति उसका प्रमाण-पत्र या उस मामले के अनुमोदन या अननुमोदन की लिखत में अधिसूचना आवेदक को देगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को भी इत्तिला तद्नुसार देगा। जहाँ कि मामले का कथन संशोधित किया जाता है, वहाँ उसके अंतिम रूप वाली तीन प्रतियाँ व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में पेश कर दी जाएंगी। रजिस्ट्रार मामले के कथन के अंतिम रूप वाली एक प्रति प्रमाणपत्र या अधिसूचना में अपनी मुद्रा लगाकर जोड़ देगा।

78. समनुदेशन की विशिष्टियों का रजिस्टर में प्रविष्ट करना.—जहां रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापार चिह्न के समनुदेशन को अनुज्ञात कर चुका है वहां रजिस्टर में समनुदेशन की निम्नलिखित विशिष्टियों की प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात् :—

(i) समनुदेशिती का नाम और पता;

(ii) समनुदेशन की तारीख;

(iii) जहां समनुदेशन उस चिह्न में किसी अधिकार की बाबत है वहां समनुदेशित अधिकार का वर्णन;

(iv) वह आधार जिसके अधीन समनुदेशन किया गया है; और

(v) वह तारीख जिसको रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है।

79. धारा 46 के अधीन किसी कंपनी के लिए समनुदेशन का रजिस्ट्रीकरण.—धारा 46 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए वह कालावधि जिसमें किसी कंपनी को नियम 68 के अधीन किए गए आवेदन पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के पश्चात्वर्ती स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा, व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के जनरल में विज्ञापन की तारीख से छह मास होगी या छह मास के अनधिक इतनी और कालावधि होगी जितनी कि रजिस्ट्रार उस कालावधि के पूर्व या दौरान जितनी कालावधि तक कि वह वृद्धि अनुज्ञात की जा सकती है, किसी समय यथास्थिति हक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा किए गए प्ररूप व्या. चि. 25 में आवेदन पर अनुज्ञात करें।

अध्याय-5

रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता

80. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता—रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.—(1) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में धारा 49 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए जो आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाता है वह उस व्यक्ति और व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा संयुक्ततः प्ररूप व्या. चि. 28 में किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित होगा—

(क) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता में व्यापार चिह्न के अनुज्ञात उपयोग की बाबत हुआ लिखित करार या उसकी सम्यक् रूपेण अधिप्रमाणित प्रति;

(ख) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के बीच व्यापार चिह्न के अनुज्ञात उपयोग की बाबत हुए खंड (क) में निर्दिष्ट करार में उल्लिखित दस्तावेज और पत्राचार, यदि कोई हो, या उसकी सम्यक् रूपेण अधिप्रमाणित प्रति;

(2) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके निमित्त कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में, आवेदन के साथ एक ऐसा शपथ पत्र फाइल किया जाएगा जो आवेदन के साथ लगे दस्तावेजों की वास्तविकता को अधिप्रमाणित करता हो और उसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा,—

(क) धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा अपेक्षित विशिष्टियां और कथन;

(ख) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता में, यदि कोई संबंध है तो उसका यथावत स्वरूप, उदाहरणार्थ यह बात कि क्या उनका संबंध प्रधान और समनुषंगी कंपनी वाला संबंध है या क्या उनके कारबारों के बीच सामान्य नियंत्रण है;

(ग) इस बाबत ब्यौरे सहित कि जो व्यापार चिह्न आवेदन का विषय है क्या उसका उपयोग आवेदन की तारीख से पहले अपने व्यापार के अनुक्रम में उसने किया है और यदि किया है तो ऐसे उपयोग के परिमाण और अस्तित्वावधि के ब्यौरों सहित उन माल या सेवाओं विषयक कथन जिनका कारबार रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी करता है।

(3) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित उपयोक्ता ऐसी अन्य दस्तावेजें भी पेश और फाइल करेंगे और ऐसा अपर साक्ष्य और जानकारी भी देंगे जैसे कि रजिस्ट्रार उस निमित्त अपेक्षित करे।

(4) जब तक कि कोई आवेदन उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट करार की तारीख से छह मास के भीतर फाइल नहीं किया जाए, वह ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) की किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए एक से अधिक आवेदन उसी करार के अंतर्गत आने वाले व्यापार चिह्नों की बाबत उसी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और उसी प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा की जाती है वहां उपनियम (1) में वर्णित दस्तावेज किसी एक आवेदन के साथ फाइल किए जा सकेंगे और अन्य आवेदन या आवेदनों में दिए गए ऐसे दस्तावेजों के प्रति निर्देश किया जाएगा।

81. करार में कथित की जाने वाली विशिष्टियां.—अंतिम पूर्वगामी नियम के उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट करार में—

(क) धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से लेकर उपखंड (iv) तक विशिष्टियां होंगी;

(ख) उन स्वामित्व और अन्य परिसीमाओं संबंधी निबंधनों, का प्रकथन जो कि प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा उसके रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को अनुज्ञात व्यापार चिह्न के उपयोग के लिए संदेय होंगे;

(ग) अनुज्ञात उपयोग को उस सूरत में जिसमें कि पक्षकारों के बीच वाले संबंध या अनुज्ञात उपयोक्ता पर रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नियंत्रण खत्म हो गया है, खत्म करने के साधन उपबंधित होंगे;

(घ) यह शर्त अंतर्विष्ट होगी कि जब रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का उपयोग प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता निर्यात के लिए माल या सेवाओं से भिन्न अपने माल या सेवाओं के संबंध में करता है, तो चिह्न इस भांति वर्णित किया जाएगा जिससे यह स्पष्टतः उपदर्शित हो जाए कि यह रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का व्यापार चिह्न है और इसका उपयोग रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता केवल अनुज्ञात उपयोग के रूप में कर रहा है।

82. रजिस्ट्रार द्वारा विचार.—धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन और उसके साथ के दस्तावेज अधिनियम और नियमों के सुसंगत उपबंधों और धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से लेकर उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट बातों का अनुपालन करते हैं तो उन मालों या सेवाओं की बाबत जिसके संबंध में वह इस प्रकार संतुष्ट हो जाता है, प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

83. आवेदन को अस्वीकार करने या उसे सशर्त स्वीकार करने से पूर्व सुनवाई :—

(1) रजिस्ट्रार जहां वह आवेदन को किन्हीं शर्तों, निर्बन्धनों या मर्यादाओं के अधीन स्वीकार करने की प्रस्थापना करता है वहां आवेदकों को लिखित में सूचना देगा। सूचना में वे आधार होंगे जिन पर रजिस्ट्रार ऐसे आदेश जारी करने की प्रस्थापना करता है और आवेदकों को सूचना देगा कि वे सुनवाई किए जाने के हकदार हैं।

(2) जब तक कि उपनियम (1) में उल्लिखित सूचना की प्राप्ति से एक मास के भीतर रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता सुनवाई के लिए आवेदन नहीं करते हैं रजिस्ट्रार आवेदन को यथास्थिति अस्वीकार या सशर्त स्वीकार कर सकेगा।

(3) यदि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता सुनवाई के लिए आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दो मास के भीतर सुनवाई के लिए समय नियत करेगा और इस प्रकार उनको नियत किए गए उस समय के लिए उनको कम से कम एक मास की सूचना देगा।

(4) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की सुनवाई के पश्चात् रजिस्ट्रार यह विनिश्चय करेगा कि आवेदन को स्वीकार किया जाए या उसे अस्वीकार किया जाए या उसे सशर्त स्वीकार किया जाए।

(5) रजिस्ट्रार आवेदन पर अपना आदेश आवेदकों को और चिह्न के अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं को, यदि कोई हो, लिखित रूप में संसूचित करेगा।

84. रजिस्टर में प्रविष्टि.—(1) जहां रजिस्ट्रार धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन को प्रतिग्रहण करता है वहां वह रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता विषयक जो प्रविष्टि रजिस्टर में है उसमें वह तारीख दी गई होगी जिसको रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया था और उस तारीख की बाबत यह समझा जाएगा कि वह रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में उस व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण की वह तारीख है जो कि प्रविष्टि में वर्णित है धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में वर्णित विशिष्टियों और कथनों के अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के नाम का वर्णन और उसके कारबार के भारत में स्थान का और यदि वह भारत में कारबार नहीं करता है, तो भारत में उसकी तामील के लिए उसका पता भी उस प्रविष्टि में दिया होगा।

85. रजिस्ट्रीकरण से भारत के बाहर धन का पोषण करने के लिए प्राधिकार विवक्षित नहीं है.—किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण से उस करार का अनुमोदन विवक्षित नहीं समझा जाएगा जहां तक उसका संबंध किसी धन के पोषण से है जो भारत से बाहर किसी स्थान के लिए उक्त व्यापार चिह्न के उपयोग के लिए प्रतिफल के रूप में हो।

86. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की अधिसूचना.—रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण की लिखित अधिसूचना रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को और प्रत्येक अन्य ऐसे रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को जिसका नाम उसी व्यापार चिह्न के बारे में प्रविष्ट किया गया है, भेजेगा और रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टि के तीन मास के भीतर जनरल में भी उसे अंतःस्थापित किया जाएगा।

87. प्रविष्टि में परिवर्तन कराने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का आवेदन.—व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के परिवर्तन के लिए जो आवेदन व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दिया जाता है वह प्ररूप व्या. चि. 29 में दिया जाएगा और जिन आधारों पर वह दिया गया है उनका कथन और जहां कि प्रश्नास्पद रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता सम्मति दे देता है, वहां रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की लिखित सम्मति इसके साथ होगी।

88. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.—(1) धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (ख) से खंड (घ) तक के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन यथास्थिति प्ररूप व्या. चि. 30 या प्ररूप व्या. चि. 31 में होगा और जिन आधारों पर वह किया गया है उसका कथन इसके साथ होगा।

(2) धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (ख) के पैरा (iv) के अनुसार एक कालावधि के लिए रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण की दशा में रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि को उस कालावधि के अंत पर रद्द कर देगा जहां कि कुछ या सब माल या सेवाएं उनमें से छोड़ दी जाती हैं जिनके बारे में व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण हुआ है वहां रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न के उन रजिस्ट्रीकृत उपयोगों के पूर्वों से, जिनमें कि वे समाविष्ट हैं, उन्हें छोड़ देगा। इस उपनियम के अधीन जिन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं का अनुज्ञात उपयोग उससे प्रभावित होता है उनका और उसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों का प्रत्येक छोड़ा जाना या अपखंडन रजिस्ट्रार अधिसूचित करेगा।

89. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की बाबत जानकारी मांगने की रजिस्ट्रार की शक्ति.—(1) रजिस्ट्रार, किसी भी समय लिखित में सूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा वह उसे धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन जानकारी प्रस्तुत करे और उस धारा की उपधारा (2) के अनुसार कार्रवाई करे।

90. प्रविष्टि को परिवर्तित करने या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के आवेदन के संबंध में प्रक्रिया.—(1) रजिस्ट्रार, व्यापार रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को (जो किसी भी दशा में आवेदक नहीं है) धारा 50 के अधीन लिखित में आवेदनों को अधिसूचित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित कोई व्यक्ति जो कार्यवाहियों में भाग लेने का आशय रखता है वह रजिस्ट्रार को उस आशय की सूचना ऐसी अधिसूचना की प्राप्ति के एक मास के भीतर प्ररूप व्या.चि.-32 में देगा और उसके साथ अपने भाग लेने के आधारों का कथन भेजेगा। तदुपरि रजिस्ट्रार

ऐसी सूचना और कथन की प्रतियों की तामील अन्य पक्षकारों, अर्थात् आवेदक पर रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी पर, उस रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता पर, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रश्नगतग्रस्त है कार्यवाही की विषयवस्तु है और अन्य किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या अनुज्ञप्त उपयोक्ता जो भाग लेता है, करेगा या करायेगा।

(3) धारा 50 के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में आवेदक और उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित कोई व्यक्ति ऐसे समय या समयों के भीतर जैसा या जैसे कि रजिस्ट्रार नियत करे, अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और रजिस्ट्रार पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् आवेदन को प्रतिग्रहीत कर सकेगा या नामंजूर कर सकेगा या ऐसी किन्हीं शर्तों पर संशोधन, या रूपभेदों सहित या मर्यादाओं के अंतर्गत उसे प्रतिग्रहीत कर सकेगा जिन्हें वह अधिसूचित करना ठीक समझता है और तदनुसार वह पक्षकारों को लिखित में इत्तिला देगा।

(4) धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (ग) की मद (i) से (iv) तक में वर्णित आधारों में से किसी पर किए गए आवेदन पर रजिस्ट्रार प्ररूप व्या. चि.-32 में की किसी सूचना और फाइल किए गए मामले के कथन सहित विचार करेगा और आवेदन का निपटारा करेगा और तदनुसार पक्षकारों को लिखित इत्तिला भी देगा।

91. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता आवेदन—धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो, कि रजिस्ट्रार का यह समाधान कर दे कि वह रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के नाम में कार्य करने का हकदार है, प्ररूप व्या. चि.-16 या प्ररूप व्या. चि.-33 या प्ररूप व्या. चि.-34 या प्ररूप व्या. चि.-50 में से जो भी समुचित हो प्ररूप में दिया जायेगा और शपथपत्र द्वारा या अन्यथा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा रजिस्ट्रार कर सकेगा जैसा कि उन परिस्थितियों में ठीक समझता है जिनमें आवेदन किया गया है।

अध्याय-6

रजिस्टर का परिशोधन तथा संशोधन

रजिस्टर का परिवर्तन या परिशोधन

92. व्यापार चिह्न के परिशोधन या उसे रजिस्टर से हटाने के लिए आवेदन—रजिस्टर में व्यापार चिह्न से संबंधित किसी प्रविष्टि के करने, विलुप्त करने या परिवर्तन करने के लिए धारा 47, 57, 68, या 77 के अधीन जो आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाता है वह यथास्थिति प्ररूप व्या. चि.-26 या प्ररूप व्या. चि.-43 में तीन प्रतियों में किया जायेगा और आवेदक के हित का स्वरूप, वे तथ्य जिन पर उसका मामला आधारित है, और वह अनुतोष जिसे वह चाहता है, को पूर्णतया उपवर्णित करने वाला तीन प्रतियों में एक कथन उसके साथ होगा। जहां कि आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि प्रश्नगतग्रस्त व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी नहीं है, वहां वह आवेदन और पूर्वोक्त कथन तीन प्रतियों में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में दिया जाएगा। उस अवस्था में, जिसमें कि रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है ऐसे आवेदन और कथन के साथ उनकी उतनी अतिरिक्त प्रतियां होंगी जितनी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता हैं। प्रत्येक आवेदन और कथन की एक-एक प्रति रजिस्ट्रार द्वारा एक मास के भीतर रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके बारे में रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि उसका व्यापार चिह्न में हित है, साधारणतः एक मास के भीतर भेजेगा। आवेदन उसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जो विरोध की सूचना के सत्यापन के लिए नियम 48 के उपनियम (3) के खंड (i) के अधीन विहित है।

93. और प्रक्रिया—नियम 92 में वर्णित आवेदन की प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा प्राप्ति से दो मास के भीतर या कुल मिलाकर एक मास से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर वह रजिस्ट्रार को प्ररूप व्या.चि. 6 में तीन प्रतियों में उन आधारों का एक प्रतिकथन भेजेगा जिस पर आवेदन के बारे में प्रति विरोध किया गया है और यदि वह ऐसा करता है तो रजिस्ट्रार प्रतिकथन की एक प्रति की तामील आवेदन करने वाले व्यक्ति पर उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर करेगा। नियम 50 से नियम 57 तक के उपबंध इस आवेदन विषयक और कार्यवाहियों के संबंध में उसके पश्चात् यथा-परिवर्तित रूप में लागू होंगे। तथापि रजिस्ट्रार रजिस्टर को केवल इस लिए ही परिशोधित नहीं करेगा या उसमें से चिह्न को नहीं हटायेगा कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ने प्रतिकथन फाइल नहीं किया है जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि प्रतिकथन के फाइल करने में विलंब स्वेच्छापूर्वक है और वह मामले को प्रतिस्थितियों द्वारा न्यायसंगत नहीं ठहराता है। कोई पक्षकार किसी बात विषयक शंका होने की अवस्था में निदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को कर सकेगा।

94. पक्षकारों द्वारा मध्यक्षेप—रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो व्यापार चिह्न के संबंध में अपने हित, जिसके बारे में नियम 92 के अधीन आवेदन किया गया है, वह मध्यक्षेप करने के लिए इजाजत के लिए अपने हित का स्वरूप का कथन करके प्ररूप व्या. चि.-27 में आवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार संबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् (यदि ऐसा अपेक्षित हो) ऐसी शर्तों और निबंधनों पर दे जैसी कि वह लागत की सुरक्षा के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे ऐसी इजाजत देने से इंकार कर सकेगा या ऐसी इजाजत दे सकेगा।

95. रजिस्ट्रार द्वारा स्वप्रेरणा से रजिस्टर का परिशोधन—(1) रजिस्ट्रार ऐसी सूचना जो धारा 57 की उपधारा (4) के अधीन देनी अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को, यदि कोई हो, और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी बाबत यह प्रतीत होता है कि व्यापार चिह्न में उसका कोई हित है, लिखित रूप में भेजी जाएगी और इसमें उन आधारों का कथन करेगा जिन पर रजिस्ट्रार रजिस्टर का परिशोधन करने की प्रस्थापना करता है और उसमें ऐसी सूचना की तारीख से अन्यून एक मास का वह समय भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसके भीतर सुनवाई के लिए आवेदन किया जाएगा।

(2) जब तक कि पूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार अधिसूचित किया गया है, रजिस्ट्रार को उन तथ्यों को देते हुए, जिन पर वह सूचना में कथित आधारों को पूरा करने के लिए भरोसा करता है, लिखित में कथन नहीं भेजता है, या सुनवाई किए जाने के लिए आवेदन नहीं करता है, तो यह समझा जाएगा कि वह कार्यवाहियों में भाग नहीं लेना चाहता और रजिस्ट्रार तदनुसार कार्रवाई कर सकेगा।

(3) यदि रजिस्ट्रार रजिस्टर का परिशोधन करने का विनिश्चय करता है तो वह अपना विनिश्चय रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञप्त उपयोक्ता को यदि कोई हो लिखित रूप में संसूचित करेगा।

पते में परिवर्तन

९६. रजिस्टर में पते का परिवर्तन—(1) व्यापार चिह्न का वह रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता, जिसके यथास्थिति कारबार का भारत में मुख्य स्थान का या स्वदेश का पता, इस भांति परिवर्तित हो गया है, जिससे कि रजिस्टर में की प्रविष्टि अशुद्ध हो गई है, रजिस्ट्रार से यह निवेदन प्ररूप व्या.चि.-34 में तत्क्षण करेगा कि रजिस्टर में पते को समुचित रूप से बदल दें और यदि रजिस्ट्रार का समाधान इस बाबत हो जाता है तो वह रजिस्टर में तद्नुसार परिवर्तन कर देगा।

(2) व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता जिसका भारत में तामील के लिए वह पता जो रजिस्टर में प्रविष्ट है, चाहे तो इस कारण कि प्रविष्ट पता असल में नहीं रहा है या किसी अन्य कारण से इस प्रकार बदल गया है कि रजिस्टर में वह प्रविष्टि अशुद्ध हो गई है, रजिस्ट्रार से प्ररूप व्या.चि.-50 में तत्क्षण यह निवेदन करेगा कि रजिस्टर में के पते को समुचित रूप से बदल दें और यदि रजिस्ट्रार का इस विषय में समाधान हो जाता है, तो वह तद्नुसार रजिस्टर में परिवर्तन कर देगा।

(3) व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत अथवा अनुज्ञात उपयोक्ता जिसके कारबार का भारत में मुख्य स्थान का पता या जिसके स्वदेश का पता या भारत में जिसकी तामील का पता लोक प्राधिकारी द्वारा ऐसे बदल दिया गया है कि परिवर्तित पते से भी वही परिसर अभिहित है जो कि रजिस्टर में प्रविष्ट है, रजिस्ट्रार से यथास्थिति प्ररूप व्या.चि.-34 या व्या. चि.-50 में पूर्वोक्त निवेदन करेगा और यदि वह ऐसा करता है, तो वह उसके साथ उक्त प्राधिकारी द्वारा दिए गए परिवर्तन का प्रमाणपत्र देगा। यदि रजिस्ट्रार का समाधान मामले में तथ्यों के संबंध में हो जाता है, तो वह रजिस्टर में तद्नुसार परिवर्तन करेगा, किंतु प्ररूपों पर दी जाने वाली कोई फीस नियम 11 के उपनियम (2) या नियम 12 के उपनियम (2) के उपबंधों के होते हुए भी नहीं मांगेगा।

(4) (i) जहां कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी उपनियम (1), (2) या (3) के अधीन निवेदन करता है वहां यदि कोई रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है या हैं तो वह निवेदन कि प्रति तामील उस या उन पर करेगा और तद्नुसार रजिस्ट्रार को इत्तिला देगा।

(ii) जहां कि पूर्वोक्त निवेदन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा किया जाता है वहां वह निवेदन की प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रत्येक अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं पर यदि कोई हो, करेगा और रजिस्ट्रार को इत्तिला देगा कि उसने यह बात कर दी है।

(5) व्यक्ति को जो पता व्यापार चिह्न के एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के भारत में तामील के लिए पते के रूप में लिखा हुआ है, उसे परिवर्तित कराने के मामले में रजिस्ट्रार प्ररूप व्या.चि.-50 में किसे मामले के लिए उपयोग्य करने के लिए संशोधित कर लिया गया है उस व्यक्ति का वह आवेदन जो उस पते की बाबत है यह सिद्ध किए जाने पर कि उक्त पता आवेदक का पता है और उस दशा में जिसमें कि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि वैसा करना ठीक होगा, आवेदक के पते की प्रविष्टियों में समुचित परिवर्तन उन विभिन्न रजिस्ट्रीकरणों में, जिनकी विशिष्टियां प्ररूप में दी जाएंगी उसे तामील के पते के रूप में करने के वास्ते ले सकेगा और तद्नुसार प्रविष्टियों में परिवर्तन कर सकेगा।

(6) जब तक कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में रजिस्ट्रार अन्यथा करने की समनुज्ञा नहीं देता है, प्ररूप व्या. चि.-50 इस नियम के अधीन किए जाने वाले आवेदन यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता अथवा ऐसे आवेदन के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा अभिव्यक्त रूपेण प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

रजिस्टर की शुद्धि

97. धारा 58 (1) के अधीन आवेदन—जहां कि धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन शुद्धि तब्दीली रद्दकरण या माल या सेवाओं को काट देने के प्रयोजन से या ज्ञापन को प्रविष्टि करने की दृष्टि से रजिस्टर में परिवर्तन करने के लिए किया गया है, वहां रजिस्ट्रार आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा कि आवेदक शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा ऐसा साक्ष्य जैसा कि रजिस्ट्रार ठीक समझता है उन परिस्थितियों के बारे में दें जिन परिस्थितियों में आवेदन किया गया है। ऐसा आवेदन प्ररूप व्या. चि.-16, व्या. चि.-33, व्या. चि.-34, व्या. चि.-35, व्या. चि.-36, या व्या. चि.-50, में से जो समुचित हो उसमें किया जाएगा और उसकी एक प्रति की तामील प्रश्नगत व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या उपयोक्ताओं पर और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति पर जिसको बाबत रजिस्टर से यह प्रतीत होता है कि वह व्यापार चिह्न में हित रखने वाला है, आवेदक द्वारा की जाएगी।

९८. रजिस्टर व्यापार चिह्न में परिवर्तन—जहां कि कोई व्यक्ति धारा 59 के अधीन अपने रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का परिवर्धन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए आवेदन करता है, वहां वह अपना आवेदन प्ररूप व्या. चि. 38 में लिखित रूप में करेगा और उस चिह्न की पांच प्रतियां देगा जैसा कि वह ऐसा परिवर्धित किए जाने या परिवर्तित किए जाने के पश्चात् प्रतीत होगा। आवेदन और इस भांति संशोधित या परिवर्तित चिह्न की प्रति तामील आवेदक प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता पर, यदि कोई हो, कराएगा।

९९. विनिश्चय और विरोध आदि के पूर्व विज्ञापन—(1) रजिस्ट्रार आवेदन पर विचार करेगा और यदि उसे यह बात इष्टकर प्रतीत हो, तो आवेदन पर विनिश्चय करने के पूर्व उसे जनरल में विज्ञापित करायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर या कुल मिलाकर एक मास से अनधिक ऐसी और कालावधि के भीतर, जैसी कि रजिस्ट्रार समनुज्ञात करे, कोई व्यक्ति आवेदन का विरोध करने की सूचना प्ररूप व्या. चि. 39 में दे सकेगा और उसके साथ अपनी आपत्तियों का कथन भी देगा। सूचना और यदि कोई कथन हो तो तीन प्रतियों में भेजे जाएंगे उस अवस्था में जिसमें प्रश्नगत पद व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है वहां ऐसी सूचना और कथन के साथ उनकी अपनी प्रतियाँ भी होंगी जितने कि रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है। सूचना और कथन प्रत्येक की एक-एक प्रति रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञात उपयोक्ता को यदि कोई हो, तत्क्षण भेजेगा और रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी अपने को ऐसी प्रतियों के मिलने से दो मास के भीतर उन आधारों वाला एक प्रतिकथन जिन पर विरोध का प्रतिरोध किया गया है, रजिस्ट्रार को प्ररूप व्या. चि. 6 में तीन प्रतियों में भेजेगा।

यदि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ऐसा प्रतिकथन भेजता है तो रजिस्ट्रार उसकी एक प्रति तामील विरोध की सूचना देने वाले व्यक्ति पर एक मास के भीतर करायेगा और विरोध पर होने वाली और कार्यवाहियों के संबंध में नियम 50 से लेकर नियम 57 तक के उपबंध यथापरिवर्तित रूप में लागू होंगे। रजिस्ट्रार आवेदन को केवल इस कारण ही नामंजूर नहीं करेगा कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ने प्रतिकथन फाइल नहीं किया है। जब कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि प्रतिकथन फाइल करने में विलंब स्वेच्छा से है और मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत नहीं ठहरता है। कोई पक्षकार रजिस्ट्रार से निदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन उस दशा में कर सकेगा जिसमें किसी बात विषयक कोई शंका है।

(3) यदि उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विरोध नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार आवेदक को उस दशा में सुनने के पश्चात् जिसमें कि आवेदक ऐसी इच्छा प्रकट करता है, आवेदन को मंजूर या नामंजूर कर सकेगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की लिखित संसूचना देगा।

100. विनिश्चय—विज्ञापन—अधिसूचना—यदि रजिस्ट्रार आवेदन को मंजूर करने का विनिश्चय करता है तो वह रजिस्टर में तदनुसार चिन्ह परिवर्तित करेगा और जनरल में एक अधिसूचना निकलवाएगा कि चिन्ह परिवर्तित कर दिया गया है। यदि आवेदन नियम 99 के अधीन विज्ञापित नहीं किया गया है तो वह यथापरिवर्तित रूप में व्यापार चिन्ह को भी जनरल में विज्ञापित कराएगा।

वर्तमान रजिस्ट्रीकरण की बाबत माल का पुनर्वर्गीकरण

101. वर्तमान रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनर्वर्गीकरण—(1) चतुर्थ अनुसूची में दिए हुए वर्गीकरण का संशोधन होने पर, व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी प्ररूप व्या. चि. 40 में आवेदन रजिस्ट्रार से अपने व्यापार चिन्ह विषयक विनिर्देश का संपरिवर्तन करने के वास्ते कर सकेगा कि वह विनिर्देश संशोधित वर्गीकरण के अनुरूप हो जाए। उस आवेदन में रजिस्ट्रीकरण के अधीन किन्हीं रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं विषयक विनिर्देश में तदरूप संपरिवर्तन करने के लिए निवेदन इस आवेदन के अंतर्गत होगा और रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी आवेदन की एक प्रति की तामील व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या उपयोक्ताओं पर यदि कोई हो, करायेगा।

(2) रजिस्ट्रार की राय में जो रूप प्रस्थापित संपरिवर्तन के परिणाम स्वरूप रजिस्टर में किए जाने वाले संशोधन का होना चाहिए, उस विषयक अपनी प्रस्थापना को रजिस्ट्रार तदुपरांत रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या उपयोक्ताओं को यदि हो, लिखित रूप में अधिसूचित करेगा। व्यापार चिन्ह के ऐसे दो या अधिक रजिस्ट्रीकरण जो एक ही तारीख वाले है और ऐसी मालों या सेवाओं के बारे में हैं जो संशोधित या प्रतिस्थापित वर्गीकरण के अंतर्गत एक ही वर्ग में आते हैं इस नियम के अनुसार संपरिवर्तन हो जाने पर समामेलित किए जा सकेंगे।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रस्थापना जनरल में विज्ञापित की जायेगी।

(4) ऐसी प्रस्थापना का विरोध करने की सूचना विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप व्या. चि.-41 में तीन प्रतियों में दी जायेगी या कुल मिलाकर एक मास से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर दी जायेगी और उसके साथ यह संदर्शित करने वाला एक कथन तीन प्रतियों में दिया जायेगा कि प्रस्थापित संशोधन से किस प्रकार धारा 60 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन होगा। जहां कि प्रश्नास्पद व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के आधार पर कोई रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है, वहां ऐसी सूचना और कथन के साथ उतनी प्रतियां होंगी जितने कि रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है। सूचना और कथन में से प्रत्येक की एक-एक प्रति को रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को यदि कोई हो, दो मास के भीतर भेजेगा और रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी दो मास के भीतर उन आधारों वाला एक प्रतिकथन जिन पर विरोध का प्रतिविरोध किया गया है, रजिस्ट्रार को प्ररूप व्या. चि.-6 में भेजेगा, यदि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ऐसा प्रतिकथन भेजता है तो रजिस्ट्रार उसकी एक प्रति की तामील विरोध की सूचना देने वाले व्यक्ति पर दो मास के भीतर कराएगा और विरोध के निपटारे के लिए अपर प्रक्रिया का विनियमन यथापरिवर्तित रूप में नियम 50 से लेकर नियम 57 तक के उपबंधों द्वारा होगा। कोई पक्षकार रजिस्ट्रार से निदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन उस दशा में कर सकेगा जिसमें कि किसी बात विषयक कोई आशंका है।

(5) यदि उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विरोध नहीं किया जाता है या विरोध किए जाने की अवस्था में यदि विनिर्देश का संपरिवर्तन यथानुज्ञात कर दिया जाता है तो यथासमनुज्ञात प्रस्थापना को जनरल में विज्ञापित किया जाएगा और रजिस्टर में सभी आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी। जिस तारीख को ऐसी प्रविष्टियां रजिस्टर में की जाती है, वे तारीखें उसमें अभिलिखित की जाएंगी। इस उपनियम के अनुसरण में रजिस्टर में की गई किसी प्रविष्टि से धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की उस तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो उसी रीति में अवधारित की जाएगी जिसमें कि वह संपरिवर्तन के लिए अनुज्ञा मिलने के पहले की गई थी।

अध्याय-7

प्रकीर्ण

102. भौगोलिक उपदर्शन का विरोध करने वाले व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करना और उसका अविधि मान्यताकरण—रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह से इंकार करने या उसको अविधिमान्य करने के लिए अनुरोध हितबद्ध पक्षकार द्वारा रजिस्ट्रार को मामले के कथन के साथ और एक शपथपत्र के साथ, यथास्थिति, व्या. चि.-73 या व्या. चि.-74 में किया जा सकेगा जिसमें—

(क) ऐसा माल या मालों के वर्ग या वर्गों की बाबत ऐसा भौगोलिक उपदर्शन अंतर्विष्ट या समाविष्ट होगा, जो किसी देश के राज्यक्षेत्र में या उस देश के किसी प्रदेश या स्थान में उत्पादित नहीं होते हैं, जिसमें ऐसे भौगोलिक उपदर्शन उपदर्शित होते हैं, यदि ऐसे मालों के लिए व्यापार चिन्ह में ऐसे भौगोलिक उपदर्शन का उपयोग ऐसी प्राकृति का है, जो व्यक्तियों को वास्तविक उत्पादन के स्थान के बारे में ऐसे माल या माल के वर्ग या वर्गों के बारे में संदेह पैदा करता है या भ्रमित करता है।

(ख) माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित माल या माल के वर्ग या वर्गों की पहचान करने वाले भौगोलिक उपदर्शन अंतर्विष्ट और समाविष्ट है।

103. धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन एकल आवेदन—(1) जहां मालों या सेवाओं की विभिन्न वर्गों के लिए किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन किया जाता है वहां उसमें अंतर्विष्ट माल या सेवाओं के विनिर्देश में न्यूनतम संख्या के वर्ग से प्रारम्भ होने वाले लगातार संख्यांत्मक क्रम में उन वर्गों को और माल या सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के अधीन सूची जो उस वर्ग के लिए समुचित हो उपवर्णित होगी।

(2) यदि किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल आवेदन में अंतर्विष्ट माल या सेवाओं के विनिर्देश चतुर्थ अनुसूची में किसी वर्ग या वर्गों के प्रतिनिर्देश करते हैं, जो उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। रजिस्ट्रार आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्ररूप व्या. चि.-16 में वर्गीकरण त्रुटि को ठीक करे।

(3) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए आवेदनों को जब विज्ञापित करने के लिए आदेश दिया जाता है तब जर्नल के पृथक खंड में उनको प्रकाशित किया जाएगा।

(4) रजिस्ट्रार धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन किसी ऐसे आवेदन की बाबत जिस पर रजिस्ट्रीकरण के लिए कार्यवाही की जा चुकी है, रजिस्ट्रीकरण का एकल प्रमाण पत्र जारी करेगा।

104. सम्भागीय आवेदन—(1) जहां किसी एकल लंबित आवेदन के विभाजन के लिए धारा 22 के परन्तुक के अधीन प्ररूप व्या. चि.-53 में कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसे आवेदन का किसी सम्भागीय फीस और ऐसे वर्ग फीस जो विभाजन के अनुसार समुचित है, के संदाय पर आवेदनों को दो या अधिक पृथक आवेदनों में विभाजित किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण से पूर्व किसी समय, आवेदक रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके मूल आवेदन के विभाजन के लिए दो या अधिक पृथक आवेदनों में (सम्भागी आवेदन) में माल या सेवाओं के विनिर्देश को प्रत्येक विभाजन के लिए उपदर्शित करते हुए प्ररूप व्या. चि. 53 में रजिस्ट्रार को निवेदन कर सकेगा।

(3) किसी वर्ग में सब माल या सेवाओं को विभाजित न करके कुछ माल या सेवाओं को विभाजित करने के निवेदन की दशा में विभाजित द्वारा सृजित किए जाने वाली पृथक आवेदन के लिए सम्भागीय फीस संदत्त की जाएगी। विभाजन के समय पर मूल आवेदन के संबंध में आवेदक द्वारा किसी कार्य के लिए कोई समय सीमा विभाजन की तारीख का विचार किए बिना विभाजन द्वारा सृजित प्रत्येक नए पृथक आवेदन को लागू होगी।

(4) यदि विभाजन के लिए आवेदन के साथ आवश्यक फीस नहीं लगाई जाती है या उसमें अन्यथा कोई कमी है तो रजिस्ट्रार उस कमी के संबंध में आवेदक को अधिसूचित करेगा। आवेदक ऐसी कमी को तीस दिन के भीतर सही कर सकेगा यदि आवेदक उपबंधित समय के भीतर कमी को पूरा करने में असफल रहता है तो निवेदन को परित्यक्त समझा जाएगा और आवेदन पर निवेदन को विचार में न लेते हुए आगे कार्यवाही की जाएगी।

(5) जहां आवेदन के विभाजन के लिए कोई निवेदन प्राप्त किया जाता है वहां रजिस्ट्रार यथास्थिति अतिरिक्त पृथक नए क्रम संख्या या संख्यांक समनुदेशित करेगा और उसमें मूल आवेदन के साथ प्रतिनिर्देश करेगा। ऐसी अतिरिक्त पृथक आवेदन या आवेदनों पर वही फाइल करने की तारीख समनुदेशित की जाएगी जो मूल आवेदन में होगी।

(6) संदेह के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जब किसी एकल आवेदन को विभाजित किया जाता है कोई नया रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाता है। इसके विपरीत जो आवेदन पहले से ही फाइल किया जाता है उसको पृथक-पृथक फाइलों में केवल पृथक किया जाता है या विभाजित किया जाता है।

105. समय बढ़ाना—(1) धारा 131 के अधीन ऐसे समय के बढ़ाने के लिए (जो अधिनियम में अभिव्यक्ति रूपेण उपबंधित या नियम 79 या नियम 80 के उपनियम (4) द्वारा विहित समय नहीं है, या जो ऐसा समय नहीं है जिसके विस्तार के लिए नियमों में उपबंध किया गया है) आवेदन प्ररूप व्या. चि. 56 में किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन पर, यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि जितना समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया है, उतना उन परिस्थितियों में न्यायोचित है, तो जहां अधिकतम समय मर्यादा विहित है वहां वह नियमों के उपबंधों के अधीन और ऐसी शर्तें लगाकर, जैसी कि वह अधिरोपित करना ठीक समझता है, समय बढ़ा सकेगा और पक्षकारों को तदनुसार अधिसूचित करेगा और यद्यपि कार्य करने के लिए या कार्यवाही करने के लिए उस समय का, जिसके विषय में आवेदन किया गया है अवसान हो चुका है, तो भी समय बढ़ाने के लिए मंजूरी दी जा सकेगी।

106. रजिस्ट्रार की वैवेकिक शक्ति का प्रयोग— सुनवाई का अवसर पाने के लिए धारा 128 के अधीन हकदार व्यक्ति जिस समय के अंदर इस बात विषयक कि उसकी सुनवाई की जाए अपेक्षा करने की बाबत अपने विकल्प का प्रयोग करेगा, वह समय, अधिनियम या नियमों में अभिव्यक्त रूपेण अन्यथा उपबंधित के सिवाय उस सूचना की तारीख से एक मास का समय होगा जो सूचना कि रजिस्ट्रार उस विषय पर अपना अवधारण करने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को देगा जिस विषय के प्रति निर्देश से सुनवाई के लिए ऐसा व्यक्ति हकदार है। यदि ऐसा व्यक्ति अपनी सुनवाई को जाने की अपेक्षा उस मास के अंदर कर देता है तो रजिस्ट्रार सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और उसको उसकी दस दिन की सूचना देगा।

107. विनिश्चय की अधिसूचना— अधिनियम या नियमों द्वारा जो कोई वैवेकिक शक्ति रजिस्ट्रार को दी गई है उसके प्रयोग में किया गया रजिस्ट्रार का विनिश्चय उस व्यक्ति को अधिसूचित किया जाएगा जिस पर प्रभाव पड़ता है।

108. प्रक्रिया विषयक अनियमितताओं का संशोधन और परिमार्जन—(1) व्यापार चिह्न के किसी दस्तावेज में या रेखाचित्र या अन्य समाकृति में संशोधन किया जा सकेगा और प्रक्रिया में हुई ऐसी किसी अनियमितता का, जो रजिस्ट्रार की राय में किसी व्यक्ति के हितों को हानि पहुंचाए बिना दूर की जा सकेगी, यदि रजिस्ट्रार ऐसा करना उचित समझता है, परिमार्जित की जा सकेगी, तो ऐसे निबंधनों पर, जैसा कि वह निदेश दे।

(2) रजिस्ट्रार किसी आवेदन या व्यापार चिह्न की समाकृति को या किसी अन्य दस्तावेज को अधिनियम की यथारूप अपेक्षाओं के अनुरूप करने के लिए उसे संशोधित करने की या परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

109. अन्यथा विहित न किए गए निदेश—जहां कि रजिस्ट्रार की यह राय है कि अधिनियम या नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के उचित अभियोजन या उनकी समाप्ति के लिए यह बात किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह ऐसा कार्य करे, ऐसी दस्तावेज फाइल करे या ऐसा साक्ष्य पेश करे जिसके विषय में कोई उपबंध अधिनियम या नियमों में नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रार लिखित सूचना द्वारा उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कार्य करे, दस्तावेज फाइल करे या साक्ष्य पेश करे।

110. धारा 115(4) के अधीन रजिस्ट्रार की राय—(1) जहां धारा 115 की उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन उसकी राय के लिए रजिस्ट्रार को कोई मामला निर्देशित कर दिया गया है वहां ऐसी राय को निर्देशित करने वाले प्राधिकारी को ऐसी लिखित संसूचना की प्राप्ति से कार्यकरण के सात दिन के भीतर सील बंद लिफाफे में अग्रेषित कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रार इस प्रकार निर्देशित मामले में पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

(2) इस नियम के अधीन राय, रजिस्ट्रार या अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दी जाएगी और अभिहित प्राधिकारी का नाम जनरल में प्रकाशित किया जाएगा।

111. सुनवाई—(1) उस व्यापार चिह्न के संबंध में जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अधिसूचित तारीख को या तत्पश्चात् किया जाता है, उस आवेदन की सुनवाई और साथ ही अधिनियम या नियमों के अधीन तद्विषयक कोई कार्यवाही उस दशा में, जिसमें कि सुनवाई आवश्यक हो जाती है, उस व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण कार्यालय, जिसमें कि ऐसा आवेदन धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन किया गया था, या उस स्थान जो कि उस कार्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर है, में से वहाँ होगी जहां कि उसका होना रजिस्ट्रार उचित समझता है।

(2) उस व्यापार चिह्न के संबंध जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार के समक्ष अधिसूचित तारीख को लंबित है, उस आवेदन की सुनवाई या अधिनियम और नियमों के अधीन तद्विषयक कोई कार्यवाही, यदि कोई हो, समुचित व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण कार्यालय या उस स्थान, जो कि उक्त कार्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर है, में से वहां होगी जहां कि उसका होना रजिस्ट्रार उचित समझता है।

(3) व्यापार चिह्न रजिस्टर में जो व्यापार चिह्न, अधिसूचित तारीख को चढ़ा हुआ है, अधिनियम और नियमों के अधीन तद्विषयक कार्यवाही के सिलसिले में सुनवाई, यदि कोई हो समुचित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय या उस स्थान, जो कि उक्त कार्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर है, में से वहां होगी जहां कि उसका होना रजिस्ट्रार उचित समझता है।

(4) रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाले जिस पदाधिकारी ने अधिनियम या नियमों के अधीन किसी मामले को सुन लिया है और उस पर आदेश बाद में देने के लिए उसे अपने पास रख लिया है, वहां कि उसकी बदली एक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय से दूसरी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को हो जाती है या उस पर आदेश देने या विनिश्चय करने से पूर्व वह दूसरी नियुक्ति पर वापिस चला जाता है वहां यदि रजिस्ट्रार ऐसा निदेश देता है तो वह वैसे ही आदेश दे सकेगा या विनिश्चय कर सकेगा जैसे कि वह उस अवस्था में देता या करता जिसमें कि वह उस रजिस्ट्रीकरण कार्यालय पदाधिकारी बना रहता जहां कि मामले कि सुनवाई हुई थी।

रजिस्ट्रार द्वारा खर्चों का दिलवाना

112. जिन मामलों में प्रतिविरोध नहीं किया गया है, उनमें खर्च— जहां नियमों के अधीन सम्यक्रूपेण संस्थित किसी विरोध का प्रतिविरोध आवेदक द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ रजिस्ट्रार यह विनिश्चय करने में कि क्या खर्चा विरोधी को दिलवाया जाना चाहिए, इस बात पर विचार करेगा कि विरोध की सूचना के फाइल किये जाने के पूर्व यदि आवेदक को विरोधी युक्तियुक्त सूचना दे देता तो क्या कार्यवाहियां न होती।

113. नियम 112 का अपवाद—नियम 112 में किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची की प्रविष्टियों 12, 13, 14 और 15 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस और कार्यवाही में दिए गए शपथपत्रों पर लगे और चिपकाए गए सभी मुद्रांकों लेखें हुआ खर्चा बजाय के अनुसार होगा।

114. खर्चों का मापमान—छठी अनुसूची में उसके लिए अनुज्ञेय रकम से अनधिक ऐसे खर्च रजिस्ट्रार, अपने समक्ष वाली सभी कार्यवाहियों में उस अवस्था के सिवाय जिसमें कि अधिनियम द्वारा अन्यथा अभिव्यक्त रूपेण उपबंधित है नियम 112 और 113 के उपबंधों के अधीन रहते हुए दिलवाएगा जिसे वह मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करके युक्तियुक्त समझता है।

रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चय का पुनर्विलोकन

115. रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन—रजिस्ट्रार के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए धारा 127 के उप खण्ड (ग) के अधीन उससे आवेदन ऐसे विनिश्चय की तारीख से एक मास के अंदर या तत्पश्चात एक मास से अनधिक इतनी अपर कालावधि के अंदर, जितनी कि रजिस्ट्रार अपने से की गई प्रार्थना पर अनुज्ञात करे, प्ररूप व्या० चि० 57 में दिया जायेगा, और उन आधारों वाला, जिन पर

पुनर्विलोकन चाहा गया है, एक कथन उसके साथ होगा। जहां कि प्रश्नगत विनिश्चय आवेदक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से भी सम्पृक्त है, वहां ऐसे आवेदन और कथन की तीन प्रतियां दी जाएंगी और रजिस्ट्रार आवेदन और कथन की एक-एक प्रति अन्य सम्पृक्त व्यक्ति को तत्क्षण भेजेगा। रजिस्ट्रार, पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् आवेदन को या तो नामंजूर कर देगा या बिना शर्त के या ऐसी किन्हीं शर्तों या मर्यादाओं के अधीन जैसी कि वह ठीक समझता है, उसे मंजूर कर लेगा।

शपथ पत्र

116. **शपथ पत्रों के प्ररूप आदि**—(1) अधिनियम और नियमों के अधीन जिन शपथ पत्रों की बाबत यह अपेक्षित है कि वे व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में फाइल किए जाएं या रजिस्ट्रार को दिए जाएं, वे उस सूरत में के सिवाय, जिसमें कि द्वितीय अनुसूची में अन्यथा उपबंधित है, उस मामले या मामलों वाले शीर्षक से होंगे, जिससे या जिनसे कि वे संबद्ध है उत्तम पुरुष में लिखे होंगे क्रमवार संख्या वाले पैराओं में विभाजित होंगे और प्रत्येक पैरा यथाशक्य एक बात तक परिसीमित होगा और प्रत्येक शपथ पत्र में उसे करने वाले व्यक्ति का अभिवर्णन और उसका सही निवास स्थान दिया होगा, उसे फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम और पता उसमें दिया होगा और उसमें यह भी कथित होगा कि किसकी ओर से यह फाइल किया गया है।

(2) जहां कि दो या दो से अधिक व्यक्ति शपथ पत्र में सम्मिलित होते हैं वहां उनमें से प्रत्येक पृथकतः ऐसे तथ्यों का अभिकथन देगा जो उसके निजि ज्ञान में हैं और वे तथ्य पृथक-पृथक पैराओं में दिए जाएंगे।

(3) शपथ पत्र—(क) भारत में ऐसे किसी न्यायालय के या व्यक्ति के समक्ष, जिसे साक्ष्य लेने का प्राधिकार विधि द्वारा प्राप्त है, या ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष, जो उपर्युक्त जैसे न्यायालय द्वारा शपथ दिलाने के लिए या शपथ पत्र कराने के लिए सशक्त है कराए जाएंगे;

(ख) भारत के बाहर किसी देश या स्थान में राजनयिक और वाणिज्य दूतीय पदाधिकारी (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) के अर्थ में ऐसे देश या स्थान के राजनयिक या वाणिज्य दूतीय पदाधिकारी के समक्ष या देश या स्थान के लेख्य प्रमाणक के समक्ष या किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष, किए जाएंगे।

(4) जिस व्यक्ति के सामने शपथ पत्र किया जाएगा, वह उस तारीख को, जिस पर, और उस स्थान को, जहां शपथ पत्र किया गया है, लिख देगा और यदि उसकी अपनी मुद्रा है, तो उसे उस पर लगाएगा या उस न्यायालय की मुद्रा लगाएगा जिससे वह संलग्न है और उसके अंत में अपना नाम और अभिवर्णन देकर हस्ताक्षर करेगा।

(5) उस शपथ पत्र को जिसकी बाबत यह प्रकटतः अभिप्रेत है कि उस पर इस बात के परिसाक्ष्य स्वरूप कि यह उस व्यक्ति के समक्ष किया गया है, जो शपथ पत्र कराने के लिए उपनियम (3) द्वारा प्राधिकृत है, ऐसे व्यक्ति की मुद्रा लगी हुई या हस्ताक्षर किया हुआ है, रजिस्ट्रार उस मुद्रा या हस्ताक्षर के असल होने की या उस व्यक्ति की पदीय हैसियत की सिद्धि बिना ग्रहण कर सकेगा।

(6) परिवर्तन और पंक्तियों के बीच लिखी बातों को इससे पूर्व कि शपथ पत्र सौगंध लेकर या प्रतिज्ञान करके किया जाए, उस व्यक्ति के आद्याक्षरों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा, जिसके समक्ष शपथ पत्र किया गया है।

(7) जहां कि अभिसाक्ष्यकर्ता निरक्षर, अंधा या उस भाषा से अपरिचित है जिसमें शपथ पत्र लिखा गया है, वहां शपथ कराने वाले व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणपत्र कि शपथ पत्र उसके समक्ष अभिसाक्ष्यकर्ता को पढ़कर सुनाया गया, उसके वास्ते उसका अनुवाद किया गया या उसकी व्याख्या की गई और यह प्रतीत हुआ कि अभिसाक्ष्यकर्ता उसे पूर्णतः समझता है और यह कि अभिसाक्ष्यकर्ता ने मेरी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए या चिह्न बनाया शपथ पत्र के निचले भाग में दिया होगा।

(8) अधिनियम या नियमों के अधीन वाली किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में जो शपथ पत्र रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल किया जाता है वैसा प्रत्येक शपथ पत्र तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगने वाले मुद्रांक पर होगा।

जनता द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण

117. **दस्तावेजों का निरीक्षण**—धारा 148 की उपधारा (1) में वर्णित दस्तावेज निरीक्षण के लिए व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के मुख्य कार्यालय में प्राप्य रहेंगे। रजिस्टर की और धारा 148 में वर्णित ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्रति, जैसी कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री प्राप्य रहेगी। निरीक्षण विहित फीस दिए जाने पर और उन सभी दिनों में, जिनमें व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय जनता के लिए बंद नहीं रहता ऐसे समयों पर, जैसे कि रजिस्ट्रार नियत करे किया जाएगा।

118. **जनरल और अन्य दस्तावेजों की प्रतियों का वितरण**—केन्द्रीय सरकार रजिस्ट्रार को निदेश दे सकेगी कि वह जनरल और किसी अन्य दस्तावेजों को, जिसे कि आवश्यक समझती है, ऐसे स्थानों में वितरित करे जैसे कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके नियत करे, राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचित करे।

प्रमाण पत्र

119. **दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां.**—रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियां या धारा 148 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज की या रजिस्ट्रार के किसी विनिश्चय या आदेश की प्रमाणित प्रतियां या धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन वाले प्रमाण पत्र से भिन्न प्रमाण पत्र जो कि ऐसी किसी प्रविष्टि बात या चीज से सम्बद्ध है जिसे कि रजिस्ट्रार, अधिनियम या नियमों द्वारा करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है, रजिस्ट्रार विहित फीस सहित उसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्ररूप व्या. चि.-46 में किए गए आवेदन की प्राप्ति पर दे सकेगा। किसी प्रमाण पत्र या प्रमाणित प्रति में किसी चिन्ह की प्रति सम्मिलित करने के लिए रजिस्ट्रार उस सूरत में के सिवाय बाध्य न होगा जिसमें कि आवेदक ने व्यापार चिन्ह की ऐसी नकल जैसी कि इस प्रयोजन के लिए समुचित है, उसे दे दी है :

परंतु यह कि रजिस्ट्रार उपर्युक्त वर्णित प्रमाणित प्रतियों को उसकी सामान्य फीस की पांच गुणी फीस के संदाय पर उस आशय के लिए प्राप्त प्ररूप व्या. चि.-70 में आवेदन पर तीन कार्य दिवस के भीतर शीघ्रता से दे देगा।

120. **विदेश में रजिस्ट्रीकरण कराने के वास्ते काम में लाए जाने के लिए प्रमाण पत्र.**—(1) जहां कि व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण संबंधी कोई प्रमाण पत्र इस दृष्टि से चाहा जाता है कि भारत से बाहर वाले किसी राज्य क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए वह काम में लाया जा सके, वहां रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र चिन्ह की एक नकल सम्मिलित करेगा और प्रमाण पत्र आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आवेदक इस प्रयोजन के लिए समुचित चिन्ह की नकल रजिस्ट्रार को दे दे और यदि आवेदक वैसा करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र देने से इंकार कर सकेगा।

(2) जहां की व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण रंग संबंधी मर्यादा के बिना किया जाता है, वहां प्रमाण पत्र में सम्मिलित किए जाने वाले चिन्ह की नकल या तो उस रंग में हो सकेगी जिसमें कि वह रजिस्टर में दिखाया गया है या किसी अन्य रंग या रंगों में तो हो ही सकेगी और प्रमाण पत्र में यह कथित किया जा सकेगा कि व्यापार चिन्ह रंग की मर्यादा के बिना रजिस्ट्रीकृत है।

(3) रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र में चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण से सम्बद्ध ऐसी विशिष्टियां देगा जैसी कि उसे ठीक लगती है और रजिस्टर में दी गई निबंधन और शर्तों और अन्य परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। जिस प्रयोजन के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है वह प्रयोजन उसमें कथित किया जाएगा।

121. **अंतर्राष्ट्रीय अस्वत्वधारी नामों को अधिसूचित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.**—रजिस्ट्रार धारा 13 की उपधारा (ख) में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अस्वत्वधारी नामों के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो शब्द घोषित किए जाते हैं उन्हें जरनल में समय-समय पर प्रकाशित कर सकेगा।

बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड को अपीलें

122. **अपील के लिए समय.**—अधिनियम या नियमों के अधीन रजिस्ट्रार के किसी विनिश्चय से बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड को अपील ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीन मास के भीतर की जाएगी।

123. **रजिस्ट्रार को तामील.**—अधिनियम के अधीन बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड को किए प्रत्येक आवेदन की एक प्रति की तामील रजिस्ट्रार पर की जाएगी।

विधि मान्यता का प्रमाण पत्र

124. **विधि मान्यता के प्रमाण पत्र का टीप लिया जाना.**—(1) जहां कि बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड ने रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह की विधि मान्यता के संबंध में, प्रमाण धारा 141 में यथा उपबंधित रूप में दिया है, वहां उसका रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी रजिस्ट्रार से प्ररूप व्या. चि.-47 में यह निवेदन कर सकेगा कि रजिस्टर में की प्रविष्टि में यह टिप्पण बढ़ाया जाए कि विधि मान्यता का प्रमाणपत्र, जिसकी विशिष्टियां निवेदन में दी जाएंगी, कार्यवाहियों के दौरान अनुदत्त किया गया है। प्रमाण पत्र की जो प्रति शासकीय रूप से प्रमाणित है वह इस निवेदन के साथ भेजी जाएगी और रजिस्ट्रार रजिस्टर में उस आशय का एक टिप्पण अभिलिखित करेगा और उस टिप्पण को जरनल में प्रकाशित करेगा।

प्रदर्श लौटाना और अभिलेख नष्ट करना

125. **प्रदर्श लौटाना.**—जहां कि अधिनियम या नियमों के अधीन किसी मामले में या कार्यवाही में पेश किए गए प्रदर्श की व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय में आगे के लिए आवश्यकता नहीं रहती वहां रजिस्ट्रार संबद्ध पक्षकार को समाहूत कर सकेगा कि प्रदर्श रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर वापिस ले जाएं और यदि पक्षकार वैसा करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रदर्श नष्ट कर दिए जाएंगे।

(2) जहां अधिसूचित तारीख के पूर्व कोई प्रदर्श किसी कार्यवाही में पेश किए जा चुके हैं वहां रजिस्ट्रार उस दशा में, जिसमें कि उसका यह समाधान हो जाता है कि उनका लंबे समय तक रखा जाना आवश्यक नहीं है रजिस्ट्रार संबद्ध पक्षकार से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदर्श को वापिस ले जाएं और यदि पक्षकार वैसा करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रदर्श नष्ट कर दिए जाएंगे।

126. **अभिलेखों का नष्ट किया जाना.**—जहां कि व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रत्याहृत/परित्यक्त या खारिज कर दिया जाता है या कोई व्यापार चिन्ह रजिस्टर से हटा दिया जाता है या विरोध या परिशोधन कार्यवाही में उस विषय को समाप्त कर दिया गया है और

बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं है वहां रजिस्ट्रार यथास्थिति आवेदन के प्रत्याहृत या परित्यक्त या खारिज किए जाने के पश्चात् या रजिस्टर से व्यापार चिन्ह के हटाए जाने के पश्चात् या विरोध या परिशोधन कार्यवाही के बंद हो जाने के पश्चात् तीन वर्ष की समाप्ति पर आवेदन, विरोध या परिशोधन या उस संबद्ध व्यापार चिन्ह से संबंधित सब अभिलेखों को या उनमें से किसी को नष्ट करा देगा।

भाग—2

सामूहिक चिन्हों के लिए विशेष उपबंध

127. सामूहिक चिन्हों को लागू होने वाले नियम.—इन नियमों के भाग 1, भाग 4 और भाग 7 के उपबंध सामूहिक चिन्हों को, वहां तक जहां तक कि उनके लागू होने का संबंध है, केवल इस भाग के उपबंधों के अ ीन रहते हुए ही लागू होंगे।

128. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और तत्संबंधी कार्यवाहियां.—(1) माल और सेवाओं के लिए सामूहिक चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन रजिस्ट्रार से प्ररूप व्या. चि.-3 प्ररूप व्या. चि.-64 या किसी एकल आवेदन की दशा में यथास्थिति प्ररूप व्या. चि.-66 या प्ररूप व्या. चि.-67 में तीन प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ चिह्न की पांच अतिरिक्त समाकृतियां होंगी। आवेदन के साथ धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन प्रेषित किए जाने वाले विनियमों के प्ररूप की तीन प्रतियां भेजी जाएंगी और उसके साथ प्ररूप व्या. चि.-49 होगा।

(2) माल और सेवाओं के लिए व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रतिग्रहण करने विषयक जो निर्देश नियमों के भाग 1 में हैं उनके स्थान में वहां जहां तक कि सामूहिक चिन्ह के संबंध में उनके लागू होने का सम्बन्ध है वे निर्देश रख दिए जाएंगे जो कि आवेदन के संबंध कार्यवाही करने के प्राधिकार विषयक हैं।

(3) सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक की बाबत उस दशा में यह न समझा जाएगा कि आवेदक ने अपने आवेदन का परित्याग कर दिया है जिसमें कि आवेदक ने नियम 38 के उपनियम (5) वाली परिस्थितियों में सुनवाई के लिए आवेदन नहीं किया है या लिखा हुआ उत्तर नहीं दिया है।

(4) सामूहिक चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक का यदि कोई भारत में का पता है तो उन सब प्रयोजनों के लिए जिनके लिए ऐसा पता इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, यह समझा जाएगा कि वह पता उसके कारबार का भारत में के मुख्य स्थान का पता है।

(5) सामूहिक चिन्हों को शासित करने वाले विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :—

(क) व्यक्तियों के संगम का नाम और उनके अपने कार्यालय के पते;

(ख) संगम के उद्देश्य;

(ग) सदस्यों के ब्यौरे;

(घ) सदस्यता के लिए शर्तें और उस समूह से प्रत्येक सदस्य का संबंध;

(ङ) चिह्न का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति और सामूहिक चिह्न के प्रयोग पर आवेदक के नियंत्रण की प्रकृति;

(च) सामूहिक चिह्न के उपयोग को शासित करने वाली शर्तें जिसके अंतर्गत मंजूरियां भी हैं;

(छ) सामूहिक चिह्न के उपयोग के विरुद्ध अपीलों के लिए व्यवहार में लाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो रजिस्ट्रार द्वारा मांगी जाएं।

129. आवेदन के साथ मामले का कथन.—आवेदक अपने आवेदन के साथ उन आधारों वाला जिनका वह अपने आवेदन के समर्थन में सहारा लेता है मामले का कथन रजिस्ट्रार को भेजेगा। मामले का ऐसा कथन तीन प्रतियों में दिया जाएगा।

130. परीक्षा और सुनवाई.—(1) सबसे पहले रजिस्ट्रार सामूहिक चिन्ह के लिए आवेदन की परीक्षा करवाएगा कि क्या वह अधिनियम और नियमों की अपेक्षा को पूरा करता है और आवेदक को एक रिपोर्ट जारी करेगा।

(2) रजिस्ट्रार सामूहिक चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को नामंजूर करने का आवेदन को किन्हीं शर्तों या मर्यादाओं या आवेदक या विनियम के किन्हीं संशोधनों या उपांतरणों के अधीन प्रतिगृहीत करने के लिए आवेदक को सुनवाई का अवसर देगा अन्यथा नहीं और यह प्रक्रिया नियम 38 के उपनियम (4) से लेकर नियम 42 के उपबंधों द्वारा विनियमित होगी।

131. सामूहिक चिन्हों के रजिस्ट्रीकरण का विरोध.—(1) आवेदन के प्रतिग्रहण पर रजिस्ट्रार आवेदन को जरनल में विज्ञापित कराएगा और नियम 47 से लेकर नियम 57 तक के उपबंध यथापरिवर्तित रूप में मामले की आगे की कार्यवाहियों में उसी भांति लागू होंगे जैसे कि व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के संबंध में लागू होते हैं।

(2) सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के विरोध से संबंधित कार्यवाहियों के संबंध में किसी संदेह की दशा में कोई पक्षकार निदेशों के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा।

132. सामूहिक चिह्नों और उनके नवीकरण से संबंधित विनियमों का संशोधन—(क) धारा 66 के अधीन विनियम के किसी संशोधन के लिए सामूहिक चिह्नों के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन प्ररूप व्या. चि. 42 में किया जाएगा और जहां रजिस्ट्रार ऐसे कोई संशोधन को अभिगृहीत करता है वहां वह ऐसे आवेदन को जर्नल में विज्ञापित करेगा और मामले में आगे कार्यवाहियां नियम 47 से लेकर नियम 57 द्वारा शासित होंगी।

(ख) सामूहिक चिह्न समय-समय पर नवीकृत किए जा सकेंगे और नियम 63 से लेकर नियम 67 के उपबंध नवीकरण के लिए ऐसे निवेदन की बाबत यथा परिवर्तित लागू होंगे।

133. सामूहिक चिह्न का हटाया जाना—सामूहिक चिह्न के हटाए जाने के लिए आवेदन धारा 68 में वर्णित किसी आधार सहित प्ररूप व्या. चि. 43 में किया जाएगा और उन आधारों की विशिष्टियां होंगी जिन पर आवेदन दिया जाता है। इन नियमों के नियम 92 से 94 तक के उपबंध मामले में आगे कार्यवाहियों के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

भाग—3

प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों के लिए विशेष उपबंध

134. इन नियमों के भाग 1, भाग 4 और भाग 7 के उपबंध प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों को, वहां तक जहां तक कि उनके लागू होने का संबंध है, केवल इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही लागू होंगे।

135. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और तत्संबंधी कार्यवाहियां—(1) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन रजिस्ट्रार के प्ररूप व्या. चि. 4, प्ररूप व्या. चि. 65 और किसी एकल आवेदन की दशा में यथास्थिति प्ररूप व्या. चि. 68 या प्ररूप व्या. चि. 69 में तीन प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ चिह्न की पांच अतिरिक्त समाकृतियां होंगी। आवेदन के साथ प्रेषित किए जाने वाले विनियमों के प्ररूप की तीन प्रतियां भेजी जाएंगी और उसके साथ प्ररूप व्या. चि. 49 होगा।

(2) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रतिग्रहण करने विषयक जो निर्देश नियमों के भाग 1 में हैं उनके स्थान में वहां तक जहां तक कि प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के संबंध में उनके लागू होने का सवाल है वे निर्देश रख दिए जाएंगे जो कि आवेदन के संबंध में कार्यवाही करने के प्राधिकार विषयक हैं।

(3) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक की बाबत उस दशा में यह न समझा जाएगा कि आवेदक ने अपने आवेदन का परित्याग कर दिया है जिसमें यदि उसने नियम 38 के उपनियम (5) वाली परिस्थितियों में सुनवाई के लिए आवेदन नहीं किया है या लिखा हुआ उत्तर नहीं दिया है।

(4) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक का यदि कोई भारत में का पता है तो उन सभी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए ऐसा पता इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, यह समझा जाएगा कि यह पता उसके कारबार के भारत में के मुख्य स्थान का पता है।

(5) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न को शासित करने वाले विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :—

(क) आवेदक का वर्णन;

(ख) आवेदक के कारबार की प्रकृति;

(ग) आर एण्ड डी, तकनीकी मानव शक्ति समर्थन जैसी अवसंरचना की विशिष्टियां;

(घ) प्रमाणन स्कीम को प्रशासित करने की आवेदकों की क्षमता;

(ङ) आवेदकों की वित्तीय व्यवस्था;

(च) आवेदक से वचनबद्धता कि यदि वे विनियमों में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तो पक्षकारों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा;

(छ) चिह्न के लक्षण प्रमाणित माल में या प्रमाणित सेवा प्रदान करने के संबंध में संकेत देगा;

(ज) भारत में चिह्न के उपयोग को मॉनीटर करने की रीति; और

(झ) ऐसी अन्य सुसंगत विशिष्टियां जो रजिस्ट्रार द्वारा मांगी जाएं।

136. आवेदन के साथ मामले का कथन—(1) आवेदक अपने आवेदन के साथ उन आधारों वाला, जिनका वह अपने आवेदन के समर्थन में सहारा लेता है, मामले का कथन रजिस्ट्रार को भेजेगा। मामले का ऐसा कथन तीन प्रतियों में दिया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार सर्वप्रथम प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की इस विषय में परीक्षा करवाएगा कि क्या वह अधिनियम और नियमों की आवश्यकता को पूरी करता है या नहीं और आवेदक को एक रिपोर्ट जारी करेगा।

137. आवेदन को नामंजूर करने या उसे सशर्त प्रतिग्रहण करने के पूर्व रजिस्ट्रार द्वारा सुनवाई—रजिस्ट्रार प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के लिए आवेदन को नामंजूर या आवेदन को किन्हीं शर्तों या मर्यादाओं या आवेदन या विनियम के किन्हीं संशोधनों या रूपांतरणों के अधीन प्रतिग्रहण, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं करेगा और उसकी प्रक्रिया इन नियमों के नियम 38 के उपनियम (4) से लेकर नियम 42 के उपबंधों द्वारा विनियमित होगी।

138. प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का विरोध और उसका नवीकरण—(1) रजिस्ट्रार आवेदन के प्रतिग्रहण पर आवेदन को जनरल में विज्ञापित करवाएगा और नियम 47 से लेकर नियम 57 के उपबंध जैसे वे व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के संबंध में लागू होते हैं यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(2) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के विरोध के संबंध में कार्यवाहियों के विषय में संदेह की दशा में कोई पक्षकार रजिस्ट्रार को निदेशों के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का समय-समय पर नवीकरण किया जा सकेगा और नियम 63 से लेकर नियम 67 के उपबंध नवीकरण के लिए ऐसे निवेदन की बाबत यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

139. प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का परिशोधन—प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के उपखंडन या परिवर्तन के लिए आवेदन धारा 77 में वर्णित आधारों में से किसी पर प्ररूप व्या.चि. 43 में किया जाएगा और उसमें उन आधारों की विशिष्टियां जिन पर आवेदन किया गया है, उपवर्णित होंगी। नियम 92 से नियम 94 तक के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित मामले की कार्यवाहियों में लागू होंगे।

140. निक्षेपित विनियमों का परिवर्तन और प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों के समनुदेशन और संप्रदान के वास्ते रजिस्ट्रार की सम्मति—(1) निक्षेपित विनियम के परिवर्तन के लिए धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन प्ररूप व्या. चि. 42 में किया जाएगा और जहां रजिस्ट्रार ऐसे परिवर्तन की आज्ञा देने का विनिश्चय करता है वहां वह आवेदन जनरल में विज्ञापित किया जाएगा और मामले में आगे कार्यवाहियां नियम 47 से लेकर नियम 57 द्वारा शासित होंगी।

(2) धारा 43 के अधीन प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के समनुदेशन और संप्रदान के लिए रजिस्ट्रार की सम्मति के लिए आवेदन प्ररूप व्या. चि. 62 में किया जाएगा।

भाग-4

टैक्सटाइल माल के लिए विशेष उपबंध

141. परिभाषाएं—नियम 146 और नियम 147 के प्रयोजनों के लिए,—''संतुलित संख्यांक'' से अन्यून तीन अंक और अनधिक सात अंक वाली एक सी ही संख्या या एक से ही अक्षरों से मिलकर बना व्यापार चिह्न अभिप्रेत है।

अंक के अन्तर्गत अकेला अक्षर है;

''अक्षरों वाली भिन्न'' से एक या अधिक अक्षरों वाली भिन्न अभिप्रेत है।

142. टैक्सटाइल चिह्नों को लागू होने वाले नियम.—नियमों के भाग 1, भाग 3 और भाग 7 के उपबंध टैक्सटाइल माल संबंधी व्यापार चिह्नों को इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसी भांति लागू होंगे जैसे कि वे उन माल संबंधी व्यापार चिह्नों को लागू होते हैं जो कि टैक्सटाइल माल नहीं है।

143. टैक्सटाइल चिह्न—''टैक्सटाइल चिह्न'' पद से ऐसा व्यापार चिह्न अभिप्रेत है जिसका उपयोग उन मालों के संबंध में हुआ है या किए जाने की प्रस्थापना है जो कि नियम 144 ''टैक्सटाइल माल'' के रूप में अधिनियम के अध्याय-10 के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट है।

144. टैक्सटाइल माल—व्यापार चिह्नों के संबंध में जिन वर्गों के माल को अधिनियम का अध्याय 10 लागू होगा और जो अधिनियम और नियमों में टैक्सटाइल माल के रूप में निर्दिष्ट है वे माल वर्ग चतुर्थ अनुसूची के वर्ग 22 से वर्ग 27 तक (जिनके अंतर्गत दोनों वर्ग भी होंगे) वाले वर्ग होंगे।

145 टैक्सटाइल माल की मदों के बारे में अक्षरों या संख्याओं या उनकी किसी संहति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—(1) जहां कि चिह्न अनन्य रूप से अक्षरों या संख्याओं या उनकी किसी संहति से मिलकर बना है, वह पांचवीं अनुसूची में वर्णित टैक्सटाइल माल की मदों में से प्रत्येक संबंधी (सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न से भिन्न) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक आवेदन यथास्थिति प्ररूप

व्या. चि.-22 या व्या. चि. 45 में किया जाएगा।

(2) पंचम अनुसूची में दी हुई मदों को निम्नलिखित रीति में समूहीकृत किया जाएगा और प्रत्येक समूह में आने वाले माल को यह समझा जाएगा कि वे एक ही समान हैं और विभिन्न समूहों में आने वाले माल को उन व्यापार चिह्नों के, जो कि अनन्यतः अक्षरों या संख्यांकों या उनकी किसी संहति से मिलकर बने हैं, के संबंध में उपनियम (1) के अधीन दिए गए आवेदन के प्रयोजन के लिए एक ही माल समझा जाएगा—

समूह 1—मद 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 54, 55, 59, 61, 62, 65 और 91

समूह 2—मद 2, 3, 14, 17, 18, 34, 35 और 47

समूह 3—मद 6, 7, 21, 38 और 52

समूह 4—मद 13, 29, 75, 77 और 78

समूह 5—मद 15, 28, 31, 40, 66, 79, 88, 90 और 93

समूह 6—मद 32, 43, 64 और 94

समूह 7—मद 46, 83 और 85

समूह 8—मद 50, 51, 56, 57, 63, 76, 80, 84, 86, 87 और 89

समूह 9—मद 53

समूह 10—मद 58, 82 और 92

समूह 11—मद 67, 68, 69, 70 और 71

समूह 12—मद 72

समूह 13—मद 73

समूह 14—मद 74

समूह 15—मद 81

(3) उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यापार चिन्हों के संबंध में, जो कि अनन्यतः अक्षरों, संख्यांकों या उनकी किसी संहति से मिलकर बने हुए हैं और जिनके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन 31 जुलाई, 1945 को या उससे पूर्व दिए गए थे, किसी कार्यवाही में पांचवीं अनुसूची की विभिन्न मदों वाले मालों की बाबत यह न समझा जाएगा कि वे एक ही अभिवर्णन के वैसे ही माल हैं।

146. कुछ चिन्हों की अरजिस्ट्रीकरणीयता—टैक्सटाइल मालों के बारे में निम्नलिखित चिन्ह रजिस्ट्रीकरणीय नहीं होंगे अर्थात् :—

(क) एक अंक वाला या छः से अधिक अंकों वाला कोई संख्यांक, जो कि संतुलित संख्यांक नहीं है,

(ख) एक अक्षर वाला या छः अक्षरों से अधिक अक्षरों वाली कोई संहति जो कि संतुलित संख्यांक नहीं है,

(ग) आठ अंकों से अधिक संख्यांकों और अक्षरों वाली कोई संहति,

(घ) ऐसी कोई भिन्न या अक्षरों वाली भिन्न जो मिलकर आठ अंकों से अधिक की है,

(ङ) ऐसी कोई भिन्न या अक्षरों वाली भिन्न जो मिलकर तीन अंकों से कम की है,

(च) संख्यांकों की कोई संहित या छः अंकों से अधिक अंकों वाली कोई भिन्न,

(छ) संख्यांकों, अक्षरों भिन्नों और अक्षरमय भिन्नों की कोई संहति, जिसमें आठ अंकों से अधिक हैं, या जिसके अंत में ऐसी भिन्न है जिसके अंश या हर में एक अंश से अधिक अंक हैं,

(ज) वस्त्र के आकार निरूपित करने वाले संख्यांक या अक्षर,

(झ) संतुलित संख्यांक जिसमें उसी श्रेणी में के उस संतुलित संख्यांक में के अंकों से कम से कम दो अधिक या दो कम अंक हैं, जो कि किसी विभिन्न व्यक्ति के नाम में पहले से ही उन्हीं मालों या उसी अभिवर्णन की मालों का रजिस्ट्रीकृत है।

147. वह चिन्ह जिसकी बाबत यह सम्भाव्यता है कि उससे धोखा हो जाए या विभ्रम पैदा हो जाए—(1) संख्यांकों, अक्षरों भिन्नों, अक्षर वाली भिन्नों या उनकी संहति से बना व्यापार चिन्ह, जो संतुलित संख्यांक नहीं है टैक्सटाइल चिन्ह के रूप में उस दशा में रजिस्ट्रीकरणीय नहीं होगा यदि यह उन्हीं मालों या उसी प्रकार के अभिवर्णन के मालों के बारे में भिन्न व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह से उसमें :—

(क) चार अंकों से अनधिक वाले संख्यांक की अवस्था में कम से कम एक तत्स्थानी अंक भिन्न नहीं है;

(ख) पांच अंकों वाले संख्यांक की दशा में कम से कम दो तत्स्थानी अंक भिन्न नहीं है;

(ग) छह अंकों वाले संख्यांक की दशा में कम से कम तीन तत्स्थानी अंक भिन्न नहीं हैं;

(घ) दो अक्षरों वाली संहति की दशा में कम से कम एक तत्स्थानी अक्षर भिन्न नहीं है;

(ङ) तीन या चार अक्षरों वाली संहति की दशा में कम से कम दो तत्स्थानी अक्षर भिन्न नहीं है;

(च) पांच या छह अक्षर वाली संहति की दशा में कम से कम तीन तत्स्थानी अक्षर भिन्न नहीं है;

(छ) एक अक्षर और एक गणनांक से बने चिह्न की दशा में उनमें से कम से कम कोई एक भिन्न नहीं है;

(ज) एक अक्षर और दो या तीन गणनांकों वाले चिह्न की दशा में कम से कम एक तत्स्थानी गणनांक भिन्न नहीं है;

(झ) एक अक्षर और चार या अधिक गणनांकों वाले चिन्ह की दशा में, कम से कम दो तत्स्थानी गणनांक भिन्न नहीं है;

(ञ) दो या अधिक अक्षर और एक या अधिक गणनांकों से मिलकर बने चिह्न की दशा में, कम से कम एक तत्स्थानी अक्षर और एक तत्स्थानी गणनांक भिन्न नहीं है;

(ट) ऐसी भिन्न या अक्षर वाली भिन्न या उसकी किसी संहति की दशा में, जिसके अंश और हर में कुल तीन या चार अंक है या तो अंश में या हर में कम से कम एक तत्स्थानी अंक भिन्न नहीं है;

(ठ) ऐसी भिन्न या अक्षर वाली भिन्न या उसकी किसी संहति की दशा में जिसमें अंश और हर में कुल अंक पांच या उससे अधिक हैं, अंश में कम से कम एक तत्स्थानी अंक और हर में कम से कम एक तत्स्थानी अंक अथवा या तो अंश में या हर में के दो तत्स्थानी अंक भिन्न नहीं है;

(ड) एक संख्यांक और एक भिन्न से मिलकर बनी संहति की दशा में कम से कम एक तत्स्थानी संख्यांक भिन्न नहीं है;

(ढ) अक्षरों, संख्यांकों और भिन्नों (जिसके अंतर्गत अक्षर वाली भिन्न है) की संहति की दशा में—

(i) वहां जहां कि भिन्न को छोड़कर कुल अंक तीन से अधिक नहीं हैं, कम से कम एक तत्स्थानी अंक भिन्न नहीं है;

(ii) वहां जहां कि भिन्न को छोड़कर कुल अंक चार या अधिक हैं, कम से कम दो तत्स्थानी अंक भिन्न नहीं है;

(2) उपनियम (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा कि जहां व्यापार चिन्ह उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किसी मामले के विषय के भीतर नहीं आता है, वहां चिन्ह के बारे में आवश्यक रूप से यह समझा जाए कि यह सम्भाव्यता नहीं है कि उससे धोखा हो जाए या विभ्रम पैदा हो जाए।

भाग—5

व्यापार चिह्न के अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

148. व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं का रजिस्टर—व्यापार चिन्हों का रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह के अभिकर्ताओं का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के अभिकर्ता का नाम, निवास स्थान का पता, कारबार के मुख्य स्थान का पता, राष्ट्रिकता, अर्हताएं और रजिस्ट्रीकरण की तारीख प्रविष्ट की जाएगी।

149. विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं, आचार संहिता आदि रजिस्ट्रीकरण—(1) नियम 150 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम पुरानी विधि के अधीन रखे जाने वाले व्यापार चिन्ह अभिकर्ता रजिस्टर में लिखा है, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के अधीन व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है।

(2) रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता को उस रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हुए एक आचार संहिता जर्नल में प्रकाशित कर सकेगा।

150. रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताएं—यदि कोई व्यक्ति—

(i) भारत का नागरिक है;

(ii) आयु में 21 वर्ष से कम का नहीं है;

(iii) नियम 154 में विहित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अर्थान्तर्गत एक अधिवक्ता है या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है;

(iv) भारत के किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है या तत्समान अर्हता रखता है; और

(v) व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति रजिस्ट्रार द्वारा समझा जाता है, तो नियम 151 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वह व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अर्ह होगा।

151. वे व्यक्ति जिनका रजिस्ट्रीकरण विवर्जित है—यदि कोई व्यक्ति—

(i) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्र का न्यायनिर्णीत कर दिया गया है, तो

(ii) अनुन्मुक्त दिवालिया है, तो

(iii) उन्मुक्त दिवालिया होते हुए उसने न्यायालय से इस आशय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं किया है कि अपनी ओर से कोई अवचार किए बिना वह दुर्भाग्यवश दिवालिया हो गया था, तो

(iv) भारत के अन्दर या बाहर सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जो कि निर्वासन या कारावास से दंडनीय है तो जब तक कि वह जिस अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है उसके लिए उसे क्षमा नहीं मिल गई या जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने उस किए गए आवेदन पर उसकी निर्योग्यता इस निमित्त आदेश द्वारा हटा नहीं दी है,

(v) विधि व्यवसायी होते हुए वृत्ति संबंधी अवचार का दोषी भारत में किसी उच्च न्यायालय द्वारा या भारत की सीमाओं से बाहर वाले किसी न्यायालय द्वारा ठहराया है तो, या

(vi) चार्टर प्राप्त लेखापाल होते हुए उपेक्षा या अवचार का दोषी उच्च न्यायालय द्वारा ठहराया गया है तो या

(vii) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता होते हुए वृत्तिक अवचार का दोषी रजिस्ट्रार द्वारा ठहराया गया है तो

वह व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

152. आवेदन करने की रीति—इस भाग के उपबंधों के अधीन सभी आवेदन तीन प्रतियों में किए जायेंगे, और उस व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री को भेजे या उसमें उपस्थित किए जायेंगे जिसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आवेदक के कारबार का मुख्य स्थान अवस्थित है।

153. व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—(1) व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप व्या. चि.अ-1 में आवेदन करेगा।

(2) आवेदक अपने आवेदन विषयक ऐसी अपर जानकारी देगा जैसी देने की अपेक्षा उससे रजिस्ट्रार किसी समय करे।

154. आवेदन पर प्रक्रिया और अर्हक अपेक्षाएं—(1) रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी तारीख नियत करेगा जिस पर अभ्यर्थी व्यापार चिन्ह विधि और प्रणाली विषयक लिखित परीक्षा के लिए जिसके उपरांत साक्षात्कार होगा रजिस्ट्रार के समक्ष उपसंजात होगा यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विहित अर्हताएं पूरी करता है। अभ्यर्थी से यह प्रत्याशा की जाएगी कि उसे अधिनियम और नियमों के उपबंधों का विस्तार से ज्ञान और व्यापार चिन्ह विधि के तत्वों का ज्ञान हो।

(2) लिखित परीक्षा के लिए और साक्षात्कार के लिए अर्हक अंक क्रमशः 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होंगे और अभ्यर्थी को उस दशा में ही उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह कुल अंकों का 50 प्रतिशत कुल मिलाकर प्राप्त कर लेता है।

155. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र—किसी अभ्यर्थी के साक्षात्कार के पश्चात् और जो उसके आवेदन से संबंधित कोई ऐसी और जानकारी जो रजिस्ट्रार आवश्यक समझे अभिप्राप्त हो जाती है और यदि रजिस्ट्रार आवेदक को व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र और अर्हित समझता है तो वह आवेदक को इस आशय की एक प्रज्ञापना भेजेगा और इस प्रकार प्रज्ञापित कोई व्यक्ति व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित फीस जमा कर सकेगा। विहित फीस की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार आवेदक का नाम व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रविष्ट करा देगा और व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में उसको रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप आ-4 में उसको एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

156. व्यापार चिन्ह के अभिकर्ताओं के रजिस्टर में नाम बना रहना—व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में व्यक्ति के नाम बने रहने की यह शर्त होगी कि वह प्रथम अनुसूची में विहित फीस देता रहे।

157. व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर से अभिकर्ता का नाम हटाया जाना—(1) रजिस्ट्रार ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के नाम को व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटा सकेगा।

(क) जिससे इस आशय की प्रार्थना मिली है, या

(ख) जिससे उस तारीख से, जिस पर वार्षिक फीस शोध्य होती है, तीन मास की समाप्ति पर वार्षिक फीस प्राप्त नहीं हुई है।

(2) रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों के ऐसे किसी अभिकर्ता का नाम व्यापार चिन्ह के अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटा देगा :—

(क) जिसकी बाबत यह पाया जाता है कि वह अपने रजिस्ट्रीकरण के समय नियम 151 के खण्ड (i) से लेकर खंड (vii) तक में कथित निर्योग्यताओं में से किसी के अधीन है या तत्पश्चात् हो गया है ; या

(ख) जिसकी बाबत रजिस्ट्रार ने इस कारण कि उसने अपनी वृत्तिक हैसियत में उपेक्षापूर्ण अवचारपूर्ण, या बेईमानी का कोई काम किया है, यह घोषित किया है कि वह व्यक्ति रजिस्टर में बने रहने के लिए अयोग्य और अनुचित व्यक्ति है ;

(ग) रजिस्टर में दुर्व्यपदेशन या तात्विक तथ्य को छुपाने के कारण प्रविष्ट कर दिया गया है :

परन्तु खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन ऐसी घोषणा करने के पूर्व रजिस्ट्रार संबंद्ध व्यक्ति को यह हेतु संदर्शित करने के लिए समाहूत करेगी कि उसके रजिस्ट्रीकरण को अपखंडित क्यों न कर दिया जाए और वह ऐसी अपर जांच भी, यदि कोई हो, करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझता है।

(3) रजिस्टर व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता का नाम हटा देगा जो मर चुका है।

(4) यह बात कि व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से किसी व्यक्ति का नाम हटा दिया गया है जरनल में अधिसूचित की जाएगी और जहां भी संभव हो उसकी संसूचना संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी।

158. कतिपय अभिकर्ताओं के साथ व्यवहार करने से इंकार करने की रजिस्ट्रार की शक्ति—(1) रजिस्ट्रार—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है और रजिस्टर में प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है मान्यता देने से इंकार कर सकेगा ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है और जो रजिस्ट्रार की राय में उस व्यक्ति के नाम में या उसके फायदे के लिए जिसने उसे नियोजित कर रखा है भारत में या अन्यत्र व्यापार चिन्ह के लिए लगाए जाने में अभिकर्ता के रूप में पूर्णतः या मुख्यतः कार्य करने में लगा हुआ है मान्यता देने से इंकार कर सकेगा ;

(ग) किसी ऐसी कंपनी या फर्म और यदि किसी व्यक्ति जिसको इन नियमों के अधीन किसी कारबार की बाबत अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रार ने मान्यता देने से इंकार कर दिया है, वह कंपनी के निदेशक या प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है या वह फर्म में कोई भागीदार है, मान्यता देने से इंकार कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति जो न तो भारत में निवास करता है और न ही भारत में उसके कारबार का स्थान है को भी इस नियम के अधीन किसी कारबार की बाबत अभिकर्ता के रूप में मान्यता देने से इंकार कर सकेगा।

159. हटाये गए नामों का प्रत्यावर्तन—(1) जिस व्यक्ति का नाम नियम 157 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन हटाया जा चुका है, व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से उसका नाम हटाये जाने की तारीख से छः मास के भीतर उस व्यक्ति से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस सहित आवेदन प्ररूप व्या. चि. अभि-2 में प्राप्त होने पर उसका नाम रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कर सकेगा और उस तारीख से, जिसको उसी अंतिम वार्षिक फीस शोध्य हुई थी, एक वर्ष की कालावधि के लिए उसका नाम रजिस्टर में रहने दे सकेगा।

(2) व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में नाम का प्रत्यावर्तन जनरल में अधिसूचित किया जाएगा और संसूचना संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी।

160. व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में परिवर्तन—(1) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का अभिकर्ता व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रविष्ट अपने नाम, निवास स्थान के पते, कारबार के मुख्य स्थान के पते, या अर्हताओं में परिवर्तन के लिए आवेदन प्ररूप व्या. चि. अ.-3 में कर सकेगा। ऐसे आवेदन और उस निमित्त विहित फीस की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करायेगा।

(2) व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किया गया प्रत्येक परिवर्तन जनरल में अधिसूचित किया जाएगा।

161. व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर का प्रकाशन—रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं को रजिस्टर में सामान्यतया अभिकर्ताओं की सूची समय-समय पर जनरल में प्रकाशित करेगा और कम से कम दो वर्ष में एक बार इसके पते के साथ जो रजिस्टर में प्रविष्ट है रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के अभिकर्ताओं के उपनाम की प्रविष्टियां वर्णानुक्रम अनुसार व्यवस्थित होंगी और उसकी प्रतियां विक्रय के लिए रखी जा सकेंगी।

162. अपील—इन नियमों के भाग-4 के अधीन व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण या हटाए जाने के संबंध में रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय से अपील बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड में होगी और अपील बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा और आबद्धकर होगा।

भाग-6

माल खंडों और सूत के परीक्षण और चिन्हांकन संबंधी उपबंध

163. परिभाषाएं—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस भाग के प्रयोजनों के लिए—

(क) सूत के संबंध में "नम्बर" से अंग्रेजी प्रणाली या मीट्रिक माप तोल प्रणाली में किसी सूत की लंबाई का उसकी तोल से वह संबंध अभिप्रेत है, जो कि निम्नलिखित है—

(i) कच्चे और तैयार रेशम को छोड़कर सभी सूत्र विषयक मीट्रिक प्रणाली वाला नम्बर वह संख्या होगी जो कि 1000 मीटर सूत का 500 ग्राम या 2 मीटर सूत का संबंध 1 ग्राम से व्यक्त करती है या दूसरे शब्दों में (प्रत्येक 1000 मीटर लंबाई के सूत वाली) उतनी गुच्छियों की जितनी की तोल कुल मिलाकर 500 ग्राम है आधी संख्या के बराबर है।

(ii) कच्चे और तैयार रेशम का मीटर प्रणाली वाला नम्बर उतने ग्रामों की संख्या होगी जितने की 10000 मीटर सूत तोल में है।

निम्नलिखित सूत्र द्वारा "नम्बर" की अंग्रेजी प्रणाली को नम्बर की मीट्रिक प्रणाली में और विपर्ययेन संपरिवर्तित किया जा सकेगा:—

सूत्र की अंग्रेजी संख्या × 0.847 मीट्रिक सं. 1 सूत की मीट्रिक सं. × 1.181 अंग्रेजी संख्या।

(iii) कच्चे और तैयार रेशम की मीट्रिक सं. का भार 10000 मी. सूत के लिए ग्रामों में होगा।

(ख) "सीमाशुल्क कलेक्टर" का वही अर्थ होगा जो कि इस पद को उसका सीमा शुल्क अधिनियम 1975 में समनुदिष्ट है।

164. माल खंडों की लंबाई और चौड़ाई विषयक परीक्षण—(1) ऐसे मालखंडों की लंबाई का परीक्षण करने के लिए जैसे कि मामूली तौर से लंबाई में या खंड द्वारा बेचे जाते हैं, उसकी माप किनारे-किनारे की जाएगी।

(2) पूर्वोक्त माल खंडों की जांच चौड़ाई के लिए करने में कपड़े की निम्नलिखित प्रत्येक पद्धति को काम में लाने में इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि कपड़े का ऐसा टुकड़ा चुना जाए जिसमें कम से कम सिकुड़न हो और क्रमशः ताना और बाना यथासम्भव सीधा हो।

(क) कपड़ा दो तह में मेज पर बिछाया जाएगा और उसमें जो सिकुड़न हो उन्हें ऐसे ठीक किया जाएगा कि वह पूरी तरह चौरस हो जाए। तब मापदंड (पैमाना) कपड़े के पन्हे के अनुसार रखा जाएगा और मापदंड के अगल-बगल अंगुली और अंगूठा कपड़े के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर दबाकर रगड़े जाएंगे जिससे कि सलवटें एक बार फिर मिट जाएं। ऐसा करने में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सलवटों को ठीक किए जाने के समय कपड़ा खिंच न जाए और ताने के धागों का मापदंड से कोण 90 अंश का रह जाए तब माप अभिलिखित किया जाएगा।

(ख) कपड़े को एक तह ली जाएगी और उसे मुड़े छोड़ के प्रत्येक सिरे पर अंगुली अंगूठे से पकड़ा जाएगा और मापदंड पर फैलाया जाएगा। मापदंड मेज पर चपटा रखा जाएगा। फैलाने से सिकुड़नें न निकल जाएंगी किंतु ताना इतना न खिंचेगा कि मापदंड की ओर तिरछा हो जाए।

165. **कपड़े की खसूसियतों और खिंचाव लेखें मोक लेखे**—(1) उपरोक्त माल लेने में माने जाने वाले कपड़े की खसूसियतें ध्यान में रखी जाएंगी और उन लेखें सम्यक् मोक दी जाएगी।

(2) यदि कपड़े की खसूसियत के कारण इस बात का अवधारण कि तनाव की युक्तियुक्त मात्रा मापने के प्रयोजनों के लिए कितनी है कठिन पाया जाता है तो पूरी तरह खिंची अवस्था में की चौड़ाई और न खिंची अवस्था में की चौड़ाई की औसत अपनाई जायेगी।

(3) लम्बाई के वास्ते खिंचाई का जो प्रभाव चौड़ाई पर पड़ता है उसे कपड़ा मापने में सर्वदा ध्यान में रखा जायेगा। जहां कि बनाते समय, कपड़ा लम्बाई में ताना गया, वहाँ उसकी लम्बाई चौड़ाई मापने के लिए बनाना करते जाने से कम हो जायेगी। अत: यह बात अभिनिश्चित करनी होगी कि कहीं लम्बाई विषयक व्यापार अभिवर्णन उसे चौड़ाई के विषय में ठीक करने की प्रक्रिया के कारण गलत तो नहीं हो गया है, इस बात को अभिनिश्चित करने के लिए किनारे किनारे और पन्हे के अनुसार माप की जायेगी।

166. **सूत का परीक्षण**—सीमाशुल्क संग्राहक के पास जब यह शंका करने का कारण है या किसी इत्तिला देने वाले ने यह इत्तिला दी है कि व्यापार का अभिवर्णन मिथ्या है तब वह सूत की जांच लम्बाई और नम्बर ठीक-ठीक अभिनिश्चित करने के लिए कर सकेगा।

167. **संवृत्त किए जाने वाले नमूनों की संख्या**—नम्बर या लम्बाई विषयक अभिवर्णनों की शुद्धता परखने की दृष्टि से सूत की जांच इस मर्यादा के अनुसार होगी कि प्रथम बार परेषण में की, प्रत्येक सौ या खंडांश शत गांठों में से एक बंडल की जांच की जायेगी।

168. **और परीक्षण**—यदि ऐसे परीक्षण पर औसत नम्बर या लम्बाई और उस अभिलक्षित नम्बर या लम्बाई के बीच उससे अधिक अंतर निकलता है, जितना कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 121 के अधीन निकाली जाने वाली अधिसूचना में अनुज्ञात है तो आयातक या प्रश्नास्पद माल पर या तत्संबंधी कोई दावा रखने वाला या उनसे अन्यथा हितबद्ध कोई व्यक्ति उनकी ओर से जांच के लिए आवेदन कर सकेगा।

169. **नमूनों के चुने जाने और जांच की रीति**—सूत की लम्बाई अवधारित किये जाने के लिए की जाने वाली जांच निम्नलिखित ढंग से की जायेगी—

(i) परेषण में की प्रत्येक सौ या खंडांश शत गांठों में से कोई एक बंडल यदृच्छया चुन लिया जायेगा। एक आवश्यक या ऐसे किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति की, जिसके प्रति निर्देश गत पूर्वगामी नियम में किया गया है, या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में इस गांठ में की अट्टियां एक-एक करके वार्पव्हील (फिरकी) पर मापी जायेंगी और उनकी लंबाई लिख ली जायेगी। यह प्रक्रिया इस मर्यादा के अंतर्गत कि यह उस बंडल की अट्टियों तक ही सीमित रहेगी तब तक चालू रखी जायेगी जब तक कि यथास्थिति या तो आयातक का या उस अन्य व्यक्ति का समाधान नहीं हो जाता है कि सूत लम्बाई में कम है या लिखी गई लम्बाई औसत से यह संदर्शित नहीं हो जाता है कि लम्बाई पूरी है,

(ii) जब तक आयातक या अन्य व्यक्ति का समाधान उपरोक्त जांच से नहीं होता है तब वह सीमा शुल्क संग्राहक से यह अपेक्षा इस जांच में लगने वाला खर्च देकर कर सकेगा कि परेषण में जितनी अट्टियां हैं, उन सब के 1 प्रतिशत तक की अन्य अट्टियां, जिन्हें कि सीमा शुल्क पदाधिकारी परेषण में के किन्हीं बंडलों में से यदृच्छया ले सकेगा सीमा शुल्क संग्राहक मापे।

170. **स्टोव परीक्षण**—(1) सीमा शुल्क पदाधिकारी द्वारा स्टोव परीक्षण केवल उन्हीं अवस्थाओं में किया जायेगा जिनमें मामूली पद्धतियों के अनुसार दी गई तोल से यह प्रतीत होता है कि सूत तोल में कम है अथवा जिन में सूत के स्पर्श और स्वरूप से यह संदर्शित है कि वह अप्रसामान्यत: आर्द्र या अतिआर्द्र है या जिनमें कि आयातक यह मांग पेश करता है कि ऐसा परीक्षण किया जाए। जहां कि परीक्षण आयातक की मांग पर किया जाता है, वहां परीक्षण के लिए उद्ग्रहीत फीस उस सूरत में लौटा दी जायेगी जिसमें कि परीक्षण से यह सिद्ध नहीं होता है कि सीमा शुल्क पदाधिकारियों द्वारा नम्बर और लम्बाई विषयक किया गया मूल अवधारण ठीक है। यदि एक से अधिक परीक्षण करने की मांग की जाती है, तो प्रत्येक नये परीक्षण के लिए अपर फीस उद्ग्रहीत की जाएगी, पूरी प्रभारित राशि इस बात के अनुसार की परीक्षणों के फलों पर उसका अंतिम विनिश्चय क्या है प्रतिभूत होगी या प्रतिदत्त कर दी जाएगी।

(2) (क) स्टोव परीक्षण करने में जहां कि कपास के सूत का सवाल है वहां तक पूरी तरह सुखा लिये जाने पर सूत की जो तोल निकलती है उसमें (8 ½) साढ़े आठ प्रतिशत की बढ़ती जोड़ दी जायेगी और इस प्रकार जो संख्या आये वह प्रसामान्य दशा में सूत की असली तोल मानी जायेगी,

(ख) जहां तक रेशमी या ऊनी या कपास के सूत से भिन्न सूतों का सवाल है वहां ऐसे सूत को सुखा लिये जाने पर उनकी जो तोल निकली है उसमें जोड़ी जाने वाली बढ़ती उस प्राधिकारक मानक सारणी के अनुसार होगी जो कि स्टोव परीक्षण आले के साथ दी जाती है।

171. **परीक्षण का स्थान**—नियम 164 से लेकर नियम 170 तक में निर्दिष्ट माल-खंडों और सूत का परीक्षण सीमाशुल्क प्रयोगशालाओं या ऐसे स्थान में और ऐसे पदाधिकारी द्वारा, जैसा कि सीमा शुल्क संग्राहक निर्दिष्ट करे किया जायेगा।

172. **प्रतिभूति**—सीमा शुल्क संग्राहक नियम 166 में निर्दिष्ट किसी इत्तिला देने वाले से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इत्तिला देने वाले से पांच सौ रुपये से अनधिक प्रतिभूति दे और जहां कि सीमाशुल्क संग्राहक का समाधान हो जाता है कि कामत: मिथ्या जानकारी दी गई है, वहां प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी।

धारा 81 के अधीन माल खंडों और कपास के सूत का मुद्रांकन ।

173. माल-खंड—उन ''माल-खंडों के अर्न्तगत, जो कि मामूली रूप से लंबाई या खंड (थान) में बेचे जाते हैं । (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''माल खंड'' कहा गया है) '' अधिनियम की धारा 81 के प्रयोजनों के लिए या सागर सीमा शुल्क अधिनियम 1878 की धारा 18 के प्रयोजनों के लिए सूती वस्तु-खंड, ऊनी वस्तु खंड, रेशमी वस्तु खंड, नकली रेशमी वस्तु खंड, संश्लिष्ट तंतुओं (सिन्थेटिक फाइबर) के वस्तु खंड और मिश्रित माल वाले अन्य माल खंड होंगे किन्तु इनके अंतर्गत निम्नलिखित अभिवर्णनों वाले माल नहीं होंगे, अर्थात्—

(क) अलेम्बरा वाली रजाइयों के सिवाय अलेम्बरा

कम्बल ।

कटपीस में प्रकाश रोधी कपड़ा।

कटपीस के रूप में जिल्द चढ़ाने में काम आने वाला कपड़ा।

कटपीस के रूप में बुकरम।

गलीचे (लपेटे हुए)।

मेजपोश।

डिकैटिसिंग ऐप्रन्स।

बुने हुए खंडों में झाड़न।

कशीदेदार आल ओवर्स और सभी किस्मों की कशीदेदार साड़ियां।

कशीदेदार झालरें।

फिल्टर क्लाथ।

बुने हुए खंडों में गलास क्लाथ।

बुने हुए खंडों में रूमाल।

काटन फ्रिंटेन वाली लेस और जालियां।

पर्दों के वास्ते लेस वाला कपड़ा ।

(नली के आकार का) तकिए का छींट वाला गिलाफ का कपड़ा।

आसन।

कटपीस के रूप में प्रेस क्लाथ।

रजाइयां।

लोई।

2½ गज, 2.28 मीटर की लम्बाई तक के सारंग

कशीदेदार शाल जिनके सिरों पर गोट या झालर लगी हो जो कि अलग-अलग या एक-एक करके या एक या अधिक शाल वाले थानों में आयात किए गए हैं।

स्पंज का कपड़ा (पोंचे के लिए)

टेडी बीयर या नकली सील स्किन क्लाथ

बुने खंडों में तौलिये

सफाई में काम आने वाले ऊनी कपड़े

सूई से सिले ऊनी कपड़े

ऊनी रोलर क्लाथ

ऊनी साइजिंग फ्लालीन

(ख)(i) सूती टुकड़े या लम्बी कतरनें जो कि पन्द्रह गज (या चौदह मीटर) कम माप की हों जो कि लम्बाई या किसी खंड में प्रचलित मामूली व्यापार की प्रथा से नहीं बेचे जाते हैं।

(ii) लंबाई का ख्याल किये बिना फेर, जो बनने, रंगने या छपाई में दुर्घटनाओं के कारण इतना त्रुटिपूर्ण है कि खंड द्वारा मामूली तौर से लंबाई या खंड के हिसाब से बेचे जाने लायक नहीं है।

174. **माल खंडों का मुद्रांकन**—(1) जो माल खंड भारत के उन परिसरों में अभिनिर्मित किये गये हैं, धोये गए हैं, रंगे गए हैं, छापे गए हैं, या फिनिश किए गए हैं जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में यथापरिभाषित कारखाना है, उन पर वे विशिष्टियां अंकित की जाएंगी जो धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित हैं।

(2) भारत के बाहर अभिनिर्मित माल-खंडों की अवस्था में, प्रत्येक माल खंड पर अभिनिर्माता, निर्यातक या वस्तु के भारत में थोक क्रेता का नाम और उस पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 18 के खंड (च) के अधीन यथा अपेक्षित मानक गजों या मानक मीटरों में उन खंडों की वास्तविक लम्बाई अंकित की जायेगी।

175. **वे अवस्थाएं जिनमें मुद्रांक संबंधी अपेक्षाएं अधित्यक्त की जा सकेंगी**—(1) सीमा शुल्क संग्राहक किन्हीं अमुद्रांकित माल खंडों को उस सूरत में निरुद्ध न कर सकेगा जिसमें कि उसका यह समाधान हो जाता है कि यद्यपि अमुद्रांकित वस्तुओं का उल्लेख नियम 173 के अधीन अपवादित मालों की सूची में नहीं हुआ है, तथापि वे इस रूप के हैं कि यदि उनको मुद्रांकित किया जाए, तो उनके मूल्य में भारी गिरावट होने की संभावना है।

परंतु तथापि जहां कि सीमा शुल्क संग्राहक इस उपनियम के अधीन स्वविवेक का प्रयोग करता है, वहां वह तत्क्षण यह बात केन्द्रीय सरकार को माल का नमूना राजस्व के केन्द्रीय बोर्ड के माध्यम द्वारा भेजते हुए करेगा, जिससे कि ऐसे माल के विषय में साधारण आदेश निकालने के प्रश्न पर विचार किया जा सके।

(2) व्यक्तियों के या व्यक्तियों के प्राइवेट संगमों के निजी उपयोग के लिए न कि व्यापारिक प्रयोजन के लिए, आयात किये गए सूती और ऊनी माल खंडों का मुद्रांकित किया जाना आवश्यक नहीं है।

176. **अपेक्षित मुद्रांकन का स्वरूप**—(1) माल खंडों की लम्बाई चिन्हित करने में "गज" "मीटर" संख्यांकों के बाद दिये जाएंगे और कतरनों या नियम 173 के खंड (ख) में वर्णित से भिन्न किस्म के खंडों की अवस्था में गजों या मीटरों के साथ-साथ उन खंडों की गिनती कटपीस की सामने की उसकी बाहरी परत पर चिन्हित की जायेगी, संख्यांक इस तरह अंकित किये जायेंगे कि यह बात स्पष्ट हो जाये कि उनसे क्या आशयित है।

(2) लम्बाई ऐसे गजों या गजों के भागों या मानक मीटरों या मीटर के भागों में दी जायेगी और वह माल की वास्तविक लम्बाई, न कि उस सिकुड़न या शुष्कता से जो रंगाई जैसी प्रक्रियाओं के या वातावरण जात उन परिवर्तनों के जिनका युक्तियुक्त रूप से पूर्वानुमान किया जा सकता है, परिणामस्वरूप हुई लंबाई होगी। छोटे आकार वाले और कोमल बनत के वस्त्रों पर इंच या सेंटीमीटर व्यापार की प्रथा के अनुसार चिन्हांकित करने के लिए समनुज्ञा दी जा सकेगी।

(3) चिन्हांकन ऐसे किया जायगा कि जब तक कि कपड़ा धोया न जाये, वह चिन्ह हटाया न जा सके या ऐसे माल की अवस्था में जिन्हें मामूली रूप में धोया नहीं जा सकता, चिन्हांकन ऐसा होगा कि वह संभावना न रहे कि माल के क्रेता तक पहुंचने से पूर्व मामूली तौर से काम में आने के दौरान में वह चिन्ह उड़ जाए।

(4) चिन्हांकन कपड़े के रंग से भिन्न रंग में कपड़े पर, न कि हटाये जा सकने वाले लेबल या टिकट पर, ऐसे स्थान पर होगा कि वह सहज को दिखाई पड़े जाये जो भीतरी तह सहज ही नहीं देखी जा सकती उस पर चिन्हांकन न किया जायेगा और न वह पूर्ण रूप से अलग खंड पर होगा किन्तु वह ऐसे खंड पर हो सकेगा जो कि भागतः न कि पूर्णतः पृथक है। जिन सारोंगों की बाबत यह अपेक्षित है कि वे मुद्रांकित किए जाएं उनकी अवस्था में मुद्रांकन कपड़े की सबसे ऊपर वाली तह पर किये जाने के बजाय अंदर की तह में कोट पर किया जा सकता है। वे चिन्ह जो वस्त्र पर सी दिये जाते हैं और काट कर सरलता से हटाये जा सकते हैं, वैसे चिन्ह लगाने की समनुज्ञा नहीं होगी।

177. **चिन्हांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा और संख्यांक**—धारा 81 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित सभी चिन्हांकन अंग्रेजी में होंगे और उनका रूप भारतीय अंकों का अंतराष्ट्रीय रूप होगा।

178. **तौल, लंबाई, अभिनिर्माता के नाम आदि का उपदर्शन**—(1) सूत या धागे की जितनी मात्रा बंडल या नग में है उसकी वह तौल उस पर अंग्रेजी पद्धति के अनुसार पौंड या औंसों में या मीट्रिक मापतोल प्रणाली के अनुसार ग्रामों में, मामूली तौर पर उपदर्शित की जाएगी।

(2) प्रत्येक बंडल या नग में धागे की लंबाई उस पर मीटरों में उपदर्शित की जाएगी।

(3) भारत में के अभिकर्ता या थोक क्रेता का पूरा नाम या संक्षिप्त रूप में उस दशा में जिसमें कि उक्त नाम एतद्द्वारा स्पष्टतया और असंदिग्ध रूप में उपदर्शित किया जा सकता है, प्रत्येक बंडल या नग पर उपदर्शित किया जाएगा।

179. **रुई के सूत और रुई के धागे पर चिन्हांकन की रीति**—(1) रुई के सूत के प्रत्येक बंडल पर वे सब विशिष्टियां, जो कि अधिनियम की धारा 81 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित है, उससे लगे, चिपके, या सिले एक या एक से अधिक अंतरांकित पेपरों, लेबलों या कार्डों के माध्यम द्वारा चिन्हांकित की जायेंगी। परंतु सब अपेक्षित विशिष्टियां दिखने वाली सतह पर होनी चाहिए।

(2) रुई के धागे वाले नगों पर ये विशिष्टियां, जो अपेक्षित हैं—(क) उस सूरत में, जिसमें कि धागा लच्छियों में है, ऐसे अंतर्यांकित लेबल द्वारा जो कि प्रत्येक लच्छी या लच्छियों के बंडल के चारों ओर लपेटा हुआ है या सुतली से बंधा है,

(ख) उस सूरत में जिसमें कि धागा पेचक या गोले के रूप में है, ऐसे अंतर्यांकित लेबल द्वारा जो कि प्रत्येक पेचक या गोले से संलग्न है या उसमें घुसाया हुआ है किंतु साथ ही दिखाई देता है,

(ग) उस सूरत में, जिसमें कि धागा गत्ते, चक्के या सिलाई पर चढ़ा है गत्ते, चक्के या सिलाई के दिखने वाले प्रभाग पर अंतर्लेख से,

(घ) उस सूरत में जिसमें कि धागा रील पर चढ़ा हुआ है रील के सिरे या सिरों पर लगे एक या अधिक अंतर्यांकित लेबलों द्वारा सिरे पर,

(ङ) उस सूरत में, जिसमें कि धागा कागजी नली या शंकु पर चढ़ा है धागे के चारों ओर या अन्यथा चिपके या नली या शंकु के बाहरी तल के दिखने वाले प्रभाग पर, या जहां जहां कि नली या शंकु का व्यास इतना हो कि लेबल स्पष्टतया दिख सके नली या शंकु के आंतरिक तल पर लगे अंतर्यांकित लेबल द्वारा या नली अथवा शंकु के ऊपरी तल के दिखने वाले प्रभाग पर अंतर्लेख द्वारा,

(च) उस सूरत में, जिसमें कि धागा किसी अन्य ढंग से चढ़ा है ऐसी बनत वाली चीज से लो, चिपके या सिले या उससे परिवेष्टित या उसके अंदर वाले ऐसे अंतर्यांकित लेबल या कार्ड द्वारा।

(3) उपनियमों (1) और (2) के अनुसार काम में लाए गए लेबल या कार्ड इस तरह लगाए जाएंगे कि वे इसके पूर्व कि रुई के सूत का बंडल या रुई के धागे का प्रत्येक नग प्रसामान्य उपभोक्ता के हाथ में पहुंचे, उठाई धराई के मामूली अनुक्रम में सरलता से अलग न किए जा सकें या हटाए न जा सकें।

180. **आवरण का चिन्हांकन**—जहां कि रुई के धागे वाले नगों को आवरण में बंद किया जाता है वहां ऐसे आवरण पर वे विशिष्टियां, जो अपेक्षित हैं, चिन्हांकित की जायेंगी।

181. **चिन्हांक स्पष्ट और सुभिन्न होंगे**—रुई के सूत के बंडलों या रुई के धागे वाले नगों पर सभी चिन्हांक सुपाठ्य होंगे, सुभिन्न होंगे, और ऐसे रंग में होंगे जिसे सरलतापूर्वक मिटाना सम्भव नहीं है और जो उस सतह के रंग से भिन्न हैं जिस पर चिन्हांक किया गया है।

182. **रुई के सूत का नंबर अभिव्यक्त करने की रीति**—रुई के सूत का नंबर साधारणतया अंग्रेजी में मीट्रिक माप तौल प्रणाली में संख्यांक या संख्यांकों के पश्चात् अक्षर "एस" जोड़कर अभिव्यक्त किया जाएगा जहां, तथापि कोई बंडल मीट्रिक माप प्रणाली में पैक किया जाता है वहां उसके साथ "मीट्रिक नम्बर" शब्द या ऐसा कोई अन्य स्पष्ट और सुनिश्चित संकेत होगा जिससे कि यह तथ्य प्रकट हो जाता है और ऐसे शब्द या संकेत के अभाव में चिह्नांकन यह उपदर्शित करते हुए की जाएगी कि यह अंग्रेजी प्रणाली में है।

183. **अन्य विशिष्टियों का उपदर्शन**—नियम 177 से लेकर नियम 182 तक में की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायेगा कि यह रुई के सूत या रुई के धागे संबंधी कोई अन्य विशिष्टियां उस पर किसी रीति में उपदर्शित करने का निषेध उस सूरत में के अलावा करती है जिसमें कि अपेक्षित विशिष्टियां उस विशिष्टियों के लगाए जाने के कारण सहजता से दृष्टिगोचर नहीं रह जाती।

184. **छूट**—उन सभी परिसरों को, जिनमें कि काम एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा ऐसे कर्मचारियों की सहायता से या बिना किया जाता है, जिनकी संख्या दस से अधिक नहीं है, और सहकारी संस्था के नियंत्रणाधीन वाले उन सभी परिसरों को, जिनमें बीस कर्मचारी से अधिक नियोजित नहीं हैं, नियम 177 से लेकर नियम 182 तक के नियमों के प्रवर्तन से छूट प्राप्त होगी।

भाग—7

निरसन

185. **निरसन**—व्यापार और पण्य चिह्न नियम, 1959, ऐसी किसी बात पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निरसत किये जाते हैं जो कि नियमों के प्रवर्तन में आने से पूर्व उन नियमों के अधीन की गई थी।

प्रथम अनुसूची

(नियम 11 देखिए)

फीस

प्रविष्टि संख्या	किस पर देय	रकम	तत्सम्बन्धी प्ररूप संख्या
1	2	3	4
1.	जो माल या सेवाएं एक वर्ग के अन्तर्गत हैं उनके विनिर्देश से सम्बद्ध व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन लेखे, (धारा 18)	रुपए में 2500.00	व्या. चि.-1

1	2	3	4
2.	जो माल या सेवाएं नियम 25(5) और 145 के अधीन पांचवीं अनुसूची की किसी मद के अन्तर्गत हैं, उनके विनिर्देश से संबद्ध अनन्य रूप से अंकों या अक्षरों या उनके किसी समुच्चय से मिलकर बने कपड़ा व्यापार चिन्ह (प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह या सामूहिक चिन्ह को छोड़कर) का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन लेखे।	2500.00	व्या. चि.-22
3.	जो माल या सेवाएं धारा 18(1) और धारा 154(2) के अधीन किसी कन्वेंशन देश के किसी वर्ग के अन्तर्गत हैं, उनके विनिर्देश से संबद्ध व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन लेखे।	2500.00	व्या. चि.-2
4.	जो माल या सेवाएं भिन्न वर्गों के अंतर्गत हैं धारा 154(2) के अधीन किसी कन्वेंशन देश में उनके विनिर्देश से संबद्ध व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन लेखे	प्रत्येक वर्ग के लिए 2500.00	व्या. चि.-5
5.	जो माल या सेवाएं भिन्न वर्गों के अन्तर्गत हैं उनके विनिर्देश से संबद्ध व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन लेखे।	प्रत्येक वर्ग के लिए 2500.00	व्या. चि.-51
6.	जो माल या सेवाएं एक वर्ग के अंतर्गत हैं उनके विनिर्देश से संबद्ध व्यापार चिन्ह की श्रृंखला की धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन लेखे।	(i) एक वर्ग में व्यापार चिन्ह के लिए 2500.00 (ii) प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिन्ह के लिए 2500.00 (iii) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए 2500.00	व्या. चि.-8
7.	जो माल या सेवाएं एक वर्ग या वर्गों के अंतर्गत हैं उनके विनिर्देश से संबद्ध धारा 154(2) के अधीन कन्वेंशन देश की व्यापार चिन्ह की श्रृंखला का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन लेखे।	(i) एक वर्ग में व्यापार चिन्ह के लिए 2500.00 (ii) प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिन्ह के लिए 2500.00 (iii) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए 2500.00	व्या. चि.-37
8.	जो माल या सेवाएं एक वर्ग के अन्तर्गत हैं उनके विनिर्देश से संबद्ध सामूहिक चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 63(1) के अधीन आवेदन लेखे।	10,000.00 रु.	व्या. चि.-3
9.	जो माल या सेवाएं एक वर्ग के अन्तर्गत हैं उनके विनिर्देश से संबद्ध प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 71 के अधीन आवेदन लेखे।	10,000.00	व्या. चि.-4
10.	जो माल या सेवाएं धारा 154(2) के अधीन कन्वेंशन देश से, नियम 145 के अधीन पांचवीं अनुसूची की किसी मद के अन्तर्गत हैं उनके विनिर्देश से सम्बद्ध, अनन्य रूप से अंकों या अक्षरों या उनके किसी समुच्चय से मिलकर बने कपड़ा व्यापार चिन्ह (प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह या सामूहिक चिन्ह को छोड़कर) का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन लेखे।	2500.00	व्या. चि.-45
11.	विनिश्चय के लिए आधार कथित करने के लिए नियम 40(1) के अधीन प्रार्थना लेखे।	1000.00	व्या. चि.-15

1	2	3	4
12.	विरोध की जो सूचना विरोध किए गए प्रत्येक वर्ग के लिए धारा 21(1), 64, 66 या 73 के अधीन की जाती है	2500.00	व्या. चि.-15
13.	विरोध की सूचना धारा 21(1) के अधीन फाइल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन लेखे ।	500.00	व्या. चि.-44
14.	विरोध की जो सूचना 21 के अधीन की जाती है, विरोध किए गए प्रत्येक आवेदन के विरोध की उस सूचना के उत्तर में या व्यापार चिन्ह के बारे में धारा 47 या 57 से किसी के अधीन किए गए आवेदन के उत्तर में या धारा 59 या नियम 101 के अधीन विरोध की जो सूचनाएं दी जाती हैं विरोध किए गए प्रत्येक आवेदन या संपरिवर्तन के विरोध की वैसी सूचना के उत्तर में प्रतिकथन लेखे ।	1000.00	व्या. चि.-6
15.	संबद्ध कार्यवाही के प्रत्येक पक्षकार द्वारा धारा 21, 47, 57 और 59 में से किसी के अधीन सुनवाई में हाजिर होने के आशय से दी गई सूचना लेखे।	500.00	व्या. चि.-7
16.	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों के बीच सम्बद्धता का विघटन करने के लिए धारा 16(5) के अधीन किए गए आवेदन लेखें ।	प्रत्येक विघटन के लिए 500.00	व्या. चि.-14
17.	किसी वर्ग में व्यापार चिन्ह के पिछले रजिस्ट्रीकरण के अवसान पर धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लेखे, जिस लेखे से अन्यथा प्रभार नहीं लिया गया है।	5000.00	व्या. चि.-12
18.	पिछले रजिस्ट्रीकरण के अवसान पर व्यापार चिन्ह शृंखला की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए—		
	शृंखला के पहले दो चिन्हों के लिए :		
	शृंखला के प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए :	5,000.00	व्या. चि.-12
19.	एक से अधिक वर्ग वाली वस्तुओं या सेवाओं संबंधी प्रत्येक वर्ग के लिए धारा 25 के अधीन व्यापार चिन्ह के एकल आवेदन का नवीकरण करने के लिए	5,000.00	व्या. चि.-12
20.	सामूहिक चिन्ह/प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 25 के अधीन नवीकरण लेखे।	10,000.00	व्या. चि.-12
21.	रजिस्टर से हटाए गए व्यापार चिन्ह के गत रजिस्ट्रीकरण के अवसान से छह मास और एक वर्ष के भीतर प्रत्यावर्तन और नवीकरण करने के लिए धारा 25(4) के अधीन दिए गए आवेदन लेखे।	5,000.00 +प्रविष्टि 17 से 20 के अधीन नवीकरण के लिए अनुरोध फीस	व्या. चि.-13
22.	व्यापार चिन्ह के पिछले रजिस्ट्रीकरण का अवसान होने के छह मास के भीतर धारा 25(3) के परन्तुक के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन लेखे।	अधिभार के रूप में 3,000.00	व्या. चि.-10
23.	रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए धारा 40(2) के अधीन किए गए आवेदन लेखे :		व्या. चि.-17
	जिस चिन्ह के समनुदेशन की प्रस्थापना है वैसे प्रथम चिन्ह लेखे।	2500.00	
	उसी स्वत्वधारी के प्रत्येक ऐसे चिन्ह लेखे जो कि उसी समनुदेशन के अन्तर्गत हैं।	500.00	
24.	रजिस्ट्रार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए धारा 41 के अधीन किए गए आवेदन लेखे—		
	प्रथम व्यापार चिन्ह लेखे।	2500.00	
	उसी स्वत्वधारी के प्रत्येक ऐसे चिन्ह लेखे जो कि उसी हस्तांतरण के अन्तर्गत है	500.00	

1	2	3	4
25.	जो व्यापार चिन्ह उपयोग में हैं उनका बिना कौर्तिस्व के समनुदेशन करने का विज्ञापन करने के लिए रजिस्ट्रार के निदेश प्राप्त करने के लिए धारा 42 के अधीन किए गए आवेदन लेखे—		व्या. चि.-20
	एक समनुदिष्ट चिन्ह लेखे।	2500.00	
	हक के वैसे ही न्यागमन सहित समनुदिष्ट प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह लेखे।	2500.00	
26.	जो व्यापार चिन्ह उपयोग में है उनका समनुदेशिन बिना कौर्तिस्व के करने का विज्ञापन हक के एक न्यागमन के विषय में करने के लिए निदेश प्राप्त करने के लिए धारा 42 के अधीन आवेदन करने के लिए समय का विस्तार करने के लिए किए गए आवेदन लेखे—		व्या. चि.-21
	जो एक मास से अधिक नहीं हैं	500.00	
	जो दो मास से अधिक नहीं हैं	1000.00	
	जो तीन मास से अधिक नहीं हैं	1500.00	
27.	एकल व्यापार चिन्ह के समनुदेशन या अन्तरण की दशा में पश्चात्‌वर्ती स्वत्वधारी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए धारा 45 के अधीन किए गए आवेदन लेखे—		व्या. चि.-23 या व्या. चि.-24
	यदि वह स्वधारिता के अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर किया गया है	5000.00	
	यदि वह स्वधारिता के अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर किन्तु बारह मास से पूर्व किया गया है।	7500.00	व्या. चि.-23 या व्या. चि.-24
	यदि वह स्वधारिता के अर्जन की तारीख से बारह मास के पश्चात् किया गया है।	10,000.00	व्या. चि.-23 या
28.	एक ही नाम में रजिस्ट्रीकृत एक से अधिक व्यापार चिन्ह वाले पश्चात्‌वर्ती स्वत्वधारी को उस दशा में, जिसमें हक का न्यागमन एक सा ही रहा है, रजिस्ट्रीकृत करने के लिए धारा 45 के अधीन दिए गए आवेदन लेखे :—		व्या. चि.-23 या व्या. चि.-24
	यदि वह स्वधारिता के अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर किया गया है—		
	प्रथम चिन्ह लेखे	5000.00	व्या. चि.-23 या
	प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह लेखे	1,000.00	व्या. चि.-24
	यदि वह स्वधारिता के अर्जन की तारीखों से छह मास के अवसान के पश्चात् किन्तु बारह मास से पूर्व किया गया है :—		
	प्रथम चिन्ह लेखे	7500.00	व्या. चि.-23 या व्या. चि.-24
	प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह लेखे	1,500.00	व्या. चि.-23 या व्या. चि.-24
	यदि वह स्वधारिता के अर्जन की तारीखों से बारह मास के अवसान के पश्चात् किया गया है :—		
	प्रथम चिन्ह लेखे	10,000.00	
	प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह लेखे	2,000.00	
29.	कंपनी का, इस रूप में कि वह समनुदेशन होने पर व्यापार चिन्हों की पश्चात्‌वर्ती स्वत्वधारी बन गई है, रजिस्ट्रीकृत करने के लिए समय के ऐसे विस्तार के लिए धारा 46(4) के अधीन किए गए आवेदन लेखे—		व्या. चि.-25

1	2	3	4
	जो दो मास से अधिक का नहीं है	500.00	
	जो चार मास से अधिक का नहीं है	1000.00	
	जो छ: मास से अधिक नहीं का है	1500.00	
30.	रजिस्टर का परिशोधन करने या रजिस्टर से व्यापार चिन्ह हटाने या किसी रजिस्ट्रीकृत सामूहिक चिन्ह अथवा प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के रद्-करण के लिए धारा 47 या धारा 57 में से किसी के अधीन किए गए आवेदन लेखे।	3,000.00	व्या. चि.-26
31.	रजिस्टर का परिशोधन करने के लिए धारा 47 या धारा 57 में से किसी के अधीन की गई कार्यवाहियों में या सामूहिक चिन्ह अथवा प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह आवेदन की बाबत नियम 133 या 139 के अधीन रजिस्टर से व्यापार चिन्ह हटाने के लिए कार्यवाही में मध्यक्षेप करने के लिए अनुमति के लिए नियम 94 के अधीन किए गए आवेदन लेखे।	500.00	व्या. चि.-27
32.	वस्तुओं और सेवाओं की बाबत उनके विनिर्देशों के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह् के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन लेखे।	5000.00	व्या. चि.-28
33.	एक ही रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के एक से अधिक ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों के उसी रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता को, जहां कि सभी व्यापार चिन्ह वस्तुओं या सेवाओं की बाबत, उनके अपने-अपने विनिर्देशों की सीमा में और उन्हीं शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक दशा में उसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता करार के अन्तर्गत हैं, धारा 49 के अधीन रजिस्टर कराने के लिए आवेदन लेखे :—		व्या. चि.-28
	प्रथम चिन्ह लेखे	5,000.00	
	स्वत्वधारी के प्रत्येक ऐसे अतिरिक्त चिन्ह लेखे आवेदन और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता करार में सम्मिलित किया गया है	3,000.00	
34.	जहां के व्यापार चिन्ह उसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के अधीन है एक व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि में फेर बदल करने के लिए धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन उनमें से प्रत्येक की बाबत आवेदन लेखे :—		व्या. चि.-29
	प्रथम चिन्ह लेखे	5,000.00	
	प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह लेखे जिसे आवेदन में सम्मिलित किया गया है।	2500.00	
35.	एक व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता की प्रविष्टि रद्द करने के लिए धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आवेदन लेखे—जहां कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिन्ह सम्मिलित है :—	2500.00	व्या. चि.-30
	प्रथम चिन्ह लेखे	2500.00	
	प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह लेखे जिसे आवेदन में सम्मिलित किया गया है।	500.00	
36.	एक व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि रद्द करने के लिए धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (ग) या (घ) के अधीन आवेदन लेखे :—	5000.00	व्या. चि.-31

1	2	3	4
	जहां आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिन्ह सम्मिलित किए गए हैं :—	500.00	
	प्रथम चिन्ह लेखे	2000.00	
	प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न लेखे जिसे आवेदन में सम्मिलित किया गया है।		
37.	किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता की प्रविष्टियों में फेरबदल या उनको रद्द करने के लिए की गई एक कार्यवाही में भाग लेने के आशय से नियम 93 (2) के अधीन सूचना लेखे।	500.00	व्या. चि.-32
38.	किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता का नाम या विवरण बदलने के लिए धारा 58 के अधीन आवेदन लेखे जहां निम्नलिखित में परिवर्तन नहीं हुआ है :	1000.00	व्या. चि.-33
	स्वत्वधारिता में या रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता की पहचान में ऐसे आवेदन को छोड़कर जो उन प्राधिकारी के किसी आदेश के परिणामस्वरूप या भारत के विधि के अनुसार किसी कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप किया गया है जहां आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिह्न सम्मिलित हैं :—	1000.00	
	प्रथम व्यापार चिन्ह लेखे	1000.00	
	प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह लेखे आवेदन में सम्मिलित किया गया है	500.00	
39.	किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता के पते से संबंधित प्रविष्टि में परिवर्तन करने के लिए, जब तक कि वह नियम 96 (3) के अधीन छूट प्राप्त नहीं हो, धारा 58 के अधीन आवेदन लेखे :	500.00	व्या. चि.-34
	जब कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिन्ह सम्मिलित है और जब कि प्रत्येक मामले में पता वही है और उसी प्रकार वह परिवर्तित किया गया है :—		
	प्रथम प्रविष्टि लेखे	5000.00	
	आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अन्य प्रविष्टि लेखे	200.00	
40.	व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता को भारत में तामील के लिए पते की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन लेखे।	500.00	व्या. चि.- 50
	जब कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिन्ह सम्मिलित है और तामील के लिए पता प्रत्येक मामले में एक ही है—		
	प्रथम प्रविष्टि लेखे	500.00	
	प्रत्येक अन्य प्रविष्टि लेखे जो आवेदन में सम्मिलित की गई है	200.00	
41.	रजिस्टर में, भारत में तामील के लिए पते संबंधी प्रविष्टि को, जब तक कि नियम 96 (3) के अधीन उसे फीस से छूट प्राप्त नहीं है, परिवर्तन या प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन लेखे	500.00	व्या. चि.- 50

1	2	3	4
	जब कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिन्ह सम्मिलित हैं तथा प्रत्येक मामले में पता एक ही है और उसे उसी प्रकार परिवर्तित या प्रतिस्थापित किया गया है।		
	प्रथम प्रविष्टि लेखे	500.00	
	प्रत्येक अन्य प्रविष्टि लेखे जो आवेदन में सम्मिलित की गई है।	200.00	
42.	प्रविष्टि या प्रविष्टि के किसी भाग को रद्द करने या माल अथवा सेवाओं को रजिस्टर से निकाल देने के लिए धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (ग) या (घ) के अधीन किए गए आवेदन लेखे।	200.00	व्या. चि.- 35 या व्या. चि.-36
43.	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न में (लोक प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप या किसी कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप किए गए आवेदन को छोड़कर) परिवर्धन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए धारा 59(1) के अधीन किए गए आवेदन लेखे—	2500.00	व्या. चि.-38
	जब कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिह्न सम्मिलित हैं और प्रत्येक मामले में किए गए वाला परिवर्धन या परिवर्तन भी वही हैं—		
	प्रथम चिह्न लेखे	2500.00	
	प्रत्येक अन्य चिह्न लेखे जो आवेदन में सम्मिलित किया गया है।	1000.00	
44.	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न में परिवर्धन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए आवेदन पर धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले विरोध की सूचना के लिए प्रत्येक आवेदन लेखे।	1500.00	व्या. चि.- 39
45.	विनिर्देश में से परिवर्तन के लिए धारा 60 के अधीन आवेदन लेखे	1000.00	व्या. चि.- 40
46.	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न में विनिर्देश या विनिर्देशों में संपरिवर्तन के संबंध में धारा 60 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक पृथक वर्ग में विरोध की सूचना लेखे—	1500.00	व्या. चि.- 41
	प्रथम चिह्न लेखे	1500.00	
	प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न लेखे जो विरोध की सूचना में सम्मिलित किया गया है।	700.00	
47.	प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के विनियमन के लिए सामूहिक चिह्न के निक्षेप किए गए विनियमों या धारा 74 (2) के अधीन परिवर्तन में संशोधन के लिए धारा 66 के अधीन किए गए आवेदन लेखे	1000.00	व्या. चि.- 42
	जब कि चिह्नों की रजिस्टर में प्रविष्टि सहयुक्त व्यापार चिह्नों के रूप में की गई है—		
	एक रजिस्ट्रीकरण के विनियमन लेखे	1000.00	
	प्रत्येक अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण के लिए जैसे हो या स्वतः वैसे ही उन विनियमों लेखे जिन्हें एक ही रीति में परिवर्तित करने की प्रस्थापना है और जो एक ही आवेदन में सम्मिलित किए गए हैं।	200.00	

1	2	3	4
48.	सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण को हटाने के लिए धारा 68 या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को निकालने या उसमें फेरफार करने के लिए धारा 77 के अधीन आवेदन लेखे।	1000.00	व्या. चि.- 43
49.	नियम 24(1) के अधीन एक वर्ग की बाबत तलाशी लेखे	500.00	व्या. चि.- 54
50.	व्यापार चिह्न के एक वर्ग की बाबत धारा 133(1) के अधीन रजिस्ट्रार की प्रारंभिक सलाह के लिए की गई प्रार्थना लेखे	1000.00	व्या. चि.- 55
51.	रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र [धारा 23(2) के अधीन प्रमाणपत्र को छोड़कर] धारा 137 के अधीन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना लेखे	500.00	व्या. चि.- 46
52.	रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र [धारा 15 के अधीन व्यापार चिह्नों की शृंखला के रजिस्ट्रीकरण की धारा 23(2) के अधीन प्रमाणपत्र को छोड़कर] प्रत्येक वर्ग के लिए प्रार्थना लेखे।	500.00	व्या. चि.- 46
53.	रजिस्टर में की किसी प्रविष्टि या किसी दस्तावेज की प्रमाणीकृत प्रति के लिए या धारा 148 (2) के अधीन की गई प्रार्थना लेखे।	500.00	व्या. चि.- 46
54.	किसी वर्ग में एक चिह्न की बाबत विधि मान्यता के प्रमाणपत्र संबंधी टिप्पण रजिस्टर में प्रविष्टि करने और विज्ञापित करने के लिए नियम, 124 के अधीन की गई प्रार्थना लेखे।	200.00	व्या. चि.- 47
55.	लोक प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप या भारत में विधि के अनुसार कानूनी अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप की गई प्रार्थना को छोड़कर धारा 18(4) धारा 22 और 58 के अधीन लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने या उसके संशोधन के लिए की गई उस प्रार्थना लेखे जिस पर अन्यथा प्रभार नहीं लिया गया है।	500.00	व्या. चि.- 16
56.	धारा 131 के अधीन एक मास या उसके किसी भाग के लिए समय में वृद्धि करने के लिए [जो कि अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित या नियम 79 या नियम 80 (4) द्वारा विहित समय नहीं है] किए गए आवेदन लेखे।	500.00	व्या. चि.- 56
57.	रजिस्ट्रार के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए धारा 127(ग) के अधीन किए गए आवेदन लेखे।	2000.00	व्या. चिन्ह-57
58.	सविरोध कार्यवाही में किसी अन्तर्वर्ती मामले पर रजिस्ट्रार का आदेश प्राप्त करने के लिए याचिका (जिस पर अन्यथा प्रभार नहीं लिया गया है) लेखे।	2500.00	
59.	रजिस्ट्रार से चिह्न के विज्ञापन की विशिष्टियां देने के लिए नियम 46 के अधीन की गई प्रार्थना लेखे।	250.00	व्या. चिन्ह-58
60.	धारा 148 (1) में वर्णित निम्नलिखित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए—		
	(क) किसी विशिष्ट व्यापार चिह्न से संबंधित प्रत्येक घंटे या उसके किसी भाग के लिए।	200.00	
	(ख) कंप्यूटर से प्रत्येक पन्द्रह मिनट पर तलाश करने लेखे (जब उपलब्ध हो)	400.00	

1	2	3	4
	(ग) धारा 148 में वर्णित अनुक्रमणिका से प्रत्येक घंटे या उसके किसी भाग के लिए तलाश करने के लेखे।	200.00	
61.	दस्तावेजों की प्रतियां (फोटो-कापी या टाइप की गई) तैयार करने में एक पृष्ठ से अधिक के लिए प्रति पृष्ठ या उसके भाग लेखे।	5.00 रु. पृष्ठ (न्यूनतम 5.00 रु. के अधीन रखते हुए)	
62.	प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति या एक और प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना लेखे । नियम 62(3)	500.00	व्या. चि.-59
63.	सामूहिक व्यापार चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न की बाबत धारा 64, 66, 73 या 77 के अधीन दी गई विरोध की सूचना के उत्तर में प्रतिकथन लेखे ।	1500.00	व्या. चि.- 9
64.	नियम 24(3) के अधीन प्रमाणपत्र तलाश करने और उसे जारी करने लेखे ।	5000.00	व्या. चि.- 60
65.	माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित माल या माल के वर्ग अथवा वर्गों की पहचान करने वाले किसी भौगोलिक उपदर्शन के अंतर्गत या उसमें अंतर्विष्ट या उससे मिलकर बनने वाले किसी व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (ख) के अधीन इन्कार किए जाने या अविधिमान्य बनाने के लिए किए गए आवेदन लेखे।	3000.00	व्या. चि.- 74
66.	माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 25 की उपधारा (क) के अधीन किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने या उसे विधितः अमान्य बनाने के लिए, जिसमें ऐसा भौगोलिक उपदर्शन अंतर्विष्ट है या उससे मिलकर बना है जो उस देश के राज्य क्षेत्र में या उस राज्य क्षेत्र के किसी क्षेत्र या परिक्षेत्र में उद्गम नहीं होता है जैसे कि भौगोलिक उपदर्शन उपदर्शित करता है, आवेदन लेखे।	3000.00	व्या. चि.- 73
67.	यथास्थिति सामूहिक चिह्न की बाबत या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न की बाबत धारा 64, 66 या 77 के अधीन सुनवाई में भाग लेने के आशय की सूचना लेखे।	500.00	व्या. चि.- 7
68.	एक आवेदन को विभाजित करने या एकल आवेदन को विभाजित करने के लिए धारा 22 के परन्तुक, के अधीन किए गए आवेदन लेखे।	1000.00 धन उपयुक्त वर्ग फीस	व्या. चि.-53
69.	आवेदन भरे जाने के समय 500 अक्षरों से अधिक माल या सेवाओं के विनिर्देश सम्मिलित किए जाने पर नियम 25 के उपनियम (16) के अधीन अधिक स्थान फीस के रूप में किए गए आवेदन लेखे।	10.00 प्रति अक्षर	व्या. चि.-61
70.	प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के समनुदेशन या पारेषण पर रजिस्ट्रार की सहमति के लिए धारा 43 नियम 14(2) के अधीन किए गए आवेदन लेखे।	1000.00	व्या. चि.-62
71.	किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की त्वरित परीक्षा के लिए नियम 38(1) के अधीन किए गए आवेदन लेखे ।	12,500.00	व्या. चि.-63

1	2	3	4
72.	किसी कन्वेंशन देश से धारा 154 (2) के अधीन वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश पर सामूहिक चिह्न का रजिस्ट्रीकरण धारा 63 (1) के अधीन करने के लिए किए गए आवेदन लेखे।	10,000.00	व्या. चि.-64
73.	किसी कन्वेंशन देश से धारा 154 (2) के अधीन वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश पर प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 71 के अधीन किए गए आवेदन लेखे।	10,000.00	व्या. चि.-65
74.	रजिस्ट्रार का त्वरित प्रमाणपत्र (अधिनियम की धारा 23(2) के अधीन प्रमाणपत्र को छोड़कर) या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, नियम 119 के अधीन प्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन लेखे।	2,500.00	व्या. चि.-70
75.	शीघ्रता से तलाश करने के लिए नियम 24 (1) के परन्तुक के अधीन प्रार्थना लेखे।	2,500.00	व्या. चि.-71
76.	शीघ्रता से तलाश करने और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नियम 24(5) के अधीन प्रार्थना लेखे।	2,000.00	व्या. चि.-72
77.	व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में नियम 152 के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेखे।	1,000.00	व्या. चि.-1
78.	किसी व्यक्ति का व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में नियम 154 के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेखे।	1,000.00	
79.	किसी व्यक्ति का नाम व्यापार चिह्न अभिकर्ता रजिस्टर में नियम 156 के अधीन बनाए रखने लेखे :—		
	प्रत्येक वर्ष लेखे (प्रथम वर्ष को छोड़कर) जिसे प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को संदत्त किया जाना है। किसी व्यक्ति को पहली अप्रैल और 30 सितम्बर के बीच रजिस्टर किए जाने की दशा में फीस या रजिस्ट्रीकरण के साथ प्रथम वर्ष के लिए संदत्त किए जाने लेखे।	1,000.00	
	ध्यान दें कि इस प्रयोजन के लिए प्रथम वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन आरम्भ होगा और पश्चात्वर्ती मार्च के इकतीसवें दिन समाप्त होगा।	1,000.00	
80.	किसी व्यक्ति का नाम व्यापार चिन्ह अभिकर्ता रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कराने के लिए आवेदन लेखे।	1,000.00 धन मद सं. 79 के अधीन बनाए रखने की फीस	व्या. चि.-2
81.	व्यापार चिह्न अभिकर्ता रजिस्टर में नियम 16 के अधीन किसी प्रविष्टि में परिवर्तन के लिए आवेदन लेखे।	200.00	व्या.चि.-अ-3
82.	धारा 16 (1) के अधीन नए रजिस्ट्रीकृत चिन्ह के साथ सहयोजित किसी व्यापार चिन्ह की रजिस्ट्रीकृत प्रविष्टि में प्रत्येक परिवर्धन लेखे।	500.00	
83.	विभिन्न वर्गों की माल या सेवाओं के लिए सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18 (2) के अधीन एकल आवेदन लेखे।	10,000.00 प्रत्येक वर्ग के लिए	व्या. चि.-66
84.	किसी कन्वेंशन देश से विभिन्न वर्गों की माल या सेवाओं के लिए सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18 (2) के अधीन एकल आवेदन लेखे।	10,000.00 प्रत्येक वर्ग के लिए	व्या. चि.-67
85.	विभिन्न वर्गों की माल या सेवाओं के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18 (2) के अधीन एकल आवेदन लेखे।	10,000.00 प्रत्येक वर्ग के लिए	व्या. चि.-68
86.	किसी कन्वेंशन देश से धारा 154(2) के अधीन विभिन्न वर्गों के माल या सेवाओं के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18 (2) के अधीन एकल आवेदन लेखे।	10,000.00 प्रत्येक वर्ग के लिए	व्या. चि.-69
87.	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अनुसरण में तलाशी और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध के लेखे।	5,000.00	व्या. चि.-75

द्वितीय अनुसूची

प्ररूप

प्ररूपों की सूची

प्ररूप सं.	अधिनियम की धारा	शीर्षक	प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि संख्या
1	2	3	4
व्या. चि.-1	18(1)	माल या सेवाओं (सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न से भिन्न) के व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	
व्या. चि.-2	18(1), 154(2)	किसी कन्वेंशन देश से व्यापार (सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन	3
व्या. चि.-3	63(1)	सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन	8
व्या. चि.-4	71(1)	प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन	9
व्या. चि.-5	21(1), 64, 66, 73	व्यापार चिह्न, सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के विरोध की सूचना	12
व्या. चि.-6	22, 47, 57, 59(2)	प्रतिकथन का प्ररूप	14
व्या. चि.-7	21(5), 47, 57 और 59, 64, 66, 73 और 77	सुनवाई में हाजिर होने के आशय की सूचना	15 और 67
व्या. चि.-8	15(3)	किसी वर्ग या विभिन्न वर्गों में माल या सेवाओं के लिए शृंखला व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	6
व्या. चि.-9	66, 73 और 77	सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के संबंध में, विरोध की सूचना के उत्तर में प्रतिकथन का प्ररूप	63
व्या. चि.-10	धारा 25(3)का परन्तुक	व्यापार चिह्न, प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न और सामूहिक व्यापार चिह्न के नवीकरण के लिए अधिभार का संदाय	22
व्या. चि.-11	नियम 32	नियम 32 के अधीन तलाशी और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध	87
व्या. चि.-12		किसी व्यापार चिह्न/सामूहिक चिह्न/प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकृत की समाप्ति के पश्चात् नवीकरण के लिए आवेदन	17 से 20 तक
व्या. चि.-13	25(4)	नवीकरण फीस न देने के कारण रजिस्टर से हटाए गए व्यापार चिह्न का प्रत्यावर्तन	21
व्या. चि.-14	16(5)	रजिस्ट्रीकरण व्यापार चिह्नों के बीच सहयोजन समाप्त करने के लिए आवेदन	16
व्या. चि.-15	नियम 40	विनिश्चय के आधारों के कथन के लिए प्रार्थना	11
व्या. चि.-16	18 (4), 22 और 58, नियम 41	लिपिकीय गलती की शुद्धि के लिए या संशोधन के लिए प्रार्थना	55

1	2	3	4
व्या. चि.-17	40(2), नियम 77	किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के प्रस्थापित समनुदेशन के संबंध में धारा 40(2) अधीन रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन	23
व्या. चि.-18	40(2), नियम 68	मामले के कथन के समर्थन में शपथपत्र	
व्या. चि.-19	41, नियम 77	व्यापार चिह्नों के ऐसे प्रस्थापित समनुदेशन का या ऐसे पारेषण का, जिसके परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न भागों के लिए अनन्य अधिकार प्राप्त होते हैं, रजिस्ट्रार के अनुमोदन के लिए आवेदन	23
व्या. चि.-20	42, नियम 74	कारबार की गुडविल से संबद्ध से अन्यथा व्यापार चिह्नों के समनुदेशन का विज्ञापन निकालने के लिए निदेशों के लिए आवेदन	25
व्या. चि.-21	42 और नियम 74(3), 18(1)	कारबार की गुडविल से संबद्ध से अन्यथा, व्यापार चिह्नों के समनुदेशन का विज्ञापन निकालने के लिए रजिस्ट्रार के निदेशों के लिए आवेदन करने का समय बढ़ाने के लिए आवेदन	26
व्या. चि.-22	नियम 25(5), 144 और 145	माल जो नियम 145 के अधीन पांचवीं अनुसूची की एक मद में सम्मिलित हैं, के विनिर्देश के लिए अनन्य रूप से अंकों या अक्षरों अथवा उसके संयोजन से युक्त वस्त्र व्यापार चिह्न (प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न या सामूहिक व्यापार चिह्न से भिन्न) को रजिस्टर करने के लिए आवेदन	2
व्या. चि.-23	45	हक के एक ही न्यागमन पर व्यापार चिह्न या व्यापार चिह्नों के पश्चात्वर्ती स्वत्वधारी के रूप में अंतरिती का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और अंतरिती द्वारा संयुक्त प्रार्थना	27-28
व्या. चि.-24	45, नियम 68	हक के एक ही न्यागमन पर व्यापार चिह्न या व्यापार चिह्नों के पश्चात्वर्ती स्वत्वधारी का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए अनुरोध	27-28
व्या. चि.-25	46(4), नियम 79	किसी कंपनी का नाम व्यापार चिह्न के पश्चात्वर्ती स्वत्वधारी के रूप में रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन	29
व्या. चि.-26	47, 57, नियम 92	रजिस्टर के परिशोधन के लिए या रजिस्टर से व्यापार चिह्न को हटाने के लिए आवेदन	30
व्या. चि.-27	नियम 94	रजिस्टर का परिशोधन करने या रजिस्टर से व्यापार चिह्न को हटाने या रजिस्टर से सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों में मध्यक्षेप करने की इजाजत के लिए आवेदन	31
व्या. चि.-28	49, नियम 80	रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	31, 32
व्या. चि.-29	50(1) (क), नियम 87	व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण में माल या सेवाओं या शर्तों या निर्बंधनों के बारे में परि-	34

1	2	3	4
		वर्णन करने के लिए व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन	
व्या. चि.-30	50(1)(ख), नियम 88	व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि में रद्द-करण के लिए व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा या व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं में से किसी के द्वारा आवेदन	35
व्या. चि.-31	50(1)(ग) या (घ)	व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञात उपयोक्ता की प्रविष्टि के रद्द किए जाने के लिए आवेदन	36
व्या. चि.-32	नियम 90(2) चिह्न		
व्या. चि.-33	58		37
		व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी (या रजिस्टर में व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञात उपयोक्ता) का रजिस्टर में नाम या वर्णन परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना	38
व्या. चि.-34	58	व्यापार चिह्न के रजिस्टर में पते में परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना	39
व्या. चि.-35	58(1)(ग)	रजिस्टर में व्यापार चिह्न की प्रविष्टि को रद्द करने के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन	42
व्या. चि.-36	58(1)(घ)	जिन माल या सेवाओं के लिए व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है उनमें से किसी माल या सेवाओं को काटने के लिए व्यापार के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का आवेदन	42
व्या. चि.-37	15(3), नियम 25 (1), 26 और 31	वर्ग या विभिन्न वर्गों में माल या सेवाओं के लिए कन्वेंशन देशों से व्यापार चिह्न शृंखला की बाबत धारा 154(2) के अधीन आवेदन	7
व्या. चि.-38	59	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा धारा 59 के अधीन आवेदन	43
व्या. चि.-39	59(2), नियम 99 (2)	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए आवेदन के विरोध की सूचना	47
व्या. चि.-40	60, नियम 101	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी द्वारा विनिर्देश में संपरिवर्तन करने के लिए आवेदन	45
व्या. चि.-41	60 (2), नियम 101(4)	धारा 60(2) के अधीन विनिर्देश संपरिवर्तन करने के लिए हस्तक्षेप या विरोध करने की सूचना	46
व्या. चि.-42	66, 74(1)	सामूहिक चिह्न का उपयोग शासित करने वाले लिखित विनियम में संशोधन करने या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के लिखित विनियम में संशोधन करने के लिए प्रार्थना	44
व्या. चि.-43	66, 77, नियम 133, 139	रजिस्टर में सामूहिक चिह्न को हटाने या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न को रद्द करने या परिवर्तित करने के लिए आवेदन	
व्या. चि.-44	21(1), नियम 47(6)	व्यापार चिह्न के विरोध की सूचना फाइल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन	13

1	2	3	4
व्या. चि.-45	नियम 25 (6),144 और 145	ऐसे माल जो पांचवीं अनुसूची के धारा 154(2) के अधीन कन्वेंशन देश की मद में सम्मिलित हैं, के लिए विशेषकर अंकों या संख्याओं अथवा उनके संयोजन से मिलकर बने वस्त्र व्यापार चिन्ह (प्रमाणीकरण चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	10
व्या. चि.-46	137, 148 (2)	रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के लिए प्रार्थना	51 से 53
व्या. चि.-47	141 नियम 124	अपील बोर्ड द्वारा दिए गए विधिमान्यता प्रमाणपत्र विषयक टिप्पण को रजिस्टर में प्रविष्टि करने और उसका विज्ञापन करने के लिए प्रार्थना	87
व्या. चि.-48	145 नियम 21	अधिनियम के अधीन किसी मामले या कार्यवाही अभिकर्ता के प्राधिकार का प्ररूप	
व्या. चि.-49	63 (1), 74 (1) नियम 128 (5) या 135 (1)	सामूहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के उपयोग को शासित करने के लिए विनियम	
व्या. चि.-50	नियम 91, 96, 97	व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा भारत में तामील के लिए उसके पते को प्रविष्ट करने, परिवर्तित करने या प्रतिस्थापित करने की प्रार्थना का प्ररूप	40-41
व्या. चि.-51	18 (2) नियम 25 (9)	विभिन्न वर्गों में माल या सेवाओं के लिए व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18 (2) के अधीन एकल आवेदन	5
व्या. चि.-52	18 (2) नियम 25 (4)	धारा 154 (2) के अधीन कन्वेंशन देश से व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18 (2) के अधीन एकल आवेदन	4
व्या. चि.-53	धारा 22 का परन्तुक, नियम 104	डिविजनल आवेदन	68
व्या. चि.-54	नियम 24 (1)	तलाशी के लिए प्रार्थना	49
व्या. चि.-55	133	सुभिन्नता के बारे में प्राथमिक सलाह	50
व्या. चि.-56	131	समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना	56
व्या. चि.-57	127	रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन	57
व्या. चि.-58	नियम 46	व्यापार चिन्ह के विज्ञापन की विशिष्टियों के लिए आवेदन	59
व्या. चि.-59	नियम 62 (3)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति या और प्रति के लिए आवेदन	62
व्या. चि.-60	नियम 24 (3)	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 (1) के अधीन तलाशी और प्रमाणपत्र के लिए आवेदन	64
व्या. चि.-61	नियम 25 (16)	माल या सेवाओं का 500 अक्षरों से अधिक के विनिर्देश को सम्मिलित करने के लिए आवेदन	69
व्या. चि.-62	43 नियम 140 (2)	प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के समनुदेशन या पारेषण करने के लिए रजिस्ट्रार की सहमति के लिए आवेदन	70
व्या. चि.-63	नियम 38 (1)	व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की त्वरित परीक्षा के लिए नियम 38(1) के अधीन प्रार्थना	71

1	2	3	4
व्या. चि.-64	63 (1) नियम 128 (1)	धारा 154 (2) के अधीन कन्वेंशन देश से किसी वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए सामूहिक व्यापार चिन्ह का रजिस्टर करने के लिए आवेदन	72
व्या. चि.-65	नियम 135 (1)	धारा 154 (2) के अधीन कन्वेंशन देश से किसी वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह रजिस्टर करने के लिए धारा 71 के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन	73
व्या. चि.-66	18 (2), 63 (1)	माल या सेवाओं के विभिन्न वर्गों के लिए सामूहिक चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन	83
व्या. चि.-67	12 (2), 63 (1), 154 (2)	धारा 154 (2) के अधीन कन्वेंशन देश से माल या सेवाओं के विभिन्न वर्गों के लिए सामूहिक चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन	84
व्या. चि.-68	18 (2), 71	माल या सेवाओं के विभिन्न वर्गों के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन	85
व्या. चि.-69	18 (2), 71, 154 (2)	धारा 154 (2) के अधीन कन्वेंशन देश से माल या सेवाओं के विभिन्न वर्गों के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन	86
व्या. चि.-70	नियम 119 का परन्तुक	रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की त्वरित प्राप्ति के लिए प्रार्थना	74
व्या. चि.-71	नियम 24 (1) का परन्तुक	एक वर्ग की बाबत त्वरित शासकीय तलाशी के लिए प्रार्थना	75
व्या. चि.-72	नियम 24 (5)	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 (1) के अधीन त्वरित तलाशी और प्रमाणपत्र के लिए प्रार्थना	76
व्या. चि.-73	माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 25 (क) माल के भौगोलिक उपदर्शन नियम, 2001 का नियम 74 (2)	भौगोलिक उपदर्शन अन्तर्विष्ट करने वाले या उससे बने व्यापार चिन्ह को नामंजूर या अविधिमान्य करने के लिए प्रार्थना	66
व्या. चि.-74	माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 25 (ख) माल के भौगोलिक उपदर्शन नियम, 75 (2) और व्यापार चिन्ह नियम, 2001 का नियम 102	माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित भौगोलिक उपदर्शन के विरोधी या उसे अन्तर्विष्ट करने वाले या उससे बने व्यापार चिन्ह को नामंजूर या अविधिमान्य करने के लिए अनुरोध	65
व्या. चि. अ.-1	नियम 153	व्यापार चिह्न अभि. र्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	77

1	2	3	4
व्या. चि. अ.-2	नियम, 159	व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम प्रत्यावर्तित करने के लिए आवेदन	80
व्या. चि. अ.-3	नियम, 160	व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन करने के लिए आवेदन	81

प्ररूप व्या. चि.-1

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस 2500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

रजिस्टर में माल या सेवाओं के लिए व्यापार चिह्न (सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

धारा 18 (1), नियम 25 (1)

(व्यापार चिह्न की अतिरिक्त पांच समाकृतियों की साथ तीन प्रतियों में भरा जाये)

एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पांच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहां चिपकाया जाना चाहिए। नियम 28 देखिए।

[1] .... की बाबत [2] .... वर्ग में साथ लगे व्यापार चिह्न का, रजिस्टर में [3] .... के नाम (नामों) में, जिसका (जिनका) पता .... [4] .... है और जो उक्त माल या सेवाओं के संबंध में उसका/उनके स्वत्वधारी होने का दावा करता है (करते हैं) और जिसके (जिनके) द्वारा उक्त चिह्न का उपयोग प्रस्तावित है [5]या और जिसके (जिनके) और उसके (उनके) हक पूर्वाधिकारी (पूर्वाधिकारियों) द्वारा [6] उक्त चिह्न की तारीख [7]........................ से निरंतर उपयोग किया जा रहा है, रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन किया जाता है।

[8] .... [9] ....

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख .... [10]........................

हस्ताक्षर, हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार,

........................[11] में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञात नहीं है तो रजिस्ट्रार का निदेश लिया जा सकेगा।

2. उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनके संबंध में आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिएं। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपए प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 75 (16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंत:स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।

4. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित है, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि

आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहां आवेदक भारत में कोई कारबार नहीं चला रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।

5. यदि चिह्न पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।

6. यदि लागू नहीं है तो शब्दों को काट दें। यदि हक पूर्वाधिकारी (पूर्वाधिकारियों) द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम (नामों) का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।

7. यदि 2 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं की बाबत व्यापार चिह्न का कोई उपयोग नहीं है तो माल या सेवाओं की ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिह्न को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।

8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित हो, अन्यथा खाली छोड़ दें। ......

9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिह्न त्रिआयामी व्यापार चिह्न है तो इस आशय का कथन किया जाना चाहिए [नियम 25 और नियम 29 देखिए]।

10. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।

11. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें (नियम 4 देखिए)।

प्ररूप व्या. चि.-2

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस 2500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

किसी कन्वेंशन देश के रजिस्टर में किसी व्यापार चिह्न (सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

[धारा 18(1), 154(2) नियम 25(3) और 26]

(व्यापार चिह्न की पांच अतिरिक्त समाकृतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाये)

एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे वस्त्र या किसी अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहां चिपकाया जाना चाहिए। नियम 28 देखिए।

[1] .... की बाबत [1] .... वर्ग में साथ लगे व्यापार चिह्न का, रजिस्टर में [2] .... के नाम (नामों) में, जिसका (जिनका) पता .... [4] .... है और जो उक्त माल या सेवाओं के संबंध में उनका/उनके स्वत्वधारी होने का दावा करता है (करते हैं) और जिसके (जिनके) द्वारा उक्त चिह्न का उपयोग प्रस्तावित है [5] या (और जिसके) (जिनके) और उसके (उनके) हक पूर्वाधिकारी (पूर्वाधिकारियों) [6] द्वारा उक्त चिह्न का तारीख [7] .... से निरंतर उपयोग किया जा रहा है, रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

व्यापार चिह्न को कन्वेंशन देश में रजिस्टर करने के लिए आवेदन .... में तारीख .... को किया गया है।

ऐसे कन्वेंशन देश के, जिसमें आवेदन फाइल किया गया है, अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित, प्रमाणित प्रति (इसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ) संलग्न है।

मैं/हम यह अनुरोध करता हूं (करते हैं) कि उपरिवर्णित कन्वेंशन देश में आवेदन के आधार पर व्यापार चिन्ह, अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन पूर्विक्ता तारीख के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जाये।

* ....

* ....

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख .... ** ....

हस्ताक्षर,

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

......................." में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञात नहीं है तो रजिस्ट्रार का निदेश लिया जा सकेगा।

2. उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनके संबंध में आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं शर्तों की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यत: 500 से अनधिक अक्षर होने चाहिएं। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपए प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25 (16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतःस्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।

4. आवेदक को भारत में अपने कारबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित है, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहां आवेदक भारत में कोई कारबार नहीं चला रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।

5. यदि चिन्ह पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।

6. यदि लागू नहीं है तो शब्दों को काट दें। यदि हक पूर्वाधिकारी (पूर्वाधिकारियों) द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम (नामों) का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।

7. यदि 3 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं की बाबत व्यापार चिन्ह का कोई उपयोग नहीं है तो माल या सेवाओं की ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।

8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित हो, अन्यथा खाली छोड़ दें।

9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है तो आशय का कथन किया जाना चाहिए [नियम 25 और नियम 29 देखिए]

10. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।

11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें (नियम 4 देखिए)।

प्ररूप व्या. चि.-3

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस 10,000 रुपए

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

सामूहिक व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।

सामूहिक चिह्न की पांच समाकृतियों और प्ररूप व्या०चि० 49 में प्ररूप विनियम की तीन प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए।

धारा 63 (1); नियम 25(7) (3) और नियम 128(1)।

....

....

एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगाई जाए और चार अन्य पृथक रूप से भेजी जाएं। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा और उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगा कर यहां चिपकाया जाना चाहिए। (नियम 28 देखिए)

[1] ....के नाम में ....जिनका पता

[2] ....है, ...

[3] के बारे में ....वर्ग में सामूहिक व्यापार चिह्न सहित, रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन किया जाता है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख : ....

....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्टर,

.... में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय।

1. यदि वर्ग ज्ञात नहीं है तो रजिस्ट्रार का निदेश लिया जा सकेगा।

2. माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यत: देवनागरी लिपि के 500 से अनधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपये प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25 (16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन अवश्य करना होगा।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय आजीविका और राष्ट्रिकता) भरिये। यदि आवेदक निगमित निकाय है तो निगमन के देश और उसकी प्रकृति का उल्लेख किया जाना चाहिए। (नियम 16 देखिए)

4. यहां आवेदक का पूरा पता भरें। भारत में कारबार या निवास के मुख्य स्थान का पता यदि कोई हो या विदेश में गृह देश के पते सहित भारत में तामील के लिए पता।

5. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति) जो आवेदक के एकमात्र और नियमित नियोजन में है। (धारा 145 देखिए)।

6. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के नाम और स्थान का उल्लेख करें। (नियम 4 देखिए)

प्ररूप व्या. चि.-4

फीस 10,000 रुपए व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन। (नियम 135)

(धारा 71 नियम 25 (2)(क) और 135 देखिए)

(प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न की पांच समाकृतियों और विनियमों के प्ररूप की चार प्रतियों के साथ प्ररूप व्या.चि. 49 सहित तीन प्रतियों में फाइल किया जाए)

इस रिक्त स्थान में एक समाकृति चिपकाई जाये और अन्य चार पृथक रूप से भेजी जाएं। जो समाकृति बड़े आकार की है वह मोड़ी जा सकती है किन्तु उस दशा में वह कपड़े या अन्य उपयुक्त सामग्री पर मढ़ दी जाये और यहां चिपकायी जाये (नियम 28 देखिए)

साथ वाले प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के [2] .... की बाबत [1] .... वर्ग में रजिस्टर में [3] .... के नाम में, जिसका पता [4] .... है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है:—

आवेदक उस प्रकार के माल या वस्तुओं में कारबार नहीं कर रहा है (कर रहे हैं) जिस के लिए उक्त प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रकरण चाहा गया है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :—

तारीख : ....

[5] ....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार,

........................[6] में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय।

1. यदि वर्ग ज्ञात न हो तो रजिस्ट्रार का निदेश अभिप्राप्त किया जाये।

2. माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (उपजीविका और आजीविका) और राष्ट्रिकता भरें। यदि आवेदक निगमित निकाय है, तो निगमन के स्वरूप और देश का उल्लेख किया जाना चाहिए। (नियम 16 देखिए)।

4. आवेदक का पूरा पता भरिये (भारत में कारबार या निवास के मुख्य स्थान का पता, यदि कोई हो या विदेश में उसके अपने देश में के पते के साथ-साथ भारत में तामील के लिए पता)।

5. आवेदक या उसके अभिकर्ता विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता या आवेदक के एकमात्र और निगमित नियोजन में के व्यक्ति के हस्ताक्षर। (धारा 145 देखिए)।

6. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये (नियम 4 देखिए)।

प्ररूप व्या. चि.–5

फीस 25,000 रुपए व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

व्यापार चिन्ह के या सामूहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के विरोध की सूचना

[धारा 21 (1), 64, 66, 73, नियम 47 (1), 131 और 138 (1)]

(तीन प्रतियों में फाइल किया जाये)

--------------------द्वारा किए गए संख्या---------------------वाले आवेदन के विषय में मैं (या हम) [1] ------------------
----------------उक्त व्यापार चिन्ह/प्रमाणीकरण चिन्ह/सामूहिक चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का विरोध करने के अपने आशय की सूचना देता हूँ/देते हैं जिसका विज्ञापन [2] ------------------------------के मास---------------------की तारीख----------
---------वाली व्यापार चिन्ह पत्रिका के पृष्ठ---------------------पर उक्त संख्या वाले निर्देश से---------------------
वर्ग के बारे में हुआ है।

विरोध के आधार निम्नलिखित हैं :—

)--

इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी सूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :—

तारीख----------------------- [4]------------------------

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार

--------------------- [5] में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम और पता लिखिये। यदि विरोधी का भारत में कारबार का या निवास का कोई स्थान नहीं है तो भारत में तामील के लिए उसका पता दिया जाना चाहिए।

2. जो आवश्यक नहीं है उसे काट दें।

3. यदि रजिस्ट्रीकरण का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि चिह्न उन चिह्नों से मिलता है जो कि रजिस्टर में पहले से ही चढ़े हुए हैं तो उन चिह्नों की, और उन पत्रिकाओं की जिनमें विज्ञापन हुआ है, संख्याएं दीजिये।

4. विरोधी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

5. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें—नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या० चि०-6

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 1000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :
स्वत्वधारी का कोड सं. :

प्रतिकथन का प्ररूप [धारा 21 (2), 47, 57, 59, नियम 49, 93, 99 और 101]

(तीन प्रतियों में फाइल किया जाये)

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण के लिए वर्ष——————————————संख्या——————————वाले आवेदन के संख्या——————————————वाले विरोध के विषय में

उक्त व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक मैं/हम[1]——————————————————
यह सूचना देता हूँ/देते हैं कि अपने आवेदन के लिए जिन आधारों का मैं/हम सहारा लेता हूँ/लेते हैं वे निम्नलिखित हैं।

मैं (हम) विरोध की सूचना में निम्नलिखित अभिकथनों को स्वीकारोक्त करता हूँ/करते हैं।

2. इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी संसूचनाएं भारत में स्थित निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

————————————————————————————————————

तारीख——————————

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

[2]——————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में

[3]—————————————— में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

————————————————————————————————————

1. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में यथाकथित पूरा नाम और पता दीजिये।

2. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये।
नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या० चि०-7

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :
स्वत्वधारी का कोड सं. :

सुनवाई में हाजिर होने के आशय की सूचना

धारा 21, 47, 57, 59, 64, 66, 73 और 77
[नियम 56(1), 93, 99, 101, 131, 132, 133, 138, 139 और 140]

¹—————————— ——————————के विषय में/मैं (या हम) ²——————————
————————————————————————————————————
यह सूचना देता हूं/देते हैं कि उक्त विषय की बाबत जो सुनवाई तारीख³——————————————वाली (मुझे या हमें) राजकीय सूचना के अनुसार तारीख——————————को——————————⁴ में—————— बजे पूर्वाह्न या—————————— बजे अपराह्न होनी है उसमें मैं/हम हाजिर रहूँगा/होंगे या मेरी/हमारी ओर से कोई व्यक्ति हाजिर होगा।

इस कार्यवाही के संबंध में सभी संसूचनाएं भारत में स्थित निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख——————————

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

⁴——————————

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

——————————⁵ में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

————————————————————————————————————

1. जैसी विशिष्टियाँ जो राजकीय सूचना में है उन्हें अन्त:स्थापित कीजिये।
2. नाम और पता अन्त:स्थापित कीजिये।
3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय का वह स्थान अन्त:स्थापित कीजिये जहां राजकीय सूचना के अनुसार सुनवाई होगी।
4. सूचना देने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
5. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये—नियम 4 देखिये।

प्ररूप व्या० चि०-8

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 6 देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं. :
स्वत्वधारी का कोड सं. :

किसी वर्ग में या विभिन्न वर्गों के लिए माल या सेवाओं के लिए श्रृंखला व्यापार चिह्न (सामूहिक चिह्न का प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

धारा 15 (3), नियम 25(10) और 31

(व्यापार चिह्न के पांच अतिरिक्त अभ्यावेदनों के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाये)

एक समाकृति इस स्थान पर लगाएं और अन्य पृथक रूप से भेजें। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा लेकिन तब उसे वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर चढ़ाया जाएगा और यहां लगाया जाएगा। नियम 28 देखिये।

2. ———————————— की बाबत ———————————— वर्ग में साथ लगे व्यापार चिह्न के लिए शृंखला व्यापार चिह्न रूप में, रजिस्टर में (3) ———————————— के नाम (नामों) में, जिसका/जिनका पता 4 ———————————— है और जो उक्त मालों 7 की बाबत उनका (उनके) स्वत्वधारी होने का दावा करता है (करते हैं) (और जिसके द्वारा उक्त चिह्न का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है 5 या और जिसके और उसके (उनके हक पूर्वाधिकारी/पूर्वाधिकारियों) 6 द्वारा उक्त चिह्न की तारीख ———————————— से निरंतर उपयोग किया जा रहा है), रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

8 ————————————

————————————

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ————————————

9. ————————————

10. ————————————

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

———————————— 11 में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय

1. जो आवश्यक न हो उसे काट दें।
2. यदि माल का वर्ग ज्ञात नहीं है तो रजिस्ट्रार का निदेश लिया जा सकेगा। यथा माल से संबंधित ऐसे चिह्न की दशा में जो अक्षर या अंकों से मिलकर बने हैं या उनके किसी संयोजन से बने हैं तो पांचवीं अनुसूची की मद संख्यांक का कथन किया जाए यदि माल उक्त अनुसूची की मदों में से किसी के अंतर्गत आता है (नियम 144 देखें)।
3. जहां हस्ताक्षर के ठीक पूर्व वाले स्थान पर माल या सेवाओं के विनिर्देश पांच सौ अक्षर से अधिक के हैं तो वहां आवेदक अधिक अक्षरों की वास्तविक संख्या कथित करेगा।
4. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता सुपाठ्य रूप से अंतःस्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
5. आवेदक को भारत में अपने कारबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन अवश्य करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया जाना है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित है, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और उस स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। तथापि यदि, आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चला रहा है, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता हो तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहां आवेदक भारत में कोई कारबार नहीं चला रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के यदि, कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में निवास स्थान के अतिरिक्त, यदि चाहे तो ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।

6. यदि चिह्न पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।

7. यदि लागू नहीं है तो शब्दों को काट दें। यदि इक पूर्वाधिकारी (पूर्वाधिकारियों) द्वारा उपयोग का दावा किया गया गया है तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम (नामों) का, आवेदक द्वारा स्वंय आरंभ करने की तारीख के साथ कथन 9 पर किया जाना चाहिए।

8. यदि 3 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं की बाबत व्यापार चिह्न का कोई उपयोग नहीं किया गया है तो माल या सेवाओं की ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिह्न को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।

9. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित हो, अन्यथा खाली छोड़ दें। यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिह्न त्रिआयामी व्यापार चिह्न है तो उस आशय का कथन किया जाना चाहिए [नियम 25 और (29) देखिए]।

10. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता या आवेदक के अन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।

11. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें (नियम 4 देखिए)।

प्ररूप व्या० चि०-9

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 1500 रु.

—

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के संबंध में प्रतिकथन का प्ररूप [1] धारा 64, 66, 73 और 77 नियम 131 से 133 और नियम 137 से 140)

(चार प्रतियों में फाइल किया जाए)

सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न [1] के रजिस्ट्रीकरण के लिए संख्या —— वाले आवेदन के संख्या —— वाले विरोध के विषय में,

मैं (हम)[2] —————— जो उपर्युक्त संख्या वाले आवेदन के बारे में आवेदक हूं/हैं यह सूचना देता हूं/देते हैं कि मैं/हम अपने आवेदन का समर्थन करने के वास्ते जिन आधारों का सहारा लूंगा/लेंगे, व ——— निम्नलिखित हैं :—

मैं (हम) विरोध की सूचना में के निम्नलिखित अभिकथन स्वीकार करता हूं/करते हैं।

इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं।

तारीख ——————

हस्ताक्षर[3] ———

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

.... [4] में व्यापार चिह्न

रजिस्ट्री कार्यालय

1. जो लागू न हो उसे काट दें।

2. पूरा नाम और राष्ट्रीयता अंत: स्थापित करें। यदि विरोधी के पास भारत कारबार या निवास का स्थान नहीं है तो तामील के लिए भारत का पता दिया जाना चाहिए।

3. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

4. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के नाम का पता भरिये :—

नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या० चि०—10

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 3000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. : ———

स्वत्वधारी का कोड सं. : ———

व्यापार चिह्न, सामूहिक चिह्न और प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के नवीकरण के लिए अधिभार के संदाय के लिए आवेदन।

धारा 25(3) का परन्तुक, नियम 65, 132(ख) और 138(3)

(प्ररूप व्या. चि.—12 और व्या. चि. 13 और उनकी विहित फीस के साथ फाइल किए जाएं)

मैं (हम) [1]——— जो रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हैं, [1]——— वर्ग ——— में रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न/सामूहिक चिह्न/प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के जिसका ———को अवसान हो गया था, नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ (करते हैं) और उसकी बाबत विहित अधिभार का संदाय करता हूँ (करते हैं) और नवीकरण प्रमाणपत्र भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाए :—

हस्ताक्षर ———[3]

तारीख ———

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार,

——— [4] में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. जो लागू न हो, उसे काट दें।
2. यहां रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का पूरा नाम और पता अंतःस्थापित करें।
3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
4. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान के नाम का कथन करें।

प्ररूप व्या० चि०—11

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 5000 रु.अभिकर्ता का कोड सं. :.........

स्वत्वधारी का कोड सं. :.........................

नियम 32 के अधीन तलाशी और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध

मैं/हम······रजिस्ट्रार से यह पता लगाने के लिए तलाशी का अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि क्या कोई ऐसा/ऐसे व्यापार चिह्न अभिलेख पर है/हैं जो इसके साथ तीन प्रतियां भेजी गई कंपनी के नाम (या प्रस्थापित नाम) के सदृश है (प्रत्येक सम्पाकृति लगभग 33 × 20 से. मी. के आकार में मजबूत कागज की शीट पर मढ़ा जाए) और प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख……………………

1……………………

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

……………… में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. भारत में पता

2. हस्ताक्षर

प्ररूप व्या० चि० — 12

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस के लिए पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 17 से 20 तक और 22 देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं. :……………

स्वत्वधारी का कोड सं. :……………

व्यापार चिह्न/सामूहिक चिह्न/प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न[1] के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण

धारा 25 नियम 63(1) 132(ख) और 138(3)

मैं/हम[1] ———— संख्या ——— वाले ——— वर्ग में व्यापार चिह्न/सामूहिक चिह्न प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण कराने के लिए ——— रुपये की विहित फीस देता हूं/देते हैं।

रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की सूचना भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाए—

तारीख ————

[3] ————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार/हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

……………… [4]में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. जो लागू न हो, उसे काट दें।
2. यहां रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता भरिये।
3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर
4. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये————————————नियम 4 देखिए।

टिप्पण—यदि यह प्ररूप पिछले रजिस्ट्रीकरण के अवसान से छः मास से अधिक पूर्व फाइल किया गया है, तो यह लौटा दिया जाएगा। अधिनियम की धारा 159 की उपधारा (6) पर भी ध्यान दें।

प्ररूप व्या. चि.—13

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं...................

स्वत्वधारी का कोड सं...................

फीस : 5000 रु. और साथ ही पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 17 से 20 तक में विहित लागू नवीकरण फीस।

नवीकरण फीस न देने के कारण रजिस्टर से हटाये गये व्यापार चिह्न का प्रत्यावर्तन और नवीकरण

धारा 25 (4) नियम 66, 132(ख) और 138(3)

मैं/हम ¹—————————————यह आवेदन करता हूँ/करते हैं कि——————————वर्ग में के ————————————संख्या वाले व्यापार चिह्न/रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कर दिया जाए और उक्त व्यापार चिह्न के उपरोक्त वर्ग में रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण कर दिया जाए और प्रत्यावर्तन तथा नवीकरण की सूचना भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाये—

तारीख——————

²——————

हस्ताक्षर ——

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

——————³ में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरिये।
2. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान के नाम भरिये—नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या. चि.—14

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं...................

स्वत्वधारी का कोड सं...................

फीस प्रत्येक विघटन के लिए 500 रु.

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न और किसी (किन्हीं) अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न (चिह्नों) के बीच सहयोजन समाप्त करने के लिए आवेदन।

[धारा 16(5); नियम 60(2)]

(मामले के कथन के साथ दिया जाए)

——————————वर्ग में रजिस्ट्रीकृत——————————सं. वाले व्यापार चिह्न के विषय में।

मैं/(हम)¹——————————पूर्वोक्त सं. वाले व्यापार चिह्न का (के) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी होने के नाते यह आवेदन करता हूँ (करते हैं) कि इस व्यापार चिह्न का मेरे (हमारे) नाम में निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न (चिह्नों) के साथ सहयोजन समाप्त कर दिया जावे और तदनुसार रजिस्टर का संशोधन किया जाए।

²(——————वर्ग में रजिस्ट्रीकृत सं.——————

——————वर्ग में रजिस्ट्रीकृत सं.——————)

इस आवेदन के आधार साथ लगे मामले के कथन में उपवर्णित हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ————————

: ————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

: ———————— में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. अतिरिक्त संख्याएं प्ररूप के पीछे हस्ताक्षरित अनुसूची में दी जा सकेंगी।
2. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी (धारियों) या उसके (उनके) अभिकर्ता (अभिकर्ताओं) के हस्ताक्षर।
3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान के नाम का कथन करें—नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या. चि.—15

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

फीस : 1000 रु.

विनिश्चय के आधारों के कथन के लिए प्रार्थना,

नियम 40 (1)

: ———————————————— के विषय में रजिस्ट्रार से यह प्रार्थना की जाती है कि 20 ———————— के ———————— मास के ———————— दिन जो विनिश्चय उसने 20 ———————— के ———————— मास के ———————— दिन को हुई सुनवाई के पश्चात् किया था उसके आधार और विनिश्चय करने में उसके द्वारा प्रयुक्त सामग्री को वह लिखित रूप में कथित करें।

इस आवेदन से संबंधित सभी सूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ————————

: ————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

: ———————— में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. वे विशिष्टियां यहां भरिये जिन से आवेदन की पहचान हो सकती है।
2. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये — नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या. चि.—16

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं.------

स्वत्वधारी का कोड सं.------

फीस : 500 रु.

लिपिकीय गलती की शुद्धि के लिए या संशोधन के लिए प्रार्थना

[धारा 18 (4), 22 और 58, नियम 41, 93, 97]

¹------------------------के विषय में, मैं/हम------------------------------------²जो आवेदक हूं (हैं)

विरोधी

रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी
रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता

यह प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि------------------------------------

स्वत्वधारी/स्वत्वधारियों------------------------------------रजिस्ट्रीकृत

³ इस प्रार्थना की एक प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/उपयोक्ताओं पर की गई है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख------------

⁴---------------------

फीस : नीचे पाद टिप्पण देखिए

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम----------
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

⁵---------में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. प्रविष्टि या आवेदन या विरोध की पहचान कराने वाले शब्द और निर्देश संख्या भरिए
2. जो शब्द लागू नहीं हैं, उन्हें काट दीजिए
3. यदि लागू नहीं है, तो काट दीजिए
4. हस्ताक्षर
5. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये (नियम 4 देखिए)

टिप्पण—फीस 500 रुपए। किन्तु जहां शुद्धि या संशोधन के लिए प्रार्थना लोक अधिकारी के आदेश के फलस्वरूप या कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप की जाती है वहां, कोई फीस देय नहीं होगी।

प्ररूप व्या. चि.—17

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं. :------

स्वत्वधारी का कोड सं. :------

फीस : पहले व्यापार चिह्न के लिए 2500 रु. और समनुदेशन में सम्मिलित प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिह्न के लिए 500 रुपए।

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के प्रस्थापित समनुदेशन के प्रतिनिर्देश में धारा 40(2) के अधीन रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

[नियम 77]

(मामले के कथन की दो प्रतियां और प्रतिस्थापित समनुदेशन की एक प्रति उसके साथ होनी चाहिए।)

———— [1]के नाम में ———— वर्ग (वर्गों) में रजिस्ट्रीकृत ———— संख्या (संख्याओं) वाले व्यापार चिह्न (चिह्नों) के विषय में

[1]————, जो उपरिवर्णित रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न (चिह्नों) का (के) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी है (हैं), ऐसी परिस्थितियों में, जो साथ लगे मामले के कथन में पूर्णतः कथित हैं, [2]———— को ———— संख्या (संख्याओं) वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के प्रस्थापित समनुदेशन के प्रतिनिर्देश में, धारा 40 (2) के अधीन रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता है (करते हैं)।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख……………………

…………

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

सेवा में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

[4]———— में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का पूरा नाम और पता भरिये।
2. प्रस्थापित समनुदेशिती का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरिये।
3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
4. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये—(नियम 4 देखिए)

प्ररूप व्या. चि.—18

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का 1.————
स्वत्वधारी का सं. ————

शपथ पत्र

(यह केवल उसी अवस्था में दिया जाये जब कि धारा 40(2) के अधीन फाइल किए गए या नियम 68 के अधीन प्रार्थनापत्र के साथ लगे मामले के कथन के समर्थन में यह रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हो)

(तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार स्टाम्पित किया जाए)

मैं,[1] जो ———————— का ———————— हूं, सत्यनिष्ठा और सत्यमन से यह घोषणा करता हूं कि ———————— वर्ग में के ———————— व्यापार संख्या चिह्न में मेरे द्वारा [2] मामले के कथन में दी गई विशिष्टियाँ [3] ———————— से चिह्नित और मेरे द्वारा प्रदत्त प्रदर्श मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और इनमें वे प्रत्येक सारवान् तथ्य और दस्तावेज समाविष्ट हैं, जो व्यापार चिह्न की वर्तमान स्वत्वधारिता को प्रभावित करते हैं।

[3] ————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ———— को

मेरे समक्ष [4] ———————————— में घोषित

1. अभिसाक्षी का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरिये
2. संबद्ध कार्यवाहियों की विशिष्टियां दीजिये
3. यहां घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे
4. उस प्राधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पद जिसके समक्ष शपथपत्र दिया गया। भारत में शपथपत्र किसी न्यायालय के या ऐसे व्यक्ति के, जिसे विधि द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का प्राधिकार है, या ऐसे पदाधिकारी के, जिसे शपथ दिलाने की शक्ति न्यायालय द्वारा प्रदत्त है, समक्ष दिया जा सकेगा। भारत के बाहर शपथपत्र राजनयिक और वाणिज्य दूतीय पदाधिकारी (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 के अर्थ में ऐसे देश या स्थान के राजनयिक या वाणिज्य दूतीय पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा या उस स्थान के नोटरी के समक्ष उस सूरत में किया जा सकता जिसमें कि स्थान के नोटरी के द्वारा किए गए नोटरी संबंधी कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन मान्यताप्राप्त है।

प्ररूप व्या. चि — 19

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं. ——

स्वत्वधारी का कोड सं. ——

फीस : पहले व्यापार चिह्न के लिए 2500 रु. और प्रत्येक अन्य व्यापार चिह्न के लिए 500 रुपए।

व्यापार चिह्न के ऐसे प्रस्थापित समनुदेशन का या ऐसे पारेषण का, जिसके परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न भागों के लिए, विभिन्न व्यक्तियों को अनन्य अधिकार प्राप्त होते हैं, धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रार के अनुमोदन के लिए आवेदन।

[नियम 77]

(मामले के कथन की दो प्रतियों और समनुदेशन के लिए संस्थापित या पारेषण करने वाली लिखत की एक प्रति के साथ)

(———————— वर्ग (वर्गों) में ———————— संख्या (संख्याओं) के अधीन रजिस्ट्रीकृत।) ———————— व्यापार चिह्न (चिह्नों) के विषय में—

*(i) [2] ———————— द्वारा, जो कि निम्नलिखित माल या सेवाओं [3] ———————— के बारे में [4] (उसके नाम में रजिस्ट्रीकृत) और (उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले) उस व्यापार चिह्न (चिह्नों) का स्वत्वधारी है जो साथ लगे मामले के कथन में दर्शित है [4] ———————— को निम्नलिखित माल या सेवाओं के बारे में, में बेची जाती है या जिनका अन्यथा व्यवसाय किया जाता ———————— है) और [4] ———————— को निम्नलिखित सब माल या सेवाओं [3] ———————— के बारे में, जो बेची जाती है या अन्यथा जिनका व्यापार किया जाता है) उन सब परिस्थितियों में जो कि साथ लगे मामले के कथन में पूर्णतः कथित हैं, व्यापार चिह्न (चिह्नों) का प्रस्थापित समनुदेशन करने वाले बाबत रजिस्ट्रार के अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है।

*(ii) ———————— द्वारा, जो कि यह दावा करता है कि साथ लगे मामले के कथन में दर्शित व्यापार चिह्न निम्नलिखित माल या सेवाओं अर्थात् ———————— के बारे में बाबत और ———————— 20———————— के ———————— के दिन को उसे (iii) ———————— के माध्यम द्वारा जो कि उसका हक पूर्वाधिकारी था) ———————— द्वारा था थी, जिसके द्वारा व्यापार चिह्न का उपयोग तब निम्नलिखित माल या सेवाओं अर्थात् ———————— के बारे में उन सब परिस्थितियों में जो कि साथ लगे मामले के कथन में पूर्णतः कथित है, किया जाता था, पूर्वोक्त पारेषण के लिए रजिस्ट्रार के अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं।

तारीख ————————

¹¹————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

¹²———————— में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

*या तो पैरा (i) या पैरा (ii) काट दीजिये।

1. अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्नों की दशा में काट दें।
2. स्वत्वधारी का नाम और पता भरिये।
3. जो लागू न हो उसे काट दीजिये।
4. प्रस्थापित समनुदेशिती (समनुदेशितियों) का नाम (के नाम) और पता (ते) भरिये।
5. भारत में के स्थान (स्थानों) का नाम (के नाम) भरिये।
6. यदि अपेक्षित न हो तो कोष्ठकबद्ध पैरा को काट दीजिये।
7. जो व्यक्ति अपने लिए पारेषण का दावा करता है उसका नाम और पता भरिये।
8. पारेषण की तारीख अन्तःस्थापित कीजिये।
9. यदि कोई हक पूर्वाधिकारी हो तो उसका नाम और पता भरिये।
10. जिस व्यक्ति ने पारेषण किया है, उसका नाम और पता भरिये।
11. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
12. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये।

(नियम 4 देखिए)

प्ररूप व्या. चि.—20

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : पहले चिह्न के लिए 2500 रु. और प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए 500 रु.।

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

कारबार की गुडविल से असंबद्ध से अन्यथा, व्यापार चिह्नों के समनुदेशन का विज्ञापन निकालने के लिए निदेशों के लिए आवेदन

[धारा 42, नियम 74 (i)]

(दो प्रतियों में फाइल किया जाए)

उस कारबार की जिसमें निम्नलिखित व्यापार चिह्नों का उपयोग किया जा चुका था/किया गया था,² गुडविल से संबद्ध से अन्यथा उन व्यापार चिह्नों के समनुदेशन का विज्ञापन कराने के विषय में रजिस्ट्रार के निदेशों के लिए ¹—————————— द्वारा आवेदन किया जाता है।

*(i) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न :

रजिस्ट्रीकरण संख्या	वर्ग	वे माल या सेवाएं जिनके बारे में चिह्न का उपयोग किया जा चुका है या हुआ है और जिनको समनुदेशित किया गया है
————————	————————	

....

ये सब ——————————³ के नाम में, जो समनुदेशक है, रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं या किए गए थे।

*(ii) ⁴ वे अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न, जो सभी ऐसे चिह्न हैं, जिनका उपयोग ³ —————————— के —————————— द्वारा जो कि समनुदेशक है, अपने कारबार में माल या सेवाओं के बारे में किया जा चुका था या किया जाता था।²

*(i) चिह्न की समाकृति——————————

वे माल या सेवाएं जिन के बारे में चिह्न का उपयोग किया जा चुका है या किया जाता है और जिनको समनुदेशित किया गया है

समनुदेशन की तारीख 20 —————————— के —————————— मास का ——————————दिन था।

समनुदेशन को प्रभावित करने वाली लिखत उसकी एक प्रति सहित इसके साथ भेजी जा रही है।

यह सुझाव दिया जाता है कि विज्ञापन निकालने का निदेश निम्नलिखित में अर्थात्——————————में दिया जाये।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

——————————————

——————————————

⁵ ——————————

तारीख——————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

⁶ —————————— में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

जिन अतिरिक्त चिह्नों रजिस्ट्रीकरण संख्याओं के लिए स्थानाभाव है, उन्हें हस्ताक्षरित अनुसूची में इस प्ररूप की पीठ पर दिया जा सकेगा।

1. समनुदेशिती (आवेदक) का नाम, राष्ट्रीयता और पता भरिए।
2. जो शब्द लागू नहीं है उन्हें काट दीजिए।
3. स्वत्वधारी (समनुदेशक) का नाम, राष्ट्रीयता और पता भरिए।
4. केवल ऐसे अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न यहां लिखिये जो एक समनुदेशन में ही संक्रांत होते हैं और एक ही कारबार में और उन्हीं माल या सेवाओं के लिए उपयोग में आते हैं, जिनके लिए रजिस्ट्रीकृत चिह्नों में से एक या अधिक रजिस्ट्रीकृत हुए हैं।
5. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
6. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए —————————— नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या. चि.—21

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 1, 2 या 3 मास के विस्तार के लिए क्रमश: 500 रु., 1000 रु. या 1500 रु.।

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

कारबार की गुडविल से संबद्ध से अन्यथा, व्यापार चिह्नों के समनुदेशन का विज्ञापन निकालने के लिए रजिस्ट्रार के निदेशों के वास्ते आवेदन करने का समय बढ़ाने के लिए आवेदन [धारा 42, नियम 74 (3)]

उस कारबार की जिस में व्यापार चिह्नों [3]का उपयोग (किया जा चुका था)/(किया गया था) गुडविल से संबद्ध से अन्यथा निम्नलिखित व्यापार चिह्नों के समनुदेशन का विज्ञापन निकालने के वास्ते रजिस्ट्रार के निदेशों के लिए आवेदन करने का [2] ———————— मास/मासों का समय बढ़ाने के लिए ————————[1]द्वारा आवेदन किया जाता है, अर्थात्—

(1) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न

रजिस्ट्रीकृत संख्या	वर्ग	वे माल और सेवाएं जिन के बारे में चिह्न का उपयोग किया जा चुका है या हो रहा है और जिन्हें समनुदेशित किया गया है।
————————	————————	
————————	————————	……………………………………

ये सभी ————————————के [4]———————————— के नाम में, जो समनुदेशक है, रजिस्ट्रीकृत हैं या थे।

(ii) अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न, जो सभी ऐसे चिह्न हैं, जिनका उपयोग ———————— के [4]———————— द्वारा, जो कि समनुदेशक है, अपने कारबार में निम्नलिखित माल या सेवाओं के बारे में (किया जा चुका है)[3] (किया गया था)

*चिह्न की समाकृति	वे माल या सेवाएं जिन के बारे में चिह्न का उपयोग किया जाता रहा है या किया जाता है और जिन्हें समनुदेशित किया गया है।
	……………………………………

समनुदेशन करने की तारीख ———————————————— थी।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी—

[1]————————————————

————————————————

————————————————

तारीख————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

————————* में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

*जिन अतिरिक्त चिह्नों और रजिस्ट्रीकरण संख्याओं के लिए स्थानाभाव है, उन्हें हस्ताक्षरित अनुसूची में इस प्ररूप की पीठ पर दीजिये।

1. समनुदेशिती (आवेदक) का नाम और पता भरिये।
2. "एक" या "दो" या "तीन" भरिये।
3. जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दीजिये।
4. स्वत्वधारी (समनुदेशक) का नाम और पता भरिये।
5. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
6. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय का नाम और स्थान भरिये — (नियम 4 देखिए।)

प्ररूप व्या. चि.—22

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 2500 रु.।

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

अनन्य रूप से अंकों या अक्षरों से युक्त वस्त्र व्यापार चिह्न को रजिस्टर करने के लिए आवेदन।

धारा18 (1), 25(5) नियम 144 और 145

(व्यापार चिह्न को पांच अतिरिक्त समाकृतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)

एक समाकृति को इस स्थान के भीतर चिपकाया जाए और अन्य पांच को पृथक रूप से भेजा जाए।

बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाया जाएगा और यहां चिपकाया जाएगा। नियम 28 देखिए।

¹————————— की बाबत ————————— वर्ग में माल बाबत व्यापार चिह्न के, रजिस्टर में ²————————— के नाम (नामों)³ में है, जिसका (जिनका) पता ⁴————————— है, और ⁵ उक्त माल की बाबत उसका स्वत्वधारी होने का दावा करता है (करते हैं)⁶ [और जिसके (जिनके) द्वारा उक्त चिह्न का उपयोग प्रस्तावित है⁷ या [और जिसके (जिनके) द्वारा और उसके (उनके हक पूर्वाधिकारी) पूर्वाधिकारियों द्वारा उक्त चिह्न तारीख —————20———— से निरंतर उपयोग किया जा रहा है] रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

⁸—————————

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

⁹—————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

तारीख—————— 20

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

——————————" में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय

1. जो आवश्यक न हो उसे काट दें। आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अतिरिक्त समाकृति पर चिह्न, नाम, आवेदक का पता, माल या सेवाओं का वर्णन, पांचवीं अनुसूची में उल्लिखित वस्त्र माल की मद, व्यापार चिह्न के उपयोग की अवधि, व्यापार का वर्णन और भारत में तामील के लिए पता होना चाहिए।

2. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञात नहीं है तो रजिस्ट्रार का निदेश लिया जा सकेगा।

3. अनन्य रूप से अक्षरों या अंकों या उनके किसी समुच्चय से युक्त वस्त्र माल के मदों को विनिर्दिष्ट करें जिनके संबंध में आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः देवनागरी लिपि के 500 से अनधिक अक्षर होने चाहिएं। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपए प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25 (16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन अवश्य करेगा।

4. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतःस्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए, (नियम 16 देखिए)।

5. आवेदक को भारत में अपने कारबार के प्रधान स्थान के पते का यदि कोई हो, कथन अवश्य करना चाहिए। (नियम 3 और 17 देखिए) यदि आवेदक ऐसे माल में कारबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया जाना है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल में कारबार चला रहा है, जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और उस स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। तथापि, यदि, आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चला रहा है, किन्तु अन्य माल में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता हो तो उस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहां आवेदक भारत में कोई कारबार नहीं चला रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में निवास स्थान के अतिरिक्त, यदि चाहे तो ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी (नियम 19 देखिए)। जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामिल के लिए पता देना चाहिए।

6. यदि चिह्न पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।

7. यदि लागू नहीं है तो शब्दों को काट दें। यदि हक पूर्वाधिकारी (पूर्वाधिकारियों) द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम (नामों) का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।

8. यदि 3 में विनिर्दिष्ट माल की बाबत व्यापार चिह्न का कोई उपयोग नहीं किया गया है तो माल की ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिह्न को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।

9. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित हो, अन्यथा खाली छोड़ दें। यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिह्न त्रिआयामी व्यापार चिह्न है तो उस आशय का कथन किया जाना चाहिए [नियम 25 और (29) देखिए]।

10. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न) अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति (धारा 123 देखिए)।

11. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्या. चि.-23

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 27 और 28 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

हक के एक ही न्यागमन पर व्यापार चिह्नों के पश्चात्‌वर्ती स्वत्वधारी के रूप में अन्तरिती का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और अन्तरिती द्वारा संयुक्त प्रार्थना (धारा 45, नियम 68)

हम[1] ——————————— और[2] ——————————————— नियम 68 के अधीन यह प्रार्थना करते हैं कि[3] ——————————————————— में ——————————————————[4] के रूप में कारबार करने वाले[5] ——————————का नाम व्यापार चिह्न रजिस्टर में —————————————— वर्ग के संख्या (संख्याओं) वाले चिह्न व्यापार (चिह्नों)[6] ——————————— के स्वत्वधारी के रूप में[7] ———————————तारीख से ——————————————[8] की सामर्थ्य से, जिसकी मूल और अधिप्रमाणित प्रति

इसके साथ संलग्न है, प्रविष्ट किया जाए।

व्यापार चिन्ह का समनुदेशन उस कारबार से, जिसमें चिन्ह का उपयोग किया[7] (गया था) (हुआ था) गुडविल से संबद्ध से अन्यथा (नहीं) किया गया था (और इसके साथ समनुदेशन का विज्ञापन करने के वास्ते रजिस्ट्रार के निदेश की प्रति, निदेशों के अनुपालन में हुए विज्ञापनों में से प्रत्येक की एक प्रति और जिन प्रकाशनों में वे प्रकाशित हुए थे उन के अंकों की तारीखों का विवरण पत्र भेजा जाता है।)

यह घोषणा करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और बातें हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

————————————————————————————

————————————————————————————

तारीख ————————

[8] ————————————————

सेवा में, समनुदेशक के हस्ताक्षर

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार [11] ————————————————

अंतरिति के हस्ताक्षर

————————[12] हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम स्पष्ट अक्षरों में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी, या अन्य समनुदेशक या पारेषक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता।
2. अन्तरिती का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता।
3. अन्तरिती का नाम।
4. अन्तरिती (की आजीविका या वृत्ति) का अभिवर्णन।
5. अन्तरिती का भारत में कारबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो पता। यदि भारत में कारबार का कोई स्थान नहीं है तो भारत में निवास के स्थान का पता लिखें यदि भारत में निवास का भी स्थान नहीं है तो विदेश में उसके अपने देश का पता लिखें और भारत में तामील के लिए पता लिखें।
6. अतिरिक्त संख्या प्ररूप की पीठ पर हस्ताक्षरित अनुसूची में दी जा सकेगी।
7. स्वत्वधारिता के अर्जन की तारीख।
8. यदि समनुदेशन या पारेषण को कोई लिखत है तो उसकी पूर्ण विशिष्टियां या मामले का कथन।
9. जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दीजिये।
10. समनुदेशक या पारेषक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
11. अन्तरिती या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
12. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये (नियम 4 देखिये)

प्ररूप व्या. चि.-24

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 27 और 28 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

हक के एक ही न्यागमन पर व्यापार चिन्ह या व्यापार चिन्हों के पश्चात्वर्ती स्वत्वधारी का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए प्रार्थना। (धारा 45, नियम 68)

मैं (हम)[1] ———————————— यह प्रार्थना करता हूं[1] करते हैं कि मेरा/हमारा) नाम, ———————— वर्ग में

———————— संख्या (संख्याओं)[1] वाले व्यापार चिह्न (चिह्नों) के स्वत्वधारी के रूप में तारीख[3] ———— से व्यापार चिह्न रजिस्टर में प्रविष्ट कर लिया जाए।

मैं (हम)[4] ———————— के सामर्थ्य से, जिसकी मूल प्रति और अभिप्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है, व्यापार चिह्न (चिह्नों) के लिए हकदार हूँ/हैं।

व्यापार चिह्न का समनुदेशन उस कारबार के, जिसमें चिह्न का उपयोग किया गया था (हुआ था) गुडविल से संबद्ध से अन्यथा (नहीं) किया गया था[5]। (और इसके साथ समनुदेशन का विज्ञापन करने के बारे रजिस्ट्रार के निदेश की प्रति, निदेशों के अनुपालन में हुए विज्ञापनों में से प्रत्येक की एक प्रति और जिन किन्हीं प्रकाशनों में वे निकले थे उनके अंकों की तारीखों का विवरण पत्र भेजा जाता है)।

मैं (हम) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे (हमारे) सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी, या विश्वास के अनुसार सत्य हैं। आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

———————— [7] में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

[6] ————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

1. आवेदक का पूरा नाम, भारत में कारबार के मुख्य स्थान का, यदि कोई हो, पता, आवेदक की राष्ट्रीयता और वर्णन भरिये। यदि भारत में कारबार का कोई स्थान नहीं है, तो भारत में निवास के स्थान का यदि कोई हो, पता भरिये। यदि भारत में निवास का भी कोई स्थान नहीं है तो विदेश में उसके अपने देश में का पता और भारत में तामील के लिए पता भरिये।
2. अतिरिक्त संख्याएं प्ररूप की पीठ पर हस्ताक्षरित अनुसूची में दी जा सकेंगी।
3. स्वत्वधारिता के अर्जन की तारीख भरिये।
4. यदि समनुदेशन या पारेषण की कोई लिखत है तो उसकी पूर्ण विशिष्टियां या मामले का कथन भरिये।
5. जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दीजिये।
6. अन्तरिती या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
7. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये—नियम 4 देखिये।

प्ररूप व्या. चि.-25

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 2, 4 या 6 मास के विस्तार के लिए क्रमश: 500, 1000 या 1500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

किसी कंपनी का नाम व्यापार चिह्न के पश्चात्वर्ती स्वत्वधारी के रूप में रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए धारा 46(4) के अधीन आवेदन

.....................[1] (नियम 79) द्वारा, आवेदक (आवेदकों) के धारा 46 की उपधारा (1) का अनुपालन करने पर रजिस्ट्रीकृत निम्नलिखित व्यापार चिह्न (चिह्नों) के स्वत्वधारी के रूप में ————————————[2] का नाम, रजिस्ट्रीकृत करने के लिए, जो एक ही समनुदेशन के बल पर हुआ है, धारा 46(4) और नियम 79 द्वारा अनुज्ञात छह मास की अवधि का[3] ———————— मास द्वारा समय विस्तार करने के लिए आवेदन किया जाता है।

[1] रजिस्ट्रीकरण संख्या

वर्ग

—————————— ——————————

—————————— ——————————

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

तारीख —————————— [5] ——————————————————————

हस्ताक्षर

सेवा में, हस्ताक्षरकर्ता का नाम

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार स्पष्ट अक्षरों में

——————————— [6] में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. आवेदक का नाम और पता भरिये।
2. यहां "दो" या "चार" या "छ:" भरिये।
3. पश्चात्‌वर्ती स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कंपनी का नाम भरिये।
4. अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्ररूप की पीठ पर दी जा सकेंगी।
5. हस्ताक्षर
6. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये—नियम 4 देखिये।

प्ररूप व्या. चि.-26

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 3000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

रजिस्टर के परिशोधन के लिए या रजिस्टर से व्यापार चिह्न के हटाने के लिए आवेदन।

(धारा 47 या 57 और नियम 92)

(दो प्रतियों/तीन प्रतियों में मामले के कथन की दो प्रतियों/तीन प्रतियों सहित और उनमें से प्रत्येक की उतनी प्रतियों के साथ जितने कि रजिस्ट्रीकरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है, फाइल किया जाये)

———————————— के नाम में ———————————— वर्ग में रजिस्ट्रीकृत ———————— संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में

मैं/(हम)[1] ———————————— यह आवेदन करता हूं/करते हैं कि ऊपर वर्णित व्यापार चिह्न के बारे में रजिस्टर में प्रविष्टि निम्नलिखित रीति में (हटा दी जाये) [1](परिशोधित की जाये)।

मेरे (हमारे) आवेदन के आधार निम्नलिखित हैं :—

———————————— [1] व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय रजिस्टर में इस व्यापार चिह्न के बारे में समुचित कार्यालय

के रूप में प्रविष्ट किया गया है।

प्रश्नास्पद व्यापार चिह्न संबंधित कोई कार्रवाई किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

तारीख ——————————

⁴——————————

हस्ताक्षर

सेवा में, हस्ताक्षरकर्ता का नाम

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार स्पष्ट अक्षरों में

——————³, में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता भरिये। यदि आवेदक का भारत में कारबार का या निवास का कोई स्थान नहीं है तो भारत में तामील के लिए पता दिया जाना चाहिए।
2. जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिये।
3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये—नियम 4 देखिये।
4. हस्ताक्षर

प्ररूप व्या. चि.-27

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

रजिस्टर का परिशोधन करने या रजिस्टर से व्यापार चिह्न के हटाने या रजिस्टर से सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रद्करण से संबंधित कार्यवाहियों में मध्यक्षेप करने की इजाजत के लिए आवेदन।

(नियम 94, 133 और 139)

—————— वर्ग में —————————— के नाम में रजिस्ट्रीकृत संख्या —————— वाले व्यापार चिह्न के विषय में

मैं/हम¹ ——————————————————

——————————————————————

ऊपर वर्णित व्यापार चिह्न के सम्बंध में रजिस्टर में प्रविष्टि के परिशोधन या हटाने से संबंधित कार्यवाहियों में मध्यक्षेप करने की इजाजत के लिए यह आवेदन करता हूँ/करते हैं।

व्यापार चिह्न में मेरा (हमारा) हित —————————————————— है।

इस कार्यवाही से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

तारीख —————————— 20

¹——————————

हस्ताक्षर

सेवा में, हस्ताक्षरकर्ता का नाम

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार स्पष्ट अक्षरों में

------------------------ ³, में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय,

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता भरिये।
2. हस्ताक्षर।
3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये (नियम 4 देखिये)

प्ररूप व्या. चि.-28

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्ट सं० 32 और 33 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

रजिस्ट्रीकृत उपयोगिता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

(धारा 49 नियम 80)

(रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के बीच लिखित रूप में करार या उसकी सम्यकत: अधिप्रमाणित प्रति, नियम 80 (1) में वर्णित अन्य दस्तावेज नियम 80 (1) द्वारा यथा अपेक्षित विशिष्टियों और विवरणों का कथन करते हुए शपथपत्र और पूर्वोक्त दस्तावेजों में से प्रत्येक की दो प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)

¹ ....द्वारा जो कि...................................² के बारे में ....वर्ग में रजिस्ट्रीकृत ....संख्या (संख्याओं)³ वाले व्यापार चिन्ह (चिन्हों) का (के) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी है (हैं) और ⁴......................................द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि उक्त ⁴..................................को ऊपर वर्णित ....⁵ के बारे में रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह (चिन्हों) के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में निम्नलिखित शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाये ....¹ ....⁶ (प्रस्थापित अनुज्ञात उपयोग का अंत 20.......................... .... के ....मास के .... दिन को होना है)

(प्रतिस्थापित अनुज्ञात उपयोग समय सीमा के बिना है)

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ....

-- ⁸ ....

-- ¹⁰ ....

¹¹हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

--------------- ¹² में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत/स्वत्वधारी का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता भरिये।
2. अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्ररूप की पीठ पर दी जा सकेंगी।
3. जैसा विनिर्देश रजिस्टर में है, वैसा यहां दीजिए।
4. यहां प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का पूरा नाम, अभिवर्णन (आजीविका या उपजीविका), राष्ट्रिकता और भारत में कारबार के मुख्य स्थान का पता, यदि कोई हो, भरिये। यदि भारत में कारबार का कोई स्थान नहीं है, तो भारत में निवास के स्थान का पता, यदि

कोई हो, भरिये। यदि भारत में निवास का कोई स्थान भी नहीं है तो विदेश में उसके अपने देश में का पता और भारत में तामील के लिए पता भरिये।

5. प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का नाम भरिये।
6. माल या सेवाओं का नाम भरिये (जो कि विनिर्देशन में दिए गए लक्षणों और वस्तुओं से युक्त होनी चाहिए।)
7. यदि कोई शर्त या निर्बंधन नहीं है तो कुछ भी न लिखिये।
8. जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दीजिये।
9. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
10. प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
11. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये—(नियम 4 देखिये)

प्ररूप व्या. चि.-29

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्ट सं० 34 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण में माल या सेवाओं या शर्त या निर्बन्धन के बारे में परिवर्तन करने के लिए व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन।

[धारा 50(1)(क) नियम 87]

(आवेदन के लिए आधारों के कथन) की तीन प्रतियों और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की लिखित सम्मति (यदि दी गई हो) की तीन प्रतियों के साथ यह तीन प्रतियों में फाइल किया जाये।

[1] ....

में .... द्वारा जो कि ....[2] के बारे में .... वर्ग ....[3] संख्या /संख्याओं वाले व्यापार चिन्ह (चिन्हों) के स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, यह आवेदन किया जाता है कि[4] -- बारे में ऊपर वर्णित व्यापार चिन्ह (चिन्ह) के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में[5] का रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित रीति में [6]परिवर्तित किया जाए :—

[7]--

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ....

[8] ....

हस्ताक्षर

[9] हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

—————[10], में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का पूरा नाम और पता भरिये।
2. अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्ररूप की पीठ पर दी जा सकेंगी।
3. जैसा विनिर्देश रजिस्टर में है, वैसा यहां दीजिए।

4. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का पूरा नाम और पता भरिये।

5. उस माल या सेवा को यहां लिखिये जिसके बारे में रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का रजिस्ट्रीकरण किया गया है।

6. वह रीति लिखिये जिसमें प्रविष्टि परिवर्तित की जानी चाहिए।

7. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

8. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये—नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या. चि.-30

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं॰ 35 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

¹व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा या व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं में से किसी के द्वारा आवेदन।

[धारा 50(1)(ख) नियम 88(1)]

(आवेदन के लिए आधारों के तीन प्रतियों में कथन के साथ यह तीन प्रतियों में फाईल किया जाए)।

¹ .... द्वारा जो कि ....* के बारे में .... वर्ग में रजिस्ट्रीकृत .... ³संख्या /संख्याओं वाले व्यापार चिह्न (चिन्हों) का (रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी)² (रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता) है,--------------------*के बारे में व्यापार चिह्न (चिह्नों के रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता के रूप में-------को)² के उपरवर्णित रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रीकरणों) में की प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

इस आवेदन के लिए आधार साथ वाले कथन में उपवर्णित है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:—

तारीख ....

⁷ ....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न

————— ⁸,

में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. आवेदक का या आवेदकों के पूरा/पूरे नाम और पता/पते भरिये।

2. जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।

3. अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्ररूप के पीछे दी जा सकती हैं।

4. जैसा रजिस्टर में है, वैसा विनिर्दिष्ट दें।

5. जिस रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता विषयक प्रविष्टि को रद्द करना चाहा गया है, उसका पूरा नाम और पता दें।

6. वह माल या सेवाएं लिखित जिसकी बाबत 6 में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता रजिस्ट्रीकृत है।

7. हस्ताक्षर।

8. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए।

प्ररूप व्या. चि.-31

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 36 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता विषयक प्रविष्टि को रद्द किए जाने के लिए आवेदन।

धारा 50 (1) (ग) 50(1) (घ), नियम 88 (1)।

(आवेदन के लिए आधारों के तीन प्रतियों में कथन के साथ यह तीन प्रतियों में फाइल किया जाए)।

[1]----------------------के नाम में----------------वर्ग में रजिस्ट्रीकृत----------------------[2]संख्या/संख्याओं वाले व्यापार चिह्न (चिह्नों) के विषय में[5]--------------के बारे में व्यापार चिह्न/चिह्नों के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में------------[4]को जो प्रविष्टि ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रीकरणों) में है उसको रद्द कराने के लिए--------------[3]द्वारा आवेदन किया जाता है।

इस आवेदन के आधार, जिनकी विशिष्टियां मामले के साथ वाले कथन में ब्यौरे से दी गई हैं,[6]--------------हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

तारीख :

[7]---------------------

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

------------------[8] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय।

1. अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्ररूप के पीछे दी जा सकती हैं।
2. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम भरिये।
3. रद्द कराने वाले आवेदक का नाम, पता और उसकी राष्ट्रीयता भरिये।
4. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का वह नाम, पता और वर्णन जो रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है उसे यहां भरिये।
5. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का जिस माल या सेवाओं की बाबत रजिस्ट्रीकरण हुआ है, वह माल या सेवा लिखिये।
6. धारा 50(1) के खंड (ग) के उपखंडों में से एक या अधिक उपखंड यहां लिखें।
7. हस्ताक्षर।
8. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये।

नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या. चि.-32

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता विषयक प्रविष्टि को परिवर्तित या रद्द करने के लिए कार्यवाहियों में मध्यक्षेप करने के आशय की सूचना [नियम 90(2)]

(मध्यक्षेप करने के आधारों के तीन प्रतियों में कथन के साथ यह तीन प्रतियों में फाइल किया जाए)।

[1]------------------के नाम में---------------वर्ग में रजिस्ट्रीकृत संख्या--------------- वाले व्यापार चिह्न के बारे में।

और

चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता के रूप में तद्धीन-----------[2] के रजिस्ट्रीकरण के विषय में।

मैं/हम [3]---------------उपर्युक्त विषय संबंधी कार्यवाहियों में मध्यक्षेप करने के अपने आशय की सूचना देता हूं/देते हैं।

इन कार्यवाहियों के संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

तारीख:

[4]-----------------------

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

---------------[5] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय।

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम भरिये।
2. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का नाम और पता भरिये।
3. सूचना देने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता और उसकी राष्ट्रीयता भरिये।
4. सूचना देने वाले व्यक्ति के या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
5. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये।

नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या. चि.-33

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 38 और नीचे पाद टिप्पण देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी (या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता) का नाम या वर्णन परिवर्तित करने के संबंध में रजिस्टर में प्रविष्टि करने के लिए प्रार्थना

धारा 58, नियम 91 और 97 ।

मैं/हम [1]------------------प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि मेरा/हमारा नाम और वर्णन---------------------वर्ग में रजिस्ट्रीकृत संख्या [2]-------------वाले व्यापार चिह्न/चिह्नों के स्वत्वधारी (धारियों)/रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता (उपयोक्ताओं)[3] के रूप में व्यापार चिह्न रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाए/किये जायें।

मैं (हम---------------उक्त व्यापार चिह्न[4] के लिए) रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता (उपयोक्ताओं) के रूप में उक्त व्यापार चिह्न[4] का उपयोग करने के लिए हकदार हूं/हैं।

उक्त व्यापार चिह्न की वास्तविक स्वत्वधारिता में [5]उसके रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/उपयोक्ताओं के रूप में परिवर्तन---------------[6] के सिवाय नहीं है।

जो प्रविष्टि इस समय रजिस्टर में विद्यमान है, उसमें मेरा/हमारा नाम और वर्णन निम्नलिखित रूप में है ....

इस अनुरोध की एक प्रति को शामिल रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता (उपयोक्ताओं) स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों)[2] पर कर दी गई है।

इस आवेदन से संबंधित समस्त संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख : ....

[6] ....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

..............................[7] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय।

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का वर्तमान नाम और पता भरिये।
2. जो शब्द लागू न हों, उसे काट दें।
3. अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्ररूप की पीठ पर दी जा सकती हैं।
4. वे परिस्थितियां लिखें जिनमें नाम में परिवर्तन हुआ है।
5. यदि लागू न हो, तो काट दें।
6. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
7. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखें।

नियम 4 देखिए।

पाद टिप्पण : फीस प्रथम चिह्न के लिए 1,000 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त सम्बद्ध चिह्न के लिए 500 रुपए, तथापि जहां कि नाम के बदलने या परिवर्तन के लिए आवेदन लोक प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप या भारत में विधि के अनुसार, कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप किया जाता है, वहां कोई फीस देय नहीं होगी।

प्ररूप व्या. चि.–34

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 39 और निम्न पाद टिप्पण देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

व्यापार चिह्न रजिस्टर में कारबार के भारत में मुख्य स्थान के या भारत में निवास के पते को या विदेश में उसके अपने देश में के पते में परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना।

धारा 58, नियम 91, 96 और 97 ।

.... वर्ग में रजिस्ट्रीकृत ....[1] संख्या/संख्याओं वाले व्यापार चिह्न/चिह्नों के विषय में .... मैं/हम .... जो उपर्युक्त संख्यांकित व्यापार चिह्न/(चिह्नों) का/के रजिस्ट्रीकृत [2]स्वत्वधारी/उपयोक्ता .... हूं/हैं, प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि भारत में मेरे/हमारे कारबार[2] (या निवास) के मुख्य स्थान का पता[2] या विदेश में के उस देश का मेरा (हमारा) पता बदल कर .... कर दिया जाए।

20.............................. के .... मास के .... वें दिन को ....[3] ने पते के परिवर्तन के लिए आदेश दिया था। आदेश की शासकीय रूप से प्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है।

इस प्रार्थना की एक प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत ⁴स्वत्वधारी पर हो चुकी है।
उपयोक्ता

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख : ....

⁵......................................

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

......................................⁶ में के व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय।

1. अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्ररूप की पीठ पर दी जा सकती है।
2. जो शब्द लागू न हों, उसे/उन्हें काट दें।
3. जो लागू न हो, तो काट दें।
4. परिवर्तन का आदेश देने वाले लोक प्राधिकारी का नाम और आदेश की तारीख भरिये।
5. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
   उपयोक्ता
6. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखें।

नियम 4 देखिए।

पाद टिप्पण : फीस प्रथम चिह्न के लिए 500 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त सम्बद्ध चिह्न के लिए 200 रुपए, किन्तु उस दशा में जिसमें परिवर्तन भारत में लोक प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप किया गया है, कोई फीस देय नहीं होगी।

प्ररूप व्या. चि.-35

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 200 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं.:

रजिस्टर में व्यापार चिह्न विषयक प्रविष्टि को रद्द कराने के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन ।

धारा 58 (1)(ग), नियम 97

......................................वर्ग के......................................संख्या वाले व्यापार चिह्न के विषय में रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम ....रजिस्टर में यथा प्रविष्टि पता...................................... पूर्वोक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन किया जाता है कि...................................... वर्ग में व्यापार चिह्न संख्या .... के व्यापार चिह्न रजिस्टर में प्रविष्टि को रद्द कर दिया जाए ।

2. ¹रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/उपयोक्ताओं पर आवेदन की एक प्रति की तामील की जा चुकी है ।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख : ....

²......................................

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न,

--------------³व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय ।

1. यदि लागू न हो, तो काट दें।
2. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।

3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखें।

नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या. चि.-36

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 200 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

जिन माल या सेवाओं के लिए व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है उनमें से किसी माल के काटने के लिए व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का आवेदन। [धारा 58 (1)घ, नियम 97]

व्यापार चिह्न सं.------------------ के विषय में रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता----------------------

जिन माल या सेवाओं के लिए व्यापार चिह्न संख्या------------------------------------वर्ग----------------------

रजिस्ट्रीकृत की गई है उनमें से [1]-------------के काटने के लिये पूर्वोक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन किया जाता है।

[2]इस आवेदन की एक प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/उपयोक्ताओं पर की जा चुकी है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख :

[3]-----------------

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न,

------------ [4] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय ।

1. जो माल या सेवा काटी जाती है, उसका नाम दें।

2. यदि लागू न हों, उसे काट दें।

3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

4. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखें:—

नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या. चि.-37

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 7 देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

कन्वेंशन देश से किसी वर्ग या विभिन्न वर्गों के माल या सेवाओं (सामूहिक चिह्न या प्रमाणपत्र व्यापार चिह्न से भिन्न) के शृंखला व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। [धारा 154(2)और 15(3) नियम 25 (11), 26 और 31]

(व्यापार चिह्न के पांच अतिरिक्त समाकृतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)

एक समाकृति इस खाली स्थान पर चिपकाएं और अन्य पांच समाकृतियां पृथक रूप से भेजी जाएं । बड़े आकार की समाकृति मोड़ी जा सकती है किन्तु कपड़े पर या अन्य समुचित सामग्री पर अवश्य चिपकाई जाएं और इसके साथ लगाए (नियम 28 देखिए)

[1]-------------की बाबत [1]--------------------- वर्ग में साथ लगे व्यापार चिह्न के रजिस्टर में [4]------------------ के नाम (नामों) में, जिसका पता.........[4]--------है और उक्त माल या सेवाओं की बाबत जो उसका (उनके) स्वत्वधारी होने का दावा करता है (करते हैं) (और जिसके द्वारा उक्त चिह्न में शीर्षक 6 में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है) या (और जिसके द्वारा और उसके पूर्ववर्ती द्वारा उक्त चिह्न -----------------[5]से निरंतर उपयोग किया जा रहा है। रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

कन्वेंशन देश में व्यापार चिह्न के रजिस्टर के लिए आवेदन---------------को किया गया है उस कन्वेंशन देश, जिसमें आवेदन फाइल किया था, के पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रमाणित प्रति (उसके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न है।

मैं/हम यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन कन्वेंशन देश में ऊपर उल्लिखित आवेदन पर आधारित पूर्विकता तारीख को रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

[8]--------------------   [9]------------------------------

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:—

तारीख :

[10]------------------------------

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

---------------- [11]में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञात नहीं है तो रजिस्ट्रार का निदेश लिया जा सकेगा।

2. उस वर्ग या वर्गों में उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनकी बाबत आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं के लिए पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यत: 500 से अनधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपए प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25 (16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले दिए गए स्थान पर अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन अवश्य करें।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंत: स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।

4. आवेदक को भारत में अपने कारबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन अवश्य करें। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया जाना है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित है, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और उस स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। तथापि, यदि, आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चला रहा है, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता हो तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहां आवेदक भारत में कोई कारबार नहीं चला रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में निवास स्थान के अतिरिक्त, यदि चाहे तो ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।

5. यदि चिह्न पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।

6. यदि लागू नहीं है तो शब्दों को काट दें। यदि एक पूर्वाधिकारी (पूर्वाधिकारियों) द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम (नामों) का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।

7. यदि 2 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं की बाबत व्यापार चिन्ह का कोई उपयोग नहीं किया गया है तो माल या सेवाओं की ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।

8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित हो, अन्यथा खाली छोड़ दें।

9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिह्न त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है तो उस आशय का कथन किया जाना चाहिए [नियम 25 (12) (ङ) और (च) देखिए]।

10. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर [विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति (धारा 145 देखिए)]।

11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें (नियम 4 देखिए)।

प्ररूप व्या. चि.-38

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस: पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 43 और निम्नलिखित पाद टिप्पण देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा धारा 59(1) के अधीन आवेदन

(नियम 98)

——————————————वर्ग में रजिस्ट्रीकृत —————————— संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में [1]—————————————— द्वारा, जो यथा उपर्युक्त संख्यांकित रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का/के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी है/हैं, उक्त व्यापार चिन्ह में निम्नलिखित विशिष्टियां परिवर्धित या परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया जाता है, अर्थात् [2]————————

चिन्ह की उन रूपवाली पांच प्रतियां इसके साथ फाइल की जाती हैं जैसा कि वह ऐसे परिवर्तित कर दिए जाने पर होगा।

इस आवेदन की [3] एक प्रति और ऐसे चिन्ह की प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता (उपयोक्ताओं) पर पहले ही कर दी गई है जैसा कि वह ऐसे परिवर्तित कर दिए जाने पर होगा।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:—

तारीख :

[4]————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह,

————————[5] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय।

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता भरिये।

2. पूरी विशिष्टियां भरिये।

3. यदि लागू न हों, तो काट दें।

4. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

5. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखें:—

नियम 4 देखिए।

टिप्पण : फीस 2500 रुपए : सम्बद्ध व्यापार चिन्हों की दशा में प्रथम रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस 2500 रुपए; प्रत्येक अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण के लिए 1000 रुपए । तथापि, उस दशा में, जिसमें कि चिह्न परिवर्धन या परिवर्तन लोक प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप या कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप होता है, कोई फीस देय नहीं है।

प्ररूप व्या. चि.-39

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 1500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं.:

रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए आवेदन के विरोध की सूचना ।

धारा 59(2), नियम 99(2)

(तीन प्रतियों में फाइल की जाए)

------------------------ वर्ग में ------------------------ के नाम में रजिस्ट्रीकृत ------------------------ संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में।

मैं/हम[1] ------------------------ उक्त संख्यांकित और रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के परिवर्धन या परिवर्तन का विरोध करने के अपने आशय की सूचना देता हूं/देते हैं जिससे कि वह उस प्ररूप में होगा जैसा कि 2000 के ------------------------ मास के ------------------------ दिन के अंक ------------------------ वाली व्यापार चिन्ह पत्रिका (जर्नल) के पृष्ठ ------------------------ में विज्ञापित आवेदन में विज्ञापित है।

विरोध के आधार निम्नलिखित हैं --------

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का ------------------------[2] वाला कार्यालय उस व्यापार चिन्ह के सम्बन्ध में समुचित कार्यालय के रूप में रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी ------------------------

तारीख :

[3]------------------------

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह

------------------------[2] के व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय ।

1. पूरा नाम और पता भरिये। यदि सूचना देने वाले व्यक्ति का भारत में कारबार का या निवास का कोई स्थान नहीं है तो भारत में तामील के लिए पता दिया जाना चाहिए।

2. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें—नियम 4 देखिए।

3. सूचना देने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।

प्ररूप व्या. चि.-40

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 1000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं.:

रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी द्वारा विनिर्देश में संपरिवर्तन करने के लिए आवेदन।

[नियम 101(1)]

चतुर्थ अनुसूची के.............................. वर्ग में .... के नाम में रजिस्ट्रीकृत .... संख्या वाले व्यापार चिह्न के विषय में।

ऊपर वर्णित रजिस्ट्रीकरण के विनिर्देश को और तद्धीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/उपयोक्ताओं के विनिर्देश (विनिर्देशों)[2] को संपरिवर्तन करने के लिये, जो संपरिवर्तन व्यापार चिह्न नियम, 2002 की चतुर्थ अनुसूची में हुए संशोधन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया है, आवेदन ऊपर संख्यांकित व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी [1] .... द्वारा किया जाता है। ....

संशोधन से पूर्व, उक्त अनुसूची के अनुसार, रजिस्टर में प्रविष्ट विनिर्देश ------------------------------ हैं/है।

यह अनुरोध किया जाता है कि संशोधित अनुसूची के अनुसार, निम्नलिखित विनिर्देशों की प्रस्थापना रजिस्ट्रार करें।

वर्ग ....

वर्ग ....

[3]इस आवेदन के प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता (उपयोक्ताओं) पर कर दी गई है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी..............................

तारीख :

[4]..............................

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

..............................[5]में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय।

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता भरिये।
2. यदि रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता नहीं है तो मोटे अक्षरों वाले शब्दों को काट दें।
3. यदि लागू न हो, तो काट दें।
4. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
5. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखें- (नियम 4 देखिए।)

प्ररूप व्या. चि.–41

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 46 देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं.:

विनिर्देश संपरिवर्तित करने की प्रस्थापना का विरोध करने की सूचना।

[धारा 60(2) नियम 101 (4)]

(यह बात कि प्रस्थापित संपरिवर्तन धारा 60 की उपधारा(1) के प्रतिकूल किस भांति होगा, दर्शित करने वाले कथन की तीन प्रतियों के साथ यह तीन प्रतियों में फाइल किया जाए)।

.... के नाम में चतुर्थ अनुसूची के.............................. वर्ग में रजिस्ट्रीकृत[1] .... संख्या (संख्याओं) वाले व्यापार चिह्न/चिह्नों के विषय में ।

मैं (हम[2].. उस (उन) व्यापार चिह्न (चिह्नों)के,जिसका/जिनका विज्ञापन 2000 के .... मास के .... वें दिन के अंक .... वाली व्यापार चिह्न पत्रिका में .... पृष्ठ पर हुआ था, विनिर्देश(विनिर्देशों) को संपरिवर्तित करने की प्रस्थापना का विरोध करने के अपने आशय की सूचना देता हूं/ देते हैं।

विरोध के आधार निम्नलिखित हैं

....

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का[3].. वाला कार्यालय व्यापार चिह्न(चिह्नों) के सम्बन्ध में समुचित कार्यालय के रूप में रजिस्टर में प्रविष्ट किया जा चुका है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी ....

तारीख :

[4]..............................

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न,

.... में के व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय।

1. एक से अधिक (सम्बद्ध व्यापार चिह्न होने वाले) ऐसे व्यापार चिह्नों की संख्या, जिनकी बाबत एक ही प्रस्थापना की गई है उस दशा में दी जा सकेगी जिसमें विनिर्देश एक ही है और चिह्न सम्बद्ध हैं।

2. पूरा नाम और पता दीजिये। यदि सूचना देने वाले व्यक्ति का भारत में कारबार का या निवास का कोई स्थान न हो तो भारत में तामील के लिए पता दिया जाना चाहिए।

3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये (नियम 4 देखिए)।

4. सूचना देने वाले व्यक्ति के या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

प्ररूप व्या. चि.-42

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 47 देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं.:

सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का उपयोग शासित करने वाले जो विनियम निक्षिप्त किये गये हैं उन्हें परिवर्तित करने या संशोधित करने के निक्षिप्त विनियम को परिवर्तित करने के लिए अनुरोध।

[धारा 66 और 74 (2) नियम 132 (क) और 140]

(आवेदन की दो प्रतियां और विनियमों की चार प्रतियां, जिनमें प्रस्थापित संशोधन परिवर्तन लाल रंग में दर्शित है, इसके साथ होंगी।)

[1]------------------------------द्वारा जो कि[2]--के, बारे में ------------------------------------वर्ग में रजिस्ट्रीकृत[3]----------------------------------[4]संख्याओं वाले सामूहिक चिह्न/प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न(चिह्नों)--------------------------वह/के स्वत्वधारी है/हैं उक्त चिह्नों के उपयोग को शासित करने वाले उन विनियमों को, जो निक्षिप्त हैं, उस रूप में संशोधित या परिवर्तित करने के लिए, जैसा कि उनका संशोधित या परिवर्तित किये जाने के लिए प्रस्थापित रूप उन विनियमों की साथ वाली प्रतियों में लाल रंग में दर्शित किया गया है आवेदन किया जाता है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

तारीख :

[5]---------------------

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

--------------[6] का व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय।

---

1. स्वत्वधारी का नाम और पता भी जैसा कि रजिस्ट्रीकृत है । स्वत्वधिकारियों के नाम और पते भी जैसे कि रजिस्ट्रीकृत हैं।
2. यदि वे ही विनियम रजिस्टर में सम्बद्ध चिह्नों के रूप में प्रविष्ट सामूहिक चिह्नों या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों के एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण को लागू होते हैं, तो सभी रजिस्ट्रीकरणों की संख्याएं दी जानी चाहिये।
3. अतिरिक्त संख्याएं और विनिर्देश हस्ताक्षरित अनुसूची की पीठ पर दी जा सकती हैं।
4. क्रमिक रजिस्ट्रीकरणों के विनिर्देश लिखें।
5. हस्ताक्षर।
6. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भी (नियम 4 देखिए ।)

प्ररूप व्या. चि.-43

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 1000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं.:

सामूहिक चिन्ह के रजिस्टर से हटाए जाने या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण को रद्द या परिवर्तित करने के लिए आवेदन ।

(धारा 68, 77, नियम 133, 139)

(मामले के कथन की तीन-तीन प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए)

------------------------नाम में---------------------वर्ग में रजिस्ट्रीकृत---------------------------संख्या

वाले सामूहिक चिह्न/प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के विषय में,---

--------------------------मैं/हम¹---

परिवेदित व्यक्ति होने के नाते रजिस्ट्रार के इस आदेश के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं कि—

2. ऊपर वर्णित सामूहिक चिह्न/प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न विषयक जो प्रविष्टि रजिस्टर में है उसका 3 विलोप। परिवर्तन निम्नलिखित रीति में कर दिया जाये।

⁴मेरे (हमारे) आवेदन के आधार निम्नलिखित हैं :—

मामले के कथन में जो इसके साथ भेजा जा रहा है उपवर्णित तथ्य और विषय मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

तारीख :

⁵हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह

---------------⁶के व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय ।

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरिये। यदि आवेदक का भारत में कारबार का या निवास का कोई स्थान नहीं है तो भारत में तामील के लिए पता भरा जाना चाहिए। (नियम 18 देखिये)

2. दोनों में से जो पैरा लागू न हो, उसे काट दें ।

3. जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें।

4. यथास्थिति, धारा 68 या धारा 77 के खंड (क) से खण्ड (घ) तक में उपवर्णित आधारों में से किसी को विनिर्दिष्ट करें।

5. हस्ताक्षर ।

6. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें—नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या० चि० 44

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 500 रु०

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

विरोध की सूचना देने के लिए समय बढ़ाने हेतु आवेदन।

[धारा 21(1), नियम 47(6)]

..............................संख्या वाले आवेदन के विषय में।

मैं/हम[1]..............................उस व्यापार चिन्ह के जिसका विज्ञापन 2000 के/की..............................मास के..............................वें दिन की व्यापार चिन्ह पत्रिका में ऊपर वाली संख्या के अधीन..............................वर्ग के बाबत हुआ था, रजिस्ट्रीकरण का विरोध करने की सूचना देने के लिए..............................[2] का समय बढ़ाने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

यह आवेदन करने के लिए कारण निम्नलिखित हैं—

....

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी[3]

....

तारीख..............................

....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,

..............................[5] में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम और पता भरिये।
2. पत्रिका में आवेदन के यथास्थिति, विज्ञापन या पुनर्विज्ञापन की तारीख से तीन मास के उपरान्त वाली एक मास से अनधिक वह कालावधि भरिये जितने के लिए समय बढ़ाना अपेक्षित है।
3. केवल तभी लिखा जाना है जब दिया गया पता भारत का पता नहीं है।
4. हस्ताक्षर।
5. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें। (नियम 4 देखिए)

प्ररूप व्या. चि. 45

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 2500 रु०

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

किसी कन्वेंशन देश से उत्पादित रूप से अक्षर या अंकों वाले टैक्सटाइल व्यापार चिन्ह को रजिस्टर करने के लिए आवेदन।

[धारा 18 (1) और 154 (2), नियम 25 (6), 26, 144 और 145]

(व्यापार चिह्न को पांच अतिरिक्त समाकृतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)

एक समाकृति इस खाली स्थान पर चिपकाएं और अन्य पांच समाकृतियां पृथक रूप से भेजी जाएं। बड़े आकार की समाकृति मोड़ी जा सकती है किन्तु कपड़े पर या अन्य समुचित सामग्री पर अवश्य चिपकाई जाएं और इसके साथ लगाएं।

(नियम 28 देखिए)

2.-------------की बाबत ---------------------¹ वर्ग के साथ सारे व्यापार चिह्न के रजिस्टर में ²------------------ के नाम (नामों) में, जिनका पता ³---------------- है और उक्त माल या सेवाओं की बाबत जो उसका (उनके) स्वत्वधारी होने का दावा करता है (करते हैं) (और जिसके द्वारा उक्त चिह्न में शीर्षक के 6 में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है या) और जिसके द्वारा और उसके पूर्ववर्ती द्वारा उक्त चिह्न ------------------⁵से निरन्तर उपयोग किया जा रहा है। रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

कन्वेंशन देश में व्यापार चिह्न के रजिस्टर के लिए आवेदन .... को किया गया है उस कन्वेंशन देश, जिसने आवेदन फाइल किया था, के पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रमाणित प्रति (उसके अंग्रेजी अनुवाद सहित) एक प्रमाणित संलग्न है।

मैं/हम यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन कन्वेंशन देश में ऊपर उल्लिखित आवेदन के आधार पर पूर्विकता की तारीख से रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

* ....

* ....

इस आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

तारीख ....

** ....

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में।

सेवा में

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

------------------- ¹¹में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय

1. यदि माल के वर्ग की जानकारी नहीं है तो रजिस्ट्रार के निदेश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।
2. जिस वर्ग की बाबत आवेदन किया गया है उस वर्ग के लिए वस्तु या सेवाएं विनिर्दिष्ट करें। माल या सेवाओं के ब्यौरे वाली एक पृथक शीट का उपयोग करें। माल या सेवाओं के विनिर्देश सामान्यतः 500 अक्षरों से अधिक नहीं होने चाहिए। 10 रुपये के प्रति अक्षरों के अतिरिक्त स्थान फीस इस सीमा के पश्चात् संदेय नहीं है। नियम 25 (16) देखिए। आवेदक को वहां अधिक अक्षरों की ठीक संख्या बतानी चाहिए। जहां माल या सेवाओं के विनिर्देश हस्ताक्षर करने से ठीक पूर्व, उपलब्ध कराए गए स्थान पर 500 अंक से अधिक है।
3. पूरा नाम, वर्णन (आवेदक का व्यवसाय और उपजीविका तथा राष्ट्रीयता सुपाठ्य रूप से भरें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन का देश या फर्म बनाने वाले भागीदारों के नाम और वर्णन तथा रजिस्ट्रीकरण की प्रकृति, यदि कोई हो, लिखी जानी चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. यदि आवेदक का भारत में कारबार का मुख्य स्थान है तो उसका पता, यदि कोई हो, दिया जाना चाहिए। नियम 3 और 17 देखिए (यदि आवेदक उस माल या सेवाओं का कारबार करता है जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण भारत में केवल एक स्थान में चाहा गया है) तो ऐसा तथ्य कथित किया जाना चाहिए और स्थान का पता दिया जाना चाहिए। यदि आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों में संयुक्त माल या सेवाओं का कारबार करता है तो आवेदक को यह तथ्य कथित करना चाहिए और कारबार उस स्थान का पता देना चाहिए जिसे वह अपने कारबार का मुख्य स्थान समझता है। तथापि, यदि आवेदक संप्रक्त वस्तु या सेवाओं का कारबार नहीं करता है किन्तु अन्य वस्तु या सेवाओं में केवल एक स्थान पर कारबार करता है तो यह तथ्य कथित किया जाना चाहिए और उस स्थान का

पता दिया जाना चाहिए, और जहां कि आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों में ऐसा कारबार करता है वहां ऐसा तथ्य कथित किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता, जिसे कि वह अपने कारबार का मुख्य स्थान समझता है, दिया जाना चाहिए जहां कि आवेदक भारत में कोई कारबार नहीं करता है वहां यह तथ्य कथित किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। यथास्थिति, भारत में कारबार के या निवास के मुख्य स्थान के अतिरिक्त, आवेदक उस दशा में जिसमें वह ऐसी वांछा करता है, भारत में कोई ऐसा पता दे सकेगा जिस पते से कि आवेदक से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी (नियम 19 देखिए) जहां कि आवेदक का भारत में कारबार या निवास का कोई स्थान नहीं है वहां यह तथ्य कथित किया जाना चाहिए और विदेश में के अपने देश वाले पते के साथ भारत में तामील के लिए पता दिया जाना चाहिए।

5. यदि चिह्न का पहले उपयोग किया गया है तो काट दें।

6. जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें। यदि शीर्षक में पूर्ववर्ती द्वारा उपयोक्ता का दावा किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को/के नाम स्वयं आवेदक द्वारा उपयोग आरंभ करने की तारीख सहित ऊपर 8 पर लिखा जाना चाहिए।

7. यदि 2 पर विनिर्दिष्ट सभी माल की बाबत व्यापार चिह्न का कोई भी उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसे माल या सेवाओं जिसकी बाबत चिह्न का वास्तविक रूप से उपयोग किया जा चुका है, को कथित करें।

8. अतिरिक्त विषय के लिए, यदि अपेक्षित हो, अन्यथा खाली छोड़ दें।

9. यदि रंग के संयोजन का दावा किया जाता है तो उसे स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंग लिखें। यदि चिह्न तीन विमीय व्यापार चिह्न है तो इस आशय का एक कथन किया जाए (नियम 25 और नियम 29 देखिए)।

10. आवेदक और उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (आवेदक के एक मात्र और नियमित नियोजन में विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता या व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।

11. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय में स्थान का नाम लिखें (नियम 4 देखिए)।

प्ररूप व्या. चि. 46

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 51, 52 और 53 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं० :

स्वत्वधारी का कोड सं० :

रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध [धारा 137 या 148 (2), नियम 119 और 120]

.... वर्ग/वर्गों में रजिस्ट्रीकृत .... संख्या वाले व्यापार चिह्न के विषय में

मैं/हम¹ .... रजिस्ट्रार से अनुरोध करता हूं/करते हैं कि इस आशय का कि² .... अपना प्रमाणपत्र³ की प्रमाणित प्रति .... व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र .... में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए उपयोग में लाये जाने हेतु मुझे/हमें दें। प्रमाण-पत्र/प्रमाणित प्रति भारत में निम्नलिखित पते (6) पर भेजी जाए।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

....

तारीख ....

..............................हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,

.... *में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. अन्य मामलों में ठीक बैठाने के लिए इन शब्दों को बदला जा सकेगा।
2. अनुरोध करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें।
3. जो शब्द लागू न हो, उन्हें काट दें।
4. वे विशिष्टियां दें जिन्हें प्रमाणित करने के लिए रजिस्ट्रार अपेक्षित है या उस दस्तावेज की विशिष्टियां दें जिसकी प्रमाणित प्रति अपेक्षित है।
5. देश या राज्य का नाम भरें।
6. केवल तभी लिखा जाए जब इसमें दिया गया पता, भारत का पता न हो।
7. हस्ताक्षर।
8. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें—नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या. चि. 47

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 200 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

अपील बोर्ड द्वारा दिये गये मान्यता प्रमाणपत्र विषयक टिप्पण को रजिस्टर में प्रविष्ट करने और उसका विज्ञापन करने के लिए प्रार्थना।

(धारा 141, नियम 124)

[1]————————के नाम में————————वर्ग में रजिस्ट्रीकृत————————संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में।

मैं/हम ————————————————————————————————

रजिस्ट्रार से प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि रजिस्ट्रार इस आशय का एक टिप्पण की अपील बोर्ड ने [1]————————————में यह प्रमाणित किया है कि उक्त रजिस्ट्रीकरण की मान्यता प्रश्नास्पद हुई और मान्यता का व्यापार चिन्ह के स्वत्वधारी के पक्ष में उन शब्दों में विनिश्चय हुआ जो कि मान्यता प्रमाणपत्र की साथ वाली शासकीय प्रमाणित प्रति में दिये हुए हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख————————

[3]हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न,

................[4]में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता भरिये।
2. जिन कार्यवाहियों में प्रमाणपत्र दिया गया था, उनकी प्रकृति, उनमें के पक्षकारों के नाम सहित भरिये।
3. हस्ताक्षर।
4. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें.................नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या. चि. 48

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं. :
स्वत्वधारी का कोड सं. :

अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार का प्ररूप (धारा 145 और नियम 21 देखिए)

(तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार स्टांपित किया जाए)

मैं/हम[1]————————————, ————————————के लिये मेरे (हमारे) अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये————————————के————————————[2] को प्राधिकृत करता हूं/करते हैं और यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि तत्संबंधी सभी सूचनाएं, अध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं ऐसे अभिकर्ता को उपर्युक्त पते पर भेजी जाएं।

मैं/हम इस कार्यवाही विषयक सभी पूर्ववर्ती प्राधिकारों को, यदि कोई हों, प्रतिसंहृत करता हूं/करते हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख————————

[4]......................
हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न,

..................[5] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के कार्यालय

1. पूरा नाम और पता और राष्ट्रिकता भरें—नियम 16 देखिये।
2. अभिकर्ता (विधि व्यवसायी, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता या अभिकर्ता को नियुक्ति करने वाले व्यक्ति के एकमात्र और नियमित नियोजन में के व्यक्ति) का पूरा नाम और उसका पता भरें।
3. यदि ज्ञात हो तो निर्देश संख्या देते हुए, उस विशिष्ट विषय या कार्यवाही को कथित करें, जिसके लिये अभिकर्ता की नियुक्ति की गई है।
4. अभिकर्ता को नियुक्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
5. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें..................नियम 4 देखिए।

प्ररूप व्या. चि. 49

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

विनियमों का प्ररूप

धारा 63, 71 नियम 128 (1), 135(1)

(... —लिए)

[1]————————————के धार[2]————————— [3]————————————[4]सामूहिक चिन्ह सं.———————————————— [5]प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह संख्या के उपयोग को शासित करने के लिए विनियम

(शासकीय उपयोग के लिये)

व्यापार चिन्ह पत्रिका के————————————अंक के————————वें पृष्ठ पर————————के/की————————— भारत के——————————————————दिन की विज्ञापित

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी—

(आवेदन और रजिस्ट्रीकरण की तारीख ————————————2000)

1. जो लागू न हो, उसे काट दें।

2. यहां माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें।

प्ररूप व्या. चि. 50

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 40 और 41 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं. :
स्वत्वधारी का कोड सं. :

व्यापार चिन्ह के जिस रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का भारत में कारोबार का मुख्य स्थान नहीं है उसके द्वारा अपना यह पता, जैसे उसका भारत में तामील के लिये है, अपने रजिस्ट्रीकरण के भाग स्वरूप प्रविष्ट, परिवर्तित या प्रतिस्थापित करने के लिये की जाने वाली प्रार्थना का प्ररूप (नियम 91, 96, 97)

[1]——————————————————जो कि————————————वर्ग में रजिस्ट्रीकृत——————————————[3]संख्या वाले व्यापार चिन्ह (चिन्हों) का रजिस्ट्रीकृत [2]स्वत्वधारी (उपयोक्ता) है, इस दृष्टि से तत्संबंधी (चिन्हों का भारत में तामील के लिये पते में 'यह' जोड़ने या उसे परिवर्तित या प्रतिस्थापित करने के लिये कि भारत में तामील का पता[5]——————————————————पढ़ा जाये, प्रार्थना करता है।)

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख————————

[6]......................................

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न,

...............[7] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के कार्यालय

1. यहां अनुरोध करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम और पता भरें।
2. यथास्थिति, ''स्वत्वधारी'' या ''उपयोक्ता'' शब्दों में से एक को काट दें।
3. (जहां कि चिन्ह रजिस्टर में सम्बद्ध व्यापार चिन्हों के रूप में प्रविष्टि हैं वहां) अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में इस प्ररूप के पीछे दी जाएं।
4. जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।
5. यहां वास्तविक प्रविष्टि या वांछित परिवर्तित प्रविष्टि भरें।
6. हस्ताक्षर।
7. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें................(नियम 4 देखिए)।

टिप्पणी—जिस रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का भारत में तामील के लिये पता लोक प्राधिकारी द्वारा इस लिए बदला जा चुका है ताकि परिवर्तित पते से पहले व. 1 ही परिसर इंगित होते हैं वहां रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता इस के लिए फीस का संदाय करने से बचा जा सके इस बात का कथन भी इस प्ररूप के पीछे दिये गये स्थान में कर सकेगा।

(इस प्ररूप के पीछे व्यक्त हो)

केवल उस दशा में उपयोग में लाए जाने के लिये है जिसमें कि भारत में तामील के लिये पता परिसर से कोई परिवर्तन हुए बिना, लोक प्राधिकारी द्वारा बदला जाता है।

भारत में तामील के लिए पते में जिस परिवर्तन की प्रविष्टि करने के लिये आवेदन इस प्ररूप की दूसरी तरफ किया गया है उस परिवर्तन के लिए आदेश[1]——————————————द्वारा तारीख————————————को दिया गया था।

आदेश की एक शासकीय प्रमाणित प्रति इसके साथ भेजी जाती है।

तारीख——————————

[2]……………………………………

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

[1]. परिवर्तन का आदेश देने वाले लोक प्राधिकारी का नाम और आदेश देने की तारीख यहां भरें।

[2]. हस्ताक्षर।

टिप्पण : यदि उपर्युक्त कथन किया जाए और परिवर्तन नामित प्राधिकारी के जिस आदेश से आवश्यक हो गया है उसकी शासकीय प्रमाणित प्रति दी जाए, यदि रजिस्ट्रार का समाधान उस मामले के तथ्यों के संबंध से हो जाता है, तो प्ररूप व्या० चि. 50 में दी जाने वाली कोई फीस देने की मांग न करना [नियम 96(3) देखिये]

प्ररूप व्या. चि. 51

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1955

फीस : 2500 रु० प्रत्येक वर्ग के लिए

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

माल या सेवाओं (सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न से भिन्न) के विभिन्न वर्गों के व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन

धारा 18 (2), नियम 25 (9), 103 ।

(व्यापार चिह्न के पांच अतिरिक्त समाकृतियों के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए)

एक समाकृति इस खाली स्थान पर चिपकाएं और अन्य ‍ समाकृतियां पृथक रूप से भेजी जाएं। बड़े आकार की समाकृति मोड़ी जा सकती है किन्तु कपड़े या अन्य समुचित सामग्री पर अवश्य चिपकाई जाए या और इसके साथ भराएं । नियम 28 देखिए।

——————————के नाम (नामों) में, जिनका पता[3]——————————है उसका (उनका) स्वत्वधारी होने का दावा करते हैं और जिसके द्वारा उक्त चिह्न का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है[4] और जिसके द्वारा या और उक्त चिह्न के शीर्षक————————————[5] में उसके (उनके) पूर्ववर्ती/पूर्ववर्तियों द्वारा उक्त माल या सेवाओं[6] की बाबत——————————से निरंतर उपयोग किया जा रहा है, निम्नलिखित—

(i) —————————— वर्ग 1—————————— की बाबत 2

(ii) —————————— वर्ग 1—————————— की बाबत 2

(iii) —————————— वर्ग 1—————————— की बाबत 2

व्यापार चिह्न के साथ रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

*————————————————

*————————————————

इस आवेदन के संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी—

तारीख :—

*हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार,

..................." में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञात नहीं है तो रजिस्ट्रार का निदेश लिया जा सकेगा।

2. वर्ग या वर्गों के लिए उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनके संबंध में आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक सीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अनधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपए प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25 (16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन अवश्य करना चाहिए।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।

4. आवेदक को भारत में अपने कारबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन अवश्य करना चाहिए। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया जाना है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित है, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और उस स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। तथापि, यदि, आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चला रहा है, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता हो तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहां आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में निवास स्थान के अतिरिक्त, यदि चाहे तो ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।

5. यदि चिह्न पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।

6. यदि लागू नहीं है तो शब्दों को काट दें। यदि एक पूर्वाधिकारी (पूर्वाधिकारियों) द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम (नामों) का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ 8 पर कथन किया जाना चाहिए।

7. यदि 2 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं की बाबत व्यापार चिह्न का कोई उपयोग नहीं किया गया है तो माल या सेवाओं की ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिह्न को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।

8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित हो, अन्यथा खाली छोड़ दें।

9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है तो उस आशय का कथन किया जाना चाहिए (नियम 25 और 29 देखिए)।

10. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।

11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें (नियम 4 देखिए)।

प्ररूप व्या. चि. 52

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 2500 रु० प्रत्येक वर्ग के लिए

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

कन्वेंशन देश से माल या सेवाओं (सामूहिक व्यापार चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह् से भिन्न) के विभिन्न वर्गों के व्यापार चिन्ह् के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन।

धारा 18 (2), नियम 25 (4), 103

एक समाकृति इस खाली स्थान पर चिपकाएं और अन्य पांच समाकृतियां पृथक् रूप से भेजी जाएं। बड़े आकार की समाकृति मोड़ी जा सकती है किन्तु कपड़े पर या अन्य समुचित सामग्री पर अवश्य चिपकाई जाए और इसके साथ लगाएं (नियम 28 देखिए)।

———————[1] के नाम (नामों) में, जिनका पता[2]——————— है उसका (उनका) स्वत्वधारी होने का दावा करते हैं और जिसके द्वारा उक्त चिन्ह् का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है [3]('या और जिसके द्वारा उक्त चिन्ह् के शीर्षक या ———————[4] में उसके (उनके) पूर्ववर्ती/पूर्ववर्तिओं द्वारा उक्त माल या सेवाओं' की बाबत ——————— से निरन्तर उपयोग किया जा रहा है, निम्नलिखित—

(i) ——————— वर्ग[5] ——————— की बाबत[6]

(ii) ——————— वर्ग[5] ——————— की बाबत[6]

(iii) ——————— वर्ग[5] ——————— की बाबत[6]

व्यापार चिह्न के साथ रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन किया जाता है।

कन्वेंशन देश में व्यापार चिह्न के रजिस्टर के लिए आवेदन ——————— को किया गया है, उस कन्वेंशन देश, जिसमें आवेदन फाइल किया था के पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रमाणित प्रति (उसके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न है।

मैं/हम यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन कन्वेंशन देश में ऊपर उल्लिखित आवेदन पर आधारित पूर्वता की तारीख से रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा।

[8].. [9]..

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी—

तारीख :

[10] हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिन्ह, रजिस्ट्रार

.................." में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञात नहीं है तो रजिस्ट्रार का निदेश लिया जा सकेगा।

2. वर्ग या वर्गों के लिए उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनके संबंध में आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यत: 500 से अनधिक अक्षर होने चाहिएं। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपए प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25 (16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन अवश्य करना चाहिए।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुस्पष्ट रूप से अंत: स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।

4. आवेदक को भारत में अपने कारबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन अवश्य करना चाहिए। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया जाना है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित है, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और उस स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। तथापि, यदि, आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चला रहा है, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता हो तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहां आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में निवास स्थान के अतिरिक्त, यदि चाहे तो ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।

5. यदि चिन्ह पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।

6. यदि लागू नहीं है तो शब्दों को काट दें। यदि एक पूर्वाधिकारी (पूर्वाधिकारियों) द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम (नामों) का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ * पर कथन किया जाना चाहिए।

7. यदि * में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं की बाबत व्यापार चिन्ह का कोई उपयोग नहीं किया गया है तो माल या सेवाओं की ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।

8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित हो, अन्यथा खाली छोड़ दें।

9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है तो उस आशय का कथन किया जाना चाहिए (नियम 25 और 29 देखिए)।

10. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।

11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें (नियम 4 देखिए)।

प्ररूप व्या. चि. 53

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : प्रभाजन फीस धन समुचित वर्ग फीस के रूप में 1000 रु. अभिकर्ता का कोड सं. :

प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं. 68 देखिए स्वत्वधारी का कोड सं. :

माल या सेवाओं के विभिन्न वर्गों के लिए किए गए एकल आवेदन या किसी आवेदन के प्रभाजन के लिए अनुरोध

धारा 22 का परन्तुक नियम 104

(चिन्ह के तीन अतिरिक्त समाकृतियों सहित तीन प्रतियों में भरा जाए)

——————————— की फाइल ———————————————— के नाम में ——————————— वर्ग में ——————————— संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में।

मैं/हम¹——————————————— रजिस्ट्रार से प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि वर्ग ——————————— से ——————————— में, या निम्नलिखित वर्ग या वर्गों में ——————————— वर्ग/वर्गों² से एकल आवेदन के प्रभाजन के लिए या नीचे यथा उपदर्शित ——————————— वर्ग में माल या वस्तुओं के विनिर्देश को प्रभाजित करने के लिए आवेदन सं. ——————————— को प्रभाजित किया जाए।

———————————————————————————

———————————————————————————

रजिस्ट्रार के आदेश की एक प्रति प्रार्थना पर भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :—

तारीख :—

⁴हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,

...............³ में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. आवेदक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें।

2. ऐसी वस्तुओं या सेवाओं और वर्ग या वर्गों को उल्लिखित करें जिन्हें उपरली संख्यात्मक क्रम में रजिस्ट्रीकृत किए जाते हैं।

3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें—नियम 4 देखिए।

4. आवेदक या अभिकर्ता (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के हस्ताक्षर)।

प्ररूप व्या. चि. 54

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

नियम 24 (1) के अधीन तलाशी के लिए प्रार्थना

रजिस्ट्रार से नियम 24 (1) के अधीन प्रार्थना की जाती है कि वह —————————————— वर्ग में [1] ——————————————[2]की बाबत तलाशी यह अभिनिश्चित करने के लिए करें कि क्या कोई ऐसे व्यापार चिन्ह अभिलेख में विद्यमान हैं, जो तीन प्रतियों में भेजे गए व्यापार चिन्ह के, जिसमें से प्रत्येक समाकृति मजबूत कागज के ऐसे पृष्ठ पर बड़ी होगी जो आकार में लगभग 33 सेंटीमीटर ×20 सेंटीमीटर की हो, सदृश हैं।

इस आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख :—

[3]..................

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह

................[4] में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि वर्ग ज्ञात न हो तो रजिस्ट्रार का निदेश अभिप्राप्त किया जा सकेगा।

2. वे माल या सेवाएं (कथित वर्ग) में विनिर्दिष्ट करें जिनकी बाबत तलाशी ली जानी है।

3. हस्ताक्षर

4. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये।

पाद टिप्पण—उन मामलों में, जिनमें फीस के संदाय से छूट के लिए केन्द्रीय सरकार के निदेश अभिप्राप्त कर लिए गए हैं कोई फीस देय नहीं है।

प्ररूप व्या. चि. 55

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1955

फीस : 1000 रु.

व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन करने की प्रस्थापना जिस व्यक्ति ने की है, सुभिन्नता करने के बारे में रजिस्ट्रार की प्राथमिक सलाह अभिप्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा प्रार्थना [धारा 133 (1), नियम 23]।

मैं/हम[1]——————————————रजिस्ट्रार से प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें वह इस बाबत सलाह दें कि क्या साथ वाले व्यापार चिन्ह [2] की बाबत उसे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वह मेरे/हमारे माल या सेवाओं को दूसरी वस्तुओं से सुभिन्नता दिखाने के लिए हैं।

जिन मालों या सेवाओं की बाबत व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की मेरी/हमारी प्रस्थापना है वे————————————वर्ग वाली——————————————[3] है।

रजिस्ट्रार की सलाह भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती है [4]——————————————————

तारीख :—

[5]..............................

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,

..............[6] का व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का कार्यालय

1. पूरा नाम और पता लिखें।

2. तीन प्रतियों में भेजी जाए, प्रत्येक समाकृति मजबूत कागज के ऐसे पत्र पर मढ़ी होगी जो आकार में 33 सेंटीमीटर ×20 सेंटीमीटर का है।

3. यहां माल या सेवाएं विनिर्दिष्ट करें। एक ही वर्ग वाले माल या सेवाएं विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक आवेदन अपेक्षित है।

4. केवल तभी लिखें जब दिया गया पता भारत में किसी स्थान का नहीं है।

5. हस्ताक्षर

6. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये।

पाद टिप्पण.—यदि और जब आवेदन व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए किया जाता है, और यदि व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के अभिलेखों में ऐसे चिन्ह पाये जाते हैं तो उसके समान है या इतने सम‍रूप है कि धोखा हो जाए तो आपत्ति की जा सकेगी। ऐसे सुसंगत चिन्हों की पूर्वतर अधिसूचना (उस दशा में यदि वे पाये जाते हैं) रजिस्ट्रार से प्ररूप व्या. चि. 54 पर किए गए अनुरोध पर अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।

प्ररूप व्या. चि. 56

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

ऐसे समय के [जो अधिनियम में स्पष्टतया उपबंधित समय या नियम 79 द्वारा या नियम 80(4)द्वारा विहित समय नहीं है] या ऐसे समय के जिसके बढ़ाने के लिए उपबंध नियमों में किया गया है, बढ़ाने के लिए आवेदन। (धारा 131, नियम 106)।

¹ ———————————— के विषय में

मैं/हम ² ————————————————————————

———————— जो उक्त मामले में ———————————— हूं/हैं ——————³ के लिये ————

————————⁴ के समय बढ़ाने के लिए आवेदन निम्नलिखित आधारों पर करता हूं/करते हैं ————————

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी—

तारीख ————

⁵————————

हस्ताक्षर

सेवा में,

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

स्पष्ट अक्षरों में

————————⁶ में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. यहां वे शब्द और निर्देश संख्या भरिये जिनसे उस विषय का पता चल जाता है जिसकी बाबत आवेदन किया गया है ।

2. पूरा नाम और पता भरिये।

3. अपेक्षित विस्तार की कालावधि लिखिये।

4. वह प्रयोजन लिखिये जिसके लिये समय बढ़ाना अपेक्षित है।

5. हस्ताक्षर।

6. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये—(नियम 4 देखिये)।

प्ररूप व्या. चि. 57

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 2000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन [धारा 127 (ग) नियम 115]

(तीन प्रतियों में कथन के साथ इसे तीन प्रतियों में फाइल किया जाए—नियम 115 देखिये)

¹ ———————————————— के विषय में (मैं या हम) ² ————

जो उक्त ———————— हूं/है उक्त मामले में 2000 के ———— मास के ———— वें दिन वाले रजिस्ट्रार के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए उनसे आवेदन करता हूं/करते हैं।

इस आवेदन को करने के लिए आधार साथ वाले कथन में दिए हुए हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाओं को भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ————

³————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

——————————[4] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. यहां वे शब्द और निर्देश संख्या भरिये जिनसे उस विषय का पता चल सके जिसकी बाबत आवेदन किया गया है ।

2. पूरा नाम और पता भरिये।

3. हस्ताक्षर।

4. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये—(नियम 4 देखिये)।

प्ररूप व्या. चि. 58

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 250 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

चिह्न के विज्ञापन की विशिष्टियों के लिये रजिस्ट्रार से अनुरोध—नियम 46

मैं(या हम) ——————————[1] अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें जर्नल के उस अंक, तारीख और पृष्ठ की जानकारी दी जाए जिनका रजिस्ट्रीकरण —————————— संख्या वाले आवेदन से —————————— के नाम में चाहा गया है, —————————— नाम विज्ञापित है।

यह जानकारी भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी।[1]——————————

तारीख ——————

[2]——————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में,

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

——————————[3] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम और पता भरिये।

2. हस्ताक्षर।

3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये—(नियम 4 देखिये)।

प्ररूप व्या. चि. 59

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी या अन्य प्रति के लिये अनुरोध। [नियम 62(3)]

(यदि आवेदक के विज्ञापन के लिये लेबल दिया था, तो इस प्ररूप के साथ चिह्न की एक चेमड़ी ठीक वैसी ही समाकृति होनी चाहिए जैसी कि रजिस्ट्रीकरण के समय आवेदन के प्ररूप में संदर्शित की गयी थी।)

मैं (या हम)[1]—————————————————————रजिस्ट्रार से अनुरोध करता हूं/करते हैं कि वह मुझे (हमें) रजिस्टर के ——————————————— वर्ग में रजिस्ट्रीकृत —————————— संख्या वाले मेरे (हमारे) व्यापार चिह्न की बाबत धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन मुझे(हमें) दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की[2] दूसरी प्रति/[2] अन्य प्रति दें।

प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति/अन्य प्रति[2] भारत में मेरे/हमारे निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी।

तारीख ————————————————

[3]————————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

————————————[4] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता भरिये।
2. जो कोई लागू न हो, उसे काट दीजिये।
3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
4. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये—(नियम 4 देखिये)।

प्ररूप व्या. चि. 60

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 5000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

नियम 24(3) और 32 के अधीन तलाशी और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध

रजिस्ट्रार से नियम 24(3) के अन्तर्गत यह पता लगाने के लिए तलाशी का अनुरोध किया जाता है कि क्या कोई ऐसा व्यापार चिह्न अभिलेख पर है जो इसके साथ तीन प्रतियों में भेजी गई कलाकृति के सदृश है (प्रत्येक कलाकृति कार्य लगभग 30×20 सें. मी. के आकार में मजबूत कागज की शीट में मढ़ा जाए) और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 के अधीन उसके उपयोग के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ——————

[1]————————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

[2]मुम्बई स्थित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. हस्ताक्षर
2. नियम 8(2)(ग) देखिए

प्ररूप व्या. चि. 61

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 500 अक्षरों से अधिक प्रत्येक अक्षर के लिए 10 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं.

500 अक्षरों से अधिक में माल या सेवाओं के विनिर्देश को सम्मिलित करने के लिए नियम 25 के उपनियम (16) के अधीन आवेदन।

मैं(हम) [1] ———————— वर्ग की ———————— संख्या के अधीन व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन होने के फलस्वरूप नियम 25 के उपनियम 16 के अधीन 500 अक्षरों की अधिकता में 10 रुपये प्रति अक्षर की दर पर अधिक स्थान के लिए ———————— रुपए फीस की राशि प्रस्तुत करता हूं/करते हैं।

मैं(हम) उपरोक्त आवेदन के अंतर्गत अधिक अक्षरों की संख्या का उल्लेख करता हूं/करते हैं जो ———— है।

इस आवेदन से संबंधित सभी सूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ———————— 20

[2]————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में-

सेवा में

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

————————[3] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. आवेदक का पूरा नाम और पता भरिये।
2. आवेदक या अभिकर्ता के हस्ताक्षर
3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखें (नियम 4 देखिये)।

प्ररूप व्या. चि. 62

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 1,000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के समनुदेशन या पारेषण के लिए धारा 43, नियम 140(2) के अधीन रजिस्ट्रार की सहमति के लिए आवेदन।

(समनुदेशन के प्रारूप विलेख की तीन प्रतियों के साथ या किसी शपथपत्र और शपथपत्र की दो प्रतियों में फाइल किया जाए)

मैं(हम) [1] ———————— वर्ग की रजिस्ट्रीकृत ———————— व्यापार चिह्न प्रमाणपत्र की संख्या ———————— के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी होने के नाते ————[2]को उपरोक्त व्यापार चिह्न प्रमाणन के समनुदेशन या पारेषण के लिए रजिस्ट्रार की सहमति के लिए आवेदन करते हैं।

[3]प्रस्तावित समनुदेशन का प्रारूप विलेख इसके साथ प्रेषित है।

[3] वे परिस्थितियां जिनके अधीन शपथपत्र के साथ पारेषण हुआ है संलग्न शपथपत्र में उपवर्णित हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ————

————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

————————————[1] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम, पता और राष्ट्रिकता भरें।

2. प्रस्तावित अंतरिती का नाम, पता और राष्ट्रिकता का वर्णन करें।

3. यदि किसी विशिष्ट मामले में अपेक्षित न हो तो इन पैरों में से किसी एक को हटा दें।

4. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

5. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें। (नियम 4 देखिये)।

प्ररूप व्या. चि. 63

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 12,500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की शीघ्र परीक्षा के लिए निवरण आवेदन
नियम 8(ग), 38(1)

.... को फाइल किए गए .... वर्ग में .... आवेदन संख्या के विषय में।

मैं (हम) ऊपर उल्लिखित आवेदन की बाबत शीघ्र परीक्षा रिपोर्ट के जारी करने के लिए रजिस्ट्रार से अनुरोध करता हूं/करते हैं। अनुरोध के लिए कारण संलग्न घोषणा में उल्लिखित हैं।

इस अनुरोध से संबंधित सभी संसूचनाओं को भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ————

[1]————————

हस्ताक्षर

[2]........................

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

मुम्बई में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय [3]

[1] हस्ताक्षर

[2] नियम 8(2)(ङ) देखिये।

प्ररूप व्या. चि. 64

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 10,000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

धारा 154(2) नियम 128(1) के अधीन कन्वेंशन देश से किसी वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए सामूहिक चिह्न रजिस्टर करने के लिए धारा 63(1) के अधीन आवेदन।

(प्ररूप व्या. चि.-49 के साथ प्ररूप विनियम की तीन प्रतियों के साथ तीन प्रति में फाइल किया जाए)

इस स्थान के भीतर एक समाकृति चिपकाई जानी है और पांच अन्य को पृथक रूप से भेजा जाए। वृहद आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकता है किन्तु वस्त्र या अन्य उपयुक्त सामग्री के ऊपर चिपका कर यहां लगाया जाए। नियम 28 देखिए।

[1] ················· की बाबत ············ [2]वर्ग में साथ लगे व्यापार चिह्न के रजिस्टर में ··········· [3] के नाम में ················ जिसका पता ·································· [4] है, में सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

सामूहिक चिह्न को रजिस्टर करने के लिए देश में आवेदन ································ को किया गया है।

उस कन्वेंशन देश के पदधारी द्वारा, प्रमाणित की गई, एक प्रमाणित प्रति जिसमें आवेदन फाइल किया गया (अंग्रेजी में उसके अनुवाद सहित) संलग्न है।

मैं (हम) अनुरोध करता हूं/करते हैं कि सामूहिक चिह्न अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन कन्वेंशन देश में ऊपर लिखित आवेदन पर आधारित पूर्विकता की तारीख सहित व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

इस आवेदन से संबंधित सभी सूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ———

[5]——————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

····················[*] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवाओं के वर्ग ज्ञात न हों तो रजिस्ट्रार से निर्देश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।

2. वर्ग या वर्गों के लिए उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनकी बाबत आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं के लिए पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यत: के 500 से अनधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपए प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25 (16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन अवश्य करना चाहिए।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंत:स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।

4. आवेदक को भारत में अपने कारबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन अवश्य करना चाहिए। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया जाना है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित है, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और उस स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। तथापि, यदि, आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चला रहा है, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता हो तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो । जहां आवेदक भारत में कोई कारबार नहीं चला रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में निवास स्थान के अतिरिक्त, यदि चाहे तो ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।

5. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता या वह व्यक्ति जो आवेदक के एकल और नियमित नियोजन में है—धारा 145 देखिए)।

6. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के नाम और स्थान का उल्लेख करें । (नियम 4 देखिए)

प्ररूप व्या. चि. 65

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 10,000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

कन्वेंशन देश से किसी वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए व्यापार चिह्न रजिस्टर करने के लिए धारा 71 के अधीन आवेदन।

[धारा 154(2) नियम 25(8)(ख) और 135 (1)]

(प्ररूप व्या. चि.-49 के साथ प्रारूप विनियम की तीन प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)

इस स्थान के भीतर एक समाकृति लगाई जानी है और पांच अन्य को पृथक रूप से भेजा जाए। वृहद आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकता है किन्तु तब उसे वस्त्र या अन्य उपयुक्त सामग्री पर चिपकाया जाए और यहां लगाया जाए। नियम 28 देखिए।

[1]................ की बाबत .... [2] वर्ग में साथ लगे प्रमाणन व्यापार चिन्ह के रजिस्टर में [3]........ के नाम/नामों में .... जिसका पता .... [4] है और उक्त माल की बाबत उसका स्वत्वधारी होने का दावा करता है/करते हैं, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है। आवेदक किसी भी ऐसे प्रकार के माल या सेवाओं का कारबार नहीं कर रहा है जिसके लिए व्यापार चिह्न का उक्त प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है।

.... [5] .... [6] ....

व्यापार चिह्न को रजिस्टर करने के लिए देश में आवेदन .... को किया गया है।

उस कन्वेंशन देश के पदधारी द्वारा, प्रमाणित की गई, एक प्रमाणित प्रति जिसमें आवेदन फाइल किया गया (अंग्रेजी में उसके अनुवाद सहित) संलग्न है।

मैं (हम) अनुरोध करता हूं/करते हैं कि सामूहिक चिह्न अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन कन्वेंशन देश में ऊपर उल्लिखित प्रथम आवेदन पर आधारित पूर्विकता की तारीख सहित व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

इस आवेदन से संबंधित सभी सूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ————20

[7]——————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

.....................* में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवाओं के वर्ग ज्ञात न हों तो रजिस्ट्रार से निर्देश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं ;

2. वर्ग या वर्गों के लिए उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनकी बाबत आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं के लिए पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः देवनागरी लिपि के 500 से अनधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपए प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25 (16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन अवश्य करना चाहिए।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतःस्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।

4. आवेदक को भारत में अपने कारबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन अवश्य करना चाहिए। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया जाना है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित है, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और उस स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। तथापि, यदि, आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चला रहा है, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता हो तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो । जहां आवेदक भारत में कोई कारबार नहीं चला रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में निवास स्थान के अतिरिक्त, यदि चाहे तो ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी (नियम 19 देखिए) जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।

5. यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त विषय के लिए खाली छोड़ दें।

6. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें । यदि चिह्न त्रिआयामी व्यापार चिह्न है तो उस आशय का कथन किया जाना चाहिए।

7. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता यदि वह व्यक्ति जो आवेदक के एकल और नियमित नियोजन में है—धारा 145 देखिए)।

8. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के नाम और स्थान का उल्लेख करें। (नियम 4 देखिए)

प्ररूप व्या. चि. 66

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 10,000 रु. प्रत्येक वर्ग के लिए

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

विभिन्न वर्गों के लिए सामूहिक व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन।

धारा 18 (2) 63 (1), नियम 25 (17), (क) 103, 128(1)।

(सामूहिक चिह्नों की पांच अतिरिक्त समाकृतियों और व्या. चि.–49 प्ररूप में प्रारूप विनियम की तीन प्रतियों के साथ फाइल किया जाए)

इस स्थान के भीतर एक समाकृति चिपकाई जाए और अन्य पांच को पृथक रूप से भेजा जाए। बृहद आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकता है किन्तु तब इसे वस्त्र पर या अन्य उपयुक्त सामग्री पर चिपकाया जाए और यहां लगाया जाए। (नियम 28 देखिए)।

..................'के नाम (नामों) में जिनका पता'..............है, उसका (उनका) स्वत्वधारी होने का दावा करते हैं जिसके द्वारा उक्त चिन्ह का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है' या/और जिसके द्वारा उक्त चिन्ह के शीर्षक ....'में उसके (उनके) पूर्ववर्ती (तियों) द्वारा उक्त' माल या सेवाओं की बाबत ....से निरन्तर उपयोग किया जा रहा है, निम्नलिखित :—

(i). .... वर्ग। .... की बाबत '
(ii) .... वर्ग। .... की बाबत '
(iii) .... वर्ग। .... की बाबत '

सामूहिक व्यापार चिह्न के साथ रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में '.................... निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख 20

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न रजिस्टर

........................" में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवाएं के वर्ग ज्ञात न हों तो रजिस्ट्रार से निर्देश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।

2. वर्ग या वर्गों के लिए उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनकी बाबत आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं के लिए पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः देवनागरी लिपि के 500 से अनधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपए प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25 (16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन अवश्य करना चाहिए।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतःस्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।

4. आवेदक को भारत में अपने कारबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन अवश्य करना चाहिए। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया जाना है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित है, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और उस स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। तथापि, यदि, आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चला रहा है, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता हो तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक

स्थानों पर ऐसा कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो । जहां आवेदक भारत में कोई कारबार नहीं चला रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में निवास स्थान के अतिरिक्त, यदि चाहे तो ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।

5. यदि चिह्न पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।

6. यदि लागू नहीं है तो शब्दों को काट दें । यदि हक पूर्वाधिकारी (पूर्वाधिकारियों) द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम (नामों) का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।

7. यदि 2 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं की बाबत व्यापार चिन्ह का कोई उपयोग नहीं किया गया है तो माल या सेवाओं की ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिह्न को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।

8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित हो, अन्यथा खाली छोड़ दें।

9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें । यदि चिह्न क्रियाशील व्यापार चिह्न है तो उस आशय का कथन किया जाना चाहिए। (नियम 25 और 29 देखिए)।

10. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति (धारा 145 देखिए)।

11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्ररूप व्या. चि. 67

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : प्रत्येक वर्ग के लिए 10,000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

कन्वेंशन देश से विभिन्न वर्गों के लिए सामूहिक व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन।

धारा 18 (2) 63 (1), 154 (4), नियम 25 (17)(ख) 103, 128(1)।

(सामूहिक व्यापार चिह्न की पांच अतिरिक्त समाकृतियों और प्ररूप व्या. चि.-49 में प्रारूप विनियम की तीन प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में

फाइल किया जाए)

इस स्थान के भीतर एक समाकृति चिपकाई जाए और अन्य पांच को पृथक रूप से भेजा जाए। वृहद आकार की समाकृति भी मोड़ा जा सकता है किन्तु तब इसे वस्त्र या अन्य उपयुक्त सामग्री पर चिपकाया जाए और वहां लगाया जाए। (नियम 28 देखिए)।

.............¹के नाम (नामों) में जिनका पता²............. है, उसका (उनका) स्वत्वधारी होने का दावा करते हैं जिसके द्वारा उक्त चिन्ह का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है या³/और जिसके द्वारा उक्त चिन्ह के शीर्षक .... ⁴में उसके (उनके) पूर्ववर्ती (र्तियों) द्वारा उक्त माल या सेवाओं की बाबत .... से निरन्तर उपयोग किया जा रहा है, निम्नलिखित :—

(i) .... वर्ग। .... की बाबत ⁵

(ii) .... वर्ग। .... की बाबत ⁵

(iii) .... वर्ग। .... की बाबत ⁵

सामूहिक व्यापार चिह्न के साथ रजिस्टर में [illegible]

इस आवेदन से संबंधित सभी संसू[illegible]

-----------------------[1] के नाम जिनका पता [1]-- है।

कन्वेंशन देश में------------------------पर व्यापार चिह्न को रजिस्टर करने के लिए पहला ------------------------
----------------आवेदन----------------------------------को किया गया है :

उस कन्वेंशन देश के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई प्रमाणित प्रति जिसमें पहला आवेदन फाइल किया गया था, (अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न है।

मैं/हम अनुरोध करता हूं/करते हैं कि अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन कन्वेंशन देश में ऊपर उल्लिखित पहले आवेदन पर आधारित पूर्विकता की तारीख को व्यापार चिह्न को रजिस्टर किया जाए।

------------------------[4]

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख--------------------

[5]-------------------

[6]हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार

----------------*में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवाओं के वर्ग ज्ञात न हों तो रजिस्ट्रार से निर्देश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।

2. उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनकी बाबत आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं के ब्यौरे देते हुए पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अनधिक अक्षर होने चाहिएं। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपए प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25 (16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन अवश्य करना चाहिए।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से लिखें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।

4. आवेदक को भारत में अपने कारबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन अवश्य करना चाहिए। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया जाना है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित है, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और उस स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। तथापि, यदि, आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चला रहा है, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता हो तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहां आवेदक भारत में कोई कारबार नहीं चला रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में निवास स्थान के अतिरिक्त, यदि चाहे तो ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन 8 पर किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।

5. यदि चिह्न पहले से ही उपयोग में है तो कट दें।

6. यदि लागू नहीं है तो शब्दों को काट दें। यदि हक पूर्वाधिकारी (पूर्वाधिकारियों) द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम (नामों) का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।

7. यदि 3 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं की बाबत व्यापार चिह्न का कोई उपयोग नहीं किया गया है तो माल या सेवाओं की ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिह्न को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।

8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित हो, अन्यथा खाली छोड़ दें।

9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिह्न त्रिआयामी व्यापार चिह्न है तो उस आशय का कथन किया जाना चाहिए [नियम 25 (12) (ङ) और (घ) देखिए]।

10. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर [विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति (धारा 145 देखिए)]।

11. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें (नियम 4 देखिए)।

प्ररूप व्या. चि. 68

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : प्रत्येक वर्ग के लिए 10,000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

विभिन्न वर्गों के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन।

धारा 18 (2), 71 । नियम 25 (18) (क), 103, 135 ।

(सामूहिक चिह्नों की पांच अतिरिक्त समाकृतियां और प्ररूप व्या. चि. 49 में प्ररूप विनियम की तीन प्रतियों में भरा जाए)

इस स्थान के भीतर एक समाकृति लगाई जानी है और पांच अन्य को पृथक् रूप से भेजा जाना है। बृहद् आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकता है किन्तु तब इसे वस्त्र पर या अन्य उपयुक्त सामग्री के ऊपर चिपका कर यहां लगाया जाना चाहिए। नियम 28 देखिए।

1. निम्नलिखित में प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के साथ रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है।

(i). ································ वर्ग [1] ································ की बाबत [2]

(ii) ································ वर्ग [1] ································ की बाबत [2]

(iii) ································ वर्ग [1] ································ की बाबत [2]

———————————————[3] का/के नाम जिसका पता [4] ———————————————है।

आवेदक ऐसे किसी प्रकार के माल या सेवाओं का कारबार नहीं कर रहा है/रहे हैं जिसके लिए उक्त प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है।

5. ———————————————

6. ———————————————

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाओं को भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ——————

[7]———————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह

———————* में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवाओं के वर्ग ज्ञात न हों तो रजिस्ट्रार से निदेश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।

2. उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनकी बाबत आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं के ब्यौरे देते हुए पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यत: के 500 से अनधिक अक्षर होने चाहिएं। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपए प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन अवश्य करना चाहिए।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंत:स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।

4. आवेदक को भारत में अपने कारबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन अवश्य करना चाहिएं। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया जाना है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित है, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और उस स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो, तथापि यदि, आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चला रहा है, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता हो तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहां आवेदक भारत में कोई कारबार नहीं चल रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में निवास स्थान के अतिरिक्त, यदि चाहे तो ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।

5. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित हो, अन्यथा खाली छोड़ दें।

6. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिह्न त्रिआयामी व्यापार चिह्न है तो उस आशय का कथन किया जाना चाहिए [नियम 25 और (29) देखिए]।

7. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर [विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति (धारा 145 देखिए]।

8. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें (नियम 4 देखिए)।

प्ररूप व्या. चि. 69

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : प्रत्येक वर्ग के लिए 10,000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

कन्वेंशन देश से विभिन्न वर्गों में प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन।

धारा 18(2), 71, 154(2), नियम 25 (18)(ख), 103, 135

(सामूहिक व्यापार चिन्ह की पांच अतिरिक्त समाकृतियां और व्या.चि. 49 में प्ररूप विनियम की तीन प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)

इस स्थान के भीतर एक समाकृति लगाई जानी है और अन्य पांच को पृथक रूप से भेजा जाना है। बृहद आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकता है किन्तु तब इसे वस्त्र पर या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर चिपका कर यहां लगाया जाना चाहिए। नियम 28 देखिए।

1. निम्नलिखित में प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के साथ रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है।

(i) ———————————————वर्ग [1]———— की बाबत [2] ———————————————

(ii) ———————————————वर्ग [1]———— की बाबत [2] ———————————————

(iii) ———————————————वर्ग [1]———— की बाबत [2] ———————————————

———————————————[3] का नाम जिसका पता [4] ——————————————— है।

आवेदक ऐसे किसी प्रकार के माल या सेवाओं का कारबार नहीं कर रहा है/रहे है जिसके लिए उक्त प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह चाहा गया है।

——————— को ——————— पर प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के प्रमाण को रजिस्टर करने के लिए कन्वेंशन देश में पहला आवेदन किया गया है।

कन्वेंशन देश के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई प्रमाणित प्रति जिसमें पहला आवेदन फाइल किया गया था।(अंग्रेजी अनुवाद सहित), संलग्न है।

*मैं/हम अनुरोध करता हूं/करते हैं कि अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन कन्वेंशन देश में ऊपर उल्लिखित प्रथम आवेदन पर आधारित पूर्विकता की तारीख सहित व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

[1] ———————————————————————————————————

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ————————20

[1]———————————

[2]———————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह

———————[1] में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवाओं के वर्ग ज्ञात न हों तो रजिस्ट्रार से निदेश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।

2. उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनकी बाबत आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं के ब्यौरे देते हुए पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अनधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रुपए प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहां माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का है वहां आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन अवश्य करना चाहिए।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यवसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतःस्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों और ब्यौरों तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।

4. आवेदक को भारत में अपने कारबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन अवश्य करना चाहिए। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया जाना है तो ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारबार चला रहा है, जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित है, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और उस स्थान का पता देना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो, तथापि, यदि, आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारबार नहीं चला रहा है, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारबार चलाता हो तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहां आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहां आवेदक भारत में कोई कारबार नहीं रहा हो, वहां इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेद यथास्थिति, कारबार के प्रधान स्थान या भारत में निवास स्थान के अतिरिक्त, यदि चाहे तो ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए)

जहां आवेदक के पास भारत में न तो कारबार का स्थान है और न ही निवास का, वहां ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।

5. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित हो, अन्यथा खाली छोड़ दें।

6. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिह्न त्रिआयामी व्यापार चिह्न है तो उस आशय का कथन किया जाना चाहिए [नियम 25 और (29) देखिए]

7.. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर [विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति (धारा 145 देखिए]।

8. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें (नियम 4 देखिए)।

प्ररूप व्या. चि. 70

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 2500 रु. पहली अनुसूची प्रविष्टि सं. 74 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

दस्तावेजों की त्वरित प्रमाणित प्रतियों के लिए प्रार्थना [धारा 137, 148। नियम 82 (ग), नियम 119 का परन्तुक।]।

———————— वर्ग ———————— में रजिस्ट्रीकृत ———————— संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में [1]———————— मैं (या हम) [2] ———————— प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि रजिस्ट्रार मुझे (हमें) [4] ———————— इस आशय के अपने प्रमाणपत्र/एक अधिप्रमाणित प्रति दे दें,

जो ————————में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में उपयोग किए जाने के लिए व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र[3] है। प्रमाणपत्र/प्रमाणित प्रति भारत में [5]———————— निम्नलिखित पते पर भेज दी जाए।

तारीख ————————

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी—

[6]————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह

मुम्बई में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. अन्य मामलों में उपयुक्त लगने पर शब्दों में विभिन्नता हो सकती है।
2. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रिकता भरें।
3. जो शब्द लागू न हो, उन्हें काट दें।
4. वे विशिष्टियां दें, जिनको प्रमाणित करना रजिस्ट्रार से अपेक्षित है या उस दस्तावेज की विशिष्टियों का कथन करें जिसकी अधिप्रमाणित प्रति अपेक्षित है।
5. देश या राज्य का नाम भरें।
6. हस्ताक्षर
7. नियम 8(2) (ग) देखिए

प्ररूप व्या. चि. 71

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 2500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

शीघ्र तलाशी रिपोर्ट प्राप्ति के लिए प्रार्थना

[नियम 8(ग), नियम 24(1) का परन्तुक देखिए]

रजिस्ट्रार से नियम 24 (1) के अधीन ——————————————— 'वर्ग की बाबत'——————————तलाशी का अनुरोध किया जाता है कि क्या कोई ऐसा व्यापार चिन्ह अभिलेख पर है जो इसके साथ तीन प्रतियों में भेजे गए व्यापार चिन्ह के सदृश है (प्रत्येक समाकृति आकार में लगभग 13 इंच या 33 सें. मी. × 20 से. मी. के मोटे कागज की शीट पर मढ़ी हो)।

इस अनुरोध से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :—

तारीख ——————————

³——————————

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह

मुम्बई में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि वर्ग ज्ञात न हो तो रजिस्ट्रार के निदेश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।

2. यहां उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें (कथित वर्ग में) जिनको बाबत तलाशी की जानी है।

3. हस्ताक्षर।

4. नियम 8(2) (ग) देखिए।

प्ररूप व्या. चि. 72

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 25000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

शीघ्र तलाशी और प्रतिलिप्यधिकार प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रार्थना।

नियम 8 (2) (ग), नियम 24 (5)

रजिस्ट्रार से नियम 24 (5) के अधीन यह पता लगाने के लिए तलाशी करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या कोई ऐसा व्यापार चिह्न अभिलेख, में है जो इसके साथ तीन प्रतियों में भेजी गई कलाकृति के सदृश है (प्रत्येक कलाकृति को लगभग 30 से. मी.× 20 से. मी. के मजबूत कागज की शीट में मढ़ा जाए) और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 के अधीन इसके उपयोग के लिए प्रमाणपत्र जारी करें।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ....

[1]..............................

[1]हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न

[2]मुम्बई में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. हस्ताक्षर।

2. नियम 8 (2) (ग) देखिए।

प्ररूप व्या. चि. 73

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 3000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के इंकार या अविधिमान्यकरण के लिए प्रार्थना।

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 [धारा 25 (क), नियम 74(2) देखिए)]

(शपथ पत्र और मामले के कथन की तीन प्रति के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए।)

.... वर्ग में ....संख्या वाले .... नाम में व्यापार चिन्ह लंबित/रजिस्ट्रीकृत है के विषय में।

क. मैं/हम[1].............................. आवेदन करता हूं/करते हैं कि .... वर्ग में .... संख्या वाले.............................. के नाम में लंबित व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित आधारों पर इंकार किया जाए।

[2]ख. मैं/हम[1] .... आवेदन करता हूं/करते हैं कि निम्नलिखित रीति में ऊपर उल्लिखित व्यापार चिन्ह की बाबत रजिस्टर में प्रविष्टि को हटा दिया/परिशोधित[3] किया जाए।

मेरे (हमारे) अनुरोध के कारण निम्नलिखित है ....

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय[4] .... में समुचित कार्यालय है।

4. मामले के कथन के साथ शपथपत्र में यह घोषणा की जाएगी कि शपथकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरण में दी गई विशिष्टि सही है और उसमें उस व्यापार चिन्ह से संबंधित प्रत्येक तात्त्विक तथ्य और दस्तावेज समाविष्ट है जिनमें ऐसा भौगोलिक उपदर्शन है या अन्तर्विष्ट है जो किसी देश के राज्यक्षेत्र या उस राज्य क्षेत्र में किसी प्रदेश या अवस्थान में उद्‌भूत नहीं है जिसे ऐसा भौगोलिक उपदर्शित करता है और जिससे किसी व्यक्ति को भ्रम या ऐसी मिथ्या होने की संभावना है कि वह माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम, 1999 की धारा 25 के अन्तर्गत अभिसाक्षी के सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार ऐसे माल या वर्ग या माल के वर्ग के मूल का सही स्थान है।

इस प्रार्थना से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ....

[1]..............................

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,

.... में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें। भारत में तामील के लिए पता लिखें यदि आवेदक का भारत में कारबार या निवास का कोई स्थान नहीं है।

2. उन शब्द को काट दें, जो लागू न हो।

3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें। नियम 4 देखिए।

4. शपथ पत्र उन व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए जो व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण से इंकार या उसे अविधिमान्य करने के लिए प्रार्थना फाइल कर रहे हैं।

5. हस्ताक्षर।

प्ररूप व्या. चि. 74

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 3000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी का कोड सं. :

व्यापार चिह्न के इंकार या अविधिमान्यकरण के लिए प्रार्थना।

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 25(ख), नियम 75(2)

(रजिस्ट्रीकरण के अन्तर्गत जितने रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता हैं शपथ की उतनी प्रतियाँ और मामले के कथन की तीन प्रतियों के साथ फाइल किया जाए।)

.... वर्ग में .... संख्या वाले .... के नाम में व्यापार चिन्ह लंबित/रजिस्ट्रीकृत है, के विषय में।

क. मैं/हम[1] .... आवेदन करता हूं/करते हैं कि .... वर्ग में .... संख्या वाले .... के नाम में लंबित व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित आधारों पर इंकार किया जाए।

[2]ख. मैं/हम[1] ---------------- आवेदन करता हूं/करते हैं कि निम्नलिखित रीति में ऊपर उल्लिखित व्यापार चिन्ह की बाबत रजिस्टर में प्रविष्टि को हटा दिया[2] परिशोधित[2] किया जाए।

मेरे (हमारे) अनुरोध के कारण निम्नलिखित है--------------------

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय[3] ------------ ------------को व्यापार चिन्ह के संबंध में समुचित कार्यालय के रूप में रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।

मामले के कथन के साथ शपथपत्र में [4]घोषित करेगा कि कथन में दी गई विशिष्टियां सही हैं और व्यापार चिन्ह से संबंध प्रत्येक तात्विक तथ्य दस्तावेज में मिल कर बने हैं जो विरोध में है या जो अभिसाक्षी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी से माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण) और संरक्षण अधिनियम, 1999 धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित माल या वर्ग या वर्गों के पहचानने वाले भौगोलिक उपदर्शन अंतर्विष्ट है या से मिल कर बना है।

इस प्रार्थना से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख........................

[5]........................

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

—————————————[3] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें। भारत में तामील के लिए सेवा का पता लिखें। यदि आवेदक का भारत में कारबार या निवास का कोई स्थान नहीं है।

2. उन शब्दों को काट दें, जो लागू न हों।

3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें। नियम 4 देखिए।

4. शपथ पत्र उन व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए जो व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से इंकार या उसे अविधिमान्य करने के लिए प्रार्थना फाइल कर रहे हैं।

5. हस्ताक्षर।

प्ररूप व्या. चि.–75

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 5000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं. :

स्वत्वधारी.का कोड सं. :

नियम 32 के अधीन, तलाशी करने और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रार्थना

मैं/हम रजिस्ट्रार से तलाशी और यह अभिनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं/करते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यापार चिह्न अभिलेख पर है/हैं जो तीन प्रतियों में इसके साथ भेजे गए कंपनी के नाम (या प्रस्तावित नाम) के सदृश है (प्रत्येक समाकृति लगभग 33 सें.मी. गुणा 20 से. मी. आकार के मजबूत कागज की शीट पर मढ़ी हुई हो) और एक प्रमाणपत्र जारी करें।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :—

आज तारीख ————————

हस्ताक्षर (2)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न,

———————————— में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. भारत में पता

2. हस्ताक्षर

प्ररूप व्या. चि. अ.–1

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 1000 रु.

व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, नियम 153
(तीन प्रतियों में भरा जाए)

मैं, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए, आवेदन करने के लिए प्रार्थना

करता हूं।

1.————————— से प्राप्त चरित्र प्रमाणपत्र संलग्न है।

मैं, यह घोषणा करता हूं कि मैं व्यापार चिह्न नियम, 2001 के नियम 151 के खंड (i), खंड (ii), खंड (iii), खंड (iv), खंड (v), और खंड (vi), में उल्लिखित किसी निर्योग्यता से ग्रस्त नहीं हूं।

1. उपनाम सहित यदि कोई हो, पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)—————————————————

2. निवास स्थान का पता—————————————————

3. कारबार का प्रधान स्थान—————————————————

4. पिता का नाम—————————————————

5. राष्ट्रीयता—————————————————

6. जन्म की तारीख और स्थान—————————————————

7. पूरा व्यवसाय—————————————————

8. व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताओं की विशिष्टियां—————————————————

9. क्या किसी समय व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटाया गया है, यदि ऐसा है, तो—————————————————

तारीख ——————

हस्ताक्षर

[1] हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

————————————[3] में

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. जहां आवेदक साधारणतः निवास करता है वहां जिले के जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र होना चाहिए।
2. दस्तावेज न्यायिक मजिस्ट्रेट या नोटेरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं (नियम 4 देखें)

प्ररूप व्या. चि. अ.-2

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 1,000 रुपए और प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 79 में विनिर्दिष्ट निरंतरता फीस

(व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को प्रत्यावर्तित करने के लिए आवेदन (नियम 159)।

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

मैं————————का————————व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में, जिसमें मेरा नाम————— संख्या के अन्तर्गत प्रविष्ट किया गया था, अपना नाम प्रत्यावर्तित करने के लिए आवेदन करता हूं।

मेरा नाम व्यापार चिह्न नियम, 2001 के नियम 157(1) के खण्ड (ख) के अधीन———————— को हटाया गया था।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ———————20 ———

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

———————————————[3] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

प्ररूप व्या. चि. अ.-3

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

फीस : 200 रुपए

व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन

(नियम 160)

(तीन प्रतियों में फाइल किया जाए)

मैं [1]—————————————————का————————————————रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता (रजिस्ट्रीकरण सं. ————————————) होते हुए यह अनुरोध करता हूँ कि व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में यथा प्रविष्ट मेरे 'नाम, निवास स्थान के पता' कारबार के प्रधान स्थान के पता या अर्हताओं में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाए।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ———————20———

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

———————————————[3] में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम और पता भरें।
2. जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें।
3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय का नाम और स्थान लिखें।

तृतीय अनुसूची

रजिस्ट्रार के उपयोग के लिए प्ररूप

प्ररूपों की सूची

प्ररूप सं.	धारा	शीर्षक
O-1	23(3)	रजिस्ट्रीकरण के पूरा न होने की सूचना
O-2	23(2)	व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
O-3	25(3)	अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान की सूचना
O-4	(नियम 155)	व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

प्ररूप ओ-1

भारत सरकार

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

रजिस्ट्रीकरण के पूरा न होने की सूचना—धारा 23(3) (नियम 58)

सं.—————————

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 23(3) द्वारा यथा अपेक्षित सूचना दी जाती है, कि उस व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी, बाबत——————20—————————— को उपदेशानुसार संख्यांकित आवेदन किया गया था, आवेदक की चूक के कारण पूरा नहीं हुआ है। यदि इस सूचना की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण पूरा नहीं कर दिया जाता, तो आवेदन को परित्यक्त मान लिया जाएगा।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :—

तारीख ——————20————

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

सेवा में,

——————————

प्ररूप ओ-2

भारत सरकार

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र धारा 23(2) नियम 62(1)

व्यापार चिह्न सं.——————————

तारीख——————————

प्रमाणित किया जाता है कि व्यापार चिह्न जिसकी समाकृति इसके साथ संलग्न है————— की बाबत————— तारीख————के सं. के अधीन ——————— वर्ग में —————— के नाम में रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

तारीख ——————————20——————को मेरे निदेशानुसार मुद्रांकित किया गया।

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

रजिस्ट्रीकरण, ऊपर उल्लिखित पहली तारीख से 10 वर्ष के लिए है और तब इसे 10 वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी नवीकरण किया जा सकेगा [व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 25 और व्यापार चिह्न नियम, 2001 के नियम 63 से 66 तक देखिये।]

यह प्रमाणपत्र विधिक कार्यवाही में या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्ति के उपयोग के लिए नहीं है।

टिप्पण—इस व्यापार चिह्न के स्वामित्व में कोई परिवर्तन, या भारत में कारबार के प्रधान स्थान के पता या सेवा के लिए पते में परिवर्तन होने पर तुरंत परिवर्तन को रजिस्टर करने के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।

प्ररूप ओ-3

भारत सरकार

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति की सूचना—धारा 23(2) नियम 64(1)

रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न सं.——————

वर्ग————————————

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 25(3) द्वारा यथा अपेक्षित सूचना दी जाती है कि पूर्वोक्त व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण —————————— को समाप्त होगा और यह कि तारीख——————————को या उससी पहले———————— रुपए की विहित फीस सहित संलग्न प्ररूप व्या. चि. 12 पर आवेदन के व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में प्राप्त होने पर 10 वर्ष की और अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण किया जा सकेगा।

तारीख——————20——————

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

प्ररूप 0-4

भारत सरकार

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र (नियम 155)

सं. ——————————

प्रमाणित किया जाता है कि ———————————————————— के——————————को तारीख——————————20——————————को, व्यापार चिह्न नियम, 2001 के नियम 148 के अधीन रखे गए व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया था।

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

चतुर्थ अनुसूची

माल और सेवाओं का वर्गीकरण—वर्गों के नाम

किसी वस्तु या साधित्र के पुर्जे, साधारणतया, उसी वस्तु या उपकरण के पुर्जों के रूप में वहां के सिवाय जहां कि ऐसे पुर्जे स्वयं अन्य वर्गों में सम्मिलित वस्तुएं हैं, वर्गीकृत किये गए हैं।

1	2
1	उद्योग विज्ञान, फोटोग्राफ, कृषि, उद्यान-कृषि, वानिकी में उपयोग किए गए रसायन, अप्रसंस्कृत कृत्रिम राल, अप्रसंस्कृत प्लास्टिक खाद, अग्नि शमक मिश्रण, ढलाई और पलाई चढ़ाने की निर्मितियां, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिये रासायनिक पदार्थ, चर्म शोधक पदार्थ, उद्योग में प्रयुक्त आसंजक पदार्थ।
2	पेंट, वार्निश, प्रलाक्षारस, जंग रोधी पदार्थ का अवलक्षयण रोधी परिरक्षक रंजक पदार्थ, रंगने के पदार्थ, रंग स्थापक पदार्थ, कच्ची राल नैसर्गिक पेंटरों, सज्जाको, प्रिंटरों और कलाकारों के लिये वर्क या चूर्ण के रूप में धातुएं।
3	धोड़ी में प्रयोग के लिए विरंजक निर्मितियां और अन्य पदार्थ, स्वच्छ करने, चमकाने, खरोंचन और घिसने वाली निर्मितियां, साबुन, परिमल पदार्थ (गन्ध द्रव्य) वाष्पशील तेल, सौंदर्य प्रसाधन, केश धोने वाले घोल, दंत मंजक।
4	औद्योगिक तेल और चिकनाइयां, स्नेहक, धूल जमाने वाले, गीला करने वाले, सोखने वाले सम्मिश्रण, ईंधन (मोटर स्पिरिट सहित) और प्रदीपक मोमबत्तियां, बत्ती।
5	भेषजीय, शाल्यिकहोत्रिक और सफाई (शौच) सम्बन्धी निर्मितियां चिकित्सीय उपयोग के लिए अनुकूलित आहार संबंधी पदार्थ, शिशुओं के लिये खाद्य, लेप, पट्टी, रूई इत्यादि, दन्त रोधक सामग्री दन्त वैद्य रोगाणु, नाशक, अनतृण और कृमियों को नष्ट करने वाली निर्मितियां।
6	सामान्य धातुएं और उनकी मिश्रधातु, धात्विक ढली सामग्री ढली भवन (निर्माण) सामग्रियां, रेल पथ के लिये पटरियां, जंजीरें (अ-विद्युतीय) केबिल और तार और लोहे के सामान का अन्य भेद, लुहारी की चीजें, धात्विक नल और नलियां, सेफ और तिजोरियां, कम कीमती धातु वाली अन्य वस्तुएं, जो कि अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं, अयस्क।

1	2
7	मशीन और मशीनी औजार, मोटरें और इंजन (जो मोटर यानों में काम आती है उन से भिन्न) मोटरें, जो (कपलिंग और माल यानों में काम आती है उनसे भिन्न) कपलिंग और माल [illegible] प्रचालन से भिन्न कृषि उपकरण अंडों के लिए इन्क्यूबेटर।
8	हाथ से काम करने के औजार और उपकरण, (हस्त प्रचालित [illegible] चाकू, छुरी काटे और चम्मच, असली सलवास रेजर।
9	वैज्ञानिक, नाविक, सर्वे, वैद्युत, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, आले, तुलाई, मापक, संकेतक, पड़तालक, (पर्यवेक्षक), प्राण रक्षक और शैक्षणिक यंत्र और उपकरण, ध्वनि, या बिम्ब का अभिलेखन, प्रेषण या पुनः प्रस्तुतिकरण, चुम्बकीय डाटा वाहक, रिकार्डिंग डिस्क, स्वतः बेचन वाली मशीन, सिक्का प्रचालन साधित्र के लिए यांत्रिकी रोकड़ रजिस्टर, गणनयंत्र, डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर और कम्प्यूटर, अग्नि शामक यंत्र।
10	शाल्यिक, औषधीय, दंत और शालिहोत्रिक आले और यंत्र, कृत्रिम अंग, नेत्र और दांत सहित आर्थोपेडिक वस्तुएं, सीवन सामग्री।
11	प्रकाशन साधित्र, तापक, वाष्पजनक, पकाने, वातानुकूलित करने, सुखाने, प्रशीतक, जल प्रदाय और शौच के लिये प्रतिष्ठापित यंत्र।
12	यान, भूमि पर, व्योम में अथवा जल पर चलने के लिये यंत्र।
13	अग्न्यास्त्र, गोला बारूद और प्रक्षेपित्र, विस्फोटक पदार्थ, आतिशबाजी।
14	बहुमूल्य धातुएं और उनकी मिश्रधातु और बहुमूल्य धातुओं में वस्तुएं या उनसे पानी चढ़ी वस्तुएं, जो अन्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है। आभूषण, बहुमूल्य रत्न, घड़ीसाजी और अन्य कालमापी उपस्कर।
15	संगीत के उपकरण।
16	कागज गत्ता और इन सामग्री से बनी वस्तुएं जो अन्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है मुद्रित सामग्री, जिल्दसाजी सामग्री, फोटोग्राफ, लेखन सामग्री या घरेलू प्रयोजनों के लिए श्लेषक, कलाकार की सामग्री, पेंट ब्रुश, टाइपराइटर और कार्यालय की अपेक्षित वस्तुएं (फर्नीचर को छोड़कर), शिक्षा और अध्यापन सामग्री (साधित्र को छोड़कर), पैकिंग के लिए प्लास्टिक सामग्री (जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है), ताश, मुद्रण टाइप, मुद्रण ब्लाक।
17	रबर, गट्टा पर्चा, गम, एस्बेस्टास, अभ्रक और इन सामग्री से बने माल जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है, विनिर्माण में उपयोग के लिए बहिर्वर्धित रूप में प्लास्टिक पैकिंग, डाटन और इन्सुल सामग्री, नमनीय पाइप जो धातु की न हों।
18	चमड़े और कृत्रिम चमड़े और इन सामग्रियों से बने माल या जो अन्य वर्गों के अन्तर्गत नहीं हैं, पशु की खाल, चर्म, ट्रंक और यात्रा में ले जाने वाले थैले, छाते, छतरियां और [illegible], सचेतक, साज-सज्जा और सैडिलरी।
19	भवन निर्माण सामग्री (गैर-धात्विक), भवनों के लिए गैर धात्विक कठोर पाइप [illegible] एस्फाल्ट और बिटुमैन, गैर धात्विक वहनीय भवन, स्मारक जो धातु हैं।
20	फर्नीचर, शीशे, तस्वीरों के चौखटे, (जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है) लकड़ी की चीजें, कार्क, सरकंडे, बेंत, सींक, सींग, हड्डी, हाथीदांत, व्हेल की हड्डी, सीप, अम्बर, सीपी, मारलेबम, सेल्यूलाइड और इनकी प्लास्टिक की सामग्रियां।
21	छोटे घरेलू बर्तन और पात्र (जो किसी कीमती धातुओं के नहीं है या जिन पर ऐसी धातुओं का पानी नहीं है) कंघे और स्पंज, (चित्रकारी की कूचों से भिन्न) कूचें, कूचा बनाने की सामग्रियां, मार्जनार्थ उपकरण, स्टीलवूल, अकृत या अर्धकृत कांच (भवन में प्रयुक्त कांच को छोड़कर) के बर्तन, चीनी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन जो अन्य वर्गों के अन्तर्गत नहीं हैं।

1	2
22	रस्से, सुतली, जाल, तम्बू, चंदवा, तिरपाल, पाल, बोरे और थैले (जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है) गद्दी, और भरी जाने वाली सामग्रियां, (रबड़ या प्लास्टिक को छोड़कर) कच्चे रेशेदार वस्त्र सामग्रियां।
23	वस्त्र उपयोग के लिए, सूत और धागे।
24	वस्त्र और वस्त्र की वस्तुएं जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है, पलंग और टेबल पोश।
25	कपड़े, जूतादि, हैडगियर।
26	गोटा और कसीदा, फीता और चोटी, बटन, दबाकर लगने वाले बटन, हुक और अखुआ, पिन और सुईयां, नकली फूल।
27	गलीचे, लोई, चटाइयां और बिछावन, विद्यमान फर्शों को ढकने के लिए लिनोलियम और अन्य सामग्रियां, (बेबुने) दीवार के पर्दे।
28	खेल और खेलने की चीजें, जमनास्टिक और क्रीड़ा की चीजें जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं, क्रिसमस वृक्ष के लिए आभूषण और शृंगारिक वस्तुएं।
29	मांस, मछली, मुर्गी पालन क्रीड़ा, मांस का सत, अचार पड़े, सुखाये गये और पकाये गये फल और तरकारियां, जैली, जैम, फल सॉस, अण्डे, दूध और दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल और वसा।
30	काफी, चाय, कोका, चीनी, चावल, टेपीओका, साबूदाना, कृत्रिम काफी, आटा और अनाजों से बनी निर्मितियां, रोटी, पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी, बर्फ, शहद, चूसी, खमीर, बेकिंग पाउडर, नमक, सरसों, काली मिर्च, सिरका (सॉस) मसाले, बर्फ।
31	कृषि, बागवानी और वन्य उत्पाद और अनाज, जो अन्य वर्गों के अन्तर्गत नहीं है, जीवित पशु, ताजे फल और तरकारियां, बीज, जीवित पौधे और फूल, पशुओं के लिये खाद्य पदार्थ, द्रव्य।
32	बीयर, खनिज और वातित पेय और अन्य अमद्यसारिक पेय फलपेय, फल जूस, नैसर्गिक शर्बत और पेयों के बनाने के लिये अन्य निर्मितियां।
33	मद्य-पेय (बीयर को छोड़कर)।
34	तम्बाकू, धूम्रपान करने वालों की चीजें, दियासलाइयां।
	सेवाएं
35	विज्ञापन, कारबार प्रबन्ध कारबार प्रशासन, कार्यालय के कृत्य।
36	बीमा, वित्तीय कार्य, आर्थिक कार्य, संपदा कार्य।
37	भवन सन्निर्माण, मरम्मत, संस्थापन सेवाएं।
38	दूरसंचार।
39	यातायात, माल की पैकिंग और भंडारण; यात्रा इंतजाम।
40	सामग्री का बहिःस्राव।
41	शिक्षा; प्रशिक्षण देना, मनोरंजन, क्रीड़ा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
42	खाद्य और पेय; अस्थायी वास, चिकित्सा, स्वच्छता और सौंदर्य देखभाल; पशुचिकित्सा और कृषि सेवाएं, विधिक सेवाएं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सेवाएं देना जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है।

पाँचवी अनुसूची

नियम 145 में निर्दिष्ट वस्त्र वस्तुओं की मदों की सूची मद संख्या :

1. कोरा लट्ठा, शर्टिंग्स, सेलुलर, लिम्बरिक, पोपलिन, चद्दरें, छींट और स्पापाइं वस्त्र—इनके अन्तर्गत सभी ऊपर वर्णित कोरे कपड़े आ जाते हैं जिनकी जमीन में कोई रंग नहीं है किन्तु जिनका सिरा रंगदार बुना हुआ होगा।
2. कोरी ड्रिल, जीन और डक—इनके अन्तर्गत केवल कोरे कपड़े हैं और वह धारीदार जीन नहीं है जिसकी जमीन बिना धुली सफेद हो।
3. कोरी टिविल्स।
4. कोरा शालीन्द्र—टी क्लाथ्स और डोमेस्टिक्स।
5. कोरा मोटा वस्त्र।
6. सादी बुनाई वाली कोरी चद्दरें और खादी की चद्दरें—इनके अन्तर्गत सादी बुनाई वाली ऐसी सब चद्दरें होंगी जिनकी जमीन में कोई रंग नहीं है किन्तु सिरा रंगदार बुना हुआ या फैन्सी है किन्तु इसके अन्तर्गत चेक की और धारीदार चद्दरें नहीं हैं।
7. टुविल बुनावट की कोरी चद्दरें—इनके अन्तर्गत केवल ऐसी कोरी चद्दरें हैं जिनकी जमीन में कोई रंग नहीं है किन्तु सिरा रंगदार बुनाई का है।
8. कोरी धोतियां जिनके अन्तर्गत तेहमद है—[यह मद कोरी जमीन वाली (सब आकारों की) उन धोतियों से सम्मिलित है जो कि नकली रेशम, रंगदार सूत, इटे सूत की है या नहीं या जिनका छपा बोर्डर और सिरा है या नहीं।]
9. कोरी साड़ियां और दुपट्टा और साड़ी का कपड़ा—जिनके अन्तर्गत केवल कोरी जमीन वाली (सब आकारों की) साड़ियां हैं भले ही वे नकली रेशम की, रंगीन सूत की हो या नहीं या जिनका छपा बोर्डर और सिरा हो या न हो और साड़ी की लम्बाई चौड़ाई वाले साड़ी वस्त्र के टुकड़े हैं किन्तु इसके अन्तर्गत धारीदार या चेक की जमीन वाली साड़ियां और रंगी तथा छपी साड़ियां नहीं हैं।
10. कोरी दुसूती।
11. कोरी जेकोनेट्स, जानामी, मुल और मलमल।
12. पगड़ी का कोरा कपड़ा।
13. कोरा बुना बिछावन और टाट, जिसके अन्तर्गत फिल्टर क्लाथ है।
14. सम्बूरा कपड़ा—लाल और काले सिरे वाली और केन्द्र में रंगीन धारी वाली कोरी ड्रिल।
15. सब प्रकार का कोरा डोबी वस्त्र और डोरिया।
16. धुला लट्ठा, शर्टिंग्स, सेल्यूलर, लिम्बरिक, पोपलिन, शीटिंग और छींट—इनके अन्तर्गत सभी ऊपर वर्णित सादा कपड़ा है जिसके सिरे में रंगीन बुनाई के सिवाय जमीन में कोई रंग नहीं है।
17. धुली ड्रिल, जीन और डक-मद 16 के अधीन टिप्पण देखिए।
18. धुली टुविल—मद 16 के अधीन टिप्पण देखिये इस मद के अन्तर्गत धुली जमीन पर धारीदार टुविल नहीं है।
19. धुला वस्त्र और घरेलू काम का वस्त्र—मद 16 के अधीन टिप्पण देखिये।
20. धुला मोटा वस्त्र—मद 16 के अधीन टिप्पण देखिये।
21. धुली चादर—इसके अन्तर्गत बिना धारी की चादर और बुनी टुविल है।
22. धुली मुल्स, जेकोनेट, और नैनसुखा—मद 16 के अधीन टिप्पण देखिये।
23. धुला मदपल्लम और केम्ब्रिक्स—मद 16 के अधीन टिप्पण देखिये।
24. धुली धोतियां जिनके अन्तर्गत तहमद है— इस मद का सम्बन्ध (सभी आकारों वाली) बिना धारी की धुली जमीन वाली धोती से है जिसमें नकली रेशम, रंगीन सूत, इटे सूत या छपी हुई किनारी या सिरा है।
25. धुली साड़ियां और दुपट्टे, इसके अन्तर्गत केवल बिना धारी वाली विरंजित जमीन की साड़ी (सभी आकारों की) है जिनमें नकली रेशम, रंगीन सूत और छपी किनारी और सिरा है, किन्तु इसके अन्तर्गत धारीदार या चैक वाली साड़ियां और रंगी और छपी साड़ियां नहीं हैं।
26. धुली दुसूती—मद 16 के अधीन टिप्पण देखिये।

27. धुली वाइल और मलमल—मद 16 के अधीन टिप्पण देखिये।

28. धुला डोरिया और फैन्सी—जिसके अन्तर्गत लट्ठे सूत की धारी या चारखाने वाला धुला कपड़ा है।

29. धुला बुना बिछावन और टाट—मद 16 के अधीन टिप्पण देखिये।

30. धुली पगड़ी वस्त्र—मद 16 के अधीन टिप्पण देखिये।

31. कशीदा की गई धुली वायलें, मलमल आदि।

32. धुली फलालेन और फलेनेन्ट्स और सभी धुले वस्त्र जो केवल एक तरफ उठे हों और सूती मलमल।

33. रंगे हुए लट्ठे, शर्टिंग, सेल्यूलर, लिम्बरिक, पोपलिन और शर्टिंग्स—इसके अन्तर्गत उक्त वर्णित रंगे हुए खण्ड वस्त्र हैं।

34. रंगी ड्रिल—मद 33 के अधीन टिप्पण देखिये। इस मद के अन्तर्गत रंगीन ताने या बाने की ड्रिल है।

35. रंगी टूविल—मद 33 के अधीन टिप्पण देखिये।

36. रंगा टी. क्लाथ और घरेलू काम का वस्त्र—मद 33 के अधीन टिप्पण देखिये।

37. रंगा मोटा वस्त्र—मद 33 के अधीन टिप्पण देखिये।

38. रंगी चद्दर—मद 33 के अधीन टिप्पण देखिये।

39. तहमद, साड़ियां और शालों सहित रंगी धोतियां—इस मद के अन्तर्गत अलग-अलग रंगों में रंगीन धोतियां, साड़ियां या शाल हैं।

40. रंगा, फैन्सी माल—इनके अन्तर्गत वह फैन्सी माल है जो इकहरे रंगीन ताने या बाने वाला फैन्सी माल है या ताने या बाने या दोनों में छपा सूत है।

41. रंगा पगड़ी कपड़ा—मद 33 के अधीन टिप्पण देखिये।

42. रंगी वाइल—इसके अन्तर्गत किनारीदार वाइल है।

43. रंगी फ्लेनेन्ट्स—इसके अन्तर्गत कोरा और एक रंगा का फ्लेनेन्ट्स और सभी रंगे कपड़े जो एक तरफ उठे हैं और सूत मिश्रित मखमल है।

44. रंगी मुल्स।

45. छींटों का रंगा कपड़ा।

46. कोटिंग और पैन्ट कपड़ा (जिसके अन्तर्गत शोलापुरी, चैन्नई का कपड़ा, सन प्रूफ कपड़ा, टसर, काश्मिरी क्लाथ, सर्ज, खाकी वस्त्र, ट्वीड, भाजरो, मलटिया और कोरडुराई है) ऊपर गिनाई गई वस्तुओं के अतिरिक्त इस मद के अन्तर्गत सूती रंगे कोटिंग और ऐसे कोटिंग हैं जिनमें अकेले या रंगे सूती धागों के साथ-साथ नकली रेशम ताने या बाने में धारियों या चेकों के रूप में हैं।

47. धारीदार ड्रिल और जीन और धारीदार टूविल जिसके अन्तर्गत धारीदार ड्रिल या कोरी, धुली या रंगीन जमीन वाली टूविल है।

48. रंगे ताने और बाने कोरे या धुले बाने वाली बेड टिकिंग।

49. कोरी और धुली जमीन वाला धारीदार मोटा कपड़ा।

50. धारीदार शर्टिंग आदि कोरी, धुली या रंगी जमीन वाली धारीदार शर्टिंग, धारीदार सूती और चैक जेफर्स, किन्तु इसके अन्तर्गत नकली रेशम की धारीदार वस्तुएं नहीं हैं।

51. चेक शर्टिंग, चैक सूती और चैक जेफर्स—मद 50 के अधीन टिप्पण देखिये।

52. कोरी, धुली या रंगीन जमीन वाली बिना रंग की चैक चद्दर, और टूविल चैक चद्दर, सहित चेक चद्दर।

53. लुंगी और सारंग।

54. बुनी रंगीन साड़ियां और पट्टे—(इसके अन्तर्गत धारीदार या चैक की जमीन वाली साड़ियां और दुपट्टे हैं, किन्तु इनके अन्तर्गत वे साड़ियां और दुपट्टे नहीं हैं जिनमें नकली रेशम कपड़े के बीच में हैं)।

55. चेक वाले चोले और गुमचे।

56. नकली रेशम की धारीदार शर्टिंग्स— इसके अन्तर्गत (क) नकली रेशमी ताने और बाने वाले, (ख) नकली रेशमी ताने या बाने वाले या (ग) धारियों में या तो अकेले या रंगीन सूती धागों सहित कृत्रिम रेशम वाले शर्टिंग्स हैं।

57. कोरी, धुली और रंगी जमीन वाली नकली रेशमी चैक शर्टिंग।

58. नकली रेशमी किनखाब और "आल ओवर स्टाइल"।

59. नकली रेशमी धोतियां, साड़ियां, और दुपट्टे और साड़ी वस्त्र (इस मद के अन्तर्गत वे धोतियां और साड़ियां हैं जिनमें नकली रेशमी ताने या बाने या दोनों प्रयुक्त होते हैं। इसके अन्तर्गत वे धोतियां, आदि नहीं है जिनमें कृत्रिम रेशम का उपयोग केवल किनारियों में हुआ है)।

60. कोरा, धुला और रंगा हुआ क्रेप-वस्त्र। इस मद के अन्तर्गत रंग वस्त्र का छपा सूत भी है।

61. धुली धारीदार दुसूती इसके अंतर्गत खण्ड सहित रंगी और धारीदार दुसूती भी है।

62. माइल की साड़ियों सहित छपी धोतियां, शाल, रूमाल, साड़ी और अन्य छपे वस्त्र।

63. कोरा, धुला और रंगी जमीन वाला छींटदार लट्ठा, शर्टिंग्स सेल्युर लिम्बिक, पोपलीन, शर्टिंग्स (चद्दर)।

64. धारीदार, चेक और छपी फलालेन।

65. शुद्ध रेशमी साड़ी।

66. लेनों और गोफलेना, बैण्डेज का कोरा, धुला, रंगा या धारीदार कपड़े—इस मद के अन्तर्गत साज का कपड़ा भी है।

67. कोरे, धुले, रंगे, धारीदार, छींटदार या चेकदार तौलिये का कपड़ा सहित टेरी तौलिया।

68. कोरे, धुले, छींटदार, धारीदार या चैकदार तौलिये के कपड़े सहित हक बैक तौलिया।

69. कोरे, धुले, रंगे, छींटदार, धारीदार या चेकदार तौलिये के कपड़े सहित इनोक्राम्प तौलिया।

70. सभी अन्य तौलिये जिनके अन्तर्गत तौलिये का कपड़ा है।

71. (क) झाड़न, दस्ती रूमाल, रूमाल और कांच साफ करने वाले कपड़े (सरवीएल)।
(ख) मेज पोश और मेज कवर्स, नैपकिन।

72. कोरी, धुली या रंगी डॉबी और जेकर्ड चद्दर, पलंगपोश, रजाइयां खोल, इनके अन्तर्गत सुजनी है।

73. सूती और ऊनी सूत के मेल वाले कम्बलों और (न रंगे या न छपे) शालों या किसी भी वस्तु को लोई सहित सब किस्म के कम्बल और मलीदे।

74. दरी और गलीचे जिसके अन्तर्गत शतरंजी (फर्शी गलीचे) हैं।

75. रंगी हुई या सूत की बनी हुई रंगी और रंगीन किरमिच।

76. (पूरा रंगा हुआ और बिना धारी का) सादी और फैन्सी जमीन वाला नकली रेशम, वेकर्स, अलफक्का, क्रेप, आदि।

77. मोटर ढकने का कपड़ा।

78. कोरी, धुली और रंगी बुकरम।

79. धारीदार वायल—धुली और या रंगी अलग-अलग नगों में।

80. कोरी, धुली और रंगी छींटदार वायल।

81. मुक्ता कलाथ—यह वस्त्र सूती ताने और सनी बाने से बुना हुआ होता है।

82. सूती सजावट के कपड़े और केसमेन्ट कपड़े सहित कोरे, धुले और रंगे और छपे नकली रेशमी पर्दे और बिछावन वस्त्र।

83. धुली और रंगी बेड फोर्ड रस्सी।

84. कोरी, धुली या रंगी जमीन वाली छपी क्रेप।

85. बेरंगी, धारीदार या चेक वाली शुद्ध रेशमी कोटिंग—इस मद के अन्तर्गत नकली रेशों, तारों या सूतों का बना कोटिंग भी है।

86. बिना रंग वाला धारीदार या चेकदार शुद्ध रेशमी शर्टिंग।

87. छपी ड्रिल, बुकिल और जीन।

88. धुली रंगीन, छपी और किनारी वाली कोर्डेड वाइल्स।

89. नकली रेशमी, ताना-बाना या दोनों वाली छपी बोस्की।

90. नकली रेशमी धारीदार वाइल-कोरी, धुली और रंगीन वाइलें जिनके बीच में नकली रेशमी धारियां हैं।

91. नकली रेशमी बार्डर सहित या रहित धुली, रंगी और छपी किनारीदार वाइलें।

92. नकली रेशमी साटिन—जिसके अन्तर्गत 100 प्रतिशत नकली रेशम वाले या ताने या बाने में लगे नकली रेशम वाली साटिन है।

93. कोरी, धुली और रंगी चेक वाइल (इस मद के अन्तर्गत ऐसी सूती वाइल है जिसमें कोरी, धुली या रंगीन जमीन वाले कपड़े के पूरे भाग पर चेक की डिजाइन है)।

94. कोरी फ्लोलेंट्स—इसके अन्तर्गत एक तरफ उठा कोरा कपड़ा और सूती मखमल है।

छठी अनुसूची

रजिस्ट्रार के सामने नियम 114 की कार्यवाहियों में समनुज्ञेय खर्चों का मापमान

प्रविष्टि संख्या	वह मामला जिसे लेखे खर्च अधिनिर्णीत किया जाना है	रकम
1.	एक दिन की ऐसी सुनवाई के लिए जिसके अन्तर्गत साक्षियों से पृच्छा की जाती है	1000 रुपए
2.	जहां साक्षियों से कोई पृच्छा नहीं हुई है वहां एक दिन की सुनवाई के लिये	500 रुपए
3.	किसी पक्षकार की याचना पर सुनवाई का स्थगन मंजूर करने के लिये	500 रुपए और अन्य पक्षकारों के जिन साक्षियों से उस दिन पृच्छा होनी थी उन्हें पुनः आहूत करने का खर्च।
4.	शपथपत्र से कलंक का विषय निकाल देने के लिये	200 रुपए
5.	साक्षियों की हाजिरी के लिये, जीवन निर्वाह भत्ता यात्रा भत्ता	500 रुपए (निम्नलिखित टिप्पण देखिए) प्रत्येक तरफ का प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग का रेलगाड़ी या वाष्प जलयान का भाड़ा, और यदि रेलगाड़ी या वाष्प जलयान वहां न चलता हो तो साक्षी के ओहदे या हैसियत के हिसाब से 5 रुपए या 2.50 प्रति किलोमीटर होगा।

टिप्पण—साक्षियों के लिये जीवन निर्वाह भत्ते और यात्रा भत्ते की दरों में परिवर्तन साक्षियों की हैसियत के अनुसार होगा। किन्तु जो अधिकतम विहित है, उससे वह अधिक न होगा।

भाग 8

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की भाषा :—(1) (क) व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की भाषा अंग्रेजी होगी :

परन्तु कार्यवाही के पक्षकार, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समक्ष में हिन्दी में प्रारूपित दस्तावेजों को फाइल कर सकते हैं, यदि उन्होंने ऐसी वांछा की हो :

परन्तु जहां—

(क) रजिस्ट्रार अधिकरण की कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग की अनुज्ञा देता है और ऐसी कार्यवाहियों में सुनवाई को वह स्वविवेकानुसार अभिवचनों और फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए निदेश दे सकेगा।

(ख) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 2 के खंड (च में यथापरिभाषित "क" क्षेत्र में स्थित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के कार्यालय के बारे में रजिस्ट्रार स्वविवेकानुसार अंतिम आदेश हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकेगा।

(2) पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अंतिम आदेश हिन्दी में किया जाता है वहां उसका अधिप्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद साथ ही साथ तैयार किया जाएगा और अभिलेख में रखा जाएगा।

[सं. 14(3)/98-पी.पी. एण्ड सी.]

ए. ई. अहमद, संयुक्त सचिव